

निदेशक मण्डल / Board of Directors



श्री दीपेन्द्र सिंह / Shri Deependra Singh अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.12.15 से) /Chairman & Managing Director (from 01.12.15)



डॉ. आर. एन. पात्र / Dr. R. N. Patra पूर्व अ.प्र.नि. /Ex CMD (30.11.15 तक) / (Upto 30.11.15)



श्री सी.के. असनानी / Shri C K Asnani निदेशक (तकनीकी) / Director (Technical) निदेशक (वित्त) / Director (Finance) (31.08.16 तक) / (upto 31.08.16)



श्री राकेश तुमाने / Shri Rakesh Tumane

सरकारी नामित निदेशक / Government Nominee Directors



श्री संजीव सूद / Shri Sanjeev Sood संयुक्त सचिव (आई एंड एम) / Jt.Secretary(I & M)



श्री आर ए राजीव, आईएएस / Shri R A Rajeev, IAS संयुक्त सचिव (वित्त) / Jt. Secretary (Finance)



श्री बी. ज्योतिकुमार / Shri B Jyothikumar कार्यकारी निदेशक, के एसँ आईडीसीलि. / Exe. Director, KSIDC Ltd



श्री एन. साईबाबा / Shri N Saibaba मुख्य कार्यकारी, एनएफसी / Chief Executive, NFC (31.05.16 तक) / (Upto 31.05.16)

स्वतंत्र निदेशक / Independent Directors



डॉ. अशोक कुमार लोमस Dr Ashok Kumar Lomas



श्री शकील अहमद Shri Shakeel Ahmed



कु. शीला सांगवान Ms. Sheila Sangwan (from 28.12.15)

बैंकर्स / Bankers स्टेट बैंक ऑफ इंडिया State Bank of India स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर State Bank of Travancore एचडीएफसी बैंक / HDFC Bank

लेखापरीक्षा / Auditor मेसर्स एस के पटोदिया एण्ड एसोसिएटस M/s S.K. Patodia & Associates मुंबई / Mumbai

विधि सलाहकार / Legal Advisor मेसर्स कंसल्टा ज्यूरिस, मुंबई M/s Consultajuris, Mumbai मेसर्स मेनन एंड पाई. कोच्चि M/s Menon & Pai. Kochi

Corporate Identity Number (CIN): U15100MH1950GOI008187

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



अध्यक्षीय कथन



प्रिय शेयरधारकों,

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से कंपनी की 66 वीं वार्षिक आम सभा में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है ।

66वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन की सूचना, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं निदेशकों की रिपोर्ट आपके पास पहले से हैं और आपकी अनुमित से मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ। मेरी ओर से प्रथम अवसर पर आपकी कंपनी का वार्षिक कार्य निष्पादन प्रस्तुत हो रहा है।

आर्थिक सिंहावलोकन:

वैश्विक बृहत् आर्थिक परिदृश्य वर्तमान में विश्व उत्पादन का एक किठन एवं दुर्बल वृद्धि से अनिश्चित क्षेत्र विशेषता की ओर ले जा रहा है। इस स्थिति को (I) कई वस्तुओं की कीमतों में गिरावट (ii) अशांत वित्तीय बाज़ारों सहित इक्विटी बाज़ार (iii) अस्थिर विनिमय दरों को विकट कर दिया गया है। ये परिस्थितियाँ वैश्विक निवेशकों को जोखिम से बचने के व्यवहार को प्रतिबिंबित करती है, ऐसे में कई, विशेषत : वस्तुओं के निर्यात में लगी हुई अर्थ-व्यवस्थाएं काफी दबाव में है। वैश्विक प्रतिवात एवं अनुपस्थित रहते मानसून वर्षा के बावजूद, भारत ने 2014-15 में दृढ़तापूर्वक 7.2 प्रतिशत के विरुद्ध 2015-16 में मजबूत 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और इस प्रकार विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य व्यापक आर्थिक मापदंड जैसे मुद्रास्फीति, वित्तीय घाटा और चालु खाता शेष ने सुधार के विशिष्ट लक्षण का प्रदर्शन किया है। थोक मुल्य सुचकांक आधारित मुद्रास्फीति एक वर्ष से अधिक नकारात्मक क्षेत्र में रही है और सभी महत्वपूर्ण उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति कुछ वर्षों के पूर्व जितनी थी, उसके लगभग आधे की गिरावट में आ गई है। हालांकि, प्रगतिशील में दुर्बल विकास और उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने भारत के निर्यातों में भी अपना टोल ले लिया है, क्योंकि आयातों में भी, मुख्यत : कच्चे तेल की घटायी हुई कीमतों के कारण, जिसके लिए देश निर्यात, व्यापार पर बहुत अधिक आश्रित है और चालू खाता अभाव संतुलित बने रहने के लिए जारी है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि सामान्य से कम मानसून वर्षा के दो क्रमिक वर्ष के कारण ढीला पड गया। बचत एवं निवेश दर शायद ही पुनरुद्धार का कोई संकेत दिखाती है। विश्व में अधिकांश अन्य मुद्राओं की तरह, अमेरिकी डालर की तुलना में रुपये की कीमत घट गई, फिर भी परिमाण में बहुत कम ही थी। उसी समय में, कई अन्य प्रमुख मुद्राओं के विरुद्ध इसकी सराहना की गई। तथ्य यह है कि सरकार सुधार प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, प्रचलित बहुत आर्थिक स्थिरता के द्वारा सहायता प्राप्त करते हुए, यह प्रतीत होता है कि अर्थव्यवस्था के विकास की गति को ऊपर उठाने के लिए वर्तमान परिस्थिति एवं अगले दो वर्षां में 8 प्रतिशत या उससे अधिक की व-द्धि करेगी। उसी समय में 2016-17 में वृद्धि 2015-16 में प्राप्त स्तरों से नाटकीय रूप से नहीं उठा सकती है, क्योंकि धीमी वैश्विक आर्थिक प्रगति के सामान्य स्तर पर विचार करते हुए , यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तीन वर्ष और वित्तीय क्षेत्र की अनिशिचतताएं अब भी अस्पष्ट दिखाई देने की संभावना की है। प्रचलित समग्र बृहत् आर्थिक परिदुश्य को देखते हुए, और वर्ष 2016-17 में वर्षा के सामान्य स्तर पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष नहीं होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुवर्ती क्रम में तीसरे वर्ष के लिए सभी 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करने के लिए निर्धारित की जाती है।

कार्यनिष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2015-16) कंपनी के लिए एक बहुत प्रयत्न कर वर्ष रहा है। विभिन्न बृहत् आर्थिक कारकों ने कंपनी के विकास पर प्रतिकूल योगदान दिया। खनिज उद्योग में आपूर्ति की अधिशेष स्थिति, चीनी वृद्धि दर में मन्द पड़ना, चीनी मुद्रा के अवमूल्यन ने वैश्विक बाज़ारों को घसीट लिया और यह आई आरईएल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वर्ष के दौरान, तेल की कीमत अधोबिन्दु तक पहुँच गई और आईआरईएल के लिए एक शुभ संकेत नहीं किया था।

स्थानीय मोर्चे पर, चवरा एवं एमके के लिए विभिन्न स्थानीय मुद्दों के कारण कच्ची सामग्री की निश्चितता एक चिंता का विषय बना हुआ है । तथापि, इस समस्या को हल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है ओर कंपनी इस समस्या को निकट भविष्य में, चल रहे विभिन्न पहलों के माध्यम से हल किए जाने की आशा रखती है ।

खनिज प्रभाग का ऑसकॉम यूनिट मात्र अपेक्षाकृत निर्बाध उत्पादन के लिए आशा की किरण थी। किन्तु यह यूनिट आईआरईएल के खरीददार के लिए प्रमुख खनिजों पर उत्पाद शुल्क की लेवी की समस्या, इल्मेनाइट के नियती पर 10% की धनराशि के दाम पर उत्पाद शुल्क और ओडिशा सरकार की लाइसेंस की शासन-प्रणाली से सामना की थी। इसके अतिरिक्त, ऑसकॉम में मोनाजाइट संसाधन संयंत्र (एमओपीपी) के प्रचालन हेतु स्थापित करना अभी तक स्थिर करने के लिए है और एक बहुत ही अन्य क्षमता पर किया गया है जो कंपनी के लिए शुभ नहीं था। एमओपीपी में उत्पादन की तैयारी के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

इसके अलावा, रेअर अर्थ्स प्रभाग, आलवे में बाज़ार की आवश्यकता के अनुसार, एचपीआरई यौगिकों के उत्पादन करने के लिए अभी शेष है और अत : एचपीआरई यौगिकों की बिक्री से प्रत्याशित राजस्व फलदायक नहीं था। इस प्रचालन को शीघ्र ही कारगर कर दिए जाने की संभावना है और इन उत्पादों से राजस्व प्रवाह जो आईआरईएल के शिखर तक के योगदान के लिए आशा की जाती है।

प्रतिकूल बाज़ार परिद्ध्य के बावजूद, आईआरईएल ने 2014-15 की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान 10% से अधिक खनिज की बिक्री की। फिर भी, कम मूल्य वसूली निराशाजरक बाज़ार की स्थितियों के कारण निर्यात से रु. 137.94 करोड़ के योगदान के साथ सकल बिक्री रु. 362.26 करोड़ रुपये से नीचे राजस्व घसीट गया। उपरोक्त कारणों एवं लागत में वृद्धि के कारण राजस्व में कमी वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के लिए प्रतिकूल मुनाफा में हुई है। फिर भी 2016-17 के दौरान कंपनी एक बेहतर कार्य निष्पादन में आशा रखती है।

उत्पादन:

चवरा यूनिट लगभग 14 लाख मैट्रिक टन, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए 28% की वर्तमान एचएम सामग्री के साथ की आवश्यकता है। हालांकि, वर्ष के दौरान केवल करीब 1.7 लाख मैट्रिक टन की बच्ची रेत एकत्रित की जा सकी थी जो उसकी आवश्यकता के केवल 12% ही है। कम वसूली का कारण मुख्य रूप से विभिन्न स्थानीय समस्याओं के कारण हैं जो कि सतह अधिकार के लिए भूमि स्वामियों के द्वारा बढ़ाया क्षतिपूर्ति की मांग, रोजगार की मांग, मदूरी का संशोधन आदि। कच्ची रेत के लिए यूनिटों के समुद्र-तट धुलाई वसूली भी उपर्युक्त कारणों के लिए बंद कर दिया गया था। इस वर्ष के दौरान खनिज पृथक्करण संयंत्र (इल्मेनाइट के विषय में करीब 11.4%) की न्यून क्षमता के उपयोग में हुआ है।



Chairman's Statement



Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors of IREL, it is my great pleasure to welcome you all for the 66^{th} Annual General Meeting of the Company.

The Notice convening the 66th Annual General Meeting, Financial Statements for the year ended 31st March, 2016, the Report of the Auditors' and the Directors' Report are already with you. With your permission, I take them as read. This is the first occasion on my part to present the annual performance of your company.

Economic overview

The global macroeconomic landscape is currently chartering a rough and uncertain terrain characterized by weak growth of world output. The situation has been exacerbated by (i) declining prices of a number of commodities, with reduction in crude oil prices being the most visible of them (ii) turbulent financial markets including equity markets and (iii) volatile exchange rates. These conditions reflect risk-aversion behaviour of global investors, thus putting many, and in particular, commodities exporting economies under considerable stress. Despite global headwinds and a truant monsoon, India registered robust growth of 7.6 per cent in 2015-16 as against 7.2 per cent in 2014-15 and thus becoming the fastest growing major economy in the world. Additionally, its other macroeconomic parameters like inflation, fiscal deficit and current account balance have exhibited distinct signs of improvement. Wholesale price inflation has been in negative territory for more than a year and the allimportant consumer prices inflation has declined to nearly half of what it was a few years ago. However, weak growth in advanced and emerging economies has taken its toll on India's exports also. As imports have also declined, principally on account of reduced prices of crude oil for which the country is heavily dependent on imports, trade and current account deficits continue to be moderate. Growth in agriculture has slackened due to two successive years of less than-normal monsoon rains. Saving and investment rates are showing hardly any signs of revival. The rupee has depreciated vis-à-vis the US dollar, like most other currencies in the world, although less so in magnitude. At the same time, it has appreciated against a number of other major currencies. Given the fact that the government is committed to carrying the reform process forward, aided by the prevailing macroeconomic stability, it appears that conditions do exist for raising the economy's growth momentum and achieving growth rates of 8 per cent or higher in the next couple of years. At the same time, growth in 2016-17 may not pick up dramatically from the levels achieved in 2015-16 as the possibility of slow global economic growth and financial sector uncertainties still loom large. Given the prevalent overall macroeconomic scenario, and considering a normal level of rains in 2016-17, it would not be unreasonable to conclude that the Indian economy is all set to register growth in excess of 7 per cent for the third year in succession.

Performance

The financial year 2015-16 has been a very trying year for the Company. Various macro-economic factors contributed adversely to the growth prospect of the Company. Supply surplus situation in the mineral industry, slump in the Chinese growth rate, devaluation of the Chinese currency dragged the global markets down and had negative impact on IREL. During the year, the oil prices reached the nadir and the same did not augur well for IREL.

On the local front, the raw material security for Chavara and MK on account of various local issues remains a concern. However, efforts are on to mitigate this problem and the Company hopes to resolve the same through various initiatives that are underway in the near future.

OSCOM units Minerals Division was the only ray of hope with relatively smooth production. But, the unit had to grapple with problem of levy of Excise duty on major minerals, export duty to the tune of 10% on export of Ilmenite and the licencing regime of the Odisha Government for the buyer of IREL. In addition to this, the operation of Monazite Processing Plant (MoPP) set up at OSCOM is yet to stabilize and has been at a very low capacity which did not bode well for the Company. Necessary steps are being taken to ramp up the production at MoPP

Further, Rare Earths Division at Aluva is yet to produce HPRE compounds as per the market requirement and hence, revenue expected from sale of HPRE compounds did not fructify. The operations are expected to be streamlined shortly and the revenue stream from these products is expected to contribute to IREL's topline.

Despite the adverse market scenario, IREL sold 10 % more minerals during the current financial year vis-à-vis 2014-15. However, lower price realisations due to gloomy market conditions dragged the gross sales revenue down to Rs 362.36 crore with a contribution of Rs 137.94 crore from exports. The reduction in revenue due to above mentioned reasons and the increase in costs has resulted in adverse bottomline for the Company for the year 2015-16. However, during 2016-17 the Company expects to put in a better performance.

Production

Chavara unit requires about 14 lakh MT of raw sand, with the present HM content of 28% for its full capacity utilization. However, during the year only about 1.7 lakh MT raw sand could be collected, which is only 12% of its requirement. The reason for less collection is mainly due to various local problems such as demand of enhanced compensation by land owners towards surface right, demand of employment, revision of wages etc. Unit's beach wash collection for raw sand was also stopped for above reasons. This has resulted in low capacity utilization of Mineral Separation Plant (about 11.4% in terms of ilmenite) during the year.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



एमके यूनिट लगभग 19 लाख मैट्रिक टन, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए 13% की वर्तमान एचएम सामग्री के साथ की आवश्यकता है। फिर भी, वर्ष के दौरान केवल करीब 8 लाख मैट्रिक टन की कच्ची रेत एकत्रित की जा सकी थी जो उसकी आवश्यकता के केवल 42% ही है। कम वसूली के लिए कारण उपलब्ध समुद्र-तट फीड़ स्टॉक की न्यून गुणवत्ता है और सतह अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण अन्तर्भूमि खनन में कठिनाई है इस वर्ष के दौरान खनिज पृथक्करण संयंत्र की न्यून क्षमता (इल्मेनाइट के विषय में करीब 40%) के उपयोग में हुआ है।

ऑसकॉम यूनिट ने अन्य संबद्ध खनिजों के साथ साथ इल्मेनाइट के 1,83,402 मट्रिक टन उत्पादन किया जो उसकी संस्थापित क्षमता की करीब 83.4% (इल्मेनाइट के विषय में) है।

परियोजनाएं :

मोनाजाइट संसाधन संयंत्र (एमओपीपी) ऑसकॉस में मई, 2015 में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद से प्रचालनीय निकासी प्राप्त करने के बाद अधीकृत किया गया और उत्पादन गतिविधि की शुरूआत की गई। क्षमता की तैयारी का कार्य प्रगति पर है।

ऑसकॉम संयंत्र के क्षमता विस्तारण के लिए पर्यावरण निकासी चरण-1 वन विभाग के निकासी के प्रस्तुतीकरण के अधीन है, को प्राप्त किया गया है। चरण-1 वन विभाग से निकासी प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा कार्यान्वित किए जाने के लिए गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। बोर्ड ने रु.148.25 करोड़ रुपय की अनुमानित लागत से परियोजना के लिए निवेश का अनुमोदन किया है। परियोजना कार्यान्वयन चरण-1 वन विभाग की अनुमति प्राप्त करने के बाद लिया जाएगा।

उच्च शुद्ध रेअर अर्थ्स (एचपीआरई) संयंत्र में रेअर अर्थ्स प्रभाग पर संयंत्र की क्षमता (2250 टीपीए,) के 50% के अधीन अधीकृत किया जा रहा है और परीक्षण रन का कार्य प्रगति पर है। एचपीआरई संयंत्र के नियंत्रण कक्ष की सुविधा डॉ. आर.के. सिन्हा, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा 03-10-2015 को उद्धाटन किया गया। प्रक्रिया अनुकूलन प्रगति पर है।

प्रौद्योगिकी के हस्तांरण (एलएटीओटी) के लिए लाइसेंस समझौते जुलाई, 2015 में रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल) हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी चुंबक बनाने के हस्तांतरण के लिए, डीएमआरएल द्वारा प्रवेश किया गया था। अलग समझौता एसएम-सह-चुंबकीय मिश्र धातु पाउडर की तैयारी के लिए प्रक्रिया के प्रौद्योगिकी अन्तरण हेतु नवम्बर, 2015 में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई (बीएआरसी) के साथ प्रवेश किया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (आईडीसीओएल) के साध संयुक्त उद्यम करार (जेवीए) में प्रेवश के लिए तैयारी प्रगति पर है। इसके अलावा, जेवीसी के पक्ष में भूमि के आरक्षण की सुविधा के लिए साइट गतिविधियाँ प्रगति पर है।

सीएसआर एवं धारणीय विकास

आपकी कंपनी अपने सामाजिक कार्यसूची के एक भाग के रूप में समाज के लिए योगदान कर रहा है। इसे संचालित की दीर्घकालिक स्थिरता पर अपने कार्यों के प्रभाव की पूरी समझ के साथ व्यापक निर्णय करने के लिए प्रयास करता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय में समावेशी और भागीदारी विकास के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और बहाली गतिविधियों के लिए पहल की ओर से बल भी दिया जाता है। आप की कंपनी ने विभिन्न स्कूलों में प्रसाधन का निर्माण करके "स्वच्छ भारत" की पहल की दिशा में योगदान दिया है। कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान पहचान सीएसआर एवं धारणीय गतिविधियों पर रु. 211.45 लाख रुपये का खर्च किया है। कंपनी इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गतिविधियों को फिर से संगठित करने के लिए आवश्यकता होने पर प्रतिबद्ध भी है।

लाभांश

आपकी कंपनी के शेयरधारकों ने वर्तमान वित्तीय निष्पादन को विश्लेषण करने के बाद, चल रहे विभिन्न परियोजनाओं पर निवेश के माध्यम से आरक्षितियाँ/निवल मूल्य के अनुकूलन को बनाए रखने के लिए निदेशकों के निर्णय को देखते हुए वर्ष 2015-16 में वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभांश की घोषणा से छूट देने का निर्णय किया है।

कॉर्पोरेट शासन

आप की कंपनी शासन के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और व्यवसाय प्रथाओं में पारदर्शिता मज़बूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके लिए, अखंडता समझौता सार्वजिनक प्रापण में पारदर्शिता, इक्विटी और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए और व्यापार में भ्रष्टाचार की किसी भी संभावना प्लग करने के लिए लागू किया गया है। इस उद्देश्य हेतु एक स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर नियुक्त किया गया है। तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रयोज्य दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय को नियमित रूप से भेजी जाती है। व्यापार के जोखिम के विरुद्ध बचाने के लिए, एक जोखिम प्रबंधन नीति को अपनी कंपनी में स्थान दिया गया है। निवारक सर्तर्कता तंत्र को और मज़बूत कर दिया गया है।

नेक कॉर्पोरेट शासन निगम के क्षेत्रों के निष्पादन को बढ़ाने के द्वारा धारणीय आर्थिक विकास के प्रति योगदान देता है और बाहरी निधि को उपयोग करने के लिए अपनी क्षमता को भी बढ़ाता है। कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट जो निदेशक की रिपोर्ट का एक हिस्सा है, कंपनी के शासन व्यवस्था का सार है। कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान कोड़ के साथ अधिकतर पालन किया है।

आभार

मैं निदेशक मंडल की ओर से, कपनी के निदेशक मंडल एवं प्रवंधन में उनके लगातार विश्वास के लिए कंपनी के शेयरधारकों को अपनी ईनामदारी से सराहना करना चाहता हूँ। मैं वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एवं योगदान हेतु हमारे सभी विक्रेताओं, ग्राहकों, व्यापार सहयोगियों और हमारे अपने कर्मचारियों को अपनी ओर से भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं उनके निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए सरकार विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा विभाग, उद्योग एवं खनन मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यमों और अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों के विभाग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुभकामनाओं सहित,

आपका, (दीपेन्द्र सिंह)

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



MK unit requires about 19 lakh MT of raw sand, with the present HM content of 13% for its full capacity utilization. However, during the year only about 8 lakh MT raw sand could be collected, which is only 42% of its requirement. The reason for less collection is low quality of available beach wash feed stock and difficulty in inland mining due to non-availability of surface right. This has resulted in low capacity utilization of Mineral Separation Plant (about 40% in terms of Ilmenite) during the year.

OSCOM unit produced 1,83,402 MT of Ilmenite along with other associated minerals, which is about 83.4% of its installed capacity (in terms of Ilmenite).

Projects

Monazite processing plant (MoPP) at OSCOM was commissioned after obtaining operational clearance from Atomic Energy Regulatory Board in May 2015 and started the production activity. Ramping up of the capacity is under progress.

Environment clearance for **Capacity Expansion** of OSCOM Plant has been received subject to submission of Stage - I forest clearance. Activities for carrying out Grama Sabha for obtaining Stage - I forest clearance are in progress. Board has approved investment for the project at an estimated cost of Rs. 148.25 crore. Project implementation will be taken up after obtaining the Stage - I forest clearance.

50% of the plant capacity (2250 tpa) at **High Pure Rare Earths (HPRE)** Plant at RED is under commissioning and trial runs are in progress. The control panel facility of HPRE plant was inaugurated by Dr. R.K. Sinha, Chairman, AEC and Secretary, DAE on 03.10.2015. Process optimization is in progress.

The Licencing Agreement for Transfer of Technology (LATOT) was entered into with Defence Metallurgical Research Laboratory (DMRL), Hyderabad in July 2015 for transfer of magnet making technology developed by DMRL. Separate agreement has been entered with Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai (BARC) in November 2015 for technology transfer of process for preparation of Sm-Co magnetic alloy powder. Process of appointing consultant to prepare the detailed project report is in progress.

Preparation for entering into **joint venture agreement (JVA)** with Industrial Development Corporation of Odisha Ltd. (IDCOL) is in progress. Further site activities to facilitate reservation of land in favor of the JVC are in progress.

CSR & Sustainable development

Your Company has been making contribution to the society as a part of its social agenda. It strives to make business decision with full understanding of impact of its actions on the long term sustainability of the communities in which it operates. Emphasis is also given towards the initiatives for inclusive and participatory growth as well as education, healthcare, relief and restoration activities in times of natural calamities. Your Company has contributed towards "Swachh Bharat" initiatives by setting up toilets in various schools. Company has spent Rs.211.45 lakhs on identified CSR & Sustainable activities during the year 2015-16. The Company is also committed to realign the activities under the Companies Act, 2013 as and when required.

Dividend

Shareholders of your Company has decided to exempt IREL from declaring any dividend for the financial year 2015-16 in view of Boards decision for retaining and optimizing reserves/ net worth through investment on various ongoing projects after analyzing the current financial performance.

Corporate Governance

Your company is committed to uphold highest standards of governance and has taken initiatives to strengthen transparency in business practices. For this, the Integrity Pact has been implemented for ensuring transparency, equity and competitiveness in public procurement and to plug any possibility of corrupt practices in trade. One Independent External Monitor have been appointed for the purpose. Quarterly compliance reports are regularly sent to the administrative Ministry as per the applicable guidelines. To insulate against business risks, a Risk Management Policy has been put in place in your company. The preventive vigilance mechanism has been further strengthened.

Good Corporate Governance contributes towards sustainable economic development by enhancing the performance of corporate sectors and also enhances its capacity to access outside funds. The Corporate Governance report which forms part of the Director's Report summarises the Company's Governance arrangement. The Company has mostly complied with the Code throughout the year 2015-16.

Acknowledgment


I on behalf of the Board of Directors, wish to place on record my sincere appreciation to the shareholders of the Company for their continued trust in the Board of Directors and the management of the Company. I would also like to thank all our vendors, customers, business associates and our own employees for their commitment and contribution towards the Company during the year 2015-16. Before I conclude, I wish to thank the Government specially the Department of Atomic Energy, Ministry of Industry & Mining, Department of Public Enterprises and other Central and State Government Departments for their continued guidance and co-operation.


With warm regards,


Yours sincerely

(Deependra Singh)











आईआरई आरसी, कोल्लम में 30.01.2016 को व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह के दौरान सहभागियों को भाषण देते हुए श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। Shri D Singh, CMD addressing the participants of Behavioural Training Programme on 30.01.2016 at IRERC, Kollam during valedictory session.

21.11.2015 को मणवालकुरिच्चि संयंत्र में 1 मेगावोट सौर पीवी संयंत्र हेतु आधारशिला स्थापित करते हुए डॉ. आर.एन. पात्र, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरईएल।

Foundation Stone for IMW Solar PV Plant laid by Dr. R.N. Patra, Ex-CMD, IREL at Manavalakurichi Plant on 21.11.2015.





सीएसआर की गतिविधियां के हिस्से के रुप कोविलतोट्टम में आयोजित चिकित्सा शिविर का उद्घाटन समारोह।
Inaugural function of Medical Camp held at Kovilthottom as a part of CSR activities.

श्री संजय बंगा, मुख्य सतर्कता अधिकारी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के सांत्वना पुरस्कार को प्रदान करते हुए।

Shri Sanjay Banga, CVO giving away the consolation prize of the Quiz Competition.





विषयवस्तु / CONTENTS

विवरण	पृष्ठ सं.
<u>Particulars</u>	<u>Page No.</u>
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	01-32
कारपोरेट शासन प्रमाणपत्र Corporate Governance Certificate	33-34
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी C & AG Comments	35
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	36-45
तुलन पत्र Balance Sheet	46
लाभ एवं हानि का विवरण Statement of Profit & Loss	47
नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	48
नोट्स Notes	49-90



निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्वतःसिद्ध संक्षिप्त वित्तीय विवरणों के साथ साथ आपकी कंपनी के व्यापार एवं प्रचालनों पर 66वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है ।

1.0 वित्तीय परिणाम

1.0 मुख्य बातें

1.1 वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के प्रचालनों एवं कार्यनिष्मादन की मुख्य बातें तथा पिछले वर्ष से इसकी तुलना निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई है :

(रू लाख में)

	वित्तीय वर्ष	2015-16	2014-15
1.	कुल राजस्व	39,176	46,349
2.	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय से पूर्व लाभ, पूर्व अवधि समायोजन,	(8,065)	1,684
	असाधारण एवं अपवाद मदें		
3.	घटाएं : मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	2,990	2,153
4.	जोड़े/(घटाएं) : पूर्व अवधि समायोजन - शुद्ध एवं असाधारण मदें	(68)	784
5.	जोड़े/(घटाएं) : अपवाद मदें	-	-
6.	कर पूर्व लाभ	(11,123	315
7.	घटाएं : कर व्यय	(673)	248
8.	अवधि के लिए लाभ	(10,451)	67
9.	प्रस्तावित लाभांश	-	1,727
10.	सामान्य आरक्षित में हस्तांतरण	-	-
11.	विदेशी मुद्रा अर्जन	13,794	12,942

2.0 विक्री एवं विपणन

2.1 वर्ष 2014-15 की तुलना में संदर्भाधीन वर्ष 2015-16 निम्न प्रवृत्तियों को साक्ष्य देने में जारी रहा। आईआरईएल के उत्पादों के लिए संगत विभिन्न क्षेत्र में उबरती अर्थ-व्यवस्था और लगातार अधिक आपूर्ति और उच्च संपत्ति-सूची स्तर के दुर्बल मांग से पीड़ित रहा। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो उदासीनता में था। चीन एक दीर्धकालिक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, कमज़ोर निर्यात, क्षमता से अधिक कारखाने, धीमा निवेश, एक नरम संपत्ति बाज़ार और उच्च कर्ज़ के स्तर पर झकाव में था। चीनी मुद्रा के अवमूल्यन मामले को और संयोजित किया। वैश्वक तेल मूल्य प्रति बैरल 30 अमेरिकी डालर के एक 12 वर्ष के निचले स्तर तक गिरा दिया और निम्न पंक्ति में आगा-पीछा करने के लिए जारी रहा। उपरोक्त बृहत् आर्थिक परिवर्तन और नई कंपनियों के प्रवेश के साथ ही वर्तमान कंपनियों के द्वारा क्षमता विस्तार को आगे उद्योग के संकट को जोड़ा गया एवं इल्मेनाइट और रुटाइल की तरह टाइटानियम फीड स्टॉक के लिए दिक्षणी ओर की कीमतों में ले ली। उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऊंची कीमत के समय के दौरान सेरामिक्स उत्पादकों द्वारा कार्यान्वित प्रतिस्थापन या बचत करने के उपाय ने जर्कन के लिए मांग के महत्वपूर्ण क्षिति में हुई थी जो आज तारीख तक जारी है। धीमा चीनी अचल संपत्ति बाजार के साथ सेरामिक टाइल्स के लिए कमज़ोर मांग मामले को और संयाजित कर दिया। जबिक, इस्पात उद्योग में मंदी प्रवृत्ति बनी रही और सिल्लिमेनाइट की मांग पर असर पड़ा, तेल की कीमतों के निचले आधार ने गार्नेट की कुल मांग पर प्रतिकृत प्रभाव ड़ाला।



DIRECTORS' REPORT

To,

The Members
Indian Rare Earths Limited

Your Directors take pleasure in presenting the 66th Annual Report on the business and operations of your Company along with the standalone summary of financial statements for the year ended 31st March, 2016.

1.0 Financial Results

1.0 Highlights

1.1 The highlights of the operations and performance of the Company for the year 2015-16 and its comparison with the previous year have been presented in following table:

			(₹ lakh)
	Financial Year	2015-16	2014-15
1.	Total Revenue	39,176	46,349
2.	Profit before depreciation & amortization expenses, prior	(8,065)	1,684
	period adjustments, extra ordinary & exceptional items		
3.	Less: Depreciation and amortization expenses	2,990	2,153
4.	Add/ (Less): Prior period adjustments-Net &	(68)	784
	Extraordinary items		
5.	Add/ (Less): Exceptional items	-	-
6.	Profit before tax	(11,123)	315
7.	Less: tax expenses	(673)	248
8.	Profit for the period	(10,451)	67
9.	Proposed dividend	_	1,727
10.	Transfer to General Reserve	-	-
11.	Foreign Exchange earnings	13,794	12,942

2.0 Sales & Marketing

2.1 The year under reference 2015-16 continued to witness downward trends vis-à-vis year 2014-15. Various sectors relevant to IREL's products continued to suffer from weak demand in emerging economies and on account of persistent oversupply and high inventory levels. China the world's second largest economy was cooling down. China was in the midst of a protracted slowdown, weighed down by weak exports, factory overcapacity, slowing investment, a soft property market and high debt levels. The devaluation of Chinese currency further compounded the matter. The global oil prices dropped to a 12 year low of below USD 30 per barrel and continued to hover in the lower ranges. The above macro-economic changes and entry of new players as well as capacity expansion by existing players further added to the woes of the industry and took the prices further southwards for Titanium feedstocks like Ilmenite and Rutile. In addition to above, substitution or thrifting measures implemented by ceramics producers during the times of high prices had resulted in significant loss of demand for Zircon which continues till date. Weak demand for ceramic tiles with slowing Chinese real estate market further compounded the matters. While, the recessionary trend in steel industry continued and had impact on demand for Sillimanite, the bottoming out of oil prices had adverse impact on the overall demand for Garnet.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- 2.2 एक तरफ प्रतिकूल बृहत् आर्थिक परिदृश्य ने उद्योग को प्रभावित किया था, दूसरी तरफ ऑसकॉम यूनिट के प्रमुख उत्पादों पर ओड़िशा राज्स सरकार और उत्पाद शुल्क की लेवी द्वारा एमडीसीसी एवं लाइसेंस की निरंतर आवश्यकता के साथ नकारात्मक स्थानीय पर्यावरण का सामना करने के लिए जारी रखा। चवरा एवं एमके दोनों पर एक निरंतर आधार पर कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता ने अतिरिक्त अनियमित उत्पादन में परिणाम जो खोये अवसर में परिवर्तित हुआ। इसके अतिरिक्त, इसी के कारण, आईआरईएल इन यूनिटों के खोये ग्राहकों को फिर से प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सका। उदास अवधि के दौरान आशा की किरण बनी रही गोपालपुर बंदरगाह का प्रारंभ जो ऑसकॉम यूनिट से नियमित इल्मेनाइट के निर्यात व्यय में कुछ बचत करेगी।
- 2.3 उपर्युक्त उदासीन बाज़ार परिदृश्य और ऑसकॉम पर एमडीसीसी/लाइसेंस, इल्मेनाइठ और उत्पाद शुल्क लेवी पर निर्यात शुल्क की तरह बाधाओं के आग्रह होने के बावजूद पिछले वर्ष के दौरान 3,11,000 मैट्रिक टन के विरुद्ध वर्ष 2015-16 के दौरान खनिजों की बिक्री की मात्रा 10% से अधिक होकर, लगभग 3,34,000 मेट्रिक टन बेचा। इल्मेनाइट निर्यात की मात्रा 36% से अधिक के आदेश के लाभप्रद की वृद्धि दर्ज़ की गई यथा 2,04,000 मेट्रिक टन से अधिक की मात्रा का निर्यात किया गया। हालांकि उच्च बिक्री प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं छोड़ा गया, उपर्युक्त घटकों के कारण बाज़ार में उपलब्ध कम कीमत ने आईआरईएल को आधार पंक्ति पर लेने से तीव्र टोल लिया। कुल बिक्री उत्पाद शुल्क को मिलाकर, रु. 362.36 करोड़ का आदेश था जो पिछले वर्ष के विषय में 14% कम है।
- 2.4 बिक्री राजस्व आंकड़ा काफी कम हुआ हो, किन्तु आईआरईएल के उत्पादों की ब्रिकी में लगातार प्रयास किए जाने से इल्मेनाइट के उच्चत्तर टनमान का निर्यात किया गया, अन्य उपाय जैसे रुटाइल एवं इल्मेनाइट के थोक उठाने हतु कटौती योजना से उच्चत्तर राजस्व के प्रजनन में परिणाम निकला। राजस्व के प्रजनन में परिणाम निकला।
- 2.5 एमओपीपी के कमीशिनंग एवं उच्च शुद्ध रेअर अर्थ (एचपीआरई) यौगिकों के उत्पादन के द्वारा बिक्री के लिए अधिक आवश्यक प्रोत्साहन कार्यान्वित नहीं हुआ। मई, 2015 में एमओपीपी के प्रचलित किए जाने के बावजूद, प्रक्रिया स्थिरीकरण के समस्याओं से तंग हुए जिससे वर्ष 2015-16 के दौरान बहुत न्यून क्षमता के उपयोग का ही पिरणाम निकला। रेअर अर्थ प्रभाग के लिए प्रदाय के विषय के मुद्दों में भी यही नतीज़ा निकला जिसमें एचपीआरई यौगिकों को राजस्व में लाने की आशा की गई थी। पिरणामस्वरूप, एमओपीपी एवं रेअर अर्थ प्रभाग से प्रत्याशित की तुलना में महत्वपूर्ण कमी थी।
- 2.6 आईआरईएल वर्ष 2016-17 के दौरान एमओपीपी के अच्छे क्षमता उपयोग प्राप्त करने के लिए आशा करती है। यह उत्पादित आरईसीएल के 50% की आपूर्ति हेतु टोयोट्सु रेअर अर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीआरईआई) के साथ बिक्री खरीद करार से आरईसीएल की उच्च बिक्री में परिणाम निकलने की आशा की गई। इसके अतिरिक्त, एचपीआरई यौगिकों से बिक्री, ड्रायरों को संस्थापित द्वारा वर्तमान प्रक्रिया के आवश्यक संवर्धन एवं आरईसीएल की आपूर्तियों को बढ़ाने के साथ भी प्रत्याशित की गई। वर्ष 2016-17 के दौरान चवरा में सुधारित उत्पादन सकारात्मक योगदान के लिए आशा की जाती है।
- 2.7 इसके अतिरिक्त, यह आशा की जाती है कि मूल्य स्थिर होगा और आगामी वर्ष के दौरान आईआरईएल के प्रमुख उत्पाद इल्मेनाइट के लिए सुदृढ़ होगा। जबिक, यह आईआरइएल के लिए अच्छा संकेत है, अन्य खिनजों के लिए बाज़ार एक ही तरह की कम चमक रहने के लिए प्रत्याशित है। रेअर अर्थ्स मोर्चे पर, मूल्यों के निरंतर दक्षिणी ओर की गित चिंता की बात है। यदि ऐसी ही प्रवृत्ति वर्ष 2016-17 के दौरान बनी रहे तो आईआरईएल के राजस्व पर वही प्रतिकल प्रभाव पड़ सकता है।

3.0 उत्पादन

- 3.1 चवरा को अपनी संपूर्ण क्षमता उपयोग के लिए वर्तमान 28% के भारी खनिज घटक के साथ लगभग 14 लाख मैट्रिक टन कच्ची रेत की आवश्यकता है । तथापि वर्ष के दौरान केवल लगभग 1.7 लाख मैट्रिक टन कच्ची रेत संग्रह की जा सकी जो कि इसकी आवश्यकता का सिर्फ 12% है । कम संग्रह मुख्य रूप से विभिन्न स्थानीय समस्याओं के कारण रहा जैसे कि सतही अधिकार के लिए भूस्वामियों द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग में वृद्धि, रोजगार के लिए मांग, मजदूरियों का पुनरीक्षण इत्यादि । कच्ची रेत के लिए यूनिटों का बीच धुलाई संग्रहण भी उपर्युक्त कारणों से रुक गया । इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान खनिज पृथक्करण प्लांट का क्षमता उपयोग कम (इल्मेनाइट के संदर्भ में लगभग 11.4% रहा ।
- 3.2 एमके को अपनी पूर्ण क्षमता उपयोग के लिए वर्तमान 13% के भारी खनिज घटक के साथ लगभग 19 लाख मैट्रिक टन कच्ची रेत की आवश्यकता है । तथापि वर्ष के दौरान केवल लगभग 8 लाख मैट्रिक टन कच्ची रेत संग्रह की जा सकी जो कि इसकी आवश्यकता का सिर्फ 42% है । उपलब्ध बीच वॉश फीड स्टॉक की निम्न गुणवत्ता एवं सतही अधिकार की अनुपलब्धता के कारण भूखनन में

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- 2.2 On one hand the adverse macro-economic scenario had affected the industry, on the other hand IREL continued to face negative local environment with continued requirement of MDCC and Licence by the Odhisha state Government and levy of excise duty on main products of OSCOM unit. The non-availability of raw material on a sustained basis at both Chavara and MK resulted in erratic production yet again which resulted in lost opportunity. Further on account of the same, IREL could not make significant headway in getting back lost customers of these units. The silver lining during the gloomy period was re-opening of the Gopalpur port which would result in some saving in export expenses for Ilmenite exported from OSCOM unit.
- 2.3 Despite the above gloomy market scenario and the persistence of hurdles like MDCC/ Licensing, Export duty on Ilmenite and Excise duty levy at OSCOM, the sales volume of minerals sold increased by over 10% to about 3,43,000 MT during 2015-16 against 3,11,000 MT during the previous year. Ilmenite exports registered a healthy growth of the order of over 36% in volume terms as a quantity of over 2,04,000 MT was exported. Though no stone was left unturned to achieve higher sales, low prices obtainable in the market due to the factors mentioned above took severe toll on the bottom-line of IREL. The turnover inclusive of excise duty was of the order of Rs.362.36 crore a reduction of 14% with respect to the previous year.
- 2.4 The sales revenue figure would have been much less but of the sustained efforts of IREL in selling its produce. Along with the higher tonnage of Ilmenite exported, other measures like discount scheme for bulk lifting of Rutile and Sillimanite resulted in generation of higher revenue. Also, contracts with domestic customers for Zircon and Sillimanite resulted in better revenue generation.
- 2.5 The much needed impetus for sales on account of commissioning of MoPP and production of High Pure Rare Earth (HPRE) compounds did not materialize. Despite the MoPP getting commissioned in May 2015, problems of process stabilization are plaguing it which resulted in very low capacity utilization during 2015-16. This also resulted in issues with respect to feed for RE Division wherein HPRE Compounds were expected to bring revenues. As a result, revenue from MoPP and RE Division were significantly less than anticipated.
- 2.6 IREL expects to achieve better capacity utilization of MoPP during 2016-17. This along with the Sales Purchase Agreement with Toyotsu Rare Earth India Pvt Ltd (TREI) for supply of 50% of RECL produced is expected to result in higher sales of RECL. Further, with stepped up supplies of RECL and necessary augmentation to the present process by incorporating dryers, etc. sales from HPRE compounds are also anticipated. Improved production at Chavara is expected to contribute positively during 2016-17.
- 2.7 Further, it is anticipated that the prices would stabilize and firm up for IREL's major product Ilmenite during the coming year. While this bodes well of IREL, the markets for other minerals are anticipated to remain a bit lack luster. On the rare earths front, continued southward movement of prices is a cause of concern. The same would have adverse impact on IREL's revenue if the trend continues during 2016-17.

3.0 Production

- 3.1 Chavara unit requires about 14 lakh MT of raw sand, with the present HM content of 28% for its full capacity utilization. However, during the year only about 1.7 lakh MT raw sand could be collected, which is only 12% of its requirement. The reason for less collection is mainly due to various local problems such as demand of enhanced compensation by land owners towards surface right, demand of employment, revision of wages etc. Unit's beach wash collection for raw sand was also stopped for above reasons. This has resulted in low capacity utilization of Mineral Separation Plant (about 11.4% in terms of Ilmenite) during the year.
- 3.2 MK unit requires about 19 lakh MT of raw sand, with the present HM content of 13% for its full capacity utilization. However, during the year only about 8 lakh MT raw sand could be collected,

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



कठिनाई कम संग्रहण के कारण रहे । इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान खनिज पृथक्करण प्लांट का क्षमता उपयोग कम (42%) रहा।

3.3 ऑसकॉस यूनिट ने इल्मेनाइट के साथ संबद्ध खनिजों का उत्पादन 1,83,402 मैट्रिक टन किया जो उसकी संस्थापित क्षमता के लगभग 83.4% (इल्मेनाइट के संदर्भ में) है ।

4.0 परियोजनाएं

4.1 मोनाजाइट संसाधन संयंत्र (एमओपीपी), ऑसकॉम

यह संयंत्र मई, 2015 में परमाणुं ऊर्जा नियमाक परिषद से प्रचालनीय अनुमति प्राप्त करने के बाद, कमीशनिंग किया गया और उत्पादन की गतिविधि शुरू की गई। क्षमता की तैयारी प्रगति पर है।

4.2 ऑसकॉम संयंत्र का क्षमता विस्तार

चरण-1 वन अनुमति की प्रस्तुति के अधीन

परियोजना के लिए पर्यावरण अनुमित प्राप्त की गई है। चरण-1 वन विभाग की अनुमित प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा के कार्यान्वयन हेतु क्रियाकलाप प्रगित पर है। बोर्ड ने रु. 148.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में परियोजना हेतु निवेश का अनुमोदन प्राप्त किया है। चरण-1 वन विभाग की अनुमित प्राप्त करने के बाद परियोजनाा कार्यान्वित की जाएगी।

4.3 रेअर अर्थ्स प्रभाग में उच्च शुद्ध रेअर अर्थ्स (एचपीआरई) संयंत्र

संयंत्र क्षमता (2250 टीपीए) की 50% कमीशनिगं के अधीन है ओर परीक्षण रन कार्य प्रगति पर है। एचपीआरई संयंत्र के नियंत्रण कक्ष की सुविधा डॉ. आर.के. सिन्हा, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 03.10.2015 को उद्घाटन किया गया। प्रक्रिया अनुकूलन प्रगति पर है।

4.4 रेअर अर्थ (आरई) धातु/चुंबक

प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (एलएटीओटी) के लिए लाईसेंस समझौते जुलाई 2015 में रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल), हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी चुंबक बनाने के हस्तांतरण के लिए डीएमआरएल द्वारा प्रवेश किया गया था। अलग समझौता एमएम-सीओ चुंबकीय मिश्र धातु पाउडर की तैयारी के लिए प्रक्रिया के प्रौद्योगिकी अन्तरण हेतु नवम्बर, 2015 में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई (बीएआरसी) के साथ प्रवेश किया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

4.5 इंडस्ट्रीयल डेवलप्मेंट कारपोरशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (आईडीसीओएल) के साथ संयुक्त उद्यम:

आईआरईएल एवं आईडीसीओएल के बीच में प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के लिए संयुक्त उद्यम समझौता (जेवीए) और जेवी कंपनी निर्माण में प्रविष्टि के लिए तैयारी प्रगति पर है। इसके अलावा, जेवीसी के पक्ष में भूमि के आरक्षण सुसाध्य बनाने के लिए स्थल गतिविधियाँ प्रगति पर है।

4.6 आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलप्मेंट कारपोरेसन (एपीएमडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) :

11.01.2016 को एपीएमडीसीं के साथ समुद्र तट रेत खनन, भारी खनिज पृथक्करण और आंध्र प्रदेश के राज्य में उनके मूल्य संवर्धन संयंत्र के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन में प्रविष्ट किया गया।

5.0 मानव संसाधन प्रबंधन

5.1.1 कंपनी परिसंपत्ति के रूप में मानव संसाधन को सृजित करने के लिए मूल दर्शन में विश्वास रखती है। कभी चुनौतीपूर्ण व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में और सतत प्रतिस्पर्धी बढ़त को बनाए रखने के लिए कंपनी ने लगातार संगठनात्मक रणनीति/योजना के साथ अपने मानव संसाधन प्रबंधन (मासंप्र) रणनीति को संरेखित कर दिया है।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



which is only 42% of its requirement. The reason for less collection is low quality of available beach wash feed stock and difficulty in inland mining due to non-availability of surface right. This has resulted in low capacity utilization of Mineral Separation Plant (about 40% in terms of Ilmenite) during the year.

3.3 OSCOM unit produced 1,83,402 MT of Ilmenite along with other associated minerals, which is about 83.4% of its installed capacity (in terms of Ilmenite).

4.0 Projects

4.1 Monazite processing plant (MoPP), OSCOM:

The plant was commissioned after obtaining operational clearance from Atomic Energy Regulatory Board in May 2015 and started the production activity. Ramping up of the capacity is under progress.

4.2 Capacity Expansion of OSCOM Plant:

Environment clearance for the project has been received subject to submission of Stage - I forest clearance. Activities for carrying out Grama Sabha for obtaining Stage - I forest clearance are in progress. Board has approved investment for the project at an estimated cost of Rs. 148.25 crore. Project implementation will be taken up after obtaining the Stage - I forest clearance.

4.3 High Pure Rare Earths (HPRE) Plant at RED:

50% of the plant capacity (2250 tpa) is under commissioning and trial runs are in progress. The control panel facility of HPRE plant was inaugurated by Dr. R.K. Sinha, Chairman, AEC & Secretary, DAE on 03.10.2015. Process optimization is in progress.

4.4 Rare Earth (RE) Metal/ Magnet making:

The Licencing Agreement for Transfer of Technology (LATOT) entered into with Defence Metallurgical Research Laboratory (DMRL), Hyderabad in July 2015 for transfer of magnet making technology developed by DMRL. Separate agreement has been entered with Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai (BARC) in November 2015 for technology transfer of process for preparation of Sm-Co magnetic alloy powder. Process of appointing consultant to prepare the detailed project report is in progress.

4.5 Joint Venture with Industrial Development Corporation of Odisha Ltd. (IDCOL):

Preparation for entering into joint venture agreement (JVA) and JV Company formation for the proposed joint venture between IREL & IDCOL are in progress. Further site activities to facilitate reservation of land in favor of the JVC are in progress.

4.6 Memorandum of Understanding (MoU) with Andhra Pradesh Mineral Development Corporation (APMDC):

MoU entered with APMDC on 11.01.2016 to form a joint venture company for setting up of beach sand mining, heavy mineral separation and their value addition plant in the state of Andhra Pradesh. Site location to be informed by APMDC.

5.0 Human Resource Management

5.1.1 The Company believes in core philosophy of creating Human Resources as asset. In an endeavour to meet the ever challenging business requirements and to maintain sustainable competitive advantage the company has been continuously aligning its Human Resources Management (HRM) Strategy with the Organizational Strategy/Plan.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



5.1.2 उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, कंपनी ने निष्पादन प्रबंधन प्रणाली, नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण एवं विकास, प्रेरणा, अधिग्रहण और प्रक्रिया प्रबंधन की अवधारणा, मल्टीटास्किंग और आईटी एकीकरण क्षमता आदि के लिए पहल उठायी है। कार्यकारियों के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक मज़बूत की गई है। विरष्ट कार्यकारियों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण, प्रमाणित परियोजना प्रबंधक प्रशिक्षण और कामगार कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कथित रिर्पोर्टों में बनाई सिफ़ारिशों पर आधारित, भविष्य दृष्टि के साथ प्रतिभा प्रबंधन पर अध्ययन और कर्मचारी प्रेरणा सर्वेक्षण को पूरा किया गया और आगे भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उत्पादकता, टीम कार्य और सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाकर सुधार लाने में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

5.2 कर्मचारी कल्याण गतिविधियाँ

5.2.1 कंपनी कर्मचारियों के कल्याण में निवेश करने एवं सभी सांविधिक कल्याण उपायों एवं चिकित्सा देखभाल, उधार एवं अग्रिम, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा आदि के कार्य द्वारा कल्याण हितों को विस्तारित करने के लिए निरंतर जारी रहती है। कंपनी के निष्पादन में प्रभावी योगदान हेतु कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, समर्पण को त्वरित एवं सुदृढ़ करने के लिए कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान केन्द्रित क्षेत्र रहा है।

5.3 आरक्षण नीति

- 5.3.1 आईआरईएल के द्वारा राष्ट्रपति के निदेशों का आधार पर समय समय पर जारी कर्मचारियों की विभिन्न संवर्ग के लिए आरक्षण नीति का यान्वयन किया गया है। अ.जा/अ.जन.जा/अ.पि.जा. (एनसीएल)/पीडब्ल्यूडी/अल्पसंख्या वर्ग के कर्मचारियों के लिए विशेष जोर दी जाती है।
- 5.3.2 आईआरईएल के पास पिछले वर्ष 1961 की तुलना में 31-03-2016 को के अनुसार 1790 कर्मचारियों का सुद्दृढ़ दल है । कुल कार्यबल में 31-03-2016 को यथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधित्व क्रमश : 40 एवं 48 है । जबिक आईआरईएल के रोल पर भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व क्रमश : 54 एवं 17 है । अप्रैल 2015 से 11 व्यक्तियों की भर्ती की गई हैं तथा 183 व्यक्ति त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति/मृत्यु इत्यादि के कारण सेवा में नहीं रहे ।

5.4 औद्योगिक संबंध

- 5.4.1 आईआवईएल में औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्म है। सभी यूनिटों में संघ प्रबंधन के साथ सहकारी है।
- 5.4.2 वेतन संशोधन के मुद्दे पर कामगार और प्रबंधन आज तक किसी भी आम सहमति पर पहुँचने में सक्षम नहीं किया गया है। वेतन संशोधन की अंतिम रूप देने के लिए एक आम सहमति तक पहुँचने के लिए प्रयास जिसके लिए प्रबंधन के साथ बातचीत करने के लिए जारी कर दिया गया है। हालांकि, कुल मिलाकर औद्योगिक संबंध सौहादपूर्ण रहते हैं।

6.0 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं धारणीयता

6.1. आईआरईएल की सीएसआर नीति :

परिकल्पना: अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को प्रदर्शित करती हुई सीएसआर नीतियों के साथ एक कारपोरेट बनना जो मूलभूत व्यापार में सिन्निहित हो तथा समाज के समावेशी उन्नित के लिए मिलकर चले ।

लक्ष्यः एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना जो स्वास्थ्य, साक्षरता, आधारभूत संरचना विकास, स्वच्छ पेय जल, पर्यावरण सुरक्षा, धारणीयता एवं अन्य सामाजिक रूप से संबंधित मामलों के क्षेत्र में पहल करके आसपास के समुदायों के जीवन दशाओं का उत्थान करता हो और अभिवृद्ध करता हो ।

आईआरईएल कंपनियों के अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके सीएसआर की गतिविधियों को चयन करने एवं कार्यान्वयन करने के लिए समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए मार्गदर्शनों का अनुपालन करता है। सीएसआर के कार्यान्वयन का क्षेत्र और धारणीयता योजनाएं जो खनन स्थलों के आसपास के क्षेत्र एवं पिछड़े हुए जिलों में जहाँ कंपनी की अपनी प्रचालन इकाइयाँ होती हैं।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



5.1.2 As a result of the above, the company has taken initiative for Performance Management System, Leadership Development, Training & Development, Motivation, Acquisition and Retention of Talent Management, Multi-Tasking and IT Integration to enhance efficiency etc. The Performance Appraisal Process for Executives has been made more robust. Behavioural Training for Senior Executives, Certified Project Manager Training and Workers Skill Development programmes have been conducted. The study on Talent Management with futuristic vision and Employee Motivation Survey have been completed and further steps are being taken, based on the recommendations made in the said reports. The focus on improving productivity, team work and adoption of best practices are being pursued relentlessly.

5.2 Employees Welfare Activities

5.2.1 The Company continues to invest in Welfare of Employees and fulfills all Statutory Welfare measures and continue to extend welfare benefits by way of Medical Care, Loans and Advances, Education, Social Security etc. Employees Welfare continued to be one of the focused area to accelerate and reinforce employees' commitment, dedication for effective contribution in company's performance.

5.3. Reservation Policy

- 5.3.1 IREL has been implementing Reservation Policy for various category of employees based on presidential directives issued from time to time. Special emphasis is given for development of SC/ST/OBC(NCL)/PwDs/Minority class of employees.
- 5.3.2 IREL has a strong team of 1790 employees as on 31-03-2016 as against 1961 of the previous year. The representation of scheduled castes and scheduled tribes as on 31-03-2016 is 340 and 48 respectively. Whereas, the representation of Ex-servicemen and Persons with disability on the roles of IREL is 54 and 17 respectively. Since April 2015, 11 persons have been recruited and 183 persons ceased to be in employment on account of resignations/ retirements/deaths etc.

5.4 Industrial Relations

- 5.4.1 The Industrial Relations scenario at IREL is by and large very cordial and peaceful. At all the units the Unions are co-operative with the management.
- 5.4.2 On the issue of wage revision the workmen and management have not been able to arrive at any consensus till date. Efforts are on to reach a consensus to finalise the wage revision for which the management has been continuing dialogue with the unions. However, overall the Industrial Relations are cordial.

6.0 Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainability

6.1 CSR policy of IREL

Vision: To be a corporate with CSR policies demonstrating its social responsibilities that is embedded in the core business and aligned for inclusive growth of the society.

Mission: To implement a programme that uplifts and enhance the living condition of the community surrounding by way of initiatives in the areas of health, literacy, infrastructure developments, clean drinking water, environment protection, sustainability and other socially relevant matters.

IREL complies with the provisions of Companies, Act 2013 and the guidelines issued by the Government from time to time for selecting and implementing its CSR activities. The area of implementation of CSR & sustainability schemes is around the vicinity of mining sites and backward districts where the company has its operating units. Later, it is proposed to extend such programs within the radius of 10 kms of plant location. Budgetary allocation for CSR activities of IREL is in accordance with the Companies, Act 2013, Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014 and guidelines issued by the Government from time to time.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



आईआरईएल की सीएसआर नीति वेबसाइट www.irel.gov.in पर उपलब्ध है ।

6.2 सीएसआर समिति का संघटन :

डॉ. अशोक कुमार लोमस, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष

श्री शकील अहमद, स्वतंत्र निदेशक

श्री राकेश तुमाने, निदेशक (वित्त), आईआरईएल

6.3 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :

2012-13 : रू. 236.72 करोड़ 2013-14 : रू. 71.82 करोड़ 2014-15 : रू. 3.12 करोड़

औसत शुद्ध लाभ : रु. 103.89 करोड़

6.4 **2015-16 के लिए निर्धारित सीएसआर व्यय**ः रू.207.78 लाख

6.5 वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च सीएसआर का विवरण :

क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल धनराशि : रू. 207.78 लाख

ख) खर्च नही हो पायी धनराशि : रू. 21.94 लाख

ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस ढंग से धनराशि खर्च की गयी उसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना सम्मिलित	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य एवं जिला विनिर्दिष्ट है। माध्यम से करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चालू थे।		खर्च धनराशि (रू. लाख)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च धनराशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के
1	निवारक स्वास्थ्य देखभाल, जलापूर्ति, स्वच्छता इत्यादि	(i)		60.60	74.34	77.68	
2	शिक्षा, रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल इत्यादि	(ii)	स्थानीय क्षेत्र, कोल्लम एवं	36.15	43.51	46.51	सभी सीएसआर
3	लिंग समानता का प्रचार	(iii)	उद्योगमंडल केरल;	2.00	0.00	0.61	गतिविधयां आईआरईएल
4	पर्यावरणीय धारणीयता	(iv)	कन्याकुमारी,	3.00	0.00	7.83	द्वारा सीधे
5	सांस्कृतिक विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण, पुस्तकालियों का निर्माण आदि	(v)	तमिलनाडु; गंजाम, ओडिशा	5.50	1.40	1.40	कार्यान्वित की जाती हैं
6	खेलखूद	(vii)		0.50	1.27	1.27	
7	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	(x)		54.50	65.02	75.86	
8	विविध व्यय (अधिकतम 5%)				0.29	0.29	
	कुलयोग			165.25	185.83	211.45	

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



CSR policy of IREL is available on website www.irel.co.in

6.2 Composition of CSR Committee

Dr. Ashok Kumar Lomas, Independent Director-Chairman Shri Shakeel Ahmed, Independent Director Shri Rakesh Tumane, Director (Finance), IREL

6.3 Average net profit of the Company for last three financial years

2012-13: Rs. 236.72 crore 2013-14: Rs. 71.82 crore 2014-15: Rs. 3.12 crore

Avg. Net Profit: Rs. 103.89 crore

6.4 Prescribed CSR Expenditure for 2015-16: Rs. 207.78 lakh.

6.5 Details of CSR spent during the financial year:

- a) Total amount to be spent for the financial year: Rs. 207.78 lakh
- b) Amount unspent, if any: Rs. 21.94 lakh
- c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

Sr. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or programs (1) local area or other (2)Specify the state and district where projects or program was undertaken	Amount outlay (₹ Lakh)	Amount Spent (₹ Lakh)	Cumulative expenditur e upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementi- ng agency
1	preventive health care, water supply, sanitation, etc	(i)	undortation	60.60	74.34	77.68	
2	education, employment enhancing vocation skills, etc	(ii)	Local area, Kollam & Udyogmandal Kerala; Kanyakumari, Tamil Nadu; Ganjam, Odisha	36.15	43.51	46.51	
3	promoting gender equality	(iii)		2.00	0.00	0.61	All the CSR activities are
4	environmental sustainability	(iv)		3.00	0.00	7.83	implemented directly by
5	Protection of cultural heritage, art & culture, setting up of libraries, etc	(v)		5.50	1.40	1.40	IREL
6	Sports	(vii)		0.50	1.27	1.27	
7	Rural development projects	(x)		54.50	65.02	75.86	
8	Misc Expenditure (Max 5%)				0.29	0.29	
	Total			162.25	185.83	211.45	

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- 6.6 यदि कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भाग के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत खर्च करने में नाकाम रही है तो कंपनी अपनी बोर्ड-रिपोर्ट में धनराशि खर्च न किए जाने के कारण प्रदान करेगी। आईआरईएल द्वारा धनराशि खर्च न किए जाने के लिए कुछ कारण इस प्रकार निम्नाधीन है:
 - क) एक पुस्तकालय का निर्माण कार्य पुन: निविदा के कारण विलम्ब हो गया।
 - ब) स्थानीय प्राधिकारियों से निकासी में देरी।
 - क) कुछ योजनाएं व्यापार की अत्यावश्यकता के कारण बीच में छोड़ दिया गया।

6.7 सीएसआर नीति के कार्यान्वयन एवं निगरानी के संबंध में उत्तरदायित्व विवरण :

आईआरईएल अपनी सीएसआर गतिविधियों के चयन एवं कार्यान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं समय समय पर सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का अनुपालन करता है । सीएसआर एवं धारणीयता योजनाओं के कार्यान्वयन का क्षेत्र खनन स्थलों के आस पास एवं पिछड़े जिले हैं जहां कंपनी की अपनी प्रचालन यूनिटें हैं । बाद में ऐसे कार्यक्रमों को प्लांट स्थानों के 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया गया । आईआरईएल की सीएसआर गतिविधियों के लिए बजटरी आबंटन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार है ।

7.0 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

7.1 इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके अनुसरण में निम्नलिखित पहल कर रही है :

- i) राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 एवं भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी संबंधित आदेशों के अनुपालन के साथ साथ कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कारपोरेट एवं यूनिट स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने अपने क्रियाकलाप जारी रखे । ये समितियाँ तिमाही आधार पर राजभाषा कार्यान्वन में की गई प्रगति की समीक्षा का कार्य निष्पादित करती हैं ।
- ii) राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान एवं हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा के दौरान क्रमश: कई कार्यशालाएं एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं एवं कार्यशालाओं ने कर्मचारियों के दैनिक कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में बढ़ोतरी की ।
- iii) सरकार के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों में राजभाषा निरीक्षण किया गया
- iv) वर्ष के दौरान, मुंबई में स्थित इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के निगम कार्यालय के राजभाषा निरीक्षण संयुक्त निदेशक (राजभाषा), परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 08 दिसम्बर, 2015 को किया गया। इस अवसर पर आयोजित विशेष राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में, उन्होंने निगम कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर संतोष प्रकट की है ओर कुछ सुझाव भी दिए, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई।

8.0 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- 8.1 कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती रही है । वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने 130 आरटीआई आवेदन, 24 प्रथम अपीलें प्राप्त की एवं कोई द्वितीय अपील प्राप्त नहीं की ।
- 8.1.2 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013 के अनुसार अनिवार्य प्रकटनों की तृतीय पक्ष द्वारा लेखा परीक्षा की गई है । कंपनी ने लखनऊ में स्कोप द्वारा आयोजित आरटीआई अधिनियम के "प्रबंधन एवं कार्यान्वयन" पर इंटरैक्टिव कार्यशाला में भाग लिया है।

9.0 सतर्कता

9.1.1 सतर्कता प्रत्येक व्यक्ति और एड्स, सक्रिय शिक्षाप्रद और सहभागिता के हस्तक्षेप के माध्यम से संगठन में निर्णय लेने के लिए बाहर तक पहुँचने के उद्देश्य पर है। यह सही व्यापार निर्णय लेने के लिए प्रबंधकों में विश्वास बनाता है और संस्कृति को मन में बिठाना है, जहाँ सतर्कता के भय से कार्रवाई में एक क्षमा के समान प्रयोग नहीं किया गया है।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



In case the company has failed to spend the two per cent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report:

Some of the reasons for IREL not spending the amount are as under:

- a) Construction of a library was delayed on account of re-tendering.
- b) Delay in clearances from the local authorities.
- c) Certain schemes were dropped in between on account of business exigencies.

6.7 Responsibility statement regarding the implementation and monitoring of CSR policy:

IREL complies with the provisions of Companies, Act 2013 and the guidelines issued by the Government from time to time for selecting and implementing its CSR activities. The area of implementation of CSR & sustainability schemes is around the vicinity of mining sites and backward districts where the company has its operating units. Later on it is proposed to extend such programs within the radius of 10 kms of plant location. Budgetary allocation for CSR activities of IREL is in accordance with the limits specified under the Companies, Act 2013.

7.0 <u>Implementation of Official Language Policy</u>

- 7.1 Indian Rare Earths Limited is committed to implement official language policy and in pursuance of the same, it has undertaken the following initiatives:
 - i. The Official Language Implementation Committee continued to function at the Corporate and Unit levels for increasing the progressive use of Hindi in Official work in compliance with the Official Language Act, 1963, Official Language Rules, 1976 and related orders issued by the Government of India from time to time. These Committees perform the task of reviewing the progress made in Official Language implementation on quarterly basis.
 - ii. To encourage the use of Official language, several workshops and various competitions were organized throughout the year and during the Hindi Day/Hindi Fortnight respectively. These competitions and workshops have increased progressive use of Hindi by employees of the company in their day-to-day work.
 - iii. In compliance with the Government directives, Official Language inspection was carried out during the year in MK Unit and various departments of Head Office.
 - iv. During the year, Official Language Inspection of the Corporate Office of IREL located in Mumbai was carried out by Joint Director (OL), DAE on 8th December, 2015. During the special DOLIC meeting organized on the occasion, he has expressed satisfaction on the implementation of Official Language Policy in the Corporate Office and also gave some suggestions on which prompt actions were taken.

8.0 Right to Information Act, 2005

- 8.1 The company has been complying with the requirements of RTI Act, 2005. During the year 2015-16 company has received 130 RTI applications, 24 first appeals and no second appeal.
- 8.2 Pursuant to OM no.1/6/2011-IR dated 15.04.2013 issued by DOPT, the mandatory disclosures have been audited by third party. The company has participated in interactive workshop on 'Management and implementation of RTIAct' organized by SCOPE at Lucknow.

9.0 Vigilance

9.1.1 Vigilance aims at reaching out to every individual and aids decision making in the organization through the proactive, educative and participative interventions. This builds the confidence in managers to take the right business decision and inculcates a culture where the fear of vigilanceis not used as an excuse for inaction.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- 9.2 केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी किए मार्गदर्शनों के अनुसरण में उचित सतर्कता प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2015-16 में कदम उठाए गए थे। सतर्कता विभाग सीवीसी, सीबीआई एवं संगठन के बीच एक प्रभावी कड़ी के समान कार्य किया। प्राप्त शिकायतों पर उचित रूप से जांच की गई और सीवीसी एवं परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) सहित संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श में उचित कार्रवाई की गई।
- 9.3 वर्ष के दौरान यूनिटों के 50 सीटीई प्रकार की जाँचे, 50 नियतकालिक निरीक्षण एवं 195 आकस्मिक निरीक्षण किए गए । अभिकरण जैसे सीवीसी, सीबीआई की उनकी जांच रिपोर्टी में दिए गए सलाहों के विषय में उचित, त्वरित एवं समय से कार्रवाई सुनिश्चित की गई ।
- 9.4 निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सतर्कता जागरूकता में संचालित किए गए :
 - (i) क्रमश: श्री जे. विनोद कुमार, ओएसडी, सीवीसी और श्री शैलेन्द्र सिंह, सलाहकार, सीवीसी के कुशल मार्गदर्शन में आईआरई आर सी अनुसंधान केन्द्र, कोल्लम, केरल में 16.07.2015 एवं 17.07.2015 को "आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम" एवं "प्रापण" पर दो दिवसीय निगम प्रशिक्षण कार्यक्रम-सह-कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में सीवीओ एवं यूनिटों के प्रधान एवं अन्य विरष्ठ अधिकारीगण, तीनों उत्पादन यूनिटों से सभी 46 सहभागीगण ने भाग लिया।
 - (ii) क्रमशः श्री जे.विनोद कुमार, ओएसडी, सीवीसी और श्री शैलेन्द्र सिंह, सलाहकार, सीवीसी के कुशल मार्गदर्शन में आईआरईएल, ऑसकॉम, ओडिशा में 04.12.2015 एवं 05.12.2015 को "आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम" एवं "प्रापण" पर दो दिवसीय निगम प्रशिक्षण कार्यक्रम-सह-कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

9.5 प्रणाली सुधार के लिए निम्नलिखित सुझावों पर कार्रवाई की गयी :

- (i) निगम सतर्कता द्वारा दिए अनुदेश के अनुसार कार्यों/मदों पर सतर्कता अधिकारी द्वारा आकस्मिक जांच एवं सीटीई प्रकार की परीक्षाएं कार्यान्वित की गई।
- (ii) निविदाओं की प्रक्रिया में अनियमितताओं से बचने के लिए निविदा के सरलीकरण की ओर सिफारिशें बनाई गई।
- (iii) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरईएल के निदेशों के अनुसार, (विस्तृत जांच) ऑसकॉम यूनिट, ऑडिशा में माल के उत्पादन, परिवहन, हैंडिलिंग, बिक्री एवं माल के अभिलेख रखने की प्रक्रिया की जांच के लिए विस्तृत अन्वेषण को कार्यान्वित किया गया और कर्मकार की भर्ती में प्रणालीबद्ध सुधार के लिए कदम की भी सलाह दी गई।

9.6 आईटी के उपयोग एवं ई-गवर्नेंस:

- आईआईईएल थोक भुगतान के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है और इसे शीघ्र प्रयोजनमूलक बनाए जाने की प्रतीक्षा है ।
- सतर्कता से प्राप्त सुझावों पर आईआरईएल ने ई-भुगतान की सुविधा कार्यान्वित की और विक्रेताओं के लिए ई-भुगतान करना शरू कर दिया है ।
- आईआरईएल के सभी यूनिट सतर्कता की सलाह पर, अर्थात् ऑसकॉम, मणवालकुरिच्चि, चवरा और अलुवा यूनिटों ने मेसर्स. एमएसटीसी के साथ करार में हस्ताक्षरित किया है और मेसर्स. एमएसटीसी के ई-प्रापण पोर्टल को उपयोग करना शुरू कर दिया है ।
- 9.7 दिनांक 26 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2015 तक आईआरईएल कारपोरट कार्यालय एवं सभी क्षेत्रीय यूनिटों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह उचित ढंग में मनाया गया । मनाए गए सप्ताह की लघु रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की जाती है :-

आईआरईएल निगम कार्यालय, मुंभई

क) निगम कार्यालय में श्री डी.सिंह, निदेशक (विपणन/मासंप्र), आईआरईएल द्वारा सतर्कता प्रतिज्ञा अंग्रजी में तथा श्री सी.के. असनानी, निदेशक (तकनीक) हिन्दी में देने के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2015 का उद्घाटन हुआ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- 9.2 Steps to ensure proper vigilance administration in accordance with the guidelines issued by the Central Vigilance Commission (CVC) were taken in the year 2015-16. Vigilance Department worked as an effective link between CVC, CBI and organization. Complaints received were properly investigated and appropriate actions were taken in consultation with the concerned authorities including CVC and Department of Atomic Energy (DAE).
- 9.3 50 CTE type examinations, 50 Periodic inspections and 195 Surprise inspections of the units were conducted during the year. Proper, prompt and timely action was ensured in respect of the advices given by agencies like CVC/CBI in their investigation reports.
- 9.4 The following training Courses were conducted in Vigilance Awareness
 - (i) A two day corporate training programme-cum-workshop on 'Conduct, Discipline and Appeal Rules' and 'Procurement' was successfully organized on 16/07/15 & 17/07/15 at IRE RC, Kollam, Kerala under the able guidance of Shri J. Vinod Kumar, OSD, CVC and Shri Shailendra Singh, Adviser, CVC respectively. In all 46 participants from three production units including the CVO and Heads of these Units and other Senior Officials attended the said programme.
 - (ii) A two day corporate training programme-cum-workshop on 'Conduct, Discipline and Appeal Rules' and 'Procurement' was successfully organized on 04/12/15 & 05/12/15 at IREL OSCOM, Odisha under the able guidance of Shri J. Vinod Kumar, OSD, CVC and Shri Shailendra Singh, Adviser, CVC respectively. In all 50 participants of OSCOM unit and Corporate Office including the CVO and Head of OSCOM Unit and other Senior Officials attended the said programme.
- 9.5 The following suggestions were undertaken for System improvement:
 - (i) Surprise Checks and CTE type examination was carried by the Unit Vigilance Officers on works/items as instructed by the corporate vigilance.
 - (ii) Recommendations were made towards simplification of tenders to avoid irregularities in processing of tenders.
 - (iii) As per directives of CMD, IREL detail investigation was carried out to check the process of production, transportation, handling, sale and record keeping of stocks at OSCOM unit, Odisha and steps for systematic improvement in the recruitment of workmen were also advised.
- 9.6 Extent of IT usage and the e-governance
 - (i) IREL is in the process of implementing the system for bulk payment and expect it to be made functional shortly.
 - (ii) On suggestions from vigilance, IREL implemented E-Payment facility and has started making E-payments to the venders.
 - (iii) On advice of vigilance all the units of IREL i.e. OSCOM, Manavalakurichi, Chavara and Aluva unit have signed agreement with M/s MSTC and have started using e- procurement portal of M/s MSTC.
- 9.7 Vigilance Awareness Week 2015 was observed from 26th October to 31st October 2015 at IREL Corporate Office and in the field units in a befitting manner. A brief report on the manner in which the week was observed is furnished below:-

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- ख) वर्ली कार्यालय में सतर्कता प्रतिज्ञा वरिष्ठ प्रबंधक (सिस्टम) द्वारा दिया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अनुपालन के दौरान विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय यूनिटों के बीच में माननीय भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप राष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री और केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त संदेशों को परिचालित किया गया।
- ग) इस अवसर पर संगठन के निगम कार्यालय एवं वर्ली कार्यालय एवं संबंधित यूनिटों में सतर्कता सप्ताह के अनुपालन पर प्रकाश डालने वाले बैनरों को प्रदर्शित किए गए थे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अनुपालन के दौरान, इस वर्षकी थीम "सुशासन के उपकरण के रूप में निवारक सतर्कता" थी।
- घ) कंपनी के निगम कार्यालय में इस सत्पाह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं अर्थात् प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, वाद-विवाद और निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया गया। निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए विषय था "सुशासन के उपकरण के रूप में निवारक सतर्कता"।
- ड) सप्ताह के दौरान भ्रष्टाचार पर वृत्त-चित्र भी प्रदर्शित किया गया। वीडियो सम्मेलन के माध्यम से सीवीओ, आईआरईएल द्वारा एमके यूनिट को भ्रष्टाचार पर एक पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण किया गया।
- च) इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह के दौरान विद्यालय/कालेजों के छात्रों भी संबद्ध किये गये। सीवीओ, आईआरईएल द्वारा एईसीएस नं.2 में बीएआरसी, अणुशक्ति नगर, मुंबई के परिसर में एईसीएस के 6 स्कूलों के छात्रों के लिए भ्रष्टाचार पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके बाद छ: ग्रूप में छ: एईसी स्कूलों के छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। उसके पश्चात छात्रों को भ्रष्टाचार के ऊपर एक वृत्त-चित्र दर्शाया गया। विजेता दलों को पुरस्कार वितरित किए गए।

10.0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक खरीद पर सूचना का प्रकटन।

10.1 वर्ष 2015-16 के दौरान एमएसईयों (एससी/एसटी ठेकेदारों द्वारा एमएसईयों सहित) से खरीदी सेवाएं और मालों का कुल मूल्य रू. 13.80 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध रू. 19 करोड़ है।

11.0 जन जागरूकता पहलें

- 11.1 आईआरईएल अपने विभिन्न जन तक पहुँच के कार्यक्रमों के जिए खात तौर पर शेयरधारकों, जनताओं के बीच एक सकारात्मक निगम प्रतीक बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने में लगा हुआ है। इसे प्राप्त करने की दृष्टि से, आईआरईएल ने स्थानीय शेयरधारकों के साथ नियमित जागरूकता बैठक आयोजित किया, विज्ञान प्रदर्शनियों/मेलों के एक मेज़बान के रूप में हिस्सा लिया, अपने संयंत्रों में छात्रों के लिए निरीक्षण आयोजित किया, आईआरईएल के क्रियालकलापों पर व्याख्यान प्रदान किया, समाज को आईआरईएल के उत्पादों के उपयोग एवं संयंत्रों के आसपास क्षेत्र में सीएसआर गतिविधायें की जानकारी दी।
- 11.2 राष्ट्रीय स्तर पर उपर्युक्त क्रियाकलापों के अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय रंगस्थल में उच्च शुद्ध रेअर अर्थ यौगिकों के उत्पाद एवं आपूर्ति के लिए आईआरईएल की क्षमता और सामर्थ्यता की, प्रदर्शनी के उद्देश्य से नवम्बर, 2015 के दौरान सिंगापूर में सम्मेलन स्थल में एक बूथ का निर्माण किया गया।

12.0 अनुसंधान एवं विकास

12.1 आईआरईएल प्रौद्योगिकी विकास परिषद (आईआरईएलटीडीसी) ने रु. 1477.53 लाख की लागत पर कुल 21 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया । परमाणु ऊर्जा विभाग ने परियोजनाओं में सहभागी विभिन्न अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों को वितरित करने के लिए रु. 893.81 लाख जारी किए हैं। वर्ष 2015-16 के अन्त तक इस अनुसंधान एवं विकास योजना के अधीन विभिन्न संस्थानों में वितरित कुल रकम रु. 749.93 लाख है।



IREL Corporate Office, Mumbai

- a) The Vigilance Awareness Week-2015 opened with the administration of Vigilance Pledge by Shri D. Singh, Director (Marketing/ HRM), IREL in English and Shri C. K. Asnani, Director (Technical) in Hindi at Corporate Office.
- b) At the Worli Office, the vigilance pledge was administered by Sr. Manager (System). Messages received from Hon'ble President of India, Vice President of India, Prime Minister of India and Central Vigilance Commission was circulated amongst various departments and field units during the observance of Vigilance Awareness Week.
- c) Banners highlighting observance of Vigilance Week were displayed at corporate office and Worli Office and respective units of the organization on this occasion. During the observance of Vigilance Awareness Week, the theme for this year was "Preventive Vigilance as a tool of Good Governance".
- d) During this week various competitions i.e. Power Point Presentation for Quiz Competition, Slogan writing competition, Debate and Essay writing competition were organized at Corporate office of the company. Topic for the Essay writing competition was "Preventive Vigilance as a tool of Good Governance".
- e) One documentary film on Corruption was also displayed during the Week. A Power Point Presentation on Corruption was presented by CVO IREL via video conferencing to MK unit.
- f) This year students of school /colleges were also involved in the VAW celebrations. A Power Point Presentation on Corruption, was made in AECS no. 2 by CVO, IREL to the students of 6 schools of AECS within the campus of BARC, Anushakti Nagar, Mumbai. This was followed by Quiz competition for Students of Six AEC Schools in Six Groups. There after a documentary film on Corruption was shown to the students. Prizes were distributed to the winning teams.
- 10.0 <u>Disclosure of information on public procurement notified by the Government under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.</u>
- 10.1 Total value of goods and services procured from MSEs (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs) during 2015-16 is Rs.19 crores against the target of Rs.13.80 crores.

11.0 Public Awareness Initiatives

- 11.1 IREL is making continuous efforts to create a positive corporate image among the people, especially stakeholders, through its various public outreach programmes. With a view to achieve this, IREL conducted regular awareness meeting with local stakeholders, participated in a host of science exhibitions/fairs, arranged visit of students to its plants, delivered lectures on IREL's sphere of activities, uses of IREL's products to the society and also on CSR activities in and around the plants.
- 11.2 In addition to the above activities at national level, a booth was set up at conference venue at Singapore during November 2015 with an objective to showcase IREL's capacity and capability to produce and supply high pure Rare Earths Compounds in the international arena.

12.0 Research & Development

12.1 IREL Technology Development Council (IRELTDC) had approved total of 21 projects at a cost of Rs.1477.53 lakhs. DAE has released Rs 893.81 lakhs for disbursement to various research and academic institutions participating in the projects. Total amount disbursed to various institutions under this R&D scheme till the end of 2015-16 is Rs.749.93 lakhs.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



12.2 आईआरईएलटीडीसी परियोजनाओं से व्युत्पन्न लाभ:

21 परियोजनाओं में से 15 परियोजनाएं पूर्ण की गई जिसमें से निम्नलिखित परियोजनाओं के पहले ही संयंत्र/पायलट प्लांट स्केल पर अपना लिया गया है ।

- i. रेअर अर्थ्स प्रभाग में पीआरईई सोलवेंट एक्सट्रैक्सन परीक्षण सुविधा की वृद्धि ।
- ii. एनूलर सेंट्रिफ्यूगल एक्सट्राक्टर (एसीई) का डिजाइन एवं स्केल अप I
- iii. मोनाजाइट की प्राप्ति के लिए एयरटेबेल्स के लिए प्रतिस्थापन के रूप में मैग्नेटिक सेपरेटर्स की उपयुक्तता का अध्ययन।
- iii. नैनो आकार के रेआर अर्थ फॉस्फेट का पायलट स्केल उत्पादन ।
- 12.3 उन परियोजनाओं की सूची जिनमें वाणिज्यिकरण की संभावना है तथा जिनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, नीचे दी गयी है :
 - i. रेअर अर्थ आधारित कलरेंट्स का अभिकल्पन एवं विकास ।
 - ii. यूरेनियम, थोरियम एवं रेअर अर्थ्स की प्राप्ति के लिए सल्फ्यूरिक एसिड रुट द्वारा मोनाजाइट का संसाधन ।
 - iii. आईआरईएल, ऑसकॉम में बहुमुखी नैनो जिरकोनिया उत्पादन सुविधा ।
 - iv. आरर्ड ऑक्साइड पर आधारित हाई फील्ड कम्मोजीट वारिस्टर्स का विकास 1
 - v. इल्मेनाइट से नैनो टिटानिया के उत्पादन के लिए प्रक्रिया विकास तथा 1 टन/बैच की प्रक्रिया के लिए एक पायलट प्लांट की स्थापना ।
 - vi. सरफेस कोटिंग अनुप्रयोगों के लिए पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित रेअर अर्थ ऑक्साइड ब्राउन पिगमेंट का पायलट प्लांट उत्पादन ।

13.0 <u>ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन</u>

13.1.1 कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) की अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिक आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के संबंध में जानकारी एवं विवरण अनुलग्नक - 'क' के रूप में इसमें संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का भाग बनाता है ।

14.0 सरकारी लेखापरीक्षा

14.1.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियाँ दी हैं ।

"मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नजर नहीं आई है जिसकी वजह से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अथवा उसके अनुपूरक पर कोई टिप्पणी करनी पड़े ।"

15.0 कराधान

15.1 कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत सभी स्वीकार्य कटौतियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-16 के दौरान कराधान के लिए प्रावधान नहीं बनाया है।

16.0 लाभांश

16.1 निदेशक मण्डल ने 8 जुलाई 2016 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश रकम के लिए रु. शून्य की सिफारिश की है ।

17.0 सार्वजनिक जमा

17.1 रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अर्थ में जनता से न तो कोई जमा आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है। अत: कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 5 जिसे कंपनियों के (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ें, के अनुसार काई रिपोर्ट करने की अपेक्षा नहीं है।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



12.2 Benefits derived from IRELTDC Projects:

Out of the 21 projects, 15 projects have been completed, out of which the following projects have already been adopted in plant/pilot plant scale.

- i. Augmentation of PREE Solvent Extraction Test facility at RED.
- ii. Design and scale up of Annular Centrifugal Extractor (ACE).
- iii. Study of suitability of magnetic separators as replacement for air tables for recovery of monazite.
- iv. Pilot Scale Production of Nano sized Rare Earth Phosphate.
- 12.3 List of projects which have the potential for commercialization and for which efforts are underway are given below:
 - i. Design and Development of rare earth based colorants.
 - ii. Processing of Monazite by sulphuric acid route for the recovery of uranium, thorium and rare earths.
 - iii. Versatile Nano Zirconia production facility at IREL, OSCOM.
 - iv. Development of High Field Composite Varistors based on RE Oxide.
 - v. Process development for the production of Nano Titania from ilmenite and set up a pilot plant to process 1 ton/ batch.
 - vi. Pilot plant Production of Environmentally Secure Rare Earth Oxide Brown Pigment for Surface Coating Applications.

13.0 Conservation of Energy, Technology Absorption & Foreign Exchange Earnings and Outgo

13.1 In accordance with the requirements of section 134(3)(m) of the Companies Act,2013 read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 information and details in respect of Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo is annexed hereto as **Annexure-'A'** and forms part of this report.

14.0 Government Audit

14.1 Pursuant to the provisions of Section 143(6) of the Companies Act, 2013 the Comptroller and Auditor General of India has given their comments on the audit report for the financial year 2015-

"Based on my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under section 143(6) of the Companies Act, 2013."

15.0 Taxation

15.1 The company has not made any provision towards income tax during the year 2015-16 considering loss and applicable provisions under the Income Tax Act, 1961.

16.0 Dividend

16.1 Board of Directors at their meeting held on 8th July, 2016 has recommended dividend amounting to Rs. NIL for the financial year 2015-16.

17.0 Public Deposit

During the year under report the Company has neither invited nor accepted any deposit from public within the meaning of section 73 of the Companies Act,2013. Therefore, no reporting is required as per Chapter V of the Companies Act, 2013 read with rule 8 of the Companies (Accounts) Rule, 2014.



18.0 <u>निदेशकगणों अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया अथवा जिन्होंने त्यागपत्र</u> <u>दिया गया अथवा सेवानिवृत्त हो गए।</u>

- 18.1 आईआरईएल के श्री. दीपेन्द्र सिंह, निदेशक (विपणन) ने 01 दिसम्बर, 2015 के प्रभाव से अध्यक्ष एरां प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य ग्रहण किया है।
- 18.2 सुश्री शीला सागंवान, सीबीईसी के भूतपूर्व सदस्य ने 28 दिसम्बर, 2015 के प्रभाव से अंशकालिक गैर कार्यालयीन (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया है।
- 18.3 डॉ. आर.एन. पात्र, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 30 नवम्बर, 2015 को सेवानिवृत्त हुए।
- 18.4 श्री सी.के. असनानी, निदेशक (तकनीकी) ने 31 अगस्त, 2016 को आईआरईएल की सेवाओं से त्याग पत्र दिया।

19.0 कर्मचारियों का विवरण

19.1 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) एवं 5(3) के तहत प्रकट किए जाने के लिए यथा अपेक्षित कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं अन्य विवरणों से संबन्धित सूचना नहीं दी गयी है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किसी भी कर्मचारी ने उपर्युक्त नियमों में दी गयी सीमा रेखा के समान या उससे अधिक पारिश्रमिक अथवा उसका भाग आहरित नहीं किया है।

20.0 लेखापरीक्षक

- 20.1 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स एस. के. पटोदिया एंड अशोसिएट्स, सनदी लेखापाल, मुंबई की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।
- 20.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने पत्र सं सीए.वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, आईआरअर्थ (1)/470 दिनांक 22.07.2016 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स एस. के. पटोदिया एंड अशोसिएट्स, सनदी लेखापाल, मुंबई को पुन :नियुक्त किया है ।

21.0 लागत लेखापरीक्षा

21.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अनुसार कंपनी से एक अभ्यासरत लागत लेखाकार द्वारा अपने लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा कराया जाना अपेक्षित है । उपर्युक्त को देखते हुए निदेशक मण्डल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के उत्पादों के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा कराने के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में मेसर्स के.जी. गायल एंड कंपनी, लागत लेखाकार की रु. 48,817/- (सर्व निहित) के पारिश्रमिक पर भावी आम सभा में इसकी संपृष्टि के अधीन नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

22.0 निदेशकगणों के उत्तरदायित्व का विवरण

- 22.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (सी) की अपेक्षा के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में निदेशकगण अपनी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के आधार पर तथा अपने द्वारा प्राप्त की गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार पुष्टि करते हैं कि :
 - (क) वार्षिक लेखाओं की तैयारी में तात्विक रूप से अनुसरण नहीं किए जाने से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है ;
 - (ख) निदेशकगणों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया एवं निरंतरता से उनका अनुप्रयोग किया तथा ऐसे तर्कसंगत और बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लिए एवं अनुमान लगाए ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि का सत्य एवं सही दृश्य प्रस्तुत कर सकें ;



18.0 The details of directors or key managerial personnel who were appointed/ resigned/ superannuated during the year

- 18.1 Shri D Singh, Director (Marketing) of IREL has joined as Chairman & Managing Director with effect from 1st December 2015.
- 18.2 Ms.Sheila Sangwan Ex-Member of CBEC, has joined as part time non-official (Independent) Director with effect from 28th December 2015.
- 18.3 Dr. R.N.Patra, Ex-CMD, superannuated on 30th November, 2015.
- 18.4 Shri C.K.Asnani, Director(Technical) resigned from the services of IREL on 31st August, 2016.

19.0 Particulars of Employees

19.1 Information pertaining to remuneration and other details of employees as required to be disclosed under Rule 5(2) and 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, are not given, as none of the employees drew remuneration during the financial year 2015-16 or part thereof which is equal to or more than the threshold limits specified in the above said rules.

20.0 Auditors

- 20.1 Report of the Statutory Auditors, M/s S.K.Patodia & Associates, Chartered Accountants, Mumbai on the accounts of the Company for the year ended 31st March, 2016 forms part of this report.
- 20.2 The Comptroller & Auditor General of India has re-appointed M/s. S.K.Patodia & Associates, Chartered Accountants, Mumbai as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2016-17 vide its letter No.CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, IRARTH(1)/470 dated 22.07.2016.

21.0 Cost Audit

21.1 Pursuant to section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is required to have the audit of its cost records conducted by a Cost Accountant in practice. In view of above, the Board of Directors has on the recommendation of the Audit Committee, approved the appointment of M/s K.G.Goyal & Co., Cost Accountants as the cost auditors of the Company to conduct audit of cost records of the Company's products for the financial year 2016-17, at a remuneration of Rs.48,817/- (all inclusive) subject to ratification of remuneration by the shareholders at the ensuing Annual General Meeting.

22.0 Directors' Responsibility Statement

- 22.1 Pursuant to the requirement of Section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013, relating to Directors' Responsibility Statement, the Directors, to the best of their knowledge and belief and according to the information and explanations obtained by them, confirm that:
 - (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
 - (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- (ग) निदेशकगणों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा ;
- (घ) निदेशकागणों ने वर्तमान चिंताओं के आधार पर वार्षिक लेखाओं को तैयार किया,
- (इ) निदेशकगण ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय पर्याप्त है और प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे।
- (च) निदेशकगण सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करने तथा ऐसी प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभावी रूप से कार्य कर पाना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में है।

23.0 स्वतंत्र निदेशकगणों (आईडी) द्वारा घोषणा

23.1 कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(7) के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणापत्र प्राप्त कर लिया है कि वे स्वतन्त्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं ।

24.0 जोखिम प्रबंधन नीति का विकास एवं कार्यान्वयन के साथ जोखिम के तत्वों की पहचान पर विवरण

24.1 बोर्ड को अपनी बैठक सं. 331 दिनांक 17.12.2013 में सीपीएसईयों के लिए निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शनों के बारे में सूचना दी गई। इन मार्गदर्शनों के अनुसार, कंपनी को सीपीएई के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित जाखिम प्रबंधन योजना रख लेनी चाहिए। बोर्ड के सलाह के अनुसार, आईआरईएल ने मेसर्स. आईसीआरए मैनेजमेंट कन्सिल्टंग सर्विस लिमिटेड, मुंबई को आईआरईएल के लिए एक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) कार्यक्रम स्थापित करने में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। परामर्शदाता के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति के सामने अपनी बैठक सं. 59 दिनांक 15.07.2015 में प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षा के सुझावों/प्रतिक्रियाओं को समाहित करने के बाद, संशोधित मसौदा नीति को बोर्ड के सामने अपनी बैठक सं. 343 दिनांक 15.12.2015 में प्रस्तुत किया गया। बोर्ड ने परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत के अनुसार आईआरईएल की जोखिम प्रबंधन नीति को विचार-विमर्श के बाद अनुमोदित किया।

25.0 संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण

25.1 संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में कंपनी द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों का विवरण इस रिपोर्ट का भाग बनाते अनुलग्नक 'ख' में दिया गया है ।

26.0 कॉर्पोरेट शासन

26.1 कॉर्पोरेट शासन के साथ साथ अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित कॉर्पोरेट शासन पर एक अनुपालन रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट पर अलग से एक खंड अनुलग्नक 'ग' में दिया गया है तथा इस रिपोर्ट का भाग बनाता है ।

27.0 संबंधित पार्टी संव्यवहार

27.1 वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए को छोड़कर कंपनी तथा निदेशकगणों, प्रबंधन अथवा संबंधियों के बीच कोई संबंधित पार्टी संव्यवहार नहीं किया गया है। तदनुसार धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का विवरण तथा इसके साथ फॉर्म एओसी-2 में ऐसी संविदा अथवा व्यवस्था करने के औचित्य इस रिपोर्ट का भाग नहीं बनाते हैं।

28.0 नियामकों अथवा न्यायालयों द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण एवं तात्विक आदेश

28.1 नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों द्वारा कंपनी की वर्तमान चिंता की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण एवं तात्विक आदेश नहीं दिये गए हैं ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- (e) the directors, had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively;
- (f) the directors are in the process of devising proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and to ensure that such systems are adequate and operates effectively.

23.0 Declaration by the Independent Directors

23.1 The Company has received declaration from the Independent Directors to the effect that they meet the criteria of independence as per the Companies Act, 2013.

24.0 <u>Statement on development and implementation of Risk Management Policy including</u> identification of elements of risk

24.1 Board in its meeting no. 331dated 17.12.2013 was informed about the DPE guidelines on the Corporate Governance for CPSEs. As per these guidelines, Company should have Risk Management Plan approved by respective Board of CPSE. As per advice of the Board, IREL appointed M/s ICRA Management Consulting Services Limited, Mumbai as consultant for providing consultancy services in establishing an Enterprise Risk Management (ERM) programme for IREL. The report submitted by consultant was placed before the Audit Committee at its meeting no. 59 dated 15.07.2015. After incorporating the suggestions / feed back of the Audit Committee, the revised draft policy was presented before Board in its meeting no. 343 dated 15.12.2015. Board after deliberation approved the Risk Management Policy of IREL as submitted by consultant.

25.0 <u>Safety, Healthcare & Environment</u>

25.1 Details of Safety, Health Care and activities related to Environment Protections undertaken by the Company are given in the **Annexure 'B'** forming part of this report.

26.0 Corporate Governance

26.1 A separate section on Corporate Governance alongwith a Compliance Report on the Corporate Governance certified by a practicing Company Secretary and the Management Discussion & Analysis Report are placed in **Annexure 'C'** and forms part of this Report.

27.0 Related Party Transactions

27.1 There have been no related party transactions between the Company and the Directors, the management or the relatives except for those disclosed in the financial statements. Accordingly, particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in Section 188(1) along with the justification for entering into such contract or arrangement in Form AOC-2 does not form part of this report.

28.0 Significant and Material Orders Passed by the Regulators or Courts

28.1 There have been no significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting Company's going concern status.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



29.0 वार्षिक प्रतिफल का उद्धरण

29.1 वार्षिक प्रतिफल का उद्धरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार फॉर्म एमजीटी-9 के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है (अनुलग्नक-घ) ।

30.0 व्हिसिल ब्लोवेर नीति

30.1 आईआरईएल ने एक व्हिसिल ब्लोवेर नीति बनाई है जो अपने कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, अथवा कंपनी के आचरण या आचार नीति पर सामान्य मार्ग निर्देशों के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को तथा अपवाद मामले में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सूचित करने में सुविधा प्रदान करती है । यह नीति कंपनी में हो रहे किसी कदाचार अथवा अनैतिक क्रियाकलाप को सही मायने में उजागर करने तथा व्हिसिल ब्लोवेर को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है । बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी को व्हिसिल ब्लोवेर नीति के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । उपर्युक्त के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि कि वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति तक व्यक्तिगत रूप से पहुँचने से किसी भी कर्मचारी को रोका नहीं गया है। व्हिसिल ब्लोवेर नीति कंपनी की वेबसाईट www.irel.gov.in पर उपलब्ध है ।

31.0 आभार

- 31.1 निदेशक मण्डल विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेंसियों, बैंकों एवं अन्य व्यापारिक सहयोगियों सहित परमाणु ऊर्जा विभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उनके मूल्यवान सेवाओं एवं सतत समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है ।
- 31.2 निदेशक मण्डल इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर दिये गए योगदान के लिए उनकी सराहना भी करता है ।

कृते बोर्ड

(दिपेन्द्र सिंह)

दिनांक : 26 सितंबर, 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



29.0 Extract of the Annual Return

29.1 The extract of the Annual Return in Form MGT-9 as per provisions of section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is annexed to this report [Annexure – D].

30.0 The Whistle Blower Policy

30.1 IREL has formulated a "Whistle Blower" Policy which facilitates its employees to report to the management and in exceptional cases to the Chairman of the Audit Committee about unethical behaviour, actual or suspected fraud, or violation of the company's general guidelines on conduct or ethics policy. This policy provides employees of IREL to genuinely blow the whistle on any misconduct or unethical activity taking place in the Company and to protect the whistleblower. Board noted that during the year 2015-16, Company has not received any complaint under the Whistle Blower Policy, based on affirmation by the chairman of the audit committee to the effect that none of the employees has been denied any personnel access to the Audit Committee during the year 2015-16. Whistle blower policy is available on the company's website www.irel.co.in.

31.0 Acknowledgements

- 31.1 The Board of Directors' wishes to place on record their sincere thanks to the Department of Atomic Energy, Bhabha Atomic Research Centre, Central and State Governments including various Government departments and agencies, banks and other business associates for their valuable service and continued support during the year under review.
- 31.2 The Board also takes this opportunity to place on record its appreciation of the contribution made by the employees at all levels.

For and on behalf of the Board

(D.Singh)
Chairman & Managing Director

Date: 26th day of September, 2016



अनुलग्नक 'क'

(निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक)

कंपनी (लेखा) नियम 2014 की धारा 8 के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित विषय ।

(क) ऊर्जा का संरक्षण

(i) ऊर्जा के संरक्षण पर उठाए गए कदम अथवा प्रभाव :

चवरा :

30 कि.वा. दहनशील वायु पंखा में परिवर्ती फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) एवं रुटाइल सरलीकृत बेड ड्रायर के 37 कि.वा. मंदन वायु पंखा का अधिष्ठापन लगभग 53 संख्या परंपरागत ट्यूब लाइट्स का ऊर्जा दक्ष टी5 28 वाट ट्यूब लाइट्स से एवं से लगभग 60 परंपरागत ट्यूब लाइट्स का 18 वाट एलईडी ट्यूब लाइट्स से लगभग 150 संख्या में इंडिकेटिंग लैम्म यूनिट्स का एलईडी इंडिकेटर्स से 9 संख्या परंपरागत हाइबे लाइट्स को 100 वाट एलईडी हाईबे लाइट्स से, 10 संख्या परंपरागत स्ट्रीटलाइट फिटिंग को 25 एलईडी स्ट्रीटलाइट से, और लगभग 150 संख्या फ्लूड लाइट फिटिंग्स को 30 वाट एलईडी फ्लूड लाइट फिटिंग्स का प्रतिस्थापन। चवरा यूनिटने लगभग 52,613 यूनिटों की खपत कम की है और उच्च शक्ति घटक (0.95) के अनुरक्षण हेतु केरल राज्य विद्युत बोर्ड से प्रोत्साहन के रूप में रू.610,122/- की एक रकम प्राप्त की।

एमके :

एचयूपी में 1 सं. 75 एचपी मोटर के साथ ऊर्जा दक्ष आईई22 मोटर की सं. 12 थोक ऑयल एलटी परिपथ ब्रेकर के साथ वायु परिपथ ब्रेकर का प्रतिस्थापन। वीडियो सम्मेलन कक्ष एवं अतिथि गृह में ट्यूब लाइट्स को एलईडी लैंप से प्रतिस्थापित की गई।

एमके यूनिट ने लगभग 8,640 यूनिटों की खपत कम की है।

रअर अर्थ्स प्रभाग :

50 एचपी स्क्यूरील केज मोटर सिहत वीएफडी से 120 एचपी स्लिप रिंग मोटर (परीवर्ती प्रतिरोध स्टार्टर सिहत), 20 वाट एलईडी सिहत 40/36 वाट फ्लोरेशेंट लैंपों की लगभग 50 सं. 65 वॉट सीएफएल लैंप सिहत 100 वॉट एचपीएमवी/एचपीएसवी की लगभग 50 सं. का प्रतिस्थापन। आरईडी यूनिट पिछले वर्ष की तुलना में 10,35,738 यूनिटों की कम शक्ति की खपत की है।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम ;

रेअर अर्थ्स प्रभाग (आरईडी) में सौर ऊर्जित स्ट्रीट लाइटों एवं सौर ऊर्जित जल तापकों का अधिष्ठापन। एमके में 1 मेगा वाट सौर ऊर्जा संयंत्र एवं ऑसकॉम में छपुपर शिखर सौर यूनिटों का अन्वेषण किया जा रहा है।

(iii) <u>ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश</u>ः

रू. 5.78 लाख, रु. 11.66 लाख एवं रु.10 लाख (लगभग) की रकम को क्रमश: चवरा, एमके और आरईडी यूनिट में निवेश के लिए प्राक्कलित किया गया है।



Annexure 'A'

(Annexure to the Directors' Report)

Matters required to be included in the Board's report for the year ended 31st March, 2015 pursuant to Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(A) Conservation of Energy

(i) Steps taken and impact on conservation of energy:

Chavara

Installation of variable frequency drives (VFD) in 30kW combustion air fan and 37kW dilution air fan motors of Rutile fluidized bed drier. Replacement of about 53 nos. conventional tube lights with energy efficient T5 28W tube lights, about 60 nos. conventional tube lights with 18W LED tube lights and about 150 nos. indicating lamp units with LED indicators. 9 nos. conventional highbay lights was replaced with 100W LED highbay lights, 10 nos. conventional streetlight fitting was replaced with 25W LED streetlights and about 150 nos. flood light fittings was replaced with 30W LED flood light fittings.

Chavara unit reduced consumption of about 52,613 units and received an amount of Rs.6,10,122/- as incentive from Kerala State Electricity Board for maintaining high power factor (0.95).

MK

Replacement of 1 no. 75 HP motor with energy efficient IE2 motor at HUP, 12 nos. of Bulk Oil LT Circuit breaker with Air Circuit breaker. Tube lights in Video Conference room and guest house were replaced with LED lamps.

MK unit has reduced consumption of about 8,640 units.

RED

Replacement of 120 HP slip ring motor (with variable resistance starter) by 50HP squirrel cage motor with VFD, about 50 nos. of 40/36 W fluorescent lamps with 20 W LED tubes and about 50 nos. of 100W HPMV/HPSV with 65 W CFL lamps.

RED unit has consumed 10,35,738 units of less power compared to previous year

(ii) Steps taken by the company for utilizing alternate sources of energy:

Installation of solar powered street lights and solar powered water heaters at Rare Earths Division (RED).

Installation of 1MW solar power plant at MK and roof tops solar units at OSCOM is being explored.

(iii) The capital investment on energy conservation equipments

An amount of Rs.5.78 lakhs, Rs.11.66 lakhs and Rs.10 lakhs (approx.) are estimated for investment in Chavara, MK & RED unit respectively.



(ख) प्रौद्योगिकी आमेलन

- (i) प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए किए गए प्रयास -
 - क. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया द्वारा उच्च शुद्धता डिस्प्रोसियम ऑक्साईड :

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन संयंत्र के प्रयोगशाला स्तर पर आयोजित अनुसंधान एवं विकास अध्ययन के आधार पर आरईडी, आल्वे में 99.0% शुद्ध डिस्प्रोसियम ऑक्साइड के उत्पादन के लिए कमीशनिंग किया जा रहा है।

- ख. **मोनाजाइट प्रसंस्करण:** पायलट स्तर पर आयोजित अनुसंधान एवं विकास पर आधारित, सल्फ्यूरिक एसिड डाइजेशन प्रक्रिया के जिए मोनाजाइट प्रसंस्करण हेतु, एक 10 टन बैच रिएक्टर मोनाजाइट के डाइजेशन के लिए विकास किया जाता है।
- ग. **मोनाजाइट प्रसंस्करण से हीलियम वसूली**: ऑसकॉम में बिना ग्राइंडिगं मोनाजाइट डाइजेशन प्रक्रिया से हीलियम पृथक्करण एवं संग्रहण के लिए कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- घ. लेण्टेनियम जिरकोनेट, एट्ट्रिया स्थिर जिरकोनिया एवं मैग्नीशिया स्थिर जिरकोनिया: अनुसंधान एवं विकास अध्ययन के द्वारा विभन्न जिरकोनिया यौगिकों का विकास किया गया और आईआरईएल के पाइलट प्लांट में उत्पादित को विभिन्न उपयोगकर्ताओं के उद्योगों में वास्तविक अनुप्रयोग के पर्यावरण में गर्म परीक्षण के चरण के अधीन है।
- (ii) उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्पाद सुधार , लागत में कमी , उत्पाद विकास अथवा आयात स्थानापन्न जैसे व्युत्पन्न लाभ ।
 - क. नये मूल्य वर्धित उत्पादों के विकास जैसे कि नैनो टाइटानिया, नैनो लेण्टेनियम फास्फेट, उच्च शुद्ध रेअर अर्थ्स, जिरकोनियम यौगिकों का नये बाज़ार ने अतिरिक्त राजस्व प्रजनन के लिए रास्ता खोल दिया।
 - ख. नये जिरकोनिया यौगिकों को विकास किया गया और आयात सामग्री के विकल्प के रूप में गर्म परीक्षण में अनुप्रयोग किया जा रहा है।
- (iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से शुरु करके पिछले तीन वर्षो के दौरान आयातित) -
 - (क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण शून्य
 - (ख) आयात का वर्ष लागू नहीं
 - (ग) क्या प्रौद्योगिकी पूर्ण रूप से आमेलित की गयी । लागू नहीं
 - (घ) यदि पूर्ण रूप से आमेलित नहीं की गयी तो वे क्षेत्र जहां आमेलन नहीं किया गया तथा उसके कारण लागू नहीं

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर वहन किया गया व्यय

विवरण (रु. लाख) पूंजीगत व्यय 30.13 आवर्ती व्यय 180.81 कुत व्यय 210.94

कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय : 0.54%

(ग) <u>विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन</u>

वर्ष 2015-16 के दौरान निर्यात के द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा रु. 13,794 लाख है तथा उसी अवधि के दौरान आयात के कारण विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन रु. 48 लाख है ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



(B) <u>Technology Absorption</u>

- (i). Efforts made towards technology absorption.
 - a. **High Purity Dysprosium Oxide by Solvent Extraction Process**: Based on the R&D studies conducted laboratory level Solvent Extraction Plant for production of 99.0% pure Dysprosium Oxide is being commissioned at RED Alwaye.
 - b. **Monazite processing:** Based on R&D studies conducted at pilot plant level for processing monazite through the sulphuric acid digestion process, a 10 ton batch reactor is being developed for digestion of Monazite.
 - c. **Helium Recovery from Monazite processing:** Separation & collection of Helium from Monazite digestion process without grinding is being implemented at OSCOM.
 - d. Lanthanum Zirconate, Yttria Stabilized Zirconia & Magneisa Stabilized Zirconia: Various Zirconia compounds developed by R&D studies and produced in the pilot plants of IREL are under hot testing stage in real application environments in different user industries
- (ii). The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution as a result of the above efforts.
 - a. Development of new value added products such as Nano Titania, Nano Lanthanum Phosphate, High Pure Rare Earths, Zirconia compounds opened new market avenues for additional revenue generation.
 - b. New Zirconia compounds developed and which are being used in hot test are to be used as substitute of import material.
- (iii). Incase of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)
 - a) The details of technology imported Nil.
 - b) The year of import NA
 - c) Whether the technology been fully absorbed NA.
 - d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof–NA.
- (iv). The expenditure incurred on Research & Development

Particulars - Rs. Lakhs.

Capital expenditure - 30.13 Recurring expenditure - 180.81 Total expenditure - 210.94

Total R & D expenditure as a percentage of total turnover: 0.54%

(C) Foreign Exchange Earnings and Outgo

During the year 2015-16 the foreign exchange earnings by way of exports is of Rs.13,794 lakhs and the foreign exchange outgo due to import during the same period is Rs.48 lakhs.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



अनुलग्नक 'ख'

1.0 संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण

1.1 कंपनी द्वारा संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं कर्मचारियों एवं सामीप्य के पर्यावरण के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इससे कंपनी को उच्च उत्पादकता, सुरक्षित कार्य पर्यावरण एवं बेहतर गुणवत्ता उत्पाद/सेवाएं प्राप्त करने कि लिए सक्षम बना दिया है। सभी प्रचालन संयंत्र को आईएसओ 9001-2008, 14001-2004 एवं ओएचएसएएस-18001-2007 प्रमाणन के साथ मान्यता प्राप्त है और आईआरई आरसी में निगम अनुसंधान एवं संरक्षा यूनिटों को आईएसओ 9001-2008 प्रमाणन के साथ मान्यता प्राप्त है।

2.0 संरक्षा

2.1 कंपनी के पास सभी प्रचालनीय यूनिटों के संरक्षा मानकों के निर्धारण एवं मूल्यांकन के लिए एक स्थापित प्रणाली है । संरक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति ने सभी प्रचालनीय यूनिटों का दौरा किया तथा सभी प्रचालनीय यूनिटों के संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ऊर्जा एवं जल संरक्षण मानकों का मूल्यांकन किया तथा संरक्षा, हाउस कीपिंग, पर्यावरण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शील्ड प्रदान करने के लिए सिफारिश की । वर्ष के दौरान कुछ छोटी घटनाओं को छोड़कर कोई घातक दुर्घटना नहीं हुई ।

3.0 स्वास्थ्य देखभाल

3.1 कंपनी की सभी प्रचालनीय यूनिटों में कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों की स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए सभी आधुनिक उपकरण के साथ साथ पात्र, अनुभवी, प्रशिक्षित एवं सक्षम पुरुष एवं महिला चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में कंपनी आसपास के गाँवो में रहने वाले लोगों के लिए चिकित्सा शिविर एवं विद्यालयों को सहायता प्रदान करती है।

4.0 पर्यावरण देखभाल

4.1 प्रचालनीय संयंत्र पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए खनन किए जा चुके क्षेत्रों, कॉलोनियों एवं आवासीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर रहे हैं । उन क्षेत्रों के जल स्तर को सुधारने के लिए वर्षा जल संरक्षण बिन्दु स्थापित किए गए हैं और सौर प्रकाश प्रणाली कार्बन फूट प्रिंट को कम करने के लिए अधिष्ठापित है। कंपनी अपने कार्यस्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ पर्यावरण देने के लिए प्रदान करने के लए प्रतिबद्ध है । कंपनी की प्रचालनीय यूनिटें संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित सभी संरक्षा मानकों का अनुपालन कर रही हैं जो सीमाओं के भीतर खूब ध्यानपूर्वक अनुवीक्षित एवं अनुरक्षित किया जाता है ।



Annexure 'B'

Safety, Health care & Environment

1.0 Safety, Health care & Environment

1.1 Utmost importance is given by the company to Safety, Health Care and Environment of the employees and neighborhood. This has enabled the company to achieve higher productivity, safe working environment and better quality product/services.

All the operating plants are accredited with ISO 9001-2008, 14001-2004 and OHSAS 18001-2007 certification and Corporate Research and Safety unit at IRERC is accredited with ISO 9001-2008.

2.0 Safety

2.1 Company has an established system for assessment and evaluation of safety standards of all the operating plants. An expert committee with members of prominence in the field of safety visited all operating units and evaluated/assessed & audited the safety, health, environment, energy & water conservation standards/condition of all the operating units and recommended for the award of CMD shield in the areas of safety, housekeeping, environment and water conservation. Barring few minor accidents, there was no fatal accident during the year.

3.0 Health Care

3.1 All the operational units of the company are having occupational health centers with qualified, experienced, trained & competent male and female medical practitioners and para medical staff along with all modern gadgets to look after the health of the employees and their dependant family members. As part of corporate social responsibility company conducts medical camps, provide assistance to schools, in the nearby villages.

4.0 Environment Care

4.1 The operating plants are planting saplings in the mined out areas, colony and residential areas with a view to maintain ecological equilibrium. Rain water harvesting points are set up to improve the water table of that area. Solar lighting systems are installed to reduce the carbon foot print.

The company is committed to provide clean environment both at its work place and surrounding areas. The operational units of the company are adhering to all safety norms/standards fixed by the respective state pollution control boards/Central Pollution Control Board and other statuary bodies which are closely monitored and maintained well within limits.



अनुलग्नक - 'ग'

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1.0 कॉर्पोरेट शासन पर कंपनी का दर्शन

आईआरईएल में हम सुनिश्चित करते हैं कि हम डीपीई द्वारा जारी कॉपीरेट शासन मार्गनिर्देशों तथा सभी स्टेक होल्डरों के अधिकारों का आदर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों का विकास एवं गंभीरतापूर्वक अनुपालन करें । कंपनी की नीति पारदर्शिता, व्यावसायिकता एवं उत्तरदायित्व के प्रकट मूल्यों द्वारा प्रदर्शित होते हैं । हम समझते हैं कि हमारे वित्तीय एवं कार्यनिष्पादन के साथ साथ कंपनी के शासन के संबंध में समयबद्ध एवं सही सूचना प्रकट करना हमारा निहित उत्तरदायित्व है ।

2.0 निदेशक मण्डल

2.1 निदेशकों का संघटन एवं वर्ग

बोर्ड में 12 निदेशक हैं जिसमें से 4 पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक हैं तथा 8 गैर अधिशासी निदेशक हैं । 8 गैर अधिशासी निदेशकों में से 4 अंशकालिक सरकारी/नामित निदेशक हैं तथा 4 स्वतंत्र निदेशक (कार्यात्मक निदेशक का एक पद 01.12.2015 से रिक्त है और स्वतंत्र निदेशक का एक पद 23.09.2014 से रिक्त है ।) कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा - 2(77) के तहत दिये गये संबंधी के अर्थ के अनुसार किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है ।

2.2 बैठकें

वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मण्डल की पाँच बैठकें हुईं तथा दो बैठकों के बीच का अंतर चार माह से अधिक का नहीं था । उक्त बैठकों की तारीखें इस प्रकार है :

30 जून 2015, 16 जूलाई, 2015, 28 सितम्बर, 2015, 15 दिसम्बर 2015, एवं 17 मार्च, 2016। सभी बोर्ड बैठकों में अपेक्षित कोरम उपस्थित था ।

वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति तथा 31 मार्च 2016 को के अनुसार उनका बाह्य निदेशकत्व नीचे दिया गया है :

				1	
क्र.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व की	बोर्ड बैठकों में	बाह्य	टिप्पणी
सं.		प्रकृति	उपस्थिति की	निदेशकत्व की	
			सं.	सं.	
1	डॉ. आर. एन. पात्र	कार्यात्मक	2	-	30.11.15 को समाप्त
2	श्री दीपेन्द्र सिंह	कार्यात्मक	5	1	01.12.2015 को अ.एवं प्र.नि.
					के रूप में कार्यग्रहण,
					30.11.2015 तक निदेशक
					(विपणन)
3	श्री सी. के. असनानी	कार्यात्मक	5	-	
4	श्री राकेश तुमाने	कार्यात्मक	5	-	
5	श्री संजीव सूद	नामित	5	2	
6	श्री आर. ए. राजीव	नामित	1	4	
7	श्री एन. साईबाबा	नामित	3	1	01.06.16 को समाप्त
8	श्री बी. ज्योति कुमार	नामित	4	4	
9	डॉ.अशोक कुमार लोमस	स्वतंत्र	5	3	
10	श्री शकील अहमद	स्वतंत्र	4	-	
11	सुश्री शीला सांगवान	स्वतंत्र	1	8	28.12.15 को नियुक्त



Annexure – 'C

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1.0 Company's Philosophy on Corporate Governance

At IREL, we ensure that we evolve and sincerely follow the corporate governance guidelines issued by DPE and best practices to respect all stakeholder rights. The company's policy is reflected by the very values of transparency, professionalism and accountability. We consider it our inherent responsibility to disclose timely and accurate information regarding our financials and performance, as well as the governance of the Company.

2.0 Board of Directors

2.1 Composition and category of Directors

The Board consists of 12 Directors of which 4 are whole time Functional Directors and 8 are Non-Executive Directors. Out of 8 Non-Executive Directors, 4 are part time Official/ Nominee Directors and 4 are Independent Directors (one post of functional director is vacant since 01.12.2015 and one post of independent Director is vacant since 23.09.2014). None of the Directors are related with other Directors' as per the meaning of relatives provided under section -2(77) of the Companies Act, 2013.

2.2 Meetings

The Board of Directors' met five times during the year 2015-16 and the gap between two meetings did not exceed four months. The dates on which said meetings were held are as follows:

30th June,2015, 16th July,2015, 28th September,2015, 15th December,2015 and 17th March,2016. Required quorums were present in all the Board meetings.

Attendance of the Directors' at the Board Meetings held during the year 2015-16 and their outside directorship as on 31st March, 2016 are given hereunder:

SI. No.	Name of the Director	Nature of Directorships	No. of Board meetings attended	No. of outside Directorships	Remarks
1	Dr.R.N.Patra	Functional	2	-	Ceased
					on 30.11.2015
2	Shri D Singh	Functional	5	1	Joined as CMD on 01.12.2015, Director (Mktg) upto 30.11.2015
3	Shri C K Asnani	Functional	5	-	
4	Shri Rakesh Tumane	Functional	5	-	
5	Shri Sanjeev Sood	Nominee	5	2	
6	Shri R A Rajeev	Nominee	1	4	
7	Shri N Saibaba	Nominee	3	1	Ceased on 01.06.2016
8	Shri B Jyothi kumar	Nominee	4	4	
9	Dr. Ashok Kumar Lomas	Independent	5	3	
10	Shri Shakeel Ahmed	Independent	4	-	
11	Ms.Sheila Sangwan	Independent	1	8	Appointed on 28.12.2015

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



2.3 इस रिपोर्ट को तैयार करने की तारीख तक नियुक्त हुए निदेशकों का संक्षिप्त जीवन वृतः

2.3.1 श्री दीपेन्द्र सिंह

श्री दिपेन्द्र सिंह ने परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में एक केन्द्रीय सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम इंडियन रेअर अर्थ्य लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 01.12.2015 से कार्यभार संभाल लिया है। इससे पूर्व वे मार्च, 2010 से इंडियन रेअर अर्थ्य लिमिटेड में निदेशक (विपणन) थे। श्री सिंह, औद्योगिक अभिकल्पन में एम.टेक और विपणन में एम.बी.ए. है। वे सामरिक निगम योजना, बिक्री एवं विपणन, परियोजना प्रबंधन, उत्पादन योजना एवं नियंत्रण गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक फैले समृद्ध एवं विविध अनुभव है। आईएसओ/आईईसी/17025 के अनुसार, वे एक योग्य नेतृत्व निर्धारक एवं आईएसओ 9001:2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के योग्य लेखा परीक्षक भी हैं। वे केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठित परियोजनाओं सिहत विश्व बैंक, ओपीईसी और एशियाई विकास बैंक के तहत विभिन्न परियोजानाओं में संघ के प्रत्यायक और यूनिडो फैलोशिपधारी हैं। वे (1) विपणन में सबसे प्रभावशाली राष्ट्रीय नेताओं के लिए सीएमओ एशिया पुरस्कार (2), विश्व विपणन कांग्रेस द्वारा सबसे अधिक प्रभावशाली विपणन नेताओं के लिए पुरस्कार (3) मानव संसाधन अभिमुखीकरण के साथ ईसीओ के लिए वैश्विक मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार सिहत कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं और अन्तर्राष्ट्रीय खिनज एवं अन्य सम्मेलनों में करीब 25 प्रस्तृतीकरण के साथ श्रेय रखते हैं।

2.3.2 सुश्री शीला सांगवान

सुश्री शीला सांगवान का जन्म 4 सितम्बर, 1953 को हुआ, 1976 बैच के एक आईआरएस (केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड) में 28.12.2015 के प्रभाव से एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में आईआरईएल के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया। सुश्री सांगवान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एवं एलएलबी में मास्टर हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका के जन प्रशासन में भी मास्टर डिग्री हासिल किया है। उनके केन्द्रीय सरकार की सेवा में 37 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान, उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी मंत्रालय में कार्यात्मक सलाहकार (अपर सचिव) एवं सीएसआईआर में कार्यात्मक सलाहकार (संयुक्त सचिव) के रूप में भी कई सुपुर्द कार्यों को संभाल लिया।

उनके पिछला कार्यभार केन्द्रीय सरकार के साथ सीबीईसी में सदस्य (बजट) एवं सदस्य (सेवा कर एवं कंप्यूटरीकरण) के रूप में था। वे नीति दल के प्रभारी जो भारत के संघ के अप्रत्यक्ष कर नीति को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

2.4 28 सितंबर 2015 को 65 वीं आम बैठक में उपस्थिति इस प्रकार थी :

शेयर धा<u>रकों के नाम</u>

माननीय भारत के राष्ट्रपति उपस्थित (प्रतिनिधि के माध्यम से)
 डॉ. आर. के. सिन्हा उपस्थित (प्रोक्सी के माध्यम से)
 डॉ. आर. एन. पात्र उपस्थित
 श्री आर. ए. राजीव अनुपस्थित
 श्री संजीव सूद उपस्थित

3.0 लेखापरीक्षा समिति

- 3.1.1 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :
 - (क) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति से पूर्व तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा ।
 - (ख) आंतरिक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षा एवं सरकारी लेखापरीक्षा रिपोर्टो की समीक्षा ।
 - (ग) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं इसकी पर्याप्तता की प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



2.3 Brief Resume of the Directors who were appointed till the date of preparation of this report:

2.3.1 Shri Deependra Singh

Shri Deependra Singh has taken over as Chairman and Managing Director of Indian Rare Earths Ltd (IREL) a Central Public Sector Undertaking under the aegis of Department of Atomic Energy, Govt. of India w.e.f. 1st December 2015. Prior to this he was Director (Marketing) in Indian Rare Earths Ltd, since March,2010. Shri Singh is M.Tech in Industrial Design and M.B.A in Marketing. He has rich and varied experience spanning over 3 decades in the field of Strategic Corporate Planning, Sales & Marketing, Project Management, Production Planning & Control, Quality Control & Quality Management System, Human Resource Management, Skill Development & Industrial Training. He is a qualified Lead assessor of NABL as per ISO/IEC/17025 and Lead auditor of ISO 9001:2008 quality management system. He has the credential of association in various projects under World Bank, OPEC and Asian Development Bank including prestigious projects of Central Govt. and UNIDO fellowship. He is recipient of several Awards including (1) CMO Asia Award for Most Influential National Leaders in Marketing (2) Award for Most Influential Marketing Leaders by World Marketing Congress and (3) Global HR Excellence Award for CEO with HR Orientation and credited with about 25 presentations in international mineral and other conferences.

2.3.2 Ms.Sheila Sangwan

Ms. Sheila Sangwan, born on 4th September, 1953 is an IRS (Central Board of Excise & Customs) of 1976 batch has joined the Board of IREL as an Independent Director w.e.f 28.12.2015. Ms. Sangwan completed her masters in economics and LLB from Delhi University. She has also completed masters in Public Administration from the University of Washington, USA. During her long tenure of 37 years with the Central Government Service, she handled several assignments including as Financial Advisor (Addl. Secretary) in the Ministry of Science & Technology and Financial Advisor (Jt. Secretary) in CSIR.

Her last assignment with the Central Government was as Member (Budget) & Member (Service Tax & Computerisation) in the CBEC. She was in charge of the policy team which played key role in the formulation of indirect tax policy of the Union of India.

2.4 The attendance at the 65th AGM held on 28th September 2015 were as under:

Name of the Shareholders

Hon'ble President of India - Present (through representative)

2. Dr.R.K.Sinha - Present (through proxy)

Dr. R.N.Patra - Present
 Shri R A Rajeev - Absent
 Shri Sanjeev Sood - Present

3.0 Audit Committee

- 3.1.1 Brief description of the terms of reference of the Audit Committee are as follows:
- a) Review the quarterly/annual financial statements before submission to the Board.
- b) Review of internal audit, statutory audit and Government audit reports.
- c) Reviewing with the management, statutory auditors and internal auditors of the internal control system and its adequacy.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- (घ) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लागू लेखांकन मानकों एवं अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना ।
- (ङ) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं परिवर्तनों, यदि कोई हों, की समीक्षा ।
- (च) लेखा परीक्षक योग्यताओं, यदि कोई हों, की समीक्षा करना ।
- (छ) लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश करना ।
- (ज) सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं लागत लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश देना।
- (झ) कर लेखापरीक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण ।
- (ट) सांविधिक लेखापरीक्षकों को कोई अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन देना जिनपर सांविधिक रूप से निषेध नहीं है ।
- (ठ) लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा ।
- (इ) किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं उनपर अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा ।

3.1.2 लेखापरीक्षा समिति का संघटन एवं अन्य विवरण

निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 28 सितम्बर, 2015 को आयोजित बोर्ड बैठक संख्या 342 में किया। लेखापरीक्षा समिति की वर्ष के दौरान 30 जून, 2015, 16 जुलाई, 2015, 28 सितंबर 2015, 2 नवम्बर, 2015 एवं 17 मार्च, 2016 को पाँच बैठकें आयोजित हुईं। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों के नाम एवं उपस्थिति इस प्रकार थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	बैठकों में उपस्थिति	टिप्पणी
			की संख्या	
1	श्री शकील अहमद	स्वतंत्र निदेशक	4	-
2	डॉ. अशोक कुमार लोमस	स्वतंत्र निदेशक	5	-
3	श्री आर.ए. राजीव	नामित निदेशक	शून्य	-
4	श्री संजीव सूद	नामित निदेशक	1	28 सितम्बर, 2015 को नियुक्त
5	सुश्री शीला सांगवान	स्वतंत्र निदेशक	-	08 जुलाई, 2016 को नियुक्त

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रधान लेखापरीक्षा समिति के स्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य होते हैं तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं ।

4.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

4.1.1 विचारार्थ विषय संक्षिप्त में :

निर्धारित सीमा में अधिकारियों एवं गैर संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल एवं नीति का निर्णय करना तथा ऐसे अन्य मामलों की जांच एवं अनुमोदन करना जिन्हें बोर्ड पारिश्रमिक समिति के पास समय समय पर भेजे।

4.1.2 पारिश्रमिक समिति का संघटन एवं अन्य विवरण

निदेशक मण्डल की पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं :

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- d) Ensure compliance with the applicable Accounting Standards and other statutory requirements for the preparation of financial statements.
- e) Review of Significant Accounting Policies and changes, if any.
- f) Reviewing audit qualifications, if any.
- g) Recommending appointment of cost auditors
- h) Recommending to the Board for the fixation of audit fees of statutory auditors & Cost Auditors.
- i) Appointment & fixation of remuneration of Tax Auditors.
- j) Approving payment to statutory auditors for any other services, which are not statutorily prohibited.
- k) Review of cost audit report and Tax Audit report.
- I) Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up thereon.

3.1.2 Composition & other particulars of Audit Committee

The Audit Committee of the Board of Directors was reconstituted in the Board meeting no:342 held on 28th September, 2015. The Audit Committee met five times during the year on 30th June,2015, 16th July 2015, 28th September 2015, 2nd November,2015 and 17th March,2016. The name and attendance of the members at the Audit Committee Meetings were as follows:

SI. No.	Name of Director	Category	No. of meetings attended	Remarks
1	Shri Shakeel Ahmed	Independent Director	4	-
2	Dr. Ashok Kumar Lomas	Independent Director	5	-
3.	Shri R A Rajeev	Nominee Director	Nil	-
4.	Shri Sanjeev Sood	Nominee Director	1	Appointed on
				28 th Sept,2015
5.	Ms.Sheila Sangwan	Independent Director	-	Appointed on 8 th July, 2016

Chairman & Managing Director, Director (Finance) and Head of Internal Audit Department are permanent invitees and the Company Secretary acts as Secretary to the Audit Committee.

4.0 Nomination and Remuneration Committee

4.1.1 Terms of reference in brief:

To decide the annual bonus/ variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non unionized supervisors, within the prescribed limits and such other matters as the Board may refer from time to time to the remuneration committee to examine and approve.

4.1.2 Composition & other particulars of Remuneration Committee

The Remuneration Committee of the Board of directors consists of the following members:

INDIAN RARE FARTHS LIMITED



क्र. सं.	निदेशकों के नाम	वर्ग	टिप्पणी
1.	डॉ. अशोक कुमार लोमस	स्वतंत्र निदेशक	-
2.	श्री शकील अहमद	स्वतंत्र निदेशक	-
3.	श्री एन. साईबाबा (गैर-अधिकारिक)	नामित निदेशक	01.06.2016 को समाप्त

4.1.3 वर्ष के दौरान बैठकें एवं उपस्थिति

पारिश्रमिक समिति की बैठक 30 जून, 2015 को हुई। वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बैठक में डॉ. अशोक कुमार लोमस, श्री शकील अहमद और श्री एन. साईबाब उपस्थित थे।

4.1.4 पारिश्रमिक नीति

कार्यनिष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) कंपनी के समग्र कार्य निष्पादन के साथ साथ कंपनी में प्रत्येक अधिकारी एवं गैर अधिकृत पर्यवेक्षकों के कार्यनिष्पादन द्वारा चलती है ।

5.0 स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक

5.1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने बोर्ड एवं बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति के लिए अपने गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को रु. 10,000/- प्रति बैठक की दर से सिटिंग फीस का भुगतान किया । कंपनी बोर्ड एवं उसकी समितियों की बैठक में उपस्थिति के लिए बाह्य स्थानों के स्वतंत्र निदेशकों के दैनिक भत्तों का भुगतान भी करती है तथा स्वतंत्र निदेशकों द्वारा वहन किए गए स्थानीय यात्रा शुल्क, यात्रा व्यय एवं आवास व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। वर्ष 2015-16 के दौरान सिटिंग फीस के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को रु. 3,50,000/- की धनराशि का भुगतान किया गया ।

5.1.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण

अलग अलग मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक को वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स के नोट-41 में प्रकट किया गया है।

6.0 आम सभा बैठकें

6.1.1 प्रभादेवी, मुंबई में आईआरईएल के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित कंपनी की पिछली तीन आम सभा बैठकें इस प्रकार हैं :

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय
2014-15	28.09.2015	अपराह्न 1.00
2013-14	22.09.2014	अपराह्न 1.00
2012-13	05.09.2013	अपराह्न 1.00

6.1.2 पिछली तीन आम सभा बैठकों के दौरान कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया ।

6.1.3 वर्तमान वर्ष की आम सभा बैठक की तारीख, समय एवं स्थान।

कंपनी की 66वीं आम बैठक इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई के पंजीकृत कार्यालय में 26 सितंबर 2016 को अपराह्न 1.00 बजे आयोजित होगी।

7.0 सूचना प्रेषण के उपाय

7.1.1 लेखापरीक्षा नहीं किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया जाता है तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाते हैं । चूंकि आईआरईएल एक गैर सूचीबद्ध कंपनी है अत : सरकार की अपेक्षा के अनुसार समय समय पर सूचनाएँ बाहर भेजी जाती हैं ।



SI.No.	Name of Directors	Category	Remarks
1.	Dr.Ashok Kumar Lomas	Independent Director	-
2.	Shri Shakeel Ahmed	Independent Director	-
3.	Shri .N Saibaba(Non-Official)	Nominee Director	Ceased on 01.06.2016

4.1.3 Meeting and attendance during the year

Remuneration Committee met on 30th June,2015. Dr. Ashok Kumar Lomas, Shri Shakeel Ahmed and Shri N Saibaba were present in the meeting held during 2015-16.

4.1.4 Remuneration policy

Performance Related Pay (PRP) is driven by the overall performance of the Company vis-a-vis performance of each executives and non unionized supervisors across the company.

5.0 Remuneration paid to Independent Directors

During the year 2015-16, the Company paid sitting fees @ Rs. 10,000/- per meeting to its Non-Executive Independent Directors for attending each meetings of the Board and Board appointed committees. The Company also pays daily allowance to outstation Independent Directors and reimburses local conveyance, travelling expenses and accommodation expenses incurred by the Independent Directors for attending meetings of the Board and committees thereof. An amount of Rs.3,50,000/- was paid to the Independent Directors towards sitting fees during the year 2015-16.

5.1.2 Details of remuneration paid to the Key Managerial Personnel

Remuneration paid to the individual key management personnel has been disclosed in Note - 41 of the Notes forming part of financial statements.

6.0 General Body Meetings

6.1.1 The last three Annual General Meetings of the Company were held at the registered office of IREL at Prabhadevi, Mumbai as under:

Financial year	Date	Time
2014-15	28.09.2015	1.00 p.m
2013-14	22.09.2014	1.00 p.m
2012-13	5.09.2013	1.00 p.m

6.1.2 No Special Resolution was passed during the previous three Annual General Meeting.

6.1.3 Date, Time & Venue of the Current years AGM:

The 66th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, 26th September, 2016 at 1.00 PM at the registered office of Indian Rare Earths Ltd., Mumbai.

7.0 Means of Communication

7.1.1 Unaudited quarterly financial results are reviewed by the audit committee and approved by the Board which are furnished to the administrative ministry concerned. Since, IREL is un-listed company, external communications are made as required by the Government from time to time.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



8.0 लेखापरीक्षा योग्यताएं

8.1 कंपनी बिना योग्यता के वित्तीय विवरणों के शासन काल की ओर बढ़ रही है । 2005-06 से ना तो सांविधिक लेखापरीक्षक से तथा ना ही सरकारी लेखापरीक्षक से कोई योग्यता प्राप्त हुई हैं ।

9.0 प्लांट स्थान

9.1 खनन एवं खनिज पृथक्करण प्लांट मनवालाकुरिची-तमिलनाडु, चवरा-केरल तथा छत्रपुर-उड़ीसा में स्थित हैं और रसायनों में कार्य व्यवहार करने वाला रेयर अर्थ प्रभाग अलूवा केरल में स्थित है ।

10.0 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

10.1 कार्य वातावरण एवं उद्योग संरचना

- 10.1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य सुधार निरूपित करते हुए 2015-16 के दौरान वास्तव में 7.65% वृद्धि कर एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। औद्योगिक क्षेत्र का निष्मादन भी औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में यथा पूंजी बाज़ार के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा था, हालांकि मुद्रास्फीति के आरामदायक स्तर पर सकारात्मक पक्ष में था, क्योंकि वैश्विक कच्चे तेल और वस्तुओं के मूल्य न्यून स्तर पर था, जोिक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित व्यवसायिक प्रसारकों के सर्वेक्षण पर आधारित विश्वसनीय प्राक्कलन के अनुसार था। भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी वर्ष में 7.7% की वृद्धि करने की संभावना है। इस संदर्भ में, सरकारी के "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के साथ, कौशन विकास पर उसके ध्यान केन्द्रित करने के लिए सही दिशा में कदम उठाए हैं। पारदर्शिता के स्तर को सुधार करने के द्वारा देश में व्यापार करने के सरल, अनुमोदन प्रक्रिया को गति देने आदि की ओर सरकार द्वारा पहचानी गई ऐसी पहलों के कार्यान्वयन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी क्षमता का अनुभव दिलाने में महत्वपूर्ण है।
- 10.1.2 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी की प्रवृत्ति एवं तेल की कीमत धमाके से गिरने के कारण आईआरईएल के उत्पादों के लिए विशर स्तर पर व्यापार वातावरण से प्रभावित हुआ है। चीन की वृद्धि दर पूर्व वर्षों में 10% अधिक से 6-7% तक नीचे की दर में गिरावट हुई जो चिंता का कारण रहा है। जनवरी 2016 में चीनी मुद्रा का अवमूल्यन ने विश्व के बाज़ार को लुढ़का दिया और सबसे बड़ी एशियाई अर्थव्यवस्था को वापस निर्धारित करने की आशंका के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक मंदी के बारे में नई आशंका जगायी। जबिक सभी व्यापक आर्थिक मापदंड ने सूचित किया था कि वित्तीय वर्ष 2016-17 कंपनी के लिए और वर्ष तक निराशा की ओर ले जाएगी, टीआईआ2 मूल्य की दृढ़ता जो आईआरईएल के आधार इल्मेनाइट के लिए अंत-उपयोगकर्ता उद्योग का है और मूल्यमान श्रृंखला में माल को बेच डालने का संकेत टीआईओ2 फीडस्टॉक उत्पादकों के लिए सकारात्मक प्रभाव में रखने की संभावना है जो कि अर्थव्यवस्था भी रिन्मन्बी केअवमूल्यन के बाद जो प्रत्याशित की गई थी, उससे बेहतर स्थान में ही रहते दिखती है जो व्यापार हेतु शुभ संकेत है और उच्च वसूली निकट अवधि में एक चुनौती रहेगी।
- 10.1.3 परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, खनन एवं समुद्र-तटीय खनिजों एवं रेअर अर्थ यौगिकां में व्यस्त है। आईआरईएल द्वारा उत्पादित कुछ खनिज व्यापक औद्योगिक अनुप्रयोगों से हटकर, भारत सरकार के नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम में भी प्रयोग होता है। आईआरईएल द्वारा पृथक्कृत मुख्य खनिज केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में स्थित अपने तीनों यूनिटों में समुद्र तटीय रेत इल्मेनाइट, रुटाइल, ल्यूकोसीन, सिल्लिमेनाइट, गारनेट, जर्कन और मोनाजाइट हैं। आईआरईएल यूरेनियम एवं रेअर अर्थ नमकों का भी उत्पाद करता है।

10.2.1 शक्ति

- अनुभवी श्रमशक्ति सहित ठोस तकनीकी कौशल
- स्थापित एवं सिद्ध प्रक्रिया प्रवाह शीट

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



8.0 Audit Qualifications

8.1 Company is moving towards a regime of financial statements without qualification. There is no qualification either from the statutory auditor and the government auditor since, 2005-06.

9.0 Plant Locations

9.1 Mining & Mineral Separation Plants are located at Manavalakurichi - Tamil Nadu, Chavara – Kerala, and Chatrapur - Odisha. The MoPP plant is located at Chatrapur- Odisha and the Rare Earths Division dealing in chemicals is located at Aluva Kerala.

10.0 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

10.1 Business environment & Industry Structure

- 10.1.1 The Indian economy witnessed another challenging year growing by 7.65% in real terms during 2015-16 representing a marginal improvement over the previous year. The performance of the industrial sector also remained subdued reflecting in the index of the industrial production. It was a challenging year for the capital market as well, however the positive side was comfortable level of inflation due to low level of global crude oil and commodity prices and as per reliable estimate based on the survey of professional broadcasters conducted by RBI, Indian economy is likely to grow by 7.7% by the coming year. In this context, the Government's "Make in India" program along with its focus on skill development are the steps in right directions. Implementation of such initiatives as identified by the Government towards easy of doing business in the country by improving the level of transparency, speeding up the approval process etc. are critical to improve the performance of the Indian economy and to realize its true potential.
- 10.1.2 Globally the business environment for IREL's products has been affected due to recessionary trend in world economy and crashing of oil prices during FY2015-16. China's growth rate slumping down to 6 ~ 7 % from 10% plus in the earlier years has been a cause of concern. The devaluation of the Chinese currency in January 2016 roiled the global markets and sparked new fears about global recession in wake of fears of set back to the largest Asian economy. While all the macroeconomic parameters at the start of 2016 indicated that the FY2016-17 would be headed for another dismal year for the Company, the firming up of TiO2 prices which is end-user industry for IREL's mainstay Ilmenite and indication of destocking in the value chain are likely to have positive impact for TiO2 feedstock producers that inter alia includes IREL during FY2016-17. The Chinese economy also seems to have been better placed than was expected after devaluation of the renminbi which augurs well for the business. As regards rare earths, the prices continue their southward movement and higher realisations would be a challenge in the near term.
- 10.1.3 Indian Rare Earths Limited, under the Administrative control of the Department of Atomic Energy (DAE) is engaged in mining and production of beach sand minerals and rare earth compounds. Some of the minerals produced by IREL find use in the Nuclear Power Programme of the Govt. of India apart from wide ranging industrial applications. The main minerals separated by IREL from the beach sands at its three Units located at Kerala, Tamilnadu and Orissa are ilmenite, rutile, leucoxene, silimanite, garnet, zircon and monazite. IREL also produces uranium, thorium and rare earth salts.

10.2.1 Strength

- Experienced manpower with sound technical skills
- Established and proven process flow sheet

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- बाह्य स्त्रोतों से निधि पर शून्य निर्भरता
- अनुरूप उत्पाद की गुणवत्ता एवं उत्पादों के प्रदाय में आला क्षेत्र सहित घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रुप में ख्याति
- खनन एवं रेअर अर्थ्स के लिए आंतरिक सक्षम अनुसंधान एवं विकास निर्माण और इसके अलावा अन्य पऊवि के यूनिटों के अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हेतु उपयोग की पहुँच
- प्रमुख निर्णय/नीति तैयार वाले निकायों में प्रतिनिधित्व
- खनन पृथक्करण संयंत्र में कम मूल्य ह्यस के कारण लागत लाभ
- ऑसकॉम में काफी भूमि का बैंक

10.2.2 दुर्बलता

- उपलब्ध समुद्र तटीय धुलाई पर आधारित प्रचालन वर्षों के कारण भूमि बैंक सीमित है।
- केरल एवं तमिलनाडु में समुद्र तटीय धुलाई के एचएम अन्तर्वस्तु में कमी को क्षतिपूर्ति के लिए कच्ची सामग्री के वैकल्पिक स्त्रोत की अनुपलब्धता
- आयु बढ़ता कार्यबल
- चवरा एवं एमके संयंत्र के कार्यभार संभालने के साथ विरासत उन्मुख एचआर नीति
- आईटी एकीकरण का प्रयास अंत-उपयोगकर्ता सत्यापन के कारण प्रतिकूल निहितार्थ
- पूर्व में मूल्य वर्धन पहलों में सीमित सफलता
- खनन के कारण प्रचालनों के उच्च अवधि के साथ अल्म मात्रा एवं अल्य मूल्य उत्पाद ।

10.2.3 अवसर

- भारत समुद्र तटीय रेत खनिजों की उच्च आरक्षितियाँ रखता है।
- भारत में निर्धारित सामग्री की हैंडिलिंग के लिए एकाधिकार ।
- आईडीसीओएल एवं एपीएमडीसी के साथ समझौता ज्ञापन आईआरईएल की उपस्थिति के क्षितिज का विस्तार मिलेगा।
- टीआई/जेडआर एवं रेअर अर्थ्स के मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए क्षमतायुक्त बैहतर बाजार।
- असंगत चीनी नीतियों के कारण विश्व के शेष देशों के लिए आपूर्ति विकल्प के बढ़ते अवसर।
- भारत एवं अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्याशित वृद्धि शक्ति ।
- रेअर अर्थ यौगिकों के लिए अपेक्षित हाई-टेक अनुप्रयोगों हेतु बढ़ता बाजार।
- उत्पाद विविधीकरण के लिए व्यापक कार्यक्षेत्र।

10.2.4 आशंकाएं

- निजी कंपनियों के घरेलू एवं अंतर्राष्ट्ररीय का प्रवेश
- सीआरजेड क्षेत्र में खनिज पृथक्करण संयंत्र का विस्तार निषिद्ध
- भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण जो आयात एवं व्यापार बाधाओं को निष्कासन करने के लिए कम दरों के लिए अग्रणी।
- भू स्वामयों की बढ़ती प्रतीक्षाएं भूमि अधिग्रहण को कष्टदायक बनाता है।
- चवरा एवं एमके में मिश्रित सामाजिक-राजनीतिक मुद्दे।

10.3 खंडवार अथवा उत्पादवार कार्य निष्पादन

10.3.1 आईआरईएल के उत्पादों के लिए बाज़ार निराशा होते हुए भी, आईआरईएल ने लगातार प्रयास से बृहत् एवं सूक्ष्म दोनों मार्चे पर चुनौती का सामना कि। । कंपनी पिछले वित्त वर्षकी तुलना में 2015-16 में सभी खनिजों को मिलाकर, उच्च टनान में बिक्री के लिए समर्थ थी। यह वृद्धि 10% से अधिक के आदेश की थी। हालांकि, अवसादग्रस्त बाज़ार में लघु मूल्य वसूली के कारण राजस्व नीचे था। जैसा कि पहले, इल्मेनाइट मात्रा एवं राजस्व दोनों में कंपनी की बिक्री के लिए प्रमुख योगदान रहा। रूटाइल व जर्कन किटी के बगल में योगदान दिया।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- Zero dependence on fund from external sources
- Reputation as credible supplier in domestic and international market with consistent product quality and products catering niche sector
- Handling of atomic minerals and prescribed material by virtue of being under administrative control of DAE
- Strong in-house R&D setup for minerals and rare earths besides having access to R&D facility of other DAE units
- Representation in key decision/policy making bodies
- Cost advantage due to lower depreciation in Mineral Separation Plant
- Sufficient land bank at OSCOM

10.2.2 Weakness

- Land bank is limited due to years of operations based on available beach washing
- Non-availability of alternate sources of raw material to compensate reduction in HM content of beach washings in Kerala & Tamilnadu resulting in low capacity utilization
- Ageing workforce
- Legacy oriented HR policies inherited with taking over of Chavara and MK plant
- Efforts of IT integration adverse implication due to end-user verification
- Limited success in value addition initiatives in the past
- Low volume and low value products with higher span of operations due to mining

10.2.3 Opportunities

- India has high reserves of beach sand minerals
- Monopoly for handling prescribed material in India
- MoU with IDCOL & APMDC to broaden the horizon of IREL's presence
- Good market potential for value added products of Ti/Zr and rare earths
- Enhanced opportunities of supply option to rest of the world due to inconsistent Chinese policies
- Anticipated growth potential in India and other developing economies
- Increasing market for hi-tech applications requiring rare earth compounds
- Wide scope for product diversification

10.2.4 Threats

- Entry of private players-domestic and international
- Expansion of mineral separation plant in CRZ area prohibited.
- Globalization of Indian economy leading to reduced tariff for imports and removal of trade barriers.
- Increasing expectations of land owners making land acquisition difficult
- Complex Socio-political issues in Chavara and MK

10.3 Segment-wise or Product-wise performance

10.3.1 Though the market for IREL's product was dismal and IREL faced challenges both on macro and micro front, with sustained efforts the Company was able to sell higher tonnage of all the minerals put together in 2105-16 as compared to the previous financial year. The increase was of the order of over 10%. However, the revenues were down due to lesser price realization in a depressed market. As in the past, Ilmenite was major contributor to the Company's sales both in volume and revenue. Rutile and Zircon were the next contributors to the kitty.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



10.3.2 आईआरईएल से टाईटानियम डायआक्साइड रंग निर्माताओं एवं टीआई मध्यस्थ फीडस्टॉक उत्पादकों ने इल्मेनाइट का थोक उपभुक्त किया और इल्मेनाइट की बिक्री 99% से अधिक लेखाबद्ध किया। रिफ्रैक्टरी एवं रासायनिक उद्योग ने जर्कन बिक्री के प्रमुख हिस्से के लिए जिम्मेदार था। सिल्लिमेनाइट बिक्री मुख्यत: रिफ्रैक्टरी के निर्माताओं के बाद सेरामिक उद्योग की थी। रुटाइल की दशा में, संपूर्ण टनमान की बिक्री वेल्डिंग इलेक्ट्रोड क्षेत्र की थी। गारनेट के लिए, सैंड ब्लास्टिंग एवं जल जेट कटिंग उद्योग मुख्य उपभोक्ता थे।

10.4 <u>परिदृश्य</u>

- 10.4.1 अवसादग्रस्त विश्व अर्थव्यवस्था धीमा चीनी के साथ युग्मित सामान्यतया उद्योग के लिए शुभ संकेत नहीं थी। तेल के मूल्यों में अधोबिन्दु की पहुँच से इस्पात उद्योग में अवसादग्रस्त परिदृश्य जारी रहा और अचल संपत्ति क्षेत्र, खासकर समुद्र तटीय रेत खनिज उद्योग के लिए अनुकूल नहीं है।
- 10.4.2 नई परियोजनाएं भी उबर रही हैं और वर्तमान कंपनियों के द्वारा विस्तार जो टाइटानियम फीडस्टॉक बाज़ार एवं प्रमुख जर्कन आपूर्तिकर्ताओं के लिए जोर से प्रभावित कर सकता है। रेअर अर्थ्स की मांग यथावत फीका रहने की संभावना है। अल्पाविधि में आईआरईएल के प्रमुख उत्पादों के लिए अवसाद हाने की संभावना है। फिर भी, अंत उत्पाद बाज़ार से कुछ सकारात्मक संकेत के साथ टीआई फीडस्टॉक के लिए निकट भविष्य में मूल्यों में स्थिरीकरण के कुछ संकेत है।
- 10.4.3 वहां आशा की किरण है कि स्थानीय मुद्दों को चवरा यूनिट द्वारा पेश आ रहे, को सुलझा लिया जाएगा और यह उत्पादन पर सकारात्मक प्रभार रहेगा। तथापि, एमके यूनिट से विचित्र स्थानीय मुद्दे का सामना किया जा रहा है, से भी छुटकारा मिलने प्रत्याशा है। चवरा में सुधारित उत्पादन बेहतर राजस्व एवं लाभप्रद मे परिणामित हाने की संभावना है। गोपालपुर पार्टे जो आईआरईएल के बगल में है, के उदघाटन से परिवहन व्यय के पक्ष में पर्याप्त लागत की बचत में परिणामित हाने की संभावना है।
- 10.4.4 आईआरईएल के राजस्व पर्याप्त रीति में दूर ले जाने के लिए, एमओपीपी एवं एचपीआरई की क्षमता उपयोग में सुधार एवं पूर्व अपेक्षित है। एचपीआरई के उत्पादों को सरेखन करने के लिए, बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुसार और एक चुनौती है कि आईआरईएल को इस उद्देश्य हेतु विजय होना है।
- 10.4.5 आईआरईएल के पास ब्रउनफील्ड एवं ग्रीनफील्ड दोनों के पाइपलाइन में कई परियोजनाएं हैं जिससे धारणीय ढंग में राजस्व धारा की वृद्धि की आशा की जाती है।

10.5 जोखिम एवं चिंताएँ

- एमके में समुद्र तटीय धुलाई श्रेणी में क्रमिक कमी और साल दर लास समुद्र तटीय धुलाई संग्रहण की लागत में वृद्धि ।
- भू उपलब्धता बनाने कि लिए सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों के कारण भूमि अधिग्रहण में निवेश में वृद्धि ।
- उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में एमओपीपी, ऑसकॉम का स्थिरीकरण और रेअर अर्थ्स प्रभाग में एचपीआरई संयंत्र के सुचारु संचालन के लिए आरई क्लोराइड की नियमित आपूर्ति।
- प्रतियोगिता के प्रवेश और विकल्प की उपलब्धता खनिज बाजार को प्रभार कर सकता है ।
- जबिक संयंत्र तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं वे चक्रवात मौसम, भारी वर्षा, सुनामी आदि से ग्रस्त होने का खतरा है।

10.6 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य निरंतर रूप से लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को उद्देश्य एवं उचित आश्वासन पर्याप्ता और संगठन के नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर कार्य प्रदान करने के उद्देश्य के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावकारिता पर अनुवीक्षण करता है।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



10.3.2 Titanium dioxide pigment manufacturers and Ti intermediary feedstock producers consumed bulk of Ilmenite from IREL and accounted for over 99% of the sales of Ilmenite. Refractory and Chemical Industry accounted for a major share of Zircon sales. Sillimanite sales were mainly to Refractory manufacturers followed by ceramic industry. In case of Rutile, the entire tonnage sold went to the welding electrode sector. For Garnet, sand blasting and water jet cutting industry were the main consumers.

10.4 Outlook

- 10.4.1 The depressed world economy coupled with Chinese slowdown does not augur well for Industry in general. The nadir reached in oil prices, continued dismal scenario in the steel industry and realty sector are not conducive to the beach sand mineral industry in particular.
- 10.4.2 Also, new projects coming up and expansions by existing players may impact the titanium feedstock market as well as hit zircon suppliers. Demand for rare earths is likely to remain lackluster. In the short run the prices are likely to be depressed for major products of IREL. However, there are some indications of prices firming up in the near future for Ti feedstock with some positive signals coming from the end-product market.
- 10.4.3 There is a ray of hope that local issues faced by Chavara unit would be sorted out and this will have positive impact on production. However, MK unit is expected to be plagued by the peculiar local issued faced by it. Improved production at Chavara is likely to result in better revenue and profitability. The opening of Gopalpur port that is adjacent to IREL is also likely to result in substantial cost savings towards shipping expenses.
- 10.4.4 For IREL's revenue to take off in a substantial manner, improvement in capacity utilization of MoPP and HPRE are a prerequisite. Aligning the products of HPRE as per the market needs is another challenge that IREL has to overcome for this purpose.
- 10.4.5 IREL has number of projects in pipeline both brownfield and greenfield that are expected to increase the revenue stream in a sustained manner.

10.5 Risks and concerns

- Gradual decrease in beach washing grade at MK and increase in cost of beach wash collection year to year.
- Increase in investment in the acquisition of land due to socio political issues to make land availability for mining and economies of mining.
- Stabilisation of production in MoPP, OSCOM towards increased productivity and steady supply of RE chloride for smooth functioning of HPRE plant in RED.
- The entry of competitors and availability of substitutes may affect the mineral market
- Since plants are located in coastal areas they are prone to cyclonic weather, heavy rainfall, Tsunami etc

10.6 Internal control systems and their adequacy

Internal audit function of the company continuously monitors the efficacy of internal financial controls with the objective of providing to the Audit Committee and the Board of Directors, an objective and reasonable assurance on the adequacy and effectiveness of the Organisation's control and governance processes. The scope and authority of the internal audit department is derived from the audit charter approved by the Audit Committee.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति ने नियमित रूप से आंतिरक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा की। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं उनपर अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा समिति की रिपोर्ट की जाती है। लेखापरीक्षा समिति कंपनी के आंतिरक नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता की भी समीक्षा करती है। राजस्व के साथ साथ पूंजीगत व्यय का अनुमोदन करने के लिए निर्णय लेने की सुचारु प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत शक्ति का प्रत्यायोजन विद्यमान है। लेखापरीक्षा समिति ने वित्तीय विवरणों पर उनके विचारों को सुनिश्चित करने के लिए और कंपनी द्वारा पालन किए जा रहे वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, लेखांकन नीतियों एरां प्रक्रियाओं के अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभावकता के लिए भी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों से मिली।

10.7 प्रचालनीय कार्य निष्पादन से संबंधित वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा

10.7.1 समग्र कार्यनिष्पादन

वर्ष के दौरान कंपनी ने रु. 362.36 करोड़ का सकल टर्न ओवर एवं रु. (111.23) करोड़ का कर पूर्व लाभ प्राप्त किया । कंपनी का टर्न ओवर 14% तक की गिरावट आई। कर पूर्व लाभ में गिरावट मुख्य रूप से खनिज कीमतों में कमी के कारण आई, इसके अलावा इल्मेनाइट पर 10% की दर से निर्यात शुल्क के भुगतान ने भी वर्तमान वर्ष के लाभ में रु. 11.70 करोड़ तक की कमी की ।

10.7.2 प्रचालनों से राजस्व

वर्ष के दौरान प्रचालनों से कुल राजस्व रु. 352.79 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% कम रहा । कंपनी के कुल टर्नओवर में 61% घरेलू बिक्री तथा 39% निर्यात सम्मिलित है ।

10.7.3 कुल व्यय

उपभोग की गई सामग्री की लागत रु. 3.03 करोड़ तक निचले रही । कर्मचारियों की नियमित वेतनवृद्धि/महंगाई भत्ते के कारण कर्मचारी लाभ व्यय 5% की वृद्धि के साथ रु. 220 करोड़ रहा । अन्य व्यय रु. 26.82 करोड़ तक ऊंचे रहे ।

10.7.4 कर पश्चात लाभ

आयकर के लिए रु. (6.73) करोड़ के समायोजन के बाद, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी का कर पश्चात लाभ रू. (104.51) करोड़ है।

10.7.5 लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए शून्य लाभांश की सिफ़ारिश की है।

10.8 चेतावनी कथन:

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी की योजना बताने वाले अग्रदर्शी विवरण सम्मिलित हैं। कंपनी योजना के कार्यान्वयन की गारंटी नहीं दे सकती है क्योंकि वास्तविक कार्यान्वयन विभिन्न कारकों के कारण अलग हो सकते है जो प्रबंधन के नियंत्रण से परे हैं। कंपनी का अग्रदर्शी विवरणों के संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं है जिनमें बाद की किसी गतिविधि, सूचना अथवा घटनाओं के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।

11.0 समझौता ज्ञापन

11.1 कंपनी ने भारत सरकार के साथ 2015-16 के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है तथा पिछले तीन वर्षो की एमओयू रेटिंग इस प्रकार है :

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



During the financial year 2015-16, the Audit Committee met regularly to review reports submitted by the Internal Audit Department. Significant audit observations and follow up actions thereon are reported to the audit committee. Audit Committee also reviews adequacy and effectiveness of the Company's internal control environment. Detailed delegation of power exists to ensure smooth decision making process towards approving revenue and capital expenditure. Audit committee also met the company's statutory auditors to ascertain their views on financial statements, including the financial reporting system, compliance to accounting policies and procedures, the adequacy and effectiveness of the internal control systems followed by the Company.

10.7 Discussion on financial performance with respect to operational performance

10.7.1 Overall performance

During the year, the company recorded a gross turnover of Rs.362.36 crore and profit before tax of Rs. (111.23) crore. Company's turnover declined by 14%. Drop in PBT was mainly on account of south ward movement of mineral prices, payment of export duty on ilmenite @10% further impacted the current years profit by Rs.11.70 crore.

10.7.2 Revenue from Operations

During the year, total Revenue from Operations was Rs.352.79 crore which is 14% lesser than the previous year. Total turnover of the company comes from 61% of domestic sales and 39% of export.

10.7.3 Total expenses

Cost of Material consumed was lesser by Rs.3.03 crore. Employee Benefits expense amounting to Rs.220 crore with an increase of 5% on account of regular increment/ DA to employees.

Other expenses were higher by Rs.26.82 crore.

10.7.4 Profit after tax

After making adjustment of Rs.(6.73) crore towards income tax, profit after tax of the Company during the financial year 2015-16 was Rs. (104.51) crore.

10.7.5 Dividend

Your Directors have recommended Nil dividend for the financial year 2015-16.

10.8 Cautionary statement:

The Management Discussion and Analysis Report contain forward looking statements describing the Company's plan. The Company cannot guarantee the implementation of plan as the actual implementation may differ due to factors which are beyond the control of Management or for other reasons. The Company assumes no responsibility in respect of forward looking statements which may undergo change on the basis of any subsequent developments, information or events.

11.0 MOU

11.1 The Company has signed MoU for 2015-16 with the Government of India and MoU ratings for the previous three years are as follows:

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



क्र.स.	वित्तीय वर्ष	एमओयू रेटिंग
1	2015-16	अच्छा (अनंतिम)
2	2014-15	अच्छा
3	2013-14	अच्छा

11.2 कंपनी की एमओयू रेटिंग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान मुख्य रूप से (i) चवरा एवं एमके में पर्याप्त फीड स्टॉक सामग्री की अनुपलब्धता के कारण खनिजों का उत्पादन सीमित होना (ii) एमओपीपी परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब ने रसायनों का उत्पादन प्रभावित किया (iii) ऑस कॉम क्षमता विस्तार परियोजना के लिए एमओईएफ अनुमित प्राप्त होने में विलंब (iv) खनिजों की कीमतों में गिरावट ने खनिजों की बिक्री उगाही को प्रभावित किया।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



SI No	Financial year	MoU rating
1	2015-16	Good (Provisional)
2	2014-15	Good
3	2013-14	Good

11.2 The Company's MoU rating remained "Good" (provisional) during the current financial year 2015-16. mainly due to (i) Limitation in production of minerals at Chavara and MK owing to non-availability of sufficient feed stock material (ii) delay in stabilisation of MoPP plant and delay in implementation of HPRE project affected the production of chemicals (iii) delay in obtaining MoEF clearance for OSCOM capacity expansion project (iv) southward movement of prices of minerals affected the sales realization of minerals.



अनुलग्नक - घ

फॉर्म संख्या एमजीटी - 9

31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष को के अनुसार

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार)

।. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i.	सीआईएन	यू 15100 एमएच 1950जीओआई 008187
ii.	पंजीकरण तिथि	18 अगस्त 1950
iii.	कंपनी का नाम	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड
iv.	कंपनी का वर्ग/उप वर्ग	मिनिरत्न - वर्ग - 1
V.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	प्लॉट सं. 1207, वीर सावरकर मार्ग,
		सिद्धि विनायक मंदिर के पास, प्रभादेवी,
		मुंबई- 400028
vi.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	जी नहीं
vii.	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो,	लागू नहीं
	का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	

॥. कंपनी की प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां

कंपनी के कुल टर्न ओवर में 10% या अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यापारिक गतिविधियों का विवरण दिया जाएगा :-

क्र.	मुख्य उत्पादों का नाम एवं विवरण	उत्पाद का	कंपनी के कुल टर्न ओवर का %
सं.		एनआईसी कोड	
1.	इल्मेनाइट	13209	45.72%
2.	रुटाइल	13209	15.68%
3.	जिरकोन	13209	15.35%

III. नियंत्रणाधीन, अनुषंगी एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र _.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/	नियंत्रणाधीन/	धारित	लागू
सं.		जीएलएन	अनुषंगी/सहयोगी	शेयरों का %	अनुभाग
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



Annexure -D

FORM NO. MGT - 9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN AS ON THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2016

[Pursuant to section 92(3)of the Companies Act, 2013 and rule12(1)of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

1.	CIN	U15100MH1950GOI008187
II.	Registration Date	18 th August, 1950
III.	Name of the Company	INDIAN RARE EARTHS LTD
IV.	Category/Sub-Category of the Company	Miniratna - Category-I
V.	Address of the Registered office and contact	Plot No.1207,Veer Savakar Marg,
	details	Near Siddhi Vinayak Temple, Prabhadevi, Mumbai - 400 028
VI.	Whether listed company	No
VII.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Not applicable

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sr.No.	Name and Description of	NIC Code of the Product	% to total turnover of		
	main products		the company		
1	ILMENITE	13209	45.72%		
2	RUTILE	13209	15.68%		
3	ZIRCON	13209	15.35%		

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No	Name and address Of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary Associate	%of shares held	Applicable Section
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



।∨. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्योरा)

i. वर्गवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों का वर्ग	वर्ष की संख्या	शुरुआत में				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
प्रमोटर्स									
1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/									
एचयूएफ									
(ख) केंद्र सरकार	-	863650	863650	100%	-	863650	863650	100%	शून्य
(ग) राज्य सरकार									- C\
(सरकारें)									
(घ) निकाय निगम									
(ङ) बैंक/एफआई									
(च) कोई अन्य		1					I		
नोट:	उपर्युक्त	में से 4 इक्टि	बटी शेयर कें	द्र सरकार व	के नामित	ों द्वारा धारित	हैं ।		1
उप कुलयोग		863650	863650	100%		863650	863650	100%	शून्य
(क)(1) :-									
2) विदेशी									
(छ) एनआरआई-									
व्यक्तिगत									
(ज) अन्य -									
व्यक्तिगत									
(झ) निकाय निगम									
(ञ) बैंक /एफआई									
(ट) कोई अन्य									
उप कुलयोग									
(ক)(2) :-									
प्रमोटर की कुल		863650	863650	100%		863650	863650	100%	शून्य
शेयरहोल्डिंग (क)=									
(क)(1)+(क)(2)									
आ. सार्वजनिक			एन	 ए					
शेयरहोल्डिंग			,	•					
1. संस्थान			एन						
(क) म्यूचुअल फंड			,	•					
(ख) बैंक/एफआई									
(ग) केंद्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार									
(सरकारें)									
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड									
(च) बीमा कंपनियाँ			-			-	+		

26

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i. Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year Demat Physical Total % of				No. of shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physica	Total	% of Total Shares	
Promoters								- Cinaros	
1) Indian									
a) Individual/ HUF									
b) Central Govt	-	863650	863650	100%	-	863650	863650	100%	NIL
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corp									
e) Banks / FI									
f) Any Other Note:		ut of above 4 number of equity shares are held by Nominees of the entral Govt.							
Sub-total(A)(1):-		863650	863650	100%		863650	863650	100%	NIL
2) Foreign									
g) NRIs-Individuals									
h) Other-Individuals									
i) Bodies Corp.									
j) Banks / FI									
k) Any Other									
Sub-total(A)(2):-									
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)		863650	863650	100%		863650	863650	100%	NIL
B. Public									
Shareholding				Α					
1. Institutions			N	Α					
a) Mutual Funds									
b) Banks / FI									
c) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital									
Funds									
f) Insurance									
Companies					1				

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



(छ) एफआईआई							
(ज) विदेशी वेंचर							
कैपिटल फंड							
(झ) अन्य(विनिर्दिष्ट करें)							
उप कुलयोग (आ)(1)							
2. गैर संस्थान		एना	ĭ				
(क) निकाय निगम							
(i) भारतीय							
(ii) विदेशी							
(ख) व्यक्तिगत							
(I) रु. 1 लाख तक की नाम							
मात्र की शेयर पूंजी धारक							
व्यक्तिगत शेयरधारक							
(I) रु 1 लाख से अधिक							
की नाम मात्र की शेयर पूंजी							
धारक व्यक्तिगत							
शेयरधारक							
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)							
उप कुलयोग (आ)(2)		एन	ए				
कुल सार्वजनिक							
शेयरहोल्डिंग							
(आ)=(आ)(1)+(आ)(2)							
(इ) जीडीआर एवं एडीआर							
के लिए संरक्षक द्वारा							
धारित शेयर							
कुलयोग (अ+आ+इ)	863650	863650	100%	863650	863650	100%	शून्य

ii. प्रमोटरो की शेयरहोल्डिंग

क्र.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग			वर्ष र	के अंत में शेयर	होल्डिंग	वर्ष के
सं.								दौरान
		शेयरो की	कंपनी के	कुल शेयरों के	शेयरो की	कंपनी के	कुल शेयरों के	शेयरहोल्डिंग
		सं.	कुल	गिरवी/	सं.	कुल शेयरों	गिरवी/	में परिवर्तन
			शेयरों का	भारग्रस्त		का %	भारग्रस्त	%
			%	शेयरों का %			शेयरों का %	
1	भारत सरकार	863650	100 %	0	863650	100 %	0	शून्य
2								
3								
	कुल	863650	100 %	0	863650	100 %	0	शून्य

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



g) FIIs							
h) Foreign Venture							
Capital Funds							
i) Others (specify)							
Sub-total(B)(1)							
2. Non Institutions		N	A				
a) Bodies Corp.							
(i) Indian							
(ii) Overseas							
b) Individuals							
(i) Individual							
shareholders							
holding nominal							
share capital							
upto Rs. 1 lakh							
(ii) Individual							
shareholders							
holding nominal							
share capital in							
excess of							
Rs 1 lakh							
c) Others(Specify)							
Sub-total(B)(2)		N	Α				
Total Public							
Shareholding							
(B)=(B)(1)+(B)(2)							
C. Shares held by							
Custodian for							
GDRs & ADRs							
GrandTotal							
(A+B+C)	 863650	863650	100%	863650	863650	100%	NIL

ii. Share holding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareho of the y	he end		
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbe red to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbe red to total shares	% change in share holding during the year
1.	Govt. of India	863650	100%	0	863650	100%	0	NIL
2.								
3.								-
	Total	863650	100%	0	863650	100%	0	NIL

27

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



iii. प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है ।)

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ	। में शेयरहोल्डिंग	वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग		
н.	, , , , , , , , , , , ,	, , , ,		, , , , .	. , ,	
	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल	शेयरो की सं.	कंपनी के कुल	
	के लिए		शेयरो का %		शेयरो का %	
	वर्ष के आरंभ में					
	वृद्धि/कमी के कारणों का विनिर्दिष्ट करते					
	हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग	कोई प	रिवर्तन नहीं			
	में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदाहरणार्थ					
	आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/					
	स्वेट इक्विटी इत्यादि):					
	वर्ष के अंत में					

iv. टॉप टेन शेयरधारकों का शेयरहोल्डिंग पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों एवं जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा):

क्र. ·		वर्ष के आरंभ	में शेयरहोल्डिंग	वर्ष के दौरान सं	चयी शेयरहोल्डिंग
सं.					
		शेयरो की सं.	कंपनी के कुल	शेयरो की सं.	कंपनी के कुल
		शेयरो का %		शेयरो का %	
	टॉप टेन शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए				
	वर्ष के आरंभ में वृद्धि/कमी के कारणों को				
	विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान				
	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में	लागू	नही		
	तारीखवार वृद्धि/कमी (उदाहरणार्थ				
	आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/				
	स्वेट इक्विटी इत्यादि):				
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने				
	की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान				
	अलग हुए हैं)				

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



III. Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sr. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Directors and KMP	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				ı
	Date wise Increase /				
	Decrease in Promoters				
	Share holding during the				
	year specifying the reasons	No Cha	ange		
	for increase / decrease				
	(e.g. allotment / transfer /				
	bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year				

iv. Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sr. No		Shareholding	at the	Cumulative S	hareholding
		beginning of the year		during the year	
		No. of shares	% of total	No. of shares	% of total
			shares of the		shares of the
			company		company
	For Each of the Top 10				
	Shareholders				
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase /				
	Decrease in Share holding				
	during the year specifying	Not app	licable		
	the reasons for increase /				
	decrease (e.g. allotment /				
	transfer / bonus / sweat				
	equity etc):				
	At the End of the year				
	(or on the date of				
	separation, if separated				
	during the year)				

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



v. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरहोल्डिंग :

क्र. ·		वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
सं.		2 2 2 .			
	प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के	शेयरो की सं.	कंपनी के कुल	शेयरो की सं.	कंपनी के कुल
	लिए		शेयरो का %		शेयरो का %
	वर्ष के आरंभ में	3	-	3	-
	वृद्धि/कमी के कारणों को				
	विनिर्दिष्ट करते हुए				
	वर्ष के दौरान				
	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में	ला	गू नही		
	तारीखवार वृद्धि/कमी (उदाहरणार्थ				
	आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/				
	स्वेट इक्विटी इत्यादि):				
	वर्ष के अंत में	3	-	3	-

V. ऋण

बकाया/अर्जित किए गए परंतु भुगतान नहीं किए जाने वाले ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमाओं को छोडकर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमाएँ	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण ग्रस्तता				
i) मूल धन ii) देय ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया iii) अर्जित किया गया ब्याज परंतु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुलयोग (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
- योग				
- कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण ग्रस्तता				
i) मूल धन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया				
iii) अर्जित किया गया ब्याज				
परंतु देय नहीं				
कुल योग (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



v. Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. No		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Directors	No. of shares	% of total	No. of shares	% of total
	and KMP		shares of the		shares of the
			company		company
	At the beginning of the year	3	-	3	-
	Date wise Increase /				
	Decrease in Promoters				
	Share holding during the				
	year specifying the reasons	Not app	licable		
	for increase / decrease				
	(e.g. allotment / transfer /				
	bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year	3	-	3	-

V. <u>INDEBTEDNESS</u>

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not	NIL	NIL	NIL	NIL
Total(i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year - Addition - Reduction	NIL	NIL	NIL	NIL
	IVIL	INIL	INIL	IVIL
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (i+ii+iii)	NIL	NIL	NIL	NIL

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकी कार्मिक का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा प्रबन्धक का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		
				(लाख में)	
1.	सकल वेतन	डॉ. आर एन पात्र	30.11.15 तक	51.82	
			निदेशक अध्यक्ष एवं प्रबंध		
	(क) आयकर अधिनियम 1961	श्री दीपेन्द्र सिंह	30.11.15 तक	22.41	
	की धारा 17(1) में दिये		निदेशक (विपणन) एवं		
	गए प्रावधानों के अनुसार		01.12.15 से अध्यक्ष एवं		
	वेतन		प्रबंध निदेशक		
		श्री सी.के. असनानी	निदेशक (तकनीकी)	21.80	
		श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	21.48	
			30.11.15 तक		
	(ख) आयकर अधिनियम 1961	डॉ. आर. एन. पात्र	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0	
	की धारा 17(2) के तहत	श्री दीपेंद्र सिंह	30.11.15 तक	4.10	
	अनुलब्धियों का मूल्य		निदेशक (विषणन) एरां		
			01.12.15 से		
			अध्यक्ष एरां प्रबंध निदेशक		
		श्री सी.के. असनानी	निदेशक (तकनीकी)	4.05	
		श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त) एरां सीएफओ	4.32	
	(ग) आयकर अधिनियम 1961	डॉ. आर. एन. पात्र	30.11.15 तक	0	
	धारा 17(3) के तहत वेतन		अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		
	के बदले में लाभ	श्री दीपेन्द्र सिंह	30.11.15 तक	0	
			निदेशक (विपणन) एवं		
			01.12.15 से		
			अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		
		श्री सी.के. असनानी	निदेशक (तकनीकी)	0	
		श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त) एवं सिएफओ	0	
2.	स्टॉक विकल्प			0	
3.	स्वेट इक्विटी			0	
4.	कमीशन				
	- लाभ के % के रूप में			0	
	- अन्य, विनिर्दिष्ट करें			0	
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें			0	
6.	कुलयोग (क)			130.01	
	अधिनियम के अनुसार सीमा				

30



VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager

SI. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTI	Total Amount (in lakhs)	
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section17(1) of the	Dr. R. N. Patra	CMD upto 30.11.15	51.82
	Income-tax Act, 1961	Shri D Singh	Director (Marketing) upto 30.11.15 and CMD from 01.12.15	22.41
		Shri C K Asnani	Director (Technical)	21.80
		Shri Rakesh Tumane	Director (Finance) & CFO	21.48
	(b) Value of perquisites u/s	Dr. R.N. Patra	CMDto 20 11 15	0
	17(2)Income-tax Act,1961		CMD upto 30.11.15	0
		Shri D Singh	Director (Marketing) upto 30.11.15 and CMD from 01.12.15	4.10
		Shri C K Asnani	Director (Technical)	4.05
		Shri Rakesh Tumane	Director (Finance) & CFO	4.35
	(c)Profits in lieu of salary undersection17(3)Income-	Dr. R.N.Patra	CMD upto 30.11.15	0
	tax Act, 1961	Shri D Singh	Director (Marketing) upto 30.11.15 and CMD from 01.12.15	0
		Shri C K Asnani	Director (Technical)	0
		Shri Rakesh Tumane	Director (Finance) &CFO	0
2.	Stock Option			NIL
3.	Sweat Equity			NIL
4.	Commission - as % of profit - others, specify			NIL
5.	Others, please specify			NIL
6.	Total (A)			130.01
	Ceiling as per the Act			

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्र	कुल धनराशि (लाख में)	
	स्वतंत्र निदेशक - बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क	डॉ अशोक कुमार लोमस	आई डी	0.70
		श्री शकील अहमद	आई डी	1.20
		सुश्री शीला सांगवान लोमस	आई डी	1.20
	कमीशन -अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें ।			शून्य शून्य
	कुलयोग (1)			3.10
	अन्य गैर अधिशासी निदेशक बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क (केरल सरकार के राजकोष में जमा करने के लिए त्रावणकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लि. को प्रेषित)	श्री बी. ज्योतिकुमार	नामित निदेशक	0.40
	-कमीशन			शून्य
	-अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें । कुलयोग (2)			शून्य 0.40
	कुलयोग (ख) = (1+2)			3.50
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			
	अधिनियम के अनुसार समय सीमा			

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



B. Remuneration to other directors:

SI. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/W	Name of MD/WTD/ Manager		
	J	Dr. Ashok Kumar Lomas	ID	1.70	
		Shri Shakeel Ahmed	ID	1.20	
		Ms. Sheila Sangwan	ID	0.20	
	Commission			NIL	
	-Others, please specify			NIL	
	Total(1)			3.10	
	Other Non-Executive Directors Fee for attending board committee meetings (Remitted to Travancore Titanium Products Ltd for depositing to Kerala Govt.Treasury)	Shri B Jyothikumar	Nominee Director	0.40	
	- Commission - Others, pleasespecify			NIL NIL	
	Total(2)			0.40	
	Total(B)=(1+2)			3.50	
	Total Managerial Remuneration				
	Overall Ceiling as per the Act				

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



ग. एमडी/प्रबन्धक/डबल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक				
М.		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुलयोग (लाख में)	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में दिये गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	0.00	13.12	निदेशक (वित्त) सीएफओ के रुप में पदनामित	13.12	
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य	0.00	0.03		0.03	
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ		0		0	
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
4.	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	- लाभ के के % रूप में					
	- अन्य, विनिर्दिष्ट करें					
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
6.	कुलयोग		13.15		13.15	

VII. अपराधों के अर्थदंड/दंड/समझौते : शून्य

प्रकार	कंपनी	संक्षिप्त	अधिरोपित अर्थदंड/दंड/समझौता	प्राधिकरण	की गयी अपील,
	अधिनियम	विवरण	शुल्क का विवरण	(आरडी/एनसीएलटी/	यदि कोई हो,
	की धारा			न्यायालय)	(विवरण दें)
क. कंपनी					
अर्थदंड					
दंड					
समझौता					
ख. निदेशक	गण				
अर्थदंड					
दंड					
समझौता					
ग. चूक कर	ने वाले अन्य आं	धिकारी			
अर्थदंड					
दंड					
समझौता					

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



C. Remuneration to Key Managerial Personnel Other than MD/Manager/WTD

SI. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel				
		CEO	Company	CFO	Total	
			Secretary		(in lakhs)	
1.	Gross salary					
	(a) Salary as per provisions	0.00	13.12	Director	13.12	
	contained in section17(1)of the			(Finance)		
	Income-tax Act, 1961			designated		
				as CFO		
	(b) Value of perquisites u/s 17(2)	0.00	0.03		0.03	
	Income-tax Act, 1961					
	(c)Profits in lieu of salary under		0		0	
	section 17(3)Income-tax Act, 1961					
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL	
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL	
4.	Commission					
	- as % of profit					
	- others, specify	NIL	NIL	NIL	NIL	
5.	Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL	
	Total		13.15		13.15	

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES: NIL

Туре	Section of the compani- es Act	Brief description	Details of Penalty/ Punishment/Compounding fees imposed	Authority [RD /NCLT/Court]	Appeal made, If If any (give details)
A. Company					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
B. Directors					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. Other Office	rs In Defaul	t			
Penalty					
Punishment					
Compounding					

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



मेहता एण्ड मेहता कंपनी सचिव नवजीवन सोसायटी बिल्डींग नं.3, 12वी मंजिल, ऑफिस नं.9, लेमिंग्टन रोड.

मुंबई - 400 008.

ईमेल : info@mehta-mehta.com

फोन:022-6611 9696

कारपोरेट शासन अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में, सदस्यगण, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

हमने 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट शासन पर मार्गनिर्देश 2010 (मार्गनिर्देश) के तहत उल्लिखित कारपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने के उद्देश्य से **इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड** ("कंपनी") के सभी संबंधित अभिलेखों की जांच की है ।

कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है । हमारी जाँचें कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं एवं उनके अनुपालन तक सीमित रहीं । यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई राय की अभिव्यक्ति है ।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं हमें प्रदान की गयी सूचना एवं दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते है कि कंपनी ने इस प्रमाणपत्र के अनुलग्नक **क** में यथाउल्लिखित को छोड़कर मार्गनिर्देश में यथानिर्धारित कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है ।

यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रुप में कोई आश्वसान है और न ही प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता है जिसके साथ प्रबंधन कंपनी का कार्य करता है ।

> कृते मेहता एंड मेहता कंपनी सचिव (आईसीएसआई यूनिक कोड पी 1996 एमएच 007500)

स्थान : मुंबई

दिनांक: 8 सितंबर 2016

अंशुल कुमार जैन

पार्टनर

सीपी सं. : 13181 एफसीएस सं. : 5547

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



MEHTA & MEHTA COMPANY SECRETARIES

Navjivan Society Bldg. No.3, 12th Floor, Office No.9, Lamington Road, Mumbai - 400 008.

Email: info@mehta-mehta.com

Tel.: 022-6611 9696

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE CERTIFICATE

To, The Members of

Indian Rare Earths Limited

We have examined all the relevant records of **Indian Rare Earths Limited** ("the Company") for the purposes of certifying compliances of the conditions of Corporate Governance as mentioned under the Guideline on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSE) 2010 ("the Guideline") for the Financial Year ended March 31, 2016.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the mangement. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring compliances of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the information provided and explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Guideline except as mentioned in the Annexure A to this certificate.

This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Mehta & Mehta Company Secretaries (ICSI Unique Code - P1996MH007500)

Date: 8th September, 2016

Anshul Kumar Jain

Partner

CP No.: 13181 FCS No.: 5547

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



अनुलग्नक क / Annexure A

क्र. सं.	खंड	प्रावधान	टिप्पणियाँ
1.	3.1.3	सरकार अथवा अन्य सीपीएसई द्वारा नियुक्त नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित होगी।	बोर्ड का संघटन जो 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार है, वह 4 नामित निदेशकों का बना है जो दिशा निर्देश के अनुसार नहीं है।
2.	3.1.4	एक निदेशक 10 से अधिक समितियों में सदस्य या सभी कंपनियों भर में पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेंगे जिसमें वे एक निदेशक हैं। इसके अलावा प्रत्येक निदेशक को समिति के पदों के बारे में वह अन्य कंपनियों की समिति में रह रहे हैं, के विषय में कंपनी को सूचित करने के लिए एक अनिवार्य वार्षिक आवश्यकता होनी चाहिए और यथा जब वे भाग लेने के लिए जाते हैं तब परिवर्तन की सूचना भी देंगे।	कंपनी प्रत्येक निदेशकों से सूचना एकत्रित करेगी।
3.	3.3.3	समीक्षा किए जाने के लिए कानूनों का अनुपालन :- बोर्ड समय समय पर कंपनी के लिए लागू सभी कानून का, गैर-अनुपालन के उदाहरणों को सुधारने के लिए कंपनी द्वारा तैयार किए एवं कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों के अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करेगी।	कंपनी द्वारा अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी उसके सभी लागू कानूनों को तादात्म्य स्थापित करने की प्रक्रिया में है, अत: कंपनी के लागू सभी कानूनों की आविधक समीक्षा नहीं की गई है।

कृते मेहता एंड मेहता कंपनी सचिव (आईसीएसआई यूनिक कोड पी 1996 एमएच007500)

अंशुल कुमार जैन पार्टनर

सीपी नं.: 13181 एफएससी नं.: 547

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Annexure A

Sr. No.	Clause	Provisions	Observations
1.	3.1.3	The number of Nominee Directors appointed by Government/other CPSEs shall be restricted to a maximum of two.	The Board's Composition as at the year ended March 31, 2016 consists of four Nominee Directors which is not as per the guidelines.
2.	3.3.2	A Director shall not be a member in more than 10 committees or act as Chairman of more than five committees across all companies in which he is a Director. Furthermore it should be mandatory annual requirement for every director to inform the company about the committee positions he occupies in other companies and notify changes as and when they take place.	The Company shall be collecting the information from each of the Directors.
3.	3.3.3	Compliance of Laws to be reviewed:- The Board shall periodically review compliance reports of all laws applicable to the company, prepared by the company as well as steps taken by the company to rectify instances of noncompliances.	As represented by the Company, the Company is in the process to identify all the laws applicable to it hence the periodical review of all the laws applicable to the Company is not been done.

For Mehta & Mehta Company Secretaries (ICSI Unique Code PI996MH007500)

Anshul Kumar Jain

Partner

CP No.: 13181 FSC No.: 547

Date: September 8, 2016

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेअर अर्थ्स** लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का होता है । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं । इसे उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 24.08.2016. के माध्यम से उनके द्वारा किया गया कहा गया है ।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है । यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों की कार्यकारी कागजों तक पहुँचें बिना की गयी है तथा मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के कार्मिकों की जाँचों तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है । मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिसकी वजह से सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करनी पड़े अथवा पूरक लेखापरीक्षा करनी पड़े ।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 12.09.2016

(डॉ. आशुतोष शर्मा) वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य. लेखापरीक्षा बोर्ड-IV

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT. 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF INDIAN RARE EARTHS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

The preparation of financial statements of Indian Rare Earths Limited for the year ended 31 March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act. 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/ auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their revised Audit Report dated 24.08.2016.

1, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Indian Rare Earths Limited for the year ended 31 March 2016. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report

For and on behalf of the Comptroller & Auditor General of India

(Dr. Ashutosh Sharma)

Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member, Audit Board-IV

Place: New Delhi Date: 12.09.2016

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



एस. के. पटोदिया एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के सदस्यगण,

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड 2016, मार्च 31 की (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिनमें का तुलन पत्र लाभ, एवं हानि विवरण उसी तारीखो को समाप्त संपूर्ण लखाकंन नीतियों का सारांश एवं अन्य तथा महत्व, वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्ष की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी के साथ पठित कंपनी 7 के नियम 2014 (लेखाएं) लेखांकन मानकों सहित भारत में के तहत विनिर्दिष्ट 133 की धारा 2013 अधिनियम य वित्तीय स्थितिकृत लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार कंपनी की वित्ती रुप से स्वीसामान्य एवंदन एवं नकदी प्रवाह की सत्यकार्यनिष्मा सही स्थिति देने के लिए इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) में दिये गए विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम के लिए एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, आंतरिक तथा पर्याप्त, निर्णय करना एवं अनुमान लगाना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हों य नियंत्वित्तीरणों का अभिकल्पन एवं सही स्थिति यन एवं अनुरक्षण जो सत्यकार्यान्वित, से संबंधित लेखांकन नीतियों की विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुत देने वाले वित्तीय सटीकत एवं पूर्णत को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से प्रचालित रहे और जो किसी धोखाधडी अथवा त्रिट से मुक्त है भी सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

- 3. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।
- 4. हमने लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक लेखांकन मानकों एवं विषयों सहित अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके तहत निर्मित नियमों को ध्यान में रखा है।
- 5. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड एकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अन्य लागू अधिकारिक उद्दोषणाओं के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की। ये मानक एवं उद्घोषणाएं अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना का अनुपालन करें तथा तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों से मुक्त हैं।
- 6. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में धनराशियों एवं प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्मादन करने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों का मूल्यांकन करने सिहत सभी चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है। उन जोखिम मूल्यांकनों को करते समय लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन करने के लिए सत्य एवं सही स्थिति देने वाले वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने की कंपनी की तैयारी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है परंतु इस बात पर अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिए विचार नहीं करता है कि क्या कपंनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है और क्या ऐसे नियंत्रण की प्रचालनीय प्रभावकता है।



S. K. PATODIA & ASSOCIATES Chartered Accountants

REVISED INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

TO THE MEMBERS OF INDIAN RARE EARTHS LIMITED

Report on the Financial Statements

I. We have audited the accompanying financial statements of Indian Rare Earths Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at Merch 31, 2016, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

- 3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- 4. We have taken into account the provisions of the Act and the Rules made there under including the accounting standards and matters which are required to be included in the audit report.
- 5. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and pronouncements require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
- 6. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view, in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



7. हमें विश्वास है कि लेखा साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित है ।

राय

8. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार अन्य नोट्स के साथ पूर्वोक्त वित्तीय विवरण यथावश्यक ढंग से अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा 31 मार्च, 2016 को, के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति की एवं इसके लाभ एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह की भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप सत्य एवं सही स्थिति देते हैं।

मामले का जोर

- 9. हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :
 - (क) वित्तीय विवरणों के नोट सं. 19 के संबंध में, कंपनी को सांद्र थोरियम की पुनप्राप्ति, पुनप्रक्रिया एवं पुनर्भण्डारण (थ्रष्ट) परियोजना सौंपी गयी है। कंपनी द्वारा आपूर्त न्यूक्लियर ग्रेड अमोनियम डाइ-यूरेनेट (एनजीएडीयू) के लिए क्षितपूर्ति भारत सरकार की अंतिम अनुमोदित दर पर चिन्हित की गयी है। वर्ष 2014-15 में भारत सरकार ने 2011-12 में आपूर्त एनजीएडीयू के संबंध में रु. 19,655 प्रति किलोग्राम की दर अनुमोदित की है तथा रु. 1,715.37 लाख के धनराशि के अंतर को वर्तमान वर्ष में चिन्हित किया गया है एवं उत्पादों की बिक्री में शामिल किया गया है। तथापि वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक की गयी आपूर्तियों के संबंध में क्षितपूर्ण की दर रु. 13,557 प्रति किलोग्राम पर चिन्हित की गयी है जो कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2012 के माध्यम से वर्ष 2010-11 के लिए सूचित अनुमोदित दर है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के लिए लागत रू. 19,655 प्रति किलोग्राम से कम है तथा जिस प्रक्रिया द्वारा उत्पाद को विनिर्मित किया वह भी भिन्न है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्र, 2015-16 तक के लिए किस भी अंतर धनराशि के प्रभाव को भारत सरकार से दर अनुमोदन के पश्चात चिन्हित किया जाएगा।
 - (ख) कंपनी ने भविष्य निधि के संबंध में लाभ योजना को परिभाषित की है जो कंपनी द्वारा एक न्यास के रुप में नियंत्रित की जाती है। कंपनी भविष्यनिधि को विशिष्ट मासिक अंशदान देती है। यदि कुछ शार्टफाल है तो उसे भर्ती करना कंपनी का दायित्व है जो परिभाषित लाभ योजना में है, कंपनी को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्य के आधार पर, शार्टफाल निर्धारित करना है जो लेखा मानक (ए एस) 15 कर्मचारी लाभ द्वारा अपेक्षित है। यदि कुछ शार्टफाल है तो निर्धारण के लिए कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को नहीं लिया है। उपर्युक्त कारण से वर्ष के लिए नुकसान का प्रभाव एवं वर्ष के अंत में व्यवस्था को नहीं जानते हैं। इसके अतिरिक्त लेखा मानक (ए एस) 15 कर्मचारी लाभ में अपेक्षित विवरण में भविष्य निधि के संबंध में परिभाषित लाभ योजना के लिए वित्तीय विवरण में (ए एस) 15, प्रकट नहीं की है।
 - (ग) वर्ष के अंत में कंपनी को 343.69 लाखों का प्रावधान है जो चवरा यूनिट के इंडियन रेअर अर्थ्स कर्मचारी सहयोजक सोसाइटी लिमिटेड को अग्रिम के रूप में दिया गया। यह प्रावधान अल्पकालीन प्रावधान के अंतर्गत संविदागत प्रावधान में सम्मिलित है (वित्तीय विवरण का नोट 8 देखें) के बदले अल्पकालीन ऋण एवं अग्रीम के संदिग्ध ऋण एवं अग्रीम के घटाव का प्रावधान है (वित्तीय विवणर का नोट 17 देखें) इस वजह से 31 मार्च 2016 को अल्पकालीन प्रावधान एवं अल्पकालीन ऋण एवं अग्रीम 343.69 लाख उच्चतर है।
 - (घ) इस वर्ष कंपनी कुछ पक्षकारों से जमाराशि पुष्टीकरण प्राप्त की है। पक्षकारों से प्राप्त ऐसे जमाराशि पुष्टीकरण, कंपनी के लेख बही के शेष से मिलाव नहीं किया। कंपनी समाधान की प्रक्रिया में है तदनुसार भिन्न प्रभाव यदि कुछ है तो कंपनी के लेखा, बही में मेल, मिलाप पूरा होने के बाद पहचान सकते है।
 - (ङ) वर्ष में कंपनी ने संचयन रेत उतारना आदि के संबंध ग्रेड कच्चाउच्च, परिवाहन के लदान, सामग्री खपत लागत आदि शीर्ष के अंतर्गत 29.49 लाख में या दावा के वित्तीय 2014-15 के अतर्गत सम्मिलित किया गया है। इससे पूर्व अविध उसे पूर्व व्यय वर्ष से संबंधित है कम और सामग्री खपत लागतव्यय 29.49 लाख ज्यादा दिखता है।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



7. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

8. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2016, and its loss and its cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

- 9. We draw attention to the following matters:
 - (a) Note No. 19 to the financial statements regarding, the Company is entrusted with the project of retrieval, reprocess and re-storage of Thorium Concentrate ("THRUST"). The Compensation for Nuclear Grade Ammonium Di-Uranate (NGADU) supplied by the Company is recognised at the last approved rate of the Government of India (Gol). During the year 2014-15, Gol has approved the rate of 19,655 per kg. in respect of NGADU supplied during 2011-12 and the differential amount of ₹ 1,715.37 lakhs has recognised during the year 2014-15 and included in Sale of Products. However, in respect of the supplies made from financial year 2012-13 to financial year 2015-16, the compensation is recognized at ₹ 13,557 per kg., which is the approved rate of Gol for the year 2010-11 vide communication dated April 13, 2012 as the cost for financial year 2012-13 to financial year 2015-16 is less than ₹ 19,655 per kg and the process through which the product is manufactured is also different. Accordingly, any differential impact for the financial year 2012-13 to financial year 2015-16 will be recognised after rate approval from Gol.
 - (b) The Company has defined benefits plan in respect of Provident Fund which is administered by the Company through a trust. The Company makes specified monthly contribution towards provident fund. The Company has obligation to make good the shortfall, if any, As this is a defined benefits plan, the Company is required to determine any shortfall as at year end based on the actuarial valuation as required by the Accounting Standard (AS) 15 "Employee Benefits". The Company has not taken actuarial valuation report to determine any shortfall, if any. Due to the above, any impact on the loss for the year and provisions as at year end could not be ascertained. Further, also no disclosure, as required by the Accounting Standard (AS) 15 "Employee Benefits" has been made in the financial statements for the defined benefits plan in respect of Provident Fund.
 - (c) As at year end the Company has provision of 343.69 Lakhs against advances given to Indian Rare Earths Employees Co-Operative Society Limited at Chavara Unit. This provision is included in Contractual Provision" under "Short Term Provisions" (refer note 8 to the financial statements) instead of reduction from "Short Term Loans and Advances" as provision for doubtful debts and advances (refer note 17 to the financial statements). Due to this, the Short Term Provisions and Short Term Loans and Advances as at March 31, 2016 are higher by 343.69 Lakhs.
 - (d) During the year, the Company has received balance confirmations from certain parties. Certain balance confirmations received from parties are not tallied with the balance as per the Company's books of account. The Company is in the process of reconciliation. Accordingly, any differential impact, if any will be recognised in the books of account of the Company after completion of the reconciliation.
 - (e) During the year the company has accounted the sum of ₹ 29.49 lakhs incurred towards accumulation, loading transportation, unloading of high grade raw sand etc. under the head of Cost of material consumed. As the claim relates to financial year 2014-15, the same should have been clubbed under prior period expenditure. Due to this, the prior period expenses are lower and cost of material consumed is higher by ₹ 29.49 lakhs.

INDIAN RARE FARTHS LIMITED



अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- 10. भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 द्वारा इसमें इसके आगे) के रूप में (11) की उपधारा 143 यथा अपेक्षित अधिनियम की धारा तथा बहियों की ऐसी जांचों के आधार पर एवं कंपनी के संदर्भित आदेश के रूप में हम उचित समझते हैं तथा हमें दी गय अभिलेखों जिन्हें जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम अनुलग्नक ख में आदेश के अनुच्छेद मामलों पर में विनिर्दिष्ट 4 एवं 3 कथन देते हैं।
- 11. अधिनियम की धारा 143(5) की शर्त के अनुसार हम अनुलग्नक ग में एक विवरण ऊपर बताया गया धारा के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश दिया।
- 12. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित रिपोर्ट हम करते हैं कि :
 - (क) हमने ऐसी सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे :
 - (ख) हमारी राय में जहाँ तक उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा अभी तक कानून द्वारा यथापेक्षित उचित लेख बहियां रखी गयी है।
 - (ग) इस रिपोर्ट द्वारा देखे गये तुलन पत्र लाभ एवं हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेख बहियों से मेल खाते हैं।
 - (घ) हमारी राय में पूर्वीक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखाएं) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की घारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते है।
 - (ङ) कंपनी सरकार की कंपनी है तदनुसार दिनांक 5, जून 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 ई के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है।
 - (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट देने के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा ऐसे नियंत्रण का प्रचालन प्रभाव है, अनुलग्नक क का हमारे अलग रिपोर्ट संदर्भित है।
 - (छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किये जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के आधार पर तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च, 2016 को, के अनुसार लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है नोट 29 : देखें
 - (ii) कंपनी की 31 मार्च , 2016 को के अनुसार व्युत्पन्न संविदाओं के साथ दीर्घकालिक संविदाएं नहीं है । और
 - (iii) ऐसी कोई धनराशियाँ नहीं थी जिन्हें मार्च 31 2016, को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में हस्तांतरित किया जाना अपेरक्षित था।

संशोधन के कारण

13. इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के तहत पूरक लेखा परीक्षा के तहत टिप्पणियों पर विचार करते हुए संशोधित किया गया है। इस रिपोर्ट में हमने अपेक्षित कुछ निाश्चित सुधार किये हैं तथा ऊपर पैरा 9 (च) के अंतर्गत एक अतिरिक्त विषय सम्मिलित किया है। यह संशोधन दिनांक 8 जुलाई, 2016, को हमारे द्वारा जारी पूर्व की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का है।

> कृते एस. के. पटोदिया एण्ड के. एसोशिएट्स सनदी लेखापाल फर्म पंजीकरण संख्या : 112723डब्ल्य

> > अरुण पोद्दार भागीदार सदस्य संख्या 134572

स्थान : मुंबई

दिनांक : 24 अगस्त 2016

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- 10. As required by 'the Companies (Auditor's Report) Order, 2016', issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act (hereinafter referred to as the "Order"), and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we give in the Annexure B a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
- 11. In terms of section 143(5) of the Act, we give in **Annexure C** a statement on the directions issued under the aforesaid section by the Comptroller and Auditor General of India.
- 12. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
 - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
 - d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;
 - e) As the Company is a Government Company, accordingly section 164(2) of the Act is not applicable to it as per Notification no. GSR 463 (E) dated June 5, 2015.
 - f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure A; and
 - g) With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us:
 - (i) The Company has disclosed the impact of pending litigations as at March 31, 2016 on its financial position in its financial statements Refer Note 29;
 - (ii) The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts as at March 31, 2016; and
 - (iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company during the year ended March 31, 2016.

Reasons for Revision

13. This audit report is revised in consideration with the comments under supplementary audit under section 143(6) of the Companies Act, 2013. In this report we have made certain corrections as required including one additional point under para 9(e) above, This revision is of the earlier audit report issued by us dated July 8, 2016.

For S. K. Patodia & Associates Chartered Accountants Firm Registration Number: 112723W

Arun Poddar Partner

Membership Number: 134572

Place: Mumbai

Date: August 24, 2016

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक क में संदर्भित

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षों की रिपोर्ट के 12 (छ) में संदर्भित अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 3 का खण्ड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट ।

1. हमने इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च, 2016 के वित्तीय रिपोर्टिंग पर उस तारीख को समाप्त कंपनी का वित्तीय विवरण को आंतरिक सहयोग से लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. कंपनी द्वारा स्थापित मापदंडो का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का परिचालन प्रबन्धन का दायित्व है आतंरिक नियंत्रण जो मार्गदर्शन के नोट में सूचित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक लेख परीक्षा का आंतरिक नियंत्रण इनस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटस ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी इन दायित्वों में डिजाईन कार्यान्वयन एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिचालन प्रभावित रूप से प्रचालित है। जिसमें कुशल निर्वहण व्यापार को सुनिश्चित करना कंपनी की सशक्त नीति परिसंपत्तियों की सुरक्षा धोखा को पहचानना एवं लेखा अभिलेखों की संपूर्णता एवं सप्टता तथा समय पर विश्वस्तरीय वित्तीय सूचना तैयार करना, अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- 3. हमारी लेखा परीक्षा कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर राय अभिव्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर (मार्गदर्शन नोट) के आधार पर लेखा परीक्षा की अधिनियम की निर्धारित मानक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निहित है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्र लेखा परीक्षा के लिए लागू है तथा दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू है तथा दोनों इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकांऊटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किया गया। उस मानक एवं मार्गदर्शन नोट अपेक्षित हैं, जिसको हम अपेक्षित नीतियों के साथ जोड़कर लेखा परीक्षा करते है वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतिरक वित्तीय नियंत्रण का पर्याप्त उचित एवं पर्याप्त आश्वासन स्थापित और अनुरक्षित होना है एवं यदि ऐसे नियंत्रण प्रभावित रुप से सभी पर प्रचालित होता है।
- 4. हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपार्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरणों का सही लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य निष्पादन करनेवाली प्रक्रियाएं शामिल होती है। हमारे लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में जोखिम को पहचानना डिजाइन का मुल्यांकन एवं परिचालन का प्रभाव जोखिम निर्धारण पर आधारित है। लेखा परीक्षा के विवेचन पर प्रक्रिया आधारित है जिसमें वित्तीय विवरणों में गलत विवरण जिनमें धोखाधड़ी, यदि हो सम्मिलित हैं।
- 5. हमें विश्वास है कि लेखा साक्ष्य में जो प्राप्त हुये वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

- 6. कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरण तैयार करने के बारे में वास्तविकता के बारे में उचित विकास दिलाने तथा बाहय प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरण सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के लिए एकं निर्मित प्रक्रिया है। कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं निहित जिसमें अभिलेखों का अनुरक्षण उचित विवरण जिसमें कंपनी की आस्तियाँ, लेन देन एवं निपटान की वास्तविकता एवं स्वच्छता को प्रतिबिंबित करता है।
- 2. सामान्यत : स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुसार लेन देन की तैयारी के लिए अभिलेखों पर उचित विश्वास दिलाना जो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक है तथा ऐसे वसूली एवं व्यय कंपनी का प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकृत के अनुसार बनाये।
- 3. कंपनी की परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण पर प्रभावित होने के कारण अनधिकृत अधिग्रहण इस्तेमाल या निपटान सही समय पर पहचानना एवं निवारण पर उचित विश्वास उपलब्ध कराएं।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Annexure A to Revised Independent Auditors' Report

Referred to in paragraph 12(f) of the Revised Independent Auditors' Report of even date to the members of Indian Rare Earths Limited on the financial statements for the year ended March 31, 2016.

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Act

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting of Indian Rare Earths Limited ("the Company") as of March 31, 2016 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

2. The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

- 3. Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") and the Standards on Auditing deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and both issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.
- 4. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness, Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.
- 5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

6. A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



विवरण

क

- 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के 12(छ) में संदर्भित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अन्तर्निहित सीमाएं।
- 7. अन्तर्निहित सीमाओं के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में मिलिभगत या नियंत्रण का अनुचित प्रबन्धन अभिभूत त्रुटियां धोखा के कारण सामग्री का गलत विवरण देना जिसे पहचान नहीं सके। इसके अतिरिक्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतिरक वित्तीय नियंत्रण आगे अविध के लिए किसी मूल्यांकन को प्रकट करने में जोखिम की संभावना है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतिरक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त होगा तथा स्थिति में परिवर्तन होगा या नीति के साथ अनुपालन का उद्देश्य या प्रक्रिया विगड सकता है।

राय

8. हमारे राय में कंपनी सभी विषयों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में पर्याप्त है और एसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2016 को प्रभावकारी परिचालित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कंपनी ने अत्यावश्यक वस्तुओं पर ध्यान देते हुए एक सिद्धांत स्थापित किया। जो इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का मार्गदर्शन नोट का ध्यानपूर्वक अनुपालन करते हैं।

कृते एस.के. पटोदिया एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखापाल

> अरुण पोद्दार भागीदार सदस्य संख्या 134572

स्थान : मुंबई

दिनांक : 24 अगस्त 2016

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

A 12(f) of the Revised Independent Auditors' Report of even date to the Of Indian Rare Earths Limited on the financial statements for the year ended March 31, 2016.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

8. In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2016, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For S. K. Patodia & Associates Chartered Accountants Firm Registration Number: 112723W

Arun Poddar Partner

Membership Number: 134572

Place: Mumbai

Date: August 24, 2016

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

- (i) (क) कंपनी सामान्य रूप से परिमात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित अचल परिसंपत्तियों पर पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेखों को बनाए रख रही है।
 - (ख) प्रबन्धन द्वारा प्रधान कार्यालय को छोड़कर वर्ष में कंपनी सभी स्थानों के अचल संपत्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है। उस सत्यापन में पाये गये विसंगतियाँ महत्वपूर्ण नहीं है और लेखा बही में उचित रूप से समयोजित किया गया परन्तु वर्ष के अंत में एमके यूनिट में विल मूल्य 3.09 लाख (सकल मूल्य 21.31 लाख) जो लेखा बही में समायोजित नहीं किया गया है। हमारे राय में सत्यापन की आवृत्ति उचित है।
 - (ग) अचल संपत्तियों का हक यथा अचल परिसंपत्ति पर टिप्पणी 9 क में प्रकटित वित्तीय विवरण कंपनी के नाम पर है, कुछ संपत्तियाँ जो विभिन्न स्थलों में स्थित है जैसे वित्तीय विवरण में टिप्पणी 9 क एवं 9 ख में सूचित अचल संपत्तियों का सकल ब्लाक मूल्य 136.02 लाख है। मुंबई में स्थित भवन कंपनी के नाम पर स्थानांतिरत करना है। उपर्युक्त का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	अचल संपत्ति प्रकृति/विवरण	पट्टा/पूर्ण स्वामित्व	सकल ब्लाक लाखों में	नेट ब्लाक लाखो में
1.	निर्मित	पूर्ण स्वामित्व	53.43	25.46
2.	भूमि	पट्टे पर	64.91	2.61
3.	भूमि	पूर्ण स्वामित्व	17.68	17.68

- (ii) वर्ष में प्रबन्धन द्वारा इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन उचित आवृत्ति में किया गया है। बही अभिलेख की तुलना में इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन में पाये गये विसंगतियाँ महत्वपूर्ण नहीं है तथा लेखा बही में उचित रूप से समायोजित किया गया है।
- (iii) कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सिम्मिलित कंपनियों, प्रतिष्ठानों सीमित दायित्व भागीदारियों अथवा अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है । अत : उक्त आदेश की शर्त 3(iii), (iii)(a). (iii)(b) and (iii)(c) के प्रावधान कंपनी को लाग नहीं होते हैं ।
- (iv) हमारी राय में तथा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋण एवं निवेश एवं दी गयी गारंटी एवं सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 की प्रावधानों का अनुपालन किया।
- (v) कंपनी ने अधिनियम की धाराओं 73,74, 75 एवं 76 तथा इसके तहत अधिसूचित सीमा तक निर्मित नियमों के अर्थ के अंदर जनता से कोई जमा स्वीकर नहीं किया है।
- (vi) भारत की केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार, कंपनी अपने उत्पादों के संबंध में लागत अभिलेखों का अनुरक्षण अपेक्षित है, जो अधिनियम की धारा 148(1) के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। हमने उसकी व्यापक समीक्षा की तथा उन पर राय है कि प्रथम दृष्टि में निर्धारित लेखाओं एवं अभिलेखों को निर्मित किया गया है एवं बनाए रखा है। तथापि हमने इस दृष्टि से अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है कि क्या वे सटीक अथवा पूर्ण हैं।
- (vii) (क) हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार हमारी राय में कंपनी सामान्यतया उचित प्राधिकरणों के साथ यथा प्रयोज्य भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर एवं अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों सहित सभी निर्विवादित सांविधिक देयों को जमा करने में नियमित है। 31 मार्च 2016 को के अनुसार देय तिथि से छ : माह से अधिक की अविध के लिए बकाया सांविधिक देयों के बकाया की सीमा इस प्रकार है :

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Annexure B to Revised Independent Auditors' Report

Referred to in paragraph 10 of the Revised Independent Auditors Report of even date to the members of Indian Rare Earths Limited on the financial statement as of and for the year ended March 31, 2016.

- I. (a) The Company is generally maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
 - (b) The fixed assets of the Company have been physically verified by the Management during the year at all locations except at the Head Office. The discrepancies noticed on such verification were not material and have been properly dealt with in the books of account except discrepancies notices at MK Unit having net value as at year end ₹ 3.09 Lakhs (Gross value ₹ 212.31 Lakhs), which have not been adjusted in the books of account. In our opinion, the frequency of verification is reasonable.
 - (c) The title deeds of immovable properties, as disclosed in Note 9A on fixed assets to the financial statements, are held in the name of the Company, except for certain properties as disclosed in Note 9A and 9B on fixed assets to the financial statements having gross block value of ₹ 136.02 Lakhs situated at different locations. Building situated at Mumbai is yet to be transferred in the name of the Company. Details of the same are given as follows:

Sr. No.	Nature of Immovable Property	Whether leasehold/freehold	Gross block (₹ in Lakhs)	Net block (₹ in Lakhs)
1.	Building	Freehold	53.43	25.46
2.	Lands	Leasehold	64.91	2.61
3.	Lands	Freehold	17.68	17.68

- ii. The physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the Management during the year. The discrepancies noticed on physical verification of inventory as compared to book records were not material and have been appropriately dealt with in the books of account.
- iii. The Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Act. Therefore, the provisions of Clause 3(iii), (iii)(a), (iii)(b) and (iii)(c) of the said Order are not applicable to the Company.
- iv. In our opinion, and according to the information and explanations given to us, the Company has complied with the provisions of Section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 in respect of the loans and investments made, and guarantees and security provided by it.
- v. The Company has not accepted any deposits from the public within the meaning of Sections 73, 74 75 and 76 of the Act and the Rules framed there under to the extent notified.
- vi. Pursuant to the rules made by the Central Government of India, the Company is required to maintain cost records as specified under Section 148(1) of the Act in respect of its products. We have broadly reviewed the same, and are of the opinion that, prima facie, the prescribed accounts and records have been made and maintained. We have not, however, made a detailed examination of the records with a view to determine whether they are accurate or complete.
- Vii. (a) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, in our opinion, the Company is generally regular in depositing undisputed statutory dues, including provident fund, employees' state insurance, incometax, sales-tax, service-tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other statutory dues, as applicable, with the appropriate authorities. The extent of the arrears of statutory dues outstanding as at March 31, 2016, for a period of more than six months from the date they became payable are as follows.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



(31 मार्च 2016 के अनुसार एवं को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के सदस्यों के प्रति उसी तारीख की संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 10 में संदर्भित)

संविधि का नाम	देयों का नाम	धनराशि (रु. लाखों में)	अवधि जिससे संबंधित है।
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एवं उड़ीसा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	केन्द्रीय बिक्री कर मूल्य संवर्धित कर एवं ब्याज	163.61	01 मार्च 2011 से 31 मार्च, 2016
उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम 1999	प्रवेश कर एवं ब्याज	8.51	01 मार्च 2011 से 31 मार्च 2016 तक

हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार आय कर, एवं सीमा शुल्क शेष नहीं है जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है। 31 मार्च 2016 को के अनुसार बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर एवं उपकर के देयों जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, का विवरण इस प्रकार है:

संविधि का नाम	देयों का नाम	धनराशि (रु. लाखों में)	अवधि जिससे संबंधित है।	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क एवं ब्याज	9,789.57	अक्तूबर, 2005 से मार्च, 2016	सीमा, उत्पाद एवं सेवा कर अपील सेवा कप अपील न्यायाधिकरण सीईएसटीएटी, बंगलूर
केरल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	आईपीटी की अनुमति नहीं दी गयी	8.13	2013-14	वाणिज्यिक कर, विशेष सर्किल, कोल्लम
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर पर मांग (ब्याज एवं पेनाल्टी अन्तर्विष्ट)	58.83	2005-06 से 2009-10	आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद, सीमा एवं सेवा कर, कोची
केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	सीईएसटीएटी मामलें	986.00	1996-97 से 1998-99	सीईएसटीएटी
केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम,1944	परिनिर्धारित क्षति पर सेवा कर (ब्याज एवं पेनाल्टी अन्तर्विष्ट)	2.84	2012-13 एवं 2013-14	आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद, सीमा एवं सेवा कर, कोची
वित्त अधिनियम, 1994	कार्गो हैंडलिंग सेवाओ पर सेवा कर	10.32	2005-06 से 2011-12	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्तालय, तिरूनल्वेली, तमिलनाडु
खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957	छूट पर अंतर रॉयल्टी हेतु दावा-एमके	2.00	2002-03	सहायक निदेशक, भूविज्ञान एवं खनन कार्यालय, नागरकोईल, तमिलनाडु
खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957	रॉयल्टी की अंतर धनराशि हेतु दावा एमके	66.75	2005-06	उप निदेशक, भूविज्ञान एवं खनन कार्यालय, नागरकाईल, तमिलनाडु
स्थानीय बिक्री कर अधिनियम, तमिलनाडु	निविष्टि कर जमा का प्रतिवर्ती के लिए दावा	41.71	2006-07 से	वाणिज्यिक कर अधिकारी, तक्कालय, तमिलनाडु

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Name of the Statute	Nature of the dues	Amount in Lakhs	Period to which the amount relates
Central Sales Tax Act, 1956	Central Sales Tax,	163.61	March 01, 2011 to
and Orissa Value Added	Value Added Tax		March 31, 2016
Tax Act, 2004	and Interest		
Orissa Entry Tax Act, 1999	Entry tax and	8.51	March 01, 2011
	interest		to March 31, 2016

(b) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, there are no dues of income-tax, and duty of custom which have not been deposited on account of any dispute. The particulars of dues of sales-tax, service-tax, duty of excise, value added tax and cess as at March 31, 2016 which have not been deposited on account of a dispute, are as follows:

Name of the Statute	Nature of the dues	Amount (₹ in Lakhs) *	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Central Excise Act, 1944	Excise duty and interest	9,789.57	October 2005 to March 2016	Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal CESTAT , Bangalore
Kerala Value Added Tax Act, 2003	IPT Disallowed	8.13	2013-14	Commercial Taxes, Special Circle, Kollam
The Finance Act, 1994	Demand on Service Tax (including interest and penalty	58.83	2005-06 to 2009-10	Commissioner (A), Central Excise, Customs and Service Tax, Kochi
Central Excise Act, 1944	CESTAT Cases	986.00	1996-97 to 1998-99	CESTAT
Central Excise Act, 1944	Service tax on liquidated damages (including interest & Penalty	2.84	2012-13 and 2013-14	Commissioner (A), Central Excise, Customs and Service Tax, Kochi
The Finance Act, 1994	Service Tax on Cargo Handling	10.32	2005-06 to 2011-12	Central Excise Commissionerate, Tirunelveli, Tamil Nadu.
Mines and Minerals (Development and Regulation Act, 1957	Claim for differential royalty on rebate - MK	2.00	2002-03	Asst. Director of Geology & Mining Collectorate, Nagercoil Tamil Nadu.
Mines and Minerals (Development and Regulation Act, 1957	Claim for differential amount of royalty MK	66.75	2005-06	Deputy Director of Geology & Mining Collectorate, Nagercoil, Tamil Nadu.
Local Sales Tax Acts, Tamil Nadu	Claims for reversal of Input Tax Credit	41.71	2006-07 to	Commercial Tax Officer, Thuckalay, Tamil Nadu.
		42		

42

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



संविधि का नाम	देयों का नाम	धनराशि (रु. लाखों में)	अवधि जिससे संबंधित है।	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	ब्याज एवं पेनाल्टी सम्मिलित उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना माल निकासी किया गया।	3,236.62	मार्च, 2011 से मार्च 2012	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, तिरूनल्वेली
केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	ब्याज एवं पेनाल्टी सम्मिलित उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना माल निकासी किया गया।	904.39	जून, 2014 से दिसम्बर 2014	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, तिरूनल्वेली
केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	ब्याज एवं पेनाल्टी सम्मिलित उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना माल निकासी किया गया।	855.91	जनवरी 2015 से जून 2015	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, आयुक्त, तिरूनल्वेली
केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	उत्पाद कर एवं ब्याज	4,749.29	2010-11 से 2015-2016	केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर न्यायाधिकरण, कोलकाता
कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रवधान अधिनियम, 1952	भविष्यनिधि प्रेषण में विलंब हेतु नुकसान	5.68	1997 से 2006	विभिन्न प्राधिकरण
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	केन्द्रीय बिक्री कर	21.13	1980-81 से 1998-99	विभिन्न अपीलेट प्राधिकरण
उड़ीस प्रवेश कर अधिनियम, 1999	दावा किए गए प्रवेश कर के सेट ऑफ की अनुमति नहीं देना	73.72	1999-2000 से अक्तूबर 31, 2007	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम, 1999	दावा किए गए प्रवेश कर के सेट ऑफ की अनुमति नहीं देना	211.15	अप्रैल 01, 2007 से जुलाई 31, 2013	अतिरिक्त आयुक्त (अपील)
उड़ीसा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	राज्य बिक्री कर	19.70	1989-1990 से 2001-02	विभिन्न अपीलेट प्राधिकरण
खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957	किराया, उपकर एवं उन पर ब्याज	53.32	1976-2011	खनन अधिकारी, गंजाम सर्किल, ब्रहपुर, ओडिशा
आय कर अधिनियम,1961	आय कर	532.91	एवाई 2010-11	आय कर आयुक्त (अपील)-2, मुंबई

^{*} निवल राशि अभ्यापित के अधीन अदायगी किया गया।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Name of the Statute	Nature of the dues	Amount (₹ in Lakhs) *	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Central Excise Act, 1944	Goods cleared without payment of Excise Duty Includes Interest & Penalty	3,236.62	March 2011 to March 2012	Commissioner of Central Excise, Tirunelvelli
Central Excise Act, 1944	Goods cleared without payment of Excise Duty-Includes Interest & Penalty	904.39	June 2014 to December 2014	Commissioner of Central Excise, Tirunelvelli
Central Excise Act, 1944	Goods cleared without payment of Excise Duty- Includes Interest & Penalty	855.91	January 2015 to June 2015	Commissioner of Central Excise, Tirunelvelli
Central Excise Act, 1944	Excise duty and Interest	4,749.29	2010-11 to 2015-16	Central excise & Service tax Tribunal, Kolkata
The Employees' Provident Funds And Miscellaneous	Damage for delayed in remittance of Provident fund	5.68	1997 to 2006	Various Authorities
Central Sales Tax Act, 1956	Central Sales Tax	21.13	1980-81 to 1998- 99	Various Appellate Authorities
Orissa Entry Tax Act, 1999	Disallowance of Setoff of Entry Tax claimed	73.72	1999-2000 to October 31 2007	High Court of Orissa
Orissa Entry Tax Act, 1999	Disallowance of Setoff of Entry Tax claimed	211.15	April 01, 2007 to July 31, 2013	Additional Commissioner (Appeal)
Orissa Value Added Tax Act, 2004	State Sales Tax	19.70	1989-1990 to 2001-02	Various Appellate Authorities
Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957	Rent, Cess and interest thereon	53.32	1976-2011	Mining Officer Ganjam Circle Berhampur, Orissa
Income Tax Act, 1961	Income Tax	532.91	AY 2010-11	The Commissioner of Income Tax (Appeals)-2, Mumbai

^{*} Net of amount paid under protest.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- viii. हमारे द्वारा जांचे गये कंपनी के अभिलेखों तथा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी बैंक के उधार एवं ऋण देयों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है। कंपनी को किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा सरकार से किसी भी प्रकार के उधार या ऋण नहीं हैं, तथा तुलन पत्र तिथि में यह कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है।
- ix. कंपनी ने कोई प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (कर्च लिखत सम्मिलित) एवं सावधि ऋण के माध्यम से मुद्रा नहीं लिया है। तदनुसार आदेश की शर्त 3(ix) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है।
- भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रचलनों के अनुसार की गयी कंपनी की बिहयों एवं अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान तथा हमें दी गयी जानाकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमें वर्ष के दौरान न तो हमें कंपनी में अथवा कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की किसी घटना की सूचना अथवा रिपोर्ट का पता चला है और न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गयी है ।
- xi. कंपनी सरकार कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान इसे लागू नहीं है, आदेश की शर्त 3(xii) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है।
- xii. कंपनी निधि कंपनी नहीं है तथा निधि नियम, 2014 उसे लागू नहीं है, आदेश की शर्त 3(xii) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है।
- xiii. कंपनी ने अधिनियम की धाराएं 177 एवं 188 का अनुपालन करते हुए संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन में प्रवेश की। संबंधित पक्षकारों के लेन-देन वित्तीय विवरण में प्रकट की, जो लेखा मानक (एएस) 18 के अंतर्गत अपेक्षित है, "संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण" अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विशेष रूप से उल्लेखित है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ना है।
- xiv. कंपनी ने समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान कुछ भी अधिमानी आबंटन या निजी तौर पर शेयर आबंटन या पूर्णत : या आंशिक संपरिवर्तनीय डिबेंचर नहीं की है, तदनुसार आदेश की शर्त 3(xiv) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है।
- xv. कंपनी ने अपने निदेशको के साथ या उनसे संबंधित व्यक्ति के साथ किसी भी नकदीतर लेन-देन में प्रवेश नहीं की है। तदनुसार आदेश की शर्त 3(xv) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है।
- xvi. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत कंपनी पंजीकृत करना, अपेक्षित नहीं है। तदनुसार आदेश की शर्त 3(xvi) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है।

कृते एस. के. पटोदिया एंड एसोशिएट्स

सनदी लेखापाल

फर्म पंजीकरण संख्या : 112723 डब्ल्यू

अरुण पोद्दार भागीदार

सदस्यता संख्या : 134572

स्थान : मुंबई

तिथि: 24 अगस्त. 2016

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



(Rs. in Lakhs)

- viii. According to the records of the Company examined by us and the information and explanation given to us, the Company has not defaulted in repayment of loans or borrowings to any bank. The Company does not have any loans or borrowings from financial institution or Government, nor has it issued any debentures as at the balance sheet date.
- ix. The Company has not raised any moneys by way of initial public offer, further public offer (including debt instruments) and term loans. Accordingly, the provisions of Clause 3(ix) of the Order are not applicable to the Company.
- x. During the course of our examination of the books and records of the Company, carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India, and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any instance of material fraud by the Company or on the Company by its Officers or employees, noticed or reported during the year, nor have we been informed of any such case by the Management.
- xi. As the Company is a Government Company, provisions of Section 197 of the Act are not applicable to it, the provisions of Clause 3(xii) of the Order are not applicable to the Company.
- xii. As the Company is not Nidhi Company and the Nidhi Rules, 2014 are not applicable to it, the provisions of Clause 3(xii) of the Order are not applicable to the Company.
- xiii. The Company has entered into transactions with related parties in compliance with the provisions of Sections 177 and 188 of the Act. The details of such related party transactions have been disclosed in the financial statements as required under the Accounting Standard (AS) 18, "Related Party Disclosures" specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- xiv. The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of Clause 3(xiv) of the Order are not applicable to the Company.
- xv. The Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with him. Accordingly, the provisions of Clause 3(xv) of the Order are not applicable to the Company.
- xvi. The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, the provisions of Clause 3(xvi) of the Order are not applicable to the Company.

For S. K. Patodia & Associates Chartered Accountants Firm Registration Number: 112723W

Arun Poddar
Partner
Momborship Number

Membership Number: 134572

Place: Mumbai

Date: August 24, 2016

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षको की रिपोर्ट का अनुलग्नक

31 मार्च, 2016 के अनुसार एवं को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के सदस्यों के प्रति उसी तारीख की संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 11 में संदर्भित

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पर इंडियान रेअर अर्थ्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत रिपोर्ट

1. क्या कंपनी का स्पष्ट हक क्रमश : पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टा भूमि के लिए पट्टा विलेख है। यदि नहीं तो पूर्ण स्वामित्व का क्षेत्र एवं पट्टा भूमि क्षेत्र में किसका हक/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं तो कृपया विवरण दें।

निम्नलिखित को छोड़कर क्रमश : कंपनी को स्पष्ट हक/पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टा भूमि है।

विवरण	क्षेत्र
कंपनी के ऑसकॉम इकाई में पूर्ण स्वामित्व भूमि - उसका हक कंपनी के पक्ष में नहीं है।	116.099 एकड़
कंपनी के ऑसकॉम इकाई में पट्टा भूमि - उसका विलेख कंपनी के पक्ष में नहीं है।	244.436 एकड़
कंपनी के चवरा इकाई में पूर्ण स्वामित्व भूमि - जिसका हक कंपनी के पक्ष में है, जहाँ अन्य द्वारा	130 सेंट
अतिक्रमण किया गया।	

2. क्या कुछ अधित्याग/कर्ज बट्टे खाते में डालना/ऋण/ब्याज आदि मामला है। यदि हाँ तो उसका कारण एवं निहित राशि।

लेनदार के अग्रिम के संबंध में रू. 1847 बट्टे खाते में डाल दिया, राशि की वसूली के लिए कई प्रयत्न करने पर भी लेन-देन बहुत पुराना होने के कारण कुछ प्रगति नहीं है।

3. क्या भारत सरकार या अन्य प्राधिकरण से दान/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्ति एवं अन्य पक्षकारों के इन्वेंटरी के लिए उपयुक्त रिकार्ड रखा जाता है।

प्रबंधन की सूचना के अनुसार कंपनी अन्य पक्षकारों के उपर्युक्त रिकार्ड रखती है, कंपनी भारत सरकार या अन्य प्राधिकरण से दान/अनुदान के रूप में कुछ भी परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की है।

कृते एस.के. पटोदिया एंड एसोशिएट्स

सनदी लेखापाल

फर्म पंजीकरण संख्या : 112723 डब्ल्यू

अरुण पोद्दार भागीदार

सदस्यता संख्या : 134572

स्थान : मुंबई

तिथि: 24 अगस्त, 2016

INDIAN RARE FARTHS LIMITED



Annexure C to Revised Independent Auditors' Report

Report under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 in respect of INDIAN RARE EARTHS LIMITED on the Accounts for the year ended 31 st March, 2016.

1. Whether the Company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not, please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available.

The Company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold land respectively except as stated below:

Particulars	Area
Freehold Land at OSCOM unit of the Company - Title of the same is not in favour of the Company	116.099 Acre
Leasehold Land at OSCOM unit of the Company - Deed of the same is not in favour of the Company	244.436 Acre
Freehold Land at Chavara unit of the Company - Title of the same is in favour of the Company whereas the same has been encroached by others	130 Cents

- 2. Whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. If yes, the reasons thereof and amount involved.
 - ₹ 1,847 written off towards advances to creditors as despite several attempts to recover the amount, no progress could be made as the transactions are very old.
- 3. Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift/ grant(s) from the Government or other authorities.

The Company is maintaining proper records for inventories lying with third parties and as informed by the management, the Company has not received any assets as grants/ gifts from the Government or other authorities.

For S. K. Patodia & Associates Chartered Accountants Firm Registration Number: 112723W

Arun Poddar Partner

Membership Number: 134572

Place: Mumbai Date: August 24, 2016

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



<u>31 मार्च 2016 का तुलन पत्र</u>

रु. लाख में

1 1.0	इक्विटी एवं देयताएं शेअरधारकों की निधियाँ		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
1.0	शेअरधारकों की निधियाँ			
	क) शेअर पूंजी	2	8,636.50	8,636.50
	ख) आरक्षित एवं अधिशेष	3	54,604.04	65,054.86
	योग		63,240.54	73,691.36
2.0	गैर-वर्तमान देयताएं			
	क) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	4	5,215.63	5,365.78
	ख) दीर्घकालिक प्रावधान	5	9,951.29	9,892.93
	योग		15,166.92	15,258.71
3.0	वर्तमान देयताएं			
	क) देय ट्रेड	6	2,010.00	1,624.24
	ख) अन्य वर्तमान देयताएं	7	7,720.17	7,407.10
	ग) अल्पकालिक देयताएं	8	11,513.41	11,392.90
	योग		21,243.58	20,424.24
	योग		99,651.04	109,374.31
II	परिसंपत्तियाँ			
1.0	गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
	क) अचल संपत्तियाँ			
	i) मूर्त परिसंपत्तियाँ	9	24,074.26	14,089.70
	ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	9	359.50	486.80
	iii) प्रगामी पूंजी कार्य	9	2,983.44	13,182.04
	योग		27,417.20	27,758.54
	ख) गैर वर्तमान निवेश	10	1.42	1.42
	ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	11	5,892.51	5,580.08
	घ) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	12	8,848.60	7,396.96
	ङ) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ	13	0.00	0.00
	योग		14,742.53	12,978.46
2.0	 वर्तमान परिसंपत्तियाँ			1_,010110
	i) वस्तुसूचियाँ	14	12,797.38	13,473.01
	ii) प्राप्य ट्रेड	15	1,070.39	2,667.18
	ii) नकदी एवं बैंक जमाशेष	16	32,102.39	40,557.78
	iii) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	17	10,341.99	10,319.85
	iv) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों	18	1,179.16	1,619.49
	योग		57,491.31	68,637.31
	योग		99,651.04	109,374.31
112 = min	लेखांकन नीतियों (नोट 1) एवं नोट्स (2-43) इन वित्तीय विवरणों का		33,031.07	100,017.01
~ ·	(लखाकन नातिया (नाट १) एवं नाट्स (2-43) इन वित्ताय विवरणा का भन्न अंग बनाते हैं ।	1 से 43		

उसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मण्डल/बोर्ड

एस.के पटोदिया एंड एशोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 112723डब्ल्यू

अरुण पोद्दार बी.आर. तरफदार राकेश तुमाने दिपेन्द्र सिंह कंपनी सचिव निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पार्टनर मुख्य वित्त अधिकारी

सदस्यता संख्या : 134572

मुंबई मुंबई,

दिनांकः 08 जुलाई 2016 दिनांक : 08 जुलाई 2016



BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2016

₹ in lakh

		1		
		Note	Year ended	Year ended
		no	31 st March,2016	31 st March,2015
l.	EQUITY & LIABILITIES			
1.0	Shareholders' Funds			
	a) Share Capital	2	8,636.50	8,636.50
	b) Reserves and Surplus	3	54,604.04	65,054.86
	Total		63,240.54	73,691.36
2.0	Non-Current Liabilities			
	a) Other long term liabilities	4	5,215.63	5,365.78
	b) Long term provisions	5	9,951.29	9,892.93
	Total		15,166.92	15,258.71
3.0	Current Liabilities			
	a) Trade payables	6	2,010.00	1,624.24
	b) Other current liabilities	7	7,720.17	7,407.10
	c) Short term provisions	8	11,513.41	11,392.90
	Total		21,243.58	20,424.24
	TOTAL		99,651.04	109,374.31
ı	ASSETS			
1.0	Non-Current Assets			
	a) Fixed Assets			
	i) Tangible assets	9	24,074.26	14,089.70
	ii) Intangible assets	9	359.50	486.80
	iii) Capital work-in-progress	9	2,983.44	13,182.04
	Total		27,417.20	27,758.54
	b) Non Current Investment	10	1.42	1.42
	c) Deferred Tax Asset (Net)	11	5,892.851	5,580.08
	d) Long Term Loans and Advances	12	8,848.60	7,396.96
	e) Other Non Current Assets	13	0.00	0.00
	Total		14,742.53	12,978.46
2.0	Current Assets			
	i) Inventories	14	12,797.38	13,473.01
	ii)Trade receivable	15	1,070.39	2,667.18
	iii) Cash and bank balances	16	32,102.39	40,557.78
	iv) Short term loans and advances	17	10,341.99	10,319.85
	v) Other current assets	18	1,179.16	1,619.49
	Total		57,491.31	68,637.31
	TOTAL		99,651.04	109,374.31
he Si	gnificant Accounting Policies (Note 1) and Notes			
	form integral part of these financial statements	1 to 43		
. ,			1	1

As per our report of even date attached

For and on behalf of the Board

S. K. PATODIA & ASSOCIATES Chartered Accountants Firm Registration No. 112723W

Firm Registration No. 112723W

Arun Poddar B.R. Tarafdar Rakesh Tumane
Partner Company Secretary Director (Finance) & CFO
M. No. 134572

D. Singh Chairman and Managing Director

Mumbai, Mumbai,

Dated 8th July, 2016 Dated 8th July, 2016

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

रु. लाख में

				रु. लाख म
क्र. सं.		नोट नं.	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
			समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
	राजस्व			
i	प्रचालनों से राजस्व (सकल)	19	36,352.15	42,351.12
	घटाएं : उत्पाद शुल्क		1,073.30	1,171.79
	प्रचालनों से राजस्व (शुद्ध)		35,278.85	41,179.33
ii	अन्य आय	20	3,896.72	5,169.29
iii	कुल राजस्व		39,175.57	46,348.62
iv	व्यय			
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	21	4,515.56	4,818.97
	तैयार माल, प्रगामी कार्य की वस्तुसूची में परिवर्तन	22	287.40	1,177.59
	कर्मचारी लाभ व्यय	23	21,998.83	20,930.28
	वित्त लागतें	24	540.61	522.04
	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	25	2,990.31	2,153.28
	अन्य व्यय	26	19,898.21	17,215.72
	कुल व्यय		50,230.92	46,817.88
v	पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध), अपवाद मदें, असाधारण मदें एवं			•
	कर पूर्व लाभ		(11,055.35)	(469.26)
vii	पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	27	68.12	, 76.77
vii	अपवाद मदों, असाधरण मदों एवं कर पूर्व लाभ		(11,123.47)	(546.03)
viii	अपवाद मदें	27	0.00	0.00
ix	असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ		(11,123.47)	(546.03)
х	असाधारण मदें	27	0.00	(860.76)
xi	कर पूर्व लाभ		(11,123.47)	314.73
xii	कर व्यय	28		
	क) वर्तमान कर		(360.22)	819.24
	ख) आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)		(312.43)	(571.39)
	वर्ष के लिए लाभ		(10,450.82)	66.88
अर्जन प्रति इक्विटी शेअर रु. में - मूल (असाधारण मदों से पूर्व)			(1,210.08)	(58.05)
	ति इक्विटी शेअर रु. में - तनुकृत (असाधारण मदों से पूर्व)	40	(1,210.08)	(58.05)
	ति इक्विटी शेअर रु. में - मूल (असाधारण मदों के पश्चात)		(1,210.08)	7.74
	ति इक्विटी शेअर रु. में - तनुकृत (असाधारण मदों के पश्चात)		(1,210.08)	7.74
	ल्य प्रति इक्विटी शेअर रु. में		1,000.00	1,000.00
C.	लेखांकन नीतियाँ (नोट 1) एवं नोट्स (2-43) इन वित्तीय विवरणों का			,
٠,٠	भेन्न अंग बनाते है ।	1 से 43		

उसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मण्डल/बोर्ड

एस.के पटोदिया एंड एशोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 112723डब्त्यू

अरुण पोद्दार वी.आर. तरफदार राकेश तुमाने दिपेन्द्र सिंह भागीदार कंपनी सचिव निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सदस्यता संख्या : 134572 मुख्य वित्त अधिकारी

बई, मुंबई

दिनांक : 08 जुलाई 2016 दिनांक : 08 जुलाई 2016



STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

₹ in lakh

	T		T		
		Note	Year ended	Year ended	
		No	31 st March,2016	31 st March,2015	
	REVENUE				
ı	Revenue from operations (Gross)	19	36,352.15	42,351.12	
	Less: Excise Duty		1,073.30	1,171.79	
	Revenue from operations (Net)		35,278.85	41,179.33	
II	Other income	20	3,896.72	5,169.29	
Ш	TOTAL REVENUE		39,175.57	46,348.6	
IV	EXPENSES				
	Cost of material consumed	21	4,515.56	4,818.9	
	Changes in inventories of finished goods,				
	work-in-progress	22	287.40	1,177.5	
	Employee benefits expense	23	21,998.83	20,930.2	
	Finance costs	24	540.61	522.0	
	Depreciation and amortization expenses	25	2,990.31	2,153.2	
	Other expenses	26	19,898.21	17,215.7	
	TOTAL EXPENSES	!			
V	Profit before prior period adjustments (net),				
	exceptional items, extraordinary items and tax		(11,055.35)	(469.26	
VI	Prior period adjustments (Net)	27	68.12	76.7	
VII	Profit before exceptional items,				
	extraordinary items and tax		(11,123.47)	(546.03	
VIII	Exceptional items	27	0.00	0.0	
IX	Profit before extraordinary items and tax		(11,123.47)	(546.03	
Χ	Extraordinary items	27	0.00	(860.76	
ΧI	Profit Before Tax		(11,123.47)	314.7	
XII	Tax expenses	28	0.00	0.0	
	a) Current tax		(360.22)	819.2	
	b) Deferred tax asset/(liability)		(312.43)	(571.39	
	PROFIT FOR THE PERIOD		(10,450.82)	66.8	
Earnings	Per Equity Share in ₹ - Basic (before extraordinary items)		(1,210.08)	(58.05	
Earnings	Per Equity Share in ₹ - Diluted (before extraordinary items)		(1,210.08)	(58.05	
•	Per Equity Share in ₹ - Basic (after extraordinary items)	40	(1,210.08)	7.7	
•	Per Equity Share in ₹ - Diluted (after extraordinary items)		(1,210.08)	7.7	
•	alue per Equity Share in ₹		1,000.00	1,000.0	
	ifficant Accounting Policies (Note 1) and Notes (2-45) form		.,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
•	part of these financial statements	1 to 43			

As per our report of even date attached

S. K. PATODIA & ASSOCIATES **Chartered Accountants**

Firm Registration No. 112723W

Arun Poddar **Partner** M. No. 134572

Mumbai, Dated 8th July, 2016 B.R.Tarafdar **Company Secretary** Rakesh Tumane Director (Finance) & CFO

For and on behalf of the Board of Directors

D. Singh Chairman and **Managing Director**

Mumbai,

Dated 8th July, 2016

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

	31	मार्च 2016 को सम	ाप्त वर्ष	31	मार्च 2015 को स ्	माप्त वर्ष
. प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह						
कर पूर्व लाभ		(11,123.47)			314.73	
के लिए समायोजन						
जोड़े : मूल्यहास	2,990.31			2,153.28		
व्याज व्यय	540.61			522.04		
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.94			0.21		
अचल भंडारों पर हानि	59.29			51.43		
भंडार वर्तमान परिसंपत्तियों/अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	0.08			7.35		
उत्पाद शुल्क हेतु प्रावधान	(1.95)			(653.85)		
सीएसआर हेतु प्रावधान	45.29			_		
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपदान (अंतरात्मक)	39.72			40.55		
उपदान निधि अंतर	(404.42)			(105.95)		
पूर्व अवधिमूल्यहास समायोजन	3.53			3.23		
पीआरपी प्रावधान	0.00			0.20		
वर्कमन के वेतन पुनरीक्षण हेतु वेतन प्रावधान	1,500.00			1,100.00		
ऋणों, परिसंपत्तियों एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान	1,894.77	6,668.17		13.97	3,132.26	
· ·	1,034.77	0,000.17		13.37	3,132.20	
घटाएं : अतिरिक्त प्रावधान आगे आवश्यक नही	80.85			194.78		
पीछे लिखित खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	3.20			31.28		
ब्याज आय	3,318.97			4,445.21		
म्यूचल फंड से लाभांश आय	178.21			299.90		
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	16.17	3,597.40		2.54	4,973.71	
क) कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालनीय लाभ		(8,052.70)			(1,526.72)	
ख) कार्यशील पूंजी में वृद्धि/(कमी)						
वस्तुसूची	616.32			334.85		
ट्रेड एवं अन्य प्राप्य	735.44			1,900.41		
देय ट्रेड एवं अन्य देयताएं	1,557.99	2,909.75		(1,500.68)	734.58	
ग) प्रचालन से उत्पन्न नकदी (क+ख)		(5,142.95)			(792.14)	
घ) प्रदत्तकर						
प्रत्यक्ष कर	(1,201.22)			(1,881.63)		
	, , , ,	(1,201.22)		(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(1,881.63)	
ड) प्रचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी			(6,344.17)			(2,673.77
. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह						
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	21.37			15.69		
सीडब्ल्यूआईपी सहित अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(2,658.66)			(2,937.12)		
सावधि जमा पर आय	5,603.39			8,242.93		
प्राप्त ब्याज	2,453.28			2,985.83		
म्यूच्अल फंड से लाभांश आय	178.21			299.90		
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी		5,597.59	5,597.59		8,607.23	8,607.2
ु . वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह						
प्रदत्त लाभांश	(2,078.98)			(2,020.85)		
प्रदत्त ब्याज प्रदत्त ब्याज	(26.44)			(522.04)		
मप्रा जाण	(20.44)	(2 105 42)		(322.04)	(2,542.89)	
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी		(2,105.42)	(2,105.42)		(2,542.09)	(2,542.89
किदी एवं नकदी तूल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)			(2,852.00)			3,390.5
किया एवं नकया तूल्य न राुछ प्राड्य (कना <i>)</i> किद एवं नकद तूल्य - वर्ष के प्रारंभ में		4,714.62	4,714.62		1,324.05	1,324.0
(T) 4 (T) 1 (T) 4	1	+,/14.02	7,714.02	i l	1,024.00	1,324.0

नोट 16(ख) के अनुसार नकद एवं नकद तूल्य में अन्य बैंक शेष सम्मिलित है।

उसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मण्डल/बोर्ड एस.के पटोदिया एंड एशोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 112723डब्ल्यू

अरुण पोद्दार बी.आर. तरफदार राकेश तुमाने दिपेन्द्र सिंह निदेशक (वैत्त) एवं पार्टनर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक कंपनी सचिव मुख्य वित्त अधिकारी

सदस्यता संख्या : 134572

मुंबई, मुंबई

दिनांक: 08 जुलाई 2016 दिनांक : 08 जुलाई 2016

48

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2016

₹ in Lakh

	₹ in Lakh						₹ in Lakh	
		Year er	nded 31st Marc	h 2016	Year ended 31st March 2015			
l.	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Profit before Tax		(11,123.47)			314.73		
	Adjustment for							
	Add: Depreciation	2,990.31			2,153.28			
	Interest expenses	540.61			522.04			
	Loss on sale of Fixed assets	0.94			0.21			
	Loss on Non Moving Stores	59.29			51.43			
	Write-off of Stores Current Assets/ Advances	0.08			7.35			
	Provision for Excise Duty	(1.95)			(653.85)			
	Provision for CSR Gratuity (Differentials) for retired employees	45.29 39.72			40.55			
	Gratuity (Differentials) for retired employees Gratuity Fund Gap	(404.42)			(105.95)			
	Prior-period Depreciation Adjustment	3.53			3.23			
	Performance Related Pay provision	3.33			5.25			
	Salary provision for pay revision of workmen	1,500.00			1,100.00			
	Provision for debts, assets and advances	1,894.77	6,668.17		13.97	3,132.26		
	Less: Excess Provision no longer required	80.85	0,000.17		194.78	0,102.20		
	Provision For Bad and Doubtful debts written back	3.20			31.28			
	Interest income	3,318.97			4,445.21			
	Dividend Income from Mutual Fund	178.21			299.90			
	Profit on sale of Fixed assets	16.17	3,597.40		2.54	4,973.71		
	A) Operating profit before working capital changes		(8,052.70)			(1,526.72)		
	B) Increase/ (Decrease) in working capital					,		
	Inventory	616.32			334.85			
	Trade and other receivables	735.44			1,900.41			
	Trade payables & Other liabilities	1,557.99	2,909.75		(1,500.68)	734.58		
	C) Cash Genererated from operation (A+B)		(5,142.95)			(792.14)		
	D) Taxes paid							
	Direct taxes	(1,201.22)			(1,881.63)			
			(1,201.22)			(1,881.63)		
	E) Net cash used in Operating activities			(6,344.17)			(2,673.77)	
II.	CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES	04.07			45.00			
	Sale of Fixed Assets	21.37			15.69			
	Purchase of Fixed Assets including CWIP	(2,658.66)			(2,937.12)			
	Receipt from Fixed deposits	5,603.39			8,242.93			
	Interest received Dividend Income from Mutual Fund	2,453.28 178.21			2,985.83 299.90			
	Net cash from investing activities	1/0.21	5,597.59	5,597.59	299.90	8,607.23	8,607.23	
l III.	CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES		3,397.39	3,391.39		0,007.23	0,007.23	
"".	Dividend paid	(2,078.98)			(2,020.85)			
	Interest paid	(26.44)			(522.04)			
	intoroot paid	(20.74)	(2,105.42)		(022.04)	(2,542.89)		
	Net cash used in financing activities		(=,:00:12)	(2,105.42)		(=,0 12.00)	(2,542.89)	
NE.	NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH			(=,::::::)			(=,= :=:=)	
	EQUIVALENTS			(2,852.00)			3,390.57	
	SH AND CASH EQUIVALENTS -			(,: -=)			.,	
1	at the beginning of the year*		4,714.62	4,714.62		1,324.05	1,324.05	
	SH AND CASH EQUIVALENTS -As at end of the year*		'	1,862.62		·	4,714.62	

^{*}Cash and cash equivalents excludes other bank balances as per Note 16(B).

As per our report of even date attached

For and on behalf of the Board of Directors

S. K. PATODIA & ASSOCIATES Chartered Accountants Firm Registration No. 112723W

Arun Poddar B.R.Tarafdar Rakesh Tumane D. Singh
Partner Company Secretary Director (Finance) & CFO Chairman and
M. No. 134572 Capacitan Managing Director

Mumbai, Mumbai,

Dated 8th July, 2016 Dated 8th July, 2016

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



नोट - 1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 (i) लेखांकन का आधार :

वित्तीय विवरणियां ऐतिहासिक लागत पद्धित के तहत तथा आमतौर पर भारत में मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उपचय आधार पर तैयार की गई है तथा यथा लागू अधिसूचित लेखा मानकों (ए एस) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुरूप है ।

(ii) आकलनों का इस्तेमाल :

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा है कि उन आकलनों और पूर्वानुभवों का सहारा लिया जाए जो वित्तीय विवरण की तिथि पर और रिपोर्टिंग अविध के दौरान राजस्व की सूचित राशि और व्ययों को प्रभावित करते हों। वास्तविक परिणामों और आकलनों के मध्य अंतर को उस अविध में जिसमें परिणामों की जानकारी हो / फलित हो, की पहचान हुई हो।

1.2 अचल परिसंपत्तियां - मूर्तः

(क)(i) मूर्त परिसंपत्तियों को शुद्ध वसूलीयोग्य करों में से संचित मूल्यहास/परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है । मूर्त परिसंपत्तियों की लागत में उनकी अर्जन लागत तथा परिसंपत्तियों को उनके आशातीत प्रयोग के लिए चालू दशा में लाने की लागत शामिल है ।

उपयोग हेतु रखे गए परिसंपत्तियों पर किए गए खर्च को तब ही उपयोग में लाया गया है जब वह ऐसी परिसंपत्तियों के पूर्व अनुमानित कार्यनिष्पादन के मानक से परे भावी लाभ में वृद्धि करता है जैसे कि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में विस्तार, इसकी क्षमता में वृद्धि, अथवा उसके परिणाम की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण सुधार अथवा पूर्व निर्धारित प्रचालनीय लागत में कमी ।

किसी परिसंपत्ति के लिए प्राप्त सब्सिडी/अंशदान को उनकी लागत से घटा दिया गया है । यदि सब्सिडी/अंशदान किसी परिसंपत्ति की लागत का 100% है तो नाममात्र मूल्य के रूप में रू. 1/- रखा जाता है ।

- (ii) स्विनर्मित मूर्त परिसंपत्तियों की लागत में विशिष्ट परिसंपत्तियों से सीधे संबंधित लागतें और वे लागतें सम्मिलित है जो सामान्य रूप से निर्माणकारी गतिविधि से संबद्ध होती है तथा विशिष्ट परिसंपत्ति को आबंटित की जा सकें ।
- (ख) वर्ष के दौरान अलग कर दी गई / निकाल दी गई आस्तियों के संबंध में निवल बही मूल्य या साल्वेज सिमित द्वारा यथा आकलित अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम है, बहियों में रखा जाता है । अलग कर दी गई / निकाल दी गई आस्तियों के निपटान के समय प्रतिधारित मूल्य के संदर्भ में लाभ / हानि को निपटान के वर्ष में समायोजित किया जाता है । तथापि, यदि इनमें से किसी भी आस्ति की उनके निकालने / अलग करने की तारीख से तीन वर्ष की अविध के भीतर निपटान नहीं किया जाता है तो जिस वर्ष में यह तीन वर्षीय कालखंड समाप्त हो जाता है उस वर्ष से प्रतिधारित मूल्य को पूर्णत: बट्टे खाते में डालकर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है ।
- (ग) कंपनी के स्वामित्व में नही आने वाली परिसंपत्तियों पर वहन किया गया व्यय ऐसे व्यय को वहन की गई लेखा अवधि में राजस्व से प्रभारित किया गया है ।
- (घ) खनन के लिए धारित भूमि में भूमि की लागत, पेड़ों की क्षतिपूर्ति एवं उस पर बनने वाले भवनों तथा शिफ्टिंग प्रभार के लिए भुगतान क्षतिपूर्ति, पंजीकरण प्रभार, स्टैंग डयूटी आदि का समावेश है जिसमें से वस्ली, यदि कोई हो, को घटा दिया जाता है ।



Note-1: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1.1 (i) Basis of Accounting:

The financial statements are prepared under historical cost convention and in accordance with the generally accepted accounting principles in India on an accrual basis and comply with provisions of the Companies Act 2013 and the notified Accounting Standards (AS) as applicable.

(ii) Use of Estimates:

The presentation of financial statements requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Differences between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known/materialized.

1.2 Fixed assets-Tangible:

a) (i) Tangible assets are stated at their historical cost net of recoverable taxes less accumulated depreciation / amortization and impairment loss, if any. The cost of tangible assets comprises of the acquisition cost and any attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use.

Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets beyond its previously assessed standard of performance e.g. an extension in the asset's useful life, an increase in its capacity, or a substantial improvement in the quality of the output or a reduction in previously assessed operating costs.

Subsidy/ contribution received for any asset is reduced from the cost thereof. In case subsidy/ contribution is 100% of the cost of any asset, Re. 1/- is retained as nominal value.

- (ii) The cost of self-constructed tangible assets comprises of the costs directly relating to the specific assets and those that are attributable to the construction activity in general and can be allocated to the specific asset.
- b) In respect of assets discarded/scrapped, the net book value or the estimated realizable value as assessed by the Salvage Committee, whichever is lower is retained in the books. At the time of disposal of the discarded/scrapped assets, the loss/gain with reference to the retained value is adjusted in the year of disposal. However, if any of these assets is not disposed off within a period of three years from the date on which the same is discarded / scrapped, the value retained is fully written off and charged to the Statement of Profit and Loss on expiry of three years.
- c) Expenditure incurred on assets not owned by the Company is charged off to revenue in the accounting period of incurrence of such expenditure.
- d) Land held for mining includes cost of land, compensation for trees & buildings thereon and payment towards shifting charges, solatium, registration charges, stamp duty, etc. less realization, if any.

1.3 Fixed assets-Intangible:

Intangible fixed assets are stated at their historical cost net of recoverable taxes less accumulated amortization and impairment loss, if any. The cost of intangible assets comprises of the acquisition cost and any attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



1.3 अचल परिसंपत्तियां - अमूर्तः

अमूर्त अचल परिसंपत्तियों को शुद्ध वसूलीयोग्य करों में से संचित मूल्यहास/परिशोधन एवं क्षित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है । अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत में उनकी अर्जन लागत तथा परिसंपत्तियों को उनके आशातीत प्रयोग के लिए चालू दशा में लाने की लागत शामिल है ।

स्थानीय सरकार (सरकारों) को भुगतान किए स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क सहित खनन पट्टा अधिकारों के अधिग्रहण के लिए वहन किए गए व्ययों को एक प्रकार के अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है ।

1.4 मूल्यहास/परिशोधन :

(क) तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित को छोड़कर मूर्त अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर तथा उस अनुसूची ii में निर्दिष्ट तरीके के आधार पर किया गया है :

क्र. सं.	परिसंपत्ति का विवरण	उपयोगी जीवनकाल(वर्षों में)	तकनीकी औचित्य
1	स्लरी पम्प	5	प्रचालन की प्रकृति एवं कार्य माहौल को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया गया ।
2	एअर कंडीशनर	8	संक्षारीय कार्य माहौल को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया गया ।
3	अग्निशामक	6	प्रतिस्थापक मानदण्ड एवं संक्षारीय कार्य माहौल को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया गया ।
4	मोबाईल फोन्स	2	निरंतर प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया गया ।

अंकित मूल्य के रूप में रू 1/- बनाए रखने को छोड़कर नेट ब्लॉक के शून्य होने तक मूल्यहास प्रभारित किया जाता है ।

- (ख) भूमि की लागत सहित ठोस कचरा नाली के निर्माण की लागत में नाली की कुल क्षमता तक भरी हुई मात्रा के अनुपात में मूल्यहास किया जाता है ।
 - व्यय के वर्ष में नाली की सीलबंदी की लागत में मुल्यहास किया जाता है।
- (ग) वर्ष के दौरान शामिल की गई परिसंपत्तियों के संबंध में नीचे "ङ" में उल्लिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर मूल्यहास उनके शामिल करने की तारीख से आनुपातिक आधार पर वसूला गया है ।
- (घ) अलग/समाप्त/नष्ट कर दी गई आस्तियों के संबंध में मूल्यहास ऐसे अलगाव/समापन/नाशन की तारीख तक आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया गया है ।
- (ङ) जहां रू 5000/- या उससे कम लागत के प्लांट एवं मशीनरी की अलग-अलग मदों की कुल वास्तविक लागत प्लांट एवं मशीनरी की कुल वास्तविक लागत का 10% से अधिक होता हो तो ऐसे मामलों को छोड़कर अलग-अलग रू. 5000/- या इससे कम मूल्य की पिरसंपित्तयों पर उनके शामिल करने के वर्ष में अंकित मूल्य के रूप में रू. 1/- बनाए रखते हुए 100% की दर से मूल्यहास किया जाता है।
- (च) जिन अचल आस्तियों का ऐतिहासिक मूल्य कीमत समायोजन, शुल्क में परिवर्तन आदि के कारण बदल गई है, ऐसी आस्तियों के संबंध में संशोधित अपरिशोधित मूल्यहास योग्य राशि पर मूल्यहास आस्ति के अवशेष उपयोगी जीवन में प्रभावी रूप से दिया जाता है।
- (छ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खनन के लिए धारित भूमि के संबंध में भावी खनन योग्य भारी खनिजों का उपलब्ध खनन पट्टे तथा/या सतही पट्टे जो भी स्थिति हो पर विचार करते हुए तकनीकी अनुमानों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है ।



Expenses including stamp duty, registration fees paid to the local Government(s) incurred for the acquisition of mining lease rights are recognized as one type of intangible asset.

1.4 Depreciation/Amortization:

a) Depreciation on tangible fixed assets is provided for on straight line basis on the basis of the useful life of the assets as specified under Schedule II of the Companies Act, 2013 and in the manner as specified in that Schedule II, except for the following on the basis of technical evaluation:

SI. No.	Particulars of Asset	Useful life (in Years)	Technical justification
1	Slurry Pumps	5	Life is technically assessed considering the nature of operation and working environment.
2	Air conditioners	8	Life is technically assessed considering the corrosive working environment.
3	Fire extinguishers	6	Life is technically assessed considering the corrosive working environment and replacement norms
4	Mobile Phones	2	Life is technically assessed considering the frequent technological changes.

The depreciation is continued to be charged till the net block becomes Nil except retaining Re. 1/- as nominal value.

b) Cost of construction of solid waste trench together with the cost of the land thereof is depreciated in proportion of the quantity filled to the total capacity of the trench.

The cost of sealing of trench is depreciated in the year of expenditure.

- c) In respect of assets added during the year except assets mentioned under (e) below, depreciation is charged pro-rata from the date of addition.
- d) In respect of assets discarded/demolished/destroyed during the year, depreciation is charged pro-rata up to the date of such discard/demolition/destruction.
- e) Assets costing Rs. 5,000/- or less individually are depreciated at 100% retaining Re. 1/- as nominal value in the year of addition except in cases where the aggregate actual cost of individual items of plant and machinery costing Rs.5000/- or less constitutes more than 10% of the total actual cost of plant and machinery.
- f) In respect of fixed assets whose historic cost has undergone a change due to price adjustments, change in duties etc., depreciation on the revised unamortized depreciable amount is provided prospectively over the residual useful life of the asset.
- g) At the end of each financial year, future mineable heavy minerals in respect of land held for mining are assessed based on technical estimates considering available mining lease and/or surface lease as the case may be.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



ऐसी भूमि के मूल्य में कमी की पहचान ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष के दौरान खनन से प्राप्त भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा के अनुपात ने मूल्यांकित भावी खननयोग्य भारी खनिजों के अलावा वर्ष के दौरान खनन की गई भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा तक की जाती है।

(ज) अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन का निम्नलिखित रूप में सीधी रेखा के आधार पर प्रावधान किया गया है :

क्र.सं.	विवरण	परिशोधन
1	खनन पट्टा	परिशोधन की राशि को वर्ष में खनित भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा के अनुपात
		को निर्धारित भावी खनन योग्य भारी खनिज प्लस पट्टे की अवधि को ध्यान में रखते हुए
		इस वर्ष में खनित भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा को मान्यता दिया जाता है।
2	प्रतिपूरक वनरोपण प्रभार	परिशोधन की राशि को वर्ष में खनित भारी खनिजों की वास्तिविक मात्रा के अनुपात
		को निर्धारित भावी खनन योग्य भारी खनिज प्लस पट्टे की अवधि में रखते हुए इस वर्ष
		में खनित भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा को मान्यता दिया जाता है।
3	कंम्प्यूटर सॉप्टवेअर	4 (चार) वर्षों की अवधि के लिए

नेट ब्लॉक के शून्य होने तक परिशोधन प्रभारित किया जाता रहता है ।

1.5 परिसंपत्तियों की क्षति :

प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक पर परिसंपत्तियों की वहनीय धनराशि की समीक्षा की जाती है कि क्या बाह्य/आंतरिक तथ्यों के आधार पर क्षतिग्रस्तता का कोई चिह्न है । यदि ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं तो कंपनी उस परिसंपत्ति के प्रतिप्राप्ति मूल्य का अनुमान लगाती है । परिसंपत्ति का यह प्रतिप्राप्ति मूल्य जिस नकद निर्माण ईकाई के करने में यह परिसंपत्ति हो उसका प्रतिप्राप्ति मूल्य यदि उसकी अग्रनीत राशि से कम है तो अग्रनीत राशि को प्रतिप्राप्ति राशि तक घटाया जाता है । इस घटत को क्षति हानि माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि के विवरण में अंकित किया जाता है । तुलन-पत्र दिनांक पर यदि पाया जाए कि गत काल में आंकी गई क्षति अब उपस्थित नहीं है तो प्रतिप्राप्ति मूल्य को दोबारा आंका जाता है और उस परिसंपत्ति को उस परिसंपत्ति की प्रतिप्राप्ति न्यूनतम धनराशि पर या वहनीय धनराशि पर अंकित किया जाता है जिसे निश्चित किया गया होगा (मूल्यहास अथवा परिशोधन का शुद्ध) कि उसे पूर्व लेखांकन अवधियों में संपत्ति के लिए चिन्हित की गई कोई क्षति हानि नहीं हुई।

1.6 निवेश:

दीर्घावधि निवेश को खरीद मूल्य पर घोषित किया गया है व उनके मूल्य में अस्थाई घटत के अलावा अन्य घटत को आंकने का प्रावधान किया गया है ।

चालू निवेश के रुप में निवेश को वित्तीय विवरण में न्यूनतम लागत पर अग्रेनीत किया जाता है अथवा निवेश की श्रेणी के आधार पर उचित मुल्य का निर्धारण किया जाता है ।

1.7 वस्तुसूचियों का मूल्यांकनः

- (क) कच्चे माल/मार्गस्थ माल का मुल्यांकन लागत पर या निव्वल वसुली योग्य मुल्य जो भी कम है पर किया जाता है ।
- (ख) भंडार अतिरिक्त पुर्जों तथा खुले उपकरणों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है ।



Diminution in the value of such land is recognized in proportion of actual quantity of heavy minerals mined during the year to the assessed future mineable heavy minerals plus actual quantity of heavy minerals mined during the year.

h) Amortization of intangible assets is provided for on straight line basis as per the followings:

SI. No.	Particulars	Amortization
1	Mining lease	Amount of amortization is recognized in proportion of actual quantity of heavy minerals mined during the year to the assessed future mineable heavy minerals plus actual quantity of heavy minerals mined during the year taking cognizance of the lease period.
2	Compensatory Afforestation Charges	Amount of amortization is recognized in proportion of actual quantity of heavy minerals mined during the year to the assessed future mineable heavy minerals plus actual quantity of heavy minerals mined during the year taking cognizance of the lease period.
3	Computer Software	Over a period of 4(Four) years

The amortization is continued to be charged till the net block becomes Nil.

1.5 Impairment of Assets:

The carrying amount of assets are reviewed at each balance sheet date to ascertain whether there is any indication of impairment based on external/internal factors. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the Statement of Profit and Loss. If at the balance sheet date there is an indication that if a previously assessed impairment no longer exists, the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the minimum of the recoverable amount or the carrying amount of the asset that would have been determined (net of depreciation or amortization) had no impairment loss been recognized for the asset in prior accounting periods.

1.6. Investments:

Long-term investments are stated at cost with provision to recognize a decline other than temporary in value.

Investments classified as current investments are carried in the financial statements at the lower of cost and fair value determined on the basis of the category of the investment.

1.7 Valuation of Inventories:

- a) Raw material and material in-transit are valued at cost or net realizable value whichever is lower.
- b) Stores, spare parts and loose tools are valued at cost.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



- (ग) चालू कार्य के स्टॉक, अतिरिक्त संसाधन के लिए मध्यवर्ती उत्पाद और तैयार उत्पाद का मूल्यांकन लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, किया जाता है।
- (घ) ग्रेड-इतर सामग्री तथा दूषित स्टॉक का मूल्यांकन निम्नतर लागत के 80% या पुनर्प्रक्रिया लागत पर विचार करते हुए सामान्य व्यापार के बाजार मूल्य पर किया जाता है ।
- (च) 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जिन भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जी को हटाया नहीं जाता उन्हें लागत के 95% हासिल मूल्य पर आंका जाता है ।
- (छ) कंपनी भारित औसत सूत्र का पालन करती है ।

1.8 बीमा दावे :

प्राप्त बीमा दावों को उस समय हिसाब में लिया जाता है जब वे बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिये जाते हैं ।

1.9 परियोजना पूर्व व्यय:

कंपनी के स्वयं के तत्वावधान में तथा/या संयुक्त उद्यम के अंतर्गत नई-विस्तार परियोजनाओं के संबंध में संभाव्यता, अध्ययन, फ्लो-शीट विकास परियोजना, रिपोर्ट की तैयारी, पर्यावरण मंजूरी तथा अन्य संबंधित मामलों पर व्यय को पूंजीकरण/समायोजन/बट्टे खाते डालने तक ''परियोजना पूर्व व्यय'' के अंतर्गत समूहित किया गया है जिस सीमा तक उन्हें समायोजित नहीं किया गया है ।

1.10 विदेशी मुद्रा में लेन-देन :

- (क) विदेशी मुद्रा लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर प्रारंभिक रूप से दर्ज किया जाता है ।
- (ख) विदेशी मुद्रा से संबंधित अंकित ऐतिहासिक लागत पर लिए गए गैर मौद्रिक मदों को लेन देन की तारीख पर लागू विनिमय दर का उपयोग करते हुए अनुवर्ती तुलन पत्र में दिया जाता है ।
- (ग) तुलन पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उस तारीख पर लागू विनिमय दर पर पुन : दर्ज किया जाता है ।
- (घ) निपटान अथवा पुनर्विवरण पर विनिमय अंतर :
 - i) अर्हक परिसंपत्ति से संबंधित विदेशी मुद्रा उधार के मामले में इन्हें कुछ सीमा तक ब्याज लागत में समायोजन, उधार लागत के रूप में माना जाता है ।
 - ii) अन्य मामलों में जिस अविध में निपटान या पुनर्विवरण किया जाता है , को आय या व्यय के रूप में माना जाता है ।

1.11 बिक्री :

बिक्री का लेखांकन ऑन डिलवरी आधार पर, व्यापारी छूट व मूल्य वर्धित/बिक्री कर को घटाने के बाद किया गया है । बिक्री में आउट टर्न वेट से संबंधित समायोजन ग्राहकों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाता है ।

1.12 निर्यात बिक्री के संबंध में लदान पत्तन/उतराई पत्तन से संबंधित बोनस/विलंब शुल्क ग्राहकों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

1.13 कर्मचारी लाभ :

(क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के पश्चात 12 महिनों के अन्दर पूर्ण रूप से देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा सेवा किए जाने वाले वर्ष में ही प्रदान किए जाते हैं ।



- c) Inventory of work-in-progress, intermediate products for further processing and finished products are valued at cost or net realizable values whichever is lower.
- d) Off-grade material / contaminated stock is valued at 80 % of lower of cost or market value of normal merchandise considering the reprocessing cost.
- e) Stores and spares not moved for more than 3 years are written down by 95 % of the cost.
- f) The company follows weighted average cost formula.

1.8 Insurance claims:

Insurance claims receivable are accounted for only when admitted by the Insurance Company.

1.9 Pre-Project Expenditure:

Expenditure on feasibility studies, flow sheet development, preparation of project report, environmental clearance and other related matters on new/expansion projects under its own auspices and/or joint venture, to the extent not adjusted, are grouped under "Pre-Project Expenditure" pending capitalization/adjustment/write off.

1.10 Transactions in Foreign Currency:

- a) Foreign currency transactions are initially recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction.
- b) Non monetary items which are carried at historic cost denominated in terms of foreign currency are reported in subsequent balance sheets using the exchange rate prevailing on the date of transaction.
- c) Monetary assets and liabilities as on the balance sheet date, denominated in foreign currency are restated at the rate of exchange as on that date.
- d) Exchange differences either on settlement or on restatement:
 - i. in the case of foreign currency borrowings relating to a 'Qualifying Asset', to the extent they are regarded as an adjustment to the interest costs, are treated as borrowing cost.
 - ii. in other cases, are recognised as income or as expense in the period in which settlement or restatement is made.

1.11 Sales:

Sales are accounted for on delivery basis net of trade discount, rebate and value added tax/sales tax. Adjustments on account of out turn weight are made in sales on the basis of available information from customers.

1.12 Bonus/demurrage in respect of load port/discharge port, relating to export sales is accounted on the basis of available information from customers.

1.13. Employee Benefits:

A. Short term employee benefits:

All employee benefits payable wholly within twelve months after the end of the period in which the employees render the related service are classified as short term employee benefits and are charged off in the year in which the related service is rendered.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



(ख) नौकरी पश्चात तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

अ) परिभाषित योगदान योजनाएं :

सभी कर्मचारियों हेतु कर्मचारी पेंशन योजना तथा कंपनी के कर्मचारियों के विशिष्ट समूह हेतु अधिवर्षिता योजना एवं नई पेंशन योजना पिरभाषित योगदान योजनाएं होती है । पिरभाषित योगदान योजनाओं के प्रति कंपनी का योगदान लाभ एवं हानि के विवरण में चिन्हित किया जाता है तथा कर्मचारी द्वारा सेवा किए जाने के वर्ष में प्रभारित किया जाता है ।

कर्मचारी पेंशन योजना के प्रति योगदान भविष्य निधि एवं अन्य विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अधीन संबंधित भविष्य निधि प्राधिकारियों को प्रेषित किया जाता है तथा नई पेंशन योजना के प्रति योगदान को उपस्थिति के अभिहित बिंदु तक किया जाता है। कंपनी की योगदान के परे अन्य कोई देयता नहीं होती है।

कंपनी की अधिवर्षिता योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रदान की जाती है । मासिक वेतन पर विशिष्ट दरों पर परिगणित योगदान विशिष्ट तारीख को एलआईसी को भेजा जाता है । कंपनी के उपर्युक्त निर्धारित योगदान के परे अन्य कोई देयता नहीं होती है ।

ब) परिभाषित लाभ योजनाएं :

- (i) उपदान : कंपनी कर्मचारियों के लिए उपदान योजना चलाती है तथा उपदान दायित्व को पूरा करने के लिए बीमा कंपनी को योगदान करती है ।
- (ii) भविष्य निधि: कंपनी द्वारा प्रदत्त न्यास को कंपनी भविष्य निधि के लिए विशिष्ट मासिक अंशदान करती है। प्रत्येक वर्ष सदस्यों को न्यास द्वारा देय ब्याज सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। कंपनी के लिए न्यास के निवेश के लाभ एवं अधिसूचित ब्याज के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने की बाध्यता होती है।
- (iii) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना : कंपनी पूर्व कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए सभी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना प्रचालित करती है तथा उसके लाभ परिभाषित हैं ।

(स) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

अर्जित अवकाश एवं बीमारी अवकाश/अर्ध वेतन अवकाश की हकदारी तभी मानी जाती है जब वे कर्मचारी को प्रोद्भूत की जाती है । जबिक वार्षिक अवकाश अवकाशों के संचयन की अधिकतम संख्या पर प्रतिबंध के अधीन या तो प्राप्त किए अथवा नकदीकृत किए जा सकते हैं, बीमारी अवकाश/अर्ध वेतन अवकाश सेवा के दौरान केवल प्राप्त किए जा सकते हैं तथा उनको नकदीकृत नहीं किया जा सकता है । तथापि समस्त संचित अर्जित अवकाश, पात्रता के अंतर्गत बीमारी, अर्ध वेतन अवकाश सेवा छोड़ते समय नकदीकृत किए जा सकते हैं ।

कंपनी जहां भी आवश्यक हो वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवर्ष नौकरी पश्चात तथा अन्य दीर्घकालिक लाभ हेतु देयताएं निश्चित करती है ।

नौकरी पश्चात एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ के संबंध में वास्तविक लाभ/हानि लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किए जाते हैं ।



B. Post employment and other long term employee benefits:

a) Defined Contribution plans:

Defined contribution plans are Employees' Pension Schemes covering all employees and Superannuation Scheme and new pension scheme for specified group of employees of the Company. The Company's contribution to defined contribution plans are recognized in the Statement of Profit and Loss and charged off in the year in which the employee has rendered service.

The contribution towards Employees' Pension Scheme is remitted to the Provident Fund authority concerned under the Provident Fund and Other Miscellaneous Provisions Act, 1952 and contribution towards New Pension Scheme is made to designated point of presence. The Company has no further liability beyond the contribution.

The Superannuation Scheme of the Company is administered through Life Insurance Corporation of India (LIC). The contribution calculated at the specified rates on the monthly salary is remitted to LIC on the specified dates. The Company has no further liability beyond the contribution determined as above.

b) Defined Benefit Plans:

i) Gratuity

The company operates a gratuity scheme for employees and contributes to Life Insurance Corporation of India (LIC) towards meeting the gratuity obligation.

ii) Provident Fund

The Company makes specified monthly contributions towards provident fund to a trust administered by the Company. The interest payable by the trust to the members every year is being notified by the Government. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the return on investments of the trust and the notified interest.

iii) Post Retirement Medical Scheme.

The Company operates a Post Retirement Medical Scheme covering the past employees and the benefits are defined.

c) Other Long term Employee Benefits:

Entitlements to earned leave and sick leave/half pay leave are recognized when they accrue to employees. While annual leave can be either availed or encashed subject to restriction on the maximum number of accumulation of leaves, sick leave/ half pay leave can only be availed and can not be encashed during service. However, the entire accumulated earned leave, sick / half pay leave subject to eligibility, can be encashed while leaving service.

The Company determines the liability for the Post employment and other long term benefits every year on actuarial valuation wherever mandated.

Actuarial gain/loss in respect of post employment and other long term benefits are charged to the Statement of Profit and Loss.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



1.14 वी आरएस क्षतिपूर्ति :

वीआरएस का विकल्प लेने वालों को क्षतिपूर्ति उसी वर्ष में लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष में वीआरएस विकल्प लेने वालों को कार्यमुक्त किया जाता है ।

1.15 रॉयल्टी :

खनिजों पर रॉयल्टी उत्पादन के आधार पर लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित की जाती है तथापि, खनिजों की हानि/कमी/सीमित खपत सहित कंपनी प्रेषण के आधार पर भुगतान किया जाता है । देशी बिक्री मूल्य/निव्वल मूल्य के आधार पर अंतिम स्टॉक पर रॉयल्टी दी जाती है ।

1.16 अनुसंधान एवं विकासः

अचल आस्तियों के अर्जन पर व्यय को छोड़कर अनुसंधान एवं विकास पर खर्च को लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है । अनुसंधान एवं विकास उत्पादन को तैयार माल के मूल्य में तभी शामिल किया जाता है जब उत्पाद को विक्रय स्टॉक/भंडार में स्थानांतरित किया जाता है ।

1.17 उत्पाद शुल्क :

- (क) उत्पाद-शुल्क प्रभार्य तैयार उत्पाद के मामले में उत्पाद शुल्क को जब कभी देय होने पर हिसाब में लिया जाता है ।
- (ख) देश के अंदर बिक्री के लिए उपर्युक्त संदर्भित तैयार उत्पादों की माल सूची के संबंध में उत्पाद-शुल्क का प्रावधान तुलन-पत्र की तिथि पर विद्यमान बिक्री मूल्य पर शुल्क दर पर किया जाता है । देश के अंदर बिक्री के लिए माल सूची का आकलन वर्ष के दौरान घरेलू एवं निर्यात बिक्री के अनुपात के आधार पर किया जाता है । ऐसे प्रावधान को तैयार उत्पाद के माल सूची मूल्य में शामिल किया जाता है ।

1.18 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं तथा प्रासंगिक परिसंपत्तियां :

- 1. प्रावधानों को मान्यता तभी दी जाती है जब गत घटनाओं के फलस्वरूप वर्तमान जिम्मेदारी मौजूद हो और यह संभावित होता है कि आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देते हुए संसाधनों का बाह्यप्रवाह दायित्वों को निपटाने के लिए आवश्यक होगा और जब दायित्वों हेतु धनराशि का एक विश्वसनीय आंकलन किया जा सकता है ।
- 2. (i) पूर्व घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व एवं जिसके अस्तित्व को केवल कंपनी के नियत्रंण के अधीन पूर्ण रूप से नहीं भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं के होने अथवा न होने के द्वारा पुष्टि की जाएगी, अथवा
 - (ii) पूर्व घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान दायित्व क्योंकि :
 - अ) यह संभावित नहीं होता है कि आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देते हुए दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों का बाह्यप्रवाह आवश्यक होगा, अथवा
 - ब) दायित्वों हेतु धनराशि का एक विश्वसनीय आंकलन नहीं किया जा सकता है,

उपर्युक्त घटनाओं में किसी भी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाती है, परन्तु ऐसे दायित्व प्रासंगिक देयताओं के रूप में नोट में प्रकट किए जाते हैं ।

3. प्रासंगिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाएगी और न ही प्रकट किया जाएगा ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



1.14 VRS Compensation:

Compensation paid to VRS optees is charged to Statement of Profit and Loss in the same year in which VRS optees are relieved.

1.15 Royalty:

Royalty on the minerals is charged to the Statement of Profit and Loss on the basis of production. However, payment is made on the basis of despatches from the factory including losses/shortages of minerals/captive consumption. Royalty on closing stock is provided on the basis of domestic sale/ net realizable value.

1.16 Research and Development:

Expenses on Research and Development (R&D) other than expenditure on acquiring fixed assets are charged to the Statement of Profit and Loss. R&D production is included in value of finished goods only when the products are transferred to Stock-in-trade/stores.

1.17 Excise Duty:

- a) In case of excisable finished products, excise duty is accounted for as and when becomes due.
- b) In respect of inventory of above-referred finished products, meant for indigenous sale, provision for excise duty is made at the duty-rates and selling prices prevailing on the date of Balance sheet. The inventory meant for indigenous sale is estimated based on the ratio of domestic and export sale during the year. Such provision is included in the value of inventory of finished products.

1.18 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

Provisions are recognised only when it has a present obligation as a result of past event and
it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to
settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

2. In the event of:

- any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company; or
- ii. any present obligation that arises from past events because:
 - a) it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation;

or

b) a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

No provision is recognised, but such obligations are disclosed in the notes as Contingent Liabilities.

3. Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



1.19 पूर्व-अवधि व्यय/आय और पूर्व प्रदत्त व्यय:

भूल या चूक के कारण पूर्व अवधि के व्यय/आय जो चालू वर्ष के दौरान पैदा हो, तथा प्रत्येक प्रकरण में अधिकतम 1,00,000/-रूपये के पूर्व प्रदत्त व्ययों को चालू वर्ष के व्यय/आय के रूप में माना जाता है ।

1.20 चालू और आस्थगित कर के लिए प्रावधान:

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए चालू कर के लिए प्रावधान किया जाता है । लेखा और कराधान आय के मध्य 'समय-अंतर' के कारण पैदा आस्थिगत कर को तुलन-पत्र की तिधि पर अधिनियमित या ठोस रुप से अधिनियमित कर-दरों और कानूनों को इस्तेमाल करते हुए लेखागत किया जाता है । आस्थिगत कर परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है और केवल उस सीमा तक अग्रेनीत किया जाता है जिस सीमा तक भविष्य में उनके बेचे जाने पर मूल्य प्राप्त होने की तर्कसंगत निश्चितता अथवा काल्पनिक निश्चितता, जो भी स्थिति हो, हो।

1.21 नकदी एवं नकदी तुल्य :

सभी वित्तीय उपकरण जिनकी मूल परिपक्वताएं खरीद की तिथि से तीन माह या उससे कम होती हैं तथा वे वित्तीय उपकरण भी जो महत्वपूर्ण हानि के बिना तत्काल रूप से नकदी में परिवर्तन योग्य होते हैं, 'नकदी तुल्य' माने जाते हैं। वे वित्तीय उपकरण जो प्रतिभूतियों अथवा रेहन के तहत अथवा किसी उद्देश्य के लिए चिन्हित किए गए हों, को नकदी तुल्य नहीं माना जाता है।

1.22 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में व्ययः

कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार तुरंत पीछे के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के शुद्ध लाभों के किए गए औसत का न्यूनतम दो प्रतिशत इस संबंध में चिन्हित गतिविधियों पर वर्ष के दौरान खर्च किया गया है।

1.23 उधार संबंधी लागतें :

उधार संबंधी लागतें जो अर्ह परिसंपत्तियों के अर्जन/निर्माण हेतु आरोप्य हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती हैं। अर्ह परिसंपत्ति वो होती है जो अपने आशातीत उपयोग हेतु तैयार होने के लिए पर्याप्त समयाविध लेती है। अन्य सभी उधार संबंधी लागतें राजस्व के लिए प्रभारित की गई हैं।

1.24 कार्य संविदा सव्यवहार :

"लागत अतिरिक्त लाभ" के आधार पर किए गए कामकाज के मामले में, लागत की प्रतिपूर्ति और लाभ के तत्व को उचित दर और/या मुल्य पर जो भी स्थिति हो, अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार संविदागत दायित्व को पूरा करने पर मान्यता दी जाती है ।

1.25 अन्य आय :

बकाया धनराशि एवं लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर ब्याज आय चिन्हित की जाती है । लाभांश को चिन्हित तभी किया जाता है जब प्राप्ति का आधार स्थापित हो जाता है ।

1.26 सरकारी परियोजनाएं :

भारत सरकार (GoI) की तरफ से कंपनी द्वारा लिये गये विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान अलग से अधिग्रहण कर लिया तथा प्रत्येक परियोजना का निवल शेष उचित रूप में प्रकट किया गया।

1.27 इनवेंटरी : बही समायोजन

यदि अधिकांश तैयार माल वैल्यूमैट्रिक मापन के आधार पर परिमाणित करना है तो भौतिक सन्तुलन का अन्तर वैल्यूमैट्रिक मापन का स्वीकार्य त्रुटि सीमा तक लेखा बही में यूनिट प्रधान से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समायोजित किया जाएगा। उपर्युक्त सूचित सीमा से अधिक अंतर होने पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बही में समयोजित किया जाएगा।



1.19 Prior Period Expenses/Income and Pre-paid Expenses:

Expenditure / Income relating to prior periods arising in current year as a result of errors or omissions as well as pre-paid expenses not exceeding Rs.1,00,000/- in each case are treated as Expenditure/Income of the current year.

1.20 Provision for Current tax and Deferred Tax:

Provision for current tax is made after taking into consideration the provisions of the Income-tax Act, 1961. Deferred tax resulting from 'timing difference' between Accounting income and Taxable income is accounted for by using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as on the balance sheet date. The deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty or virtual certainty as the case may be that the asset will be realized in future.

1.21 Cash and cash equivalents:

All financial instruments, which have original maturities of three months or less from the date of purchase and also financial instruments which are readily convertible into cash without significant loss are considered 'cash equivalents'. Those financial instruments pledged as securities or under lien or earmarked for any purpose, are not considered cash equivalents.

1.22 Expenses in respect of Corporate Social Responsibility (CSR)

In pursuance to the CSR policy of the Company, at least two percent of the average net profits of the Company made during the three immediately preceding financial years is spent during the year towards the activities identified in this regard.

1.23 Borrowing costs:

Borrowing costs that are attributable to the acquisition/ construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that takes substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to revenue.

1.24 Job Contract transactions:

In case of Job work undertaken on "cost plus profit" basis, reimbursement of cost and the element of profit are recognized at the appropriate rate and /or value as the case may be on completion of the contractual obligation as per the terms of the contract.

1.25 Other Income:

Interest income is recognized on time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable. Dividend is recognized when the right to receive is established.

1.26 Government projects:

Receipts and payments in relation to various projects undertaken by the Company on behalf of Government of India (GoI) are captured separately and the net balance of each project is disclosed as appropriately.

1.27 Inventory: Book Adjustment:

In case of bulk finished goods which are to be quantified based on volumetric measurement, a deviation in the physical balance upto the acceptable error limit of volumetric measurement is adjusted in the books of accounts after obtaining approval from unit head. Any deviation which is more than the said limit, adjustment in the book is made with the approval of competent authority.



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

			२. लाख म
		31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
नोट-2	इक्विटी शेयर पूंजी		
	क) प्राधिकृत		
	1000/- प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष		
	रु. 1000/- प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर)	10,000.00	10,000.00
	प्राधिकृत शेयर पूंजी		
	<i>c</i>		
	ख) जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
	,,,,		
	पूर्णत : प्रदत्त रु.1000/- प्रत्येक के 8,63,650 इक्विटी शेयर		
	(पिछले वर्ष 8,63,650)	8,636.50	8,636.50
	कुलयोग	8,636.50	8,636.50
	<i>કુતવા</i> 1	0,030.50	0,030.30
	ग) 5% से अधिक रखने वाले व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों की संख्या		
	कंपनी के सभी 863650 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा या नामित द्वारा		
	क्षपना क समा ठ०उ०५० इक्विटा शयर मारत सरकार छारा या नामित छारा धारित है ।		
	धारत है ।		
	घ) रिपोर्टिंग तारीख से तुरंत पहले के पांच वर्ष की अवधि के दौरान नकद में		
	प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना संविदा के अनुसरण में पूर्णत : प्रदत्त के		
	रुप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	शून्य	शून्य
	ङ) रिपोर्टिंग तारीख से तुरंत पहले के पांच वर्ष की अवधि के दौरान बोनस		
	शेअरों के रुप में पूर्णत : प्रदत्त के आबंटित शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	शून्य	शून्य
	च) रिपोर्टिंग तारीख से तुरंत पहले के पांच वर्ष की अवधि के दौरान वापस खरीदे	शून्य	शून्य
	गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग		
	छ) रिपोर्टिंग तारीख से तुरंत पहले के पांच वर्ष की अवधि के दौरान कंपनी ने	शून्य	शून्य
	कोई शेयर जारी नहीं किया है/वापस खरीद नहीं है।		
		1	

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

			₹ in lakh
		As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
NOTE - 2	: EQUITY SHARE CAPITAL		
<u>a) /</u>	Authorised 10,00,000 Equity shares of ₹ 1000/- each (Previous year 10,00,000 Equity shares of ₹ 1000/- each)		
	C 1000/ Cuolij	10,000.00	10,000.00
<u>b) l</u>	ssued, Subscribed and Paid up :		
	8,63,650 (Previous year 8,63,650)Equity shares of ₹ 1000/- each fully paid up	8,636.50	8,636.50
	Total	8,636.50	8,636.50
c)	Number of shares held by person holding more than 5% All 863650 equity shares of the Company are held by Government of India (GoI) and its nominee.		
d)	Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up pursuant to contract without payment being received in cash during the period of five years immediately preceding the reporting date	Nil	Nil
e)	Aggregate number and class of shares alloted as fully paid up by way of bonus shares during the period of five years immediately preceding the reporting date	Nil	Nil
f)	Aggregate number and class of shares bought back during the period of five years immediately preceding the reporting date	Nil	Nil
g)	During the period of five years immediately preceding the reporting date the Company has not issued/bought back any shares.	Nil	Nil

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

D/- प्रति शेअर की समान दर पर कंपनी के पास एक तरह के शेअर हैं। प्रत्येक शेअर धारक एक शेअर के लिए एक वोट का		
	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
शेअर हैं। प्रत्येक शेअर धारक एक शेअर के लिए एक वोट का		
परिसमापन के संदर्भ में इक्विटी शेयर धारक उनके शेअरों के		
में कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य है ।		
•		
अवधि के प्रारंभ एवं अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान		
र्शित है :		
प्रारंभ में इक्विटी शेअर (संख्या)	863,650	863,650
ः वर्ष के दौरान जारी शेअर (संख्या)	-	-
ं : वर्ष के दौरान निरस्त/वापस आए शेअर (संख्या)	_	_
के अंत में इक्विटी शेअर (संख्या)	863,650	863,650
ह जरा न इक्पिटा राजर (तख्या <i>)</i>	603,030	003,030
एवं अधिशेष		
ो आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में	10.08	10.08
वर्ष के दौरान योग	_	-
वर्ष के दौरान कटौती	_	_
वर्ष के अंत में	10.08	10.08
	10.00	10.00
ान्य आरक्षित वर्ष के प्रारंभ में	0.000.40	0.000.40
	8,200.18	8,200.18
वर्ष के दौरान योग	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	-
वर्ष के अंत में	8,200.18	8,200.18
शेष	8,200.18	8,200.18
वर्ष के प्रारंभ में	56,844.60	59,501.80
वर्ष के दौरान लाभ/(नुकसान)	(10,450.82)	66.88
अतिरिक्त	(10,430.02)	0.14
कटौती	_	645.24
	-	043.24
तानाप्य जारादारा न जसारस	-	(1,727.30)
	-	
प्रस्तावित लाभांश	46 202 70	(351.68)
प्रस्तावित लाभांश लाभांश वितरण कर	46,393.78	56,844.60
प्रस्तावित लाभांश	54,604.04	65,054.86
	गमान्य आरक्षित में अंतरित स्तावित लाभांश गभांश वितरण कर पर्ष के अंत में	ामान्य आरक्षित में अंतरित - स्तावित लाभांश - ताभांश वितरण कर - वि,393.78

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

				₹ in lakh
			As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
h)	The Company has one class of equity shaving a par value of ₹ 1,000/- per Share. Share holder is eligible for one vote per share. In the Event of Liquidation, the equity shareh are eligible to receive the remaining assets Company, in proportion to their shareholding Reconciliation of the number of shares outst at the beginning and at the end of the report	Each held. olders of the anding		
	period is shown as below: (i) Equity Shares at the beginning of the yea (ii) Add: Shares issued during the year (iii) Less: Shares Cancelled / bounce back during the year	(Nos)	-	863650 - -
	(iv) Equity Shares at the end of the year	(Nos)	863650	863650
NOTE 3	RESERVES AND SURPLUS			
a)	Capital Reserve At the beginning of the year Addition during the year Deduction during the year		10.08	10.08
	At the end of the year		10.08	10.08
b)	General Reserve At the beginning of the year Addition during the year Deduction during the year		8,200.18 - -	8,200.18 - -
	At the end of the year		8,200.18 8,200.18	8,200.18 8,200.18
c)	Surplus At the beginning of the year		56,844.60	59,501.80
	Profit / (Loss) during the year Addition Deduction Transferred to General Reserve Proposed Dividend Dividend Distribution Tax		(10,450.82) - - - - -	66.88 0.14 645.24 - (1,727.30) (351.68)
	At the end of the year		49,393.78	56,844.60
		Total	54,604.04	65,054.86
	57		•	

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

		31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
गैर वर्तमान देयताएं			
नोट-4 अन्य दीर्घकालिक देयताएं			
देय ट्रेड			
क) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए देय बक	या	-	-
ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को छोड़कर ऋण द	ताओं को देय बकाया	-	107.16
अन्य			
क) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए देय बक	या	-	5.00
i) व्ययों के लिए देयत्ता		208.28	235.42
ii) सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण राशि		-	11.18
iii) प्राप्य ट्रेड (ग्राहको से अग्रिम)		-	0.06
iv) अन्य देयताएं #		5,007.35	5,006.96
	कुल	5,215.63	5,365.78

रु. 5000 लाख की नकदीकृत बैंक गारंटी सम्मिलित है। एमएसएमई विवरण के लिए नोट सं. 34 देखें

गैर वर्तमान दे	यताएं		
नोट 5 ः	दीर्घकालिक प्रावधान		
	क) कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान	9,874.18	9,804.46
	ख) अन्य		
	(i) संपत्तिकर हेतु प्रवधान #	-	-
	(ii) प्रवेश कर हेतु प्रावधान (निम्नलिखित नोट देखें)	77.11	88.47
	अन्यों का कुलयोग	77.11	88.47
	दीर्घकालिक प्रावधानों का कुलयोग	9,951.29	9,892.93
	गैर वर्तमान देयताओं का कुलयोग	15,166.92	15,258.71

कंपनी की ऑसकॉम यूनिट ने भट्टी के तेल एवं कोयले को कच्ची सामग्री के रूप में विचार करते हुए 'उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम, 1999' के तहत उन पर प्रदत्त प्रवेश कर के सेट ऑफ के लिए दावा किया । वाणिज्यक कर आयुक्त, कटक (सीसीटी) द्वारा इसकी नामंजूरी के विरुद्ध कंपनी ने माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दर्ज कराई । तथापि रु. 139.91 लाख (पिछले वर्ष रु. 134.21 लाख) की विवादित धनराशि लेखाओं में दी गई है । कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रु. 71.78 लाख (पिछले वर्ष रु. 53.10 लाख) की कुल धनराशि सीसीटी के पास जमा की जिसे सकल देयता के समक्ष जोड़ा गया है ।

इसके अतिरिक्त, विवादित उत्पाद कर पर प्रवेश कर के संबंध में उपर्युक्त प्रेवेशकर प्रावधान में 8.98 लाख (पिछले वर्ष 7.36 लाघ) की धनराशि सम्मिलित है।

संदर्भ नोट सं. 30 देखें



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

₹ in lakh

X III Iai			
	As at	As at	
	31st March, 2016	31st March, 2015	
NON-CURRENT LIABILITIES			
NOTE 4 OTHER LONG TERM LIABILITIES			
Trade payable			
a) Total outstanding dues of micro and small			
enterprises	-	-	
b) Total outstanding dues of creditors other than			
micro and small enterprises	-	107.16	
Others			
a) Total outstanding dues of micro and	-	5.00	
small enterprises			
b) Total outstanding dues of Creditors other than			
Micro and Small Enterprises			
i) Liability for expenses	208.28	235.42	
ii) Security deposits and retention money	-	11.18	
iii) Trade receivable (Advance from Customer)	-	0.06	
iv) Other liabilities #	5,007.35	5,006.96	
Total	5,215.63	5,365.78	

includes Bank Guarantee encashed amount ₹ 5000 lakhs For Micro and Small Enterprises details refer Note no 34

NON-CURRENT LIABILITIES

NOTE 5 LONG TERM PROVISIONS

a) Provisions for employee benefits b) Others	9,874.18	9.804.46
(i) Provision for Wealth tax #	-	-
(ii) Provision for entry tax (Refer note below)	77.11	88.47
Total of Others	77.11	88.47
Total of Long Term Provisions	9.951.29	9,892.93
TOTAL OF NON-CURRENT LIABILITIES	15.166.92	15,258.71

The Oscom unit of the Company, considering furnace oil and coal as raw material claimed set off of entry tax paid on them under the provisions of 'Orissa Entry Tax Act, 1999. Against the disallowance of this by the Commissioner of Commercial Tax, Cuttack "CCT" the Company filed a writ petition before the Hon'ble Orissa High Court. However, the disputed amount of ₹ 139.91 lakhs (previous year ₹ 134.21 lakhs) has been provided in the accounts. The Company adjusted an aggregate amount of ₹ 71.78 lakhs (previous year ₹ 53.10 lakhs) with CCT as directed by the competent authorities which has been nettted against the gross liability.

Further, said entry tax provision includes an amount of ₹8.98 Lakhs (previous year ₹7.36 lakhs) towards Entry tax on disputed Excise duty.

#Refer Note No.30

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
वर्तमान देयताएं		
नोट 6 देय ट्रेड		
क) देय ट्रेड - एमएसएमई	203.09	205.92
ख) देय ट्रेड - सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को छोड़कर ऋण दाताओं को	1,806.91	1,418.32
देय ट्रेड का योग	2,010.00	1,624.24
एमएसएमई विवरण के लिए नोट सं. 34 देखें		
वर्तमान देयताएं		
नोट ः 7 अन्य वर्तमान देयताएं		
क) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए कुल देय बकाया	12.18	8.90
ख) सूक्ष्म एवं लघुँ उद्योगों को छोड़कर ऋण दाताओं को देय बकाया		
i) व्ययों के लिए देयताएं	2,752.41	3,073.93
ii) सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण राशि	134.04	150.73
iii) प्राप्य ट्रेड (ग्राहक से अग्रिम)	2,142.45	1,241.66
iv) अन्य देयताएं #	2,679.09	2,931.88
अन्य वर्तमान देयताओं का योग	7,720.17	7,407.10

[#] एमएसएमई विवरण के लिए नोट सं. 34 देखें

[#] भारत सरकार की ओर से कंपनी द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित धनराशि सम्मिलित है (नोट-32 देखें)

वर्तमान देयताएं			
नोट-8 अल्पकालि	क प्रावधान		
(i) कर्मच	ारी लाभों के लिए प्रावधान @	5,558.39	4,373.71
(ii) अन्य			
l .	(क) संपत्ति कर हेतु प्रावधान #	0.07	1.37
	ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हेतु प्रावधान	5,157.79	4,661.26
	(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर राज्य कर हेतु प्रावधान	175.21	153.03
	घ) संविदा संबंधी प्रावधान	621.95	124.55
	(इ) प्रस्तावित लाभांश	-	1,727.30
	(च) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	351.68
	अल्पकालिक प्रावधानों का योग	11,513.41	11,393.91
	इक्विटी एवं देयताओं का योग	99,651.04	109,374.31

@ नोट संख्याएं 31, 37 एवं 42 देखें # नोट सं. 30 देखें

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

		₹ in lakh
	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
CURRENT LIABILITIES		
NOTE 6 TRADE PAYABLES		
 a) Total outstanding dues of micro and small enterprises b) Total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises 	203.09 1,806.91	205.92 1,418.32
Total of Trade Payable	2,010.00	1,624.24
For Micro and small enterprises details refer Note no. 34		
CURRENT LIABILITIES		
NOTE 7 OTHER CURRENT LIABILITIES		
a) Total outstanding dues of micro and small enterprises b) Total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises i) Liabilities for expenses	12.18	8.90
i) Liabilities for expensesii) Security and retention money	2,752.41 134.04	3,073.93 150.73
iii) Trade receivable (Advance from customer) iv) Other liabilities #	2,142.45 2,679.09	1,241.66 2,931.88
Total of Other Current Liabilities	7,720.17	7,407.10

^{*} For Micro and small enterprises details refer Note no 34

Includes amount relating to strategic projects undertaken by the Company on behalf of the Government of India (Refer Note 32)

CURREN	T LIABILITIES		
NOTE 8	SHORT TERM PROVISIONS		
	(i) Provision for employee benefits @ (ii) Other	5,558.39	4,373.71
	(a) Provision for Wealth tax #	0.07	1.37
	(b) Provision for central excise	5,157.79	4,661.26
	(c) Provision for State tax on central excise##	175.21	153.03
	(d) Contractual Provision	621.95	124.55
	(e) Proposed dividend	-	1,727.30
	(f) Dividend Distribution Tax on Proposed dividend	-	351.68
	Total of Short Term Provision	11,513.41	11,393.91
	TOTAL OF EQUITY AND LIABILITIES	99,651.04	109,374.31

@ Refer note no 31,37 and 42 # Refer Note no. 30



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

खनिजों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं ब्याज के प्रावधान में उत्पाद शुल्क के लिए रु. 4788.60 लाख (पिछले वर्ष रु. 4129.71 लाख) की धनराशि सम्मिलित है तथा शेष अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क को दर्शाता हैं।

दिनांक 16 मार्च, 2012 को कंपनी ने मांग व कारण बताओ सूचना (एसीएन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर से ऑसकॉम के सभी खनिज उत्पादों पर उत्पाद शुल्क मार्च, 2011 से जुलाई, 2011 तक की अविध के लिए भुगतान करने की मांग की, जिसमें वित्तीय अधिनियम, 2011 के केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम 1985 (सीईटीए) के अध्याय नोट 4 से अध्याय 26 तक दिनांक 01.03.2011 से बीच सॅण्ड खिनज को केन्द्रीय उत्पाद की परिध में लाया गया। विधिक राय के अनुसार कंपनी ऐसे सीमा का अनुरक्षण करती है, जिसमें अध्याय नोट 4 से अध्याय 26 तक बीच सैंण्ड खिनजों पर उत्पादन शुल्क लगाने योग्य नहीं है। तो भी, कंपनी ने प्रचुर सावधानी से कंपनी के सभी यूनिटों का इिलिमनाइट, रुटाइल एवं जिरकॉन (आईआरजेड) पर उत्पाद शुल्क का प्रावधान बनाया जो कुल राशि 3867.99 लाख है, और परिणामी राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क पर ब्याज एवं राज्य कर राशि क्रमश : वर्ष 2011-12 में 139.75 लाख एरां 303.36 लाख है और सिर्फ आईआरजेड के संबंध में उत्पाद शुल्क वसूली को शुरु किया तथा 01.04.2012 से संरक्षा के अंतर्गत वसूली एवं भुगतान करना शुरु किया।

कंपनी ने ऊपर बताये गये एससीएल को केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त (अपील), भुवनेश्वर के समक्ष विरोध किया और दिनांक 03.04.2013 को सिलिमिनाइट एवं गारनेट के साथ सभी खनिजों पर पेनाल्टी के बिना ब्याज के साथ उत्पाद शुल्क की देयता को पुष्टि करते हुए अपील आदेश प्राप्त हुआ। कंपनी ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, कोल्लम से मार्च 2011 से मार्च 2012 की अविध के लिए चवरा यूनिट के सभी खनिज उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के भुगतान का मांग करते हुए कारण बताओ सूचना (एससीएल) संख्या 08/2012 भी प्राप्त किया, जिसमें वित्तीय अधिनियम, 2011 के केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (सीईटीए) के दिनांक 01.03.2011 से बीच सैंण्डस खनिज को केन्द्रीय उत्पाद की परिधि में लाया गया।

उपर्युक्त के अनुसार कंपनी ने सिलिमिनाइट एवं गॉरनेट के संबंध में वर्ष 2012-13 के लिए उत्पाद शुल्क का प्रावधान रखा है जो संकलित 703.69 लाख है और परिणामी राज्य कर तथा लागू ब्याज क्रमश : 26.74 लाख एवं 135.66 लाख है । कंपनी ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 के एससीएल संख्याम 08/2012 का केन्द्रीय उत्तद एवं सीमा आयुक्त, तिरुवनंतपुरम के समक्ष प्रतिरोध किया और दिनांक 30.12.2013 को ऊपर बताये गये एससीएल के संबंध में कार्यवाही व्यंजन का आदेश प्राप्त हुआ। कंपनी के पास अब तक उसकी कुछ सूचना/संकेत नहीं है, विभाग के ऊपर बताये गये आदेश के विरुद्ध अपील की फाइलिंग के प्रमाणीकरण उपलब्ध नहीं हैं।

कंपनी ने दिनांक 03.04.2013 के अपील आदेश को सीमा, उत्पाद एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी), कोलकाता के समक्ष प्रतिरोध िकया और दिनांक 12.11.2013 को स्थागन आदेश प्राप्त िकया। देय का पूर्व-जमा अधित्याग को न्याय िकया और अपील की अनिर्णय अविध में उस वसूली को स्थिगत िकया। सीईएसटीएटी ने दिनांक 29.02.2016 को आदेश द्वारा अपील की दिनांक 16.03.1995 के अधिसूचना संख्या 63/95 सीई की योग्यता का परीक्षण के लिए न्याय निर्णय प्राधिकार को प्रति प्रेषित िकया। उपर्युक्त के अनुसार ऑसकॉम को छोड़कर सभी यूनिटों के सभी खिनजों को कंपनी ने उत्पाद शुल्क (ईडी), परिणामी राज्य कर एवं उन पर ब्याज के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान रखना छोड़ देगी।

उपर्युक्त सूचना के अनुसार सीईएसटीएटी का अंतिम सुवनाई के लिए प्रतीक्षा कर रही है। तदनुसार कंपनी ने फिर लिखा कि वर्ष 2013-14 में उत्पाद शुल्क का प्रावधान संकलित 2,395.19 लाख एवं परिणामी राज्य कर का प्रावधान एवं लागू ब्याज राशि क्रमश: 79.53 लाख एवं 619.57 लाख है जो विशेष मदों के रूप में दिखाया। आगे कंपनी उत्पाद शुल्क ऑसकॉम के लिए सिलिमेनाइट एवं गारनेट (एस एवं जी) के संबंध में परिणामी राज्य कर का प्रावधान की व्यवस्था जारी रखेगी। आगे, वर्ष के दौरान कंपनी ने एस एव जी पर विवादग्रस्त उत्पाद शुल्क का प्रावधान 164.44 लाख रखा है। ईडी पर अनुवर्ती ब्याज के संबंध में 514.09 लाख एवं आईआरजेड के संबंध में राज्य कर, ऑसकॉम यूनिट से संबंधित एस एवं जी और उन्हें क्रमश: ईडी (नोट सं.26) एवं वित्त लागत (नोट सं. 24) में सम्मिलित किया।

यदि इस विषय पर वित्त निर्णय कंपनी के विरुद्ध गया तो, ईडी राज्य कर एवं उसका ब्याज राशि 4,972.80 लाख खजाना को देना अपेक्षित है।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

₹ in lakh

Provision for central excise includes an amount of ₹ 4,788.60 lakhs (previous year ₹ 4,129.71 lakhs) towards excise duty and corresponding interest on minerals and the balance represents excise duty on the closing stock.

Company had received Demand cum Show-Cause Notice (SCN) dated 16th March, 2012 from the Commissioner of Central Excise, Bhubaneswar demanding payment of Excise Duty on all mineral products of OSCOM unit for the period March,2011 to July 2011, stating that insertion of Chapter note 4 to Chapter 26 of Central Excise Tariff Act, 1985 (CETA) vide Finance Act, 2011 brought the beach sand minerals under the ambit of central excise w.e.f 1.3.2011. Based on the legal opinion, the Company maintained that insertion of Chapter note 4 to Chapter 26 does not make beach sand minerals excisable. However, as an abundant caution, the Company made provision of excise duty on Ilmenite, Rutile and Zircon (IRZ) of all the units of the Company aggregating to ₹ 3867.99 lakhs and for consequential state tax and interest on excise duty and state tax amounting to ₹ 139.75 lakhs and ₹ 303.36 lakhs respectively in year 2011-12 and started to collect and pay excise duty under protest w.e.f 1.4.2012 only in respect of IRZ.

The Company contested the said SCN before the Commissioner of Central Excise (appeal), Bhubaneswar and received appeal order dated 03.04.2013 confirming the liability to pay excise duty alongwith interest thereon without penalty on all minerals including Sillimanite & Garnet. The Company also received Show-Cause Notice (SCN) No. 08/2012 dated 6th December 2012 from the Commissioner of Central Excise, Kollam demanding payment of Excise Duty on all mineral products of Chavara unit for the period March 2011 to March 2012, stating that insertion of Chapter note 4 to Chapter 26 of Central Excise Tariff Act, 1985 (CETA) vide Finance Act, 2011 brought beach sand minerals under the ambit of central excise w.e.f 1.3.2011.

In view of the above, the Company made provision of excise duty in respect of Sillimanite & Garnet aggregating to ₹ 703.69 lakhs and for consequential state tax and applicable interest amounting to ₹ 26.74 lakhs & ₹135.66 lakhs respectively in the accounts for the year 2012-13. Further the Company made additional provision of interest in respect of IRZ for the year 2012-13 with respect to excise duty & state tax.

The Company contested the SCN No. 08/2012 dated 6th December 2012 before the Commissioner of Central Excise and Customs, Thiruvananthpuram and received order dated 30.12.2013 dropping the proceedings under the said SCN. There is no information/intimation available with the Company as yet confirming the filing of appeal against the said order by the Department.

Company also contested Appeal order dated 03.04.2013 before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), Kolkata and received stay order dated 12.11.2013 waiving the pre-deposit of dues adjudged and staying its recovery during pendency of the appeal. CESTAT vide order dated 29.02.2016 remanded the appeal to the adjucating authority for examination of the eligibility of Notification No 63/95CE dt 16.03.1995.

In view of above, the Company has to stop making further provision towards Excise duty (ED), consequential state taxes & interest thereon in respect of all the minerals for all units except OSCOM since the final hearing of CESTAT kolkata is awaited as mentioned above. Accordingly the Company has written back the provision of excise duty aggregating to ₹ 2,395.19 lakhs and consequential provision of state tax and applicable interest amounting to ₹ 79.53 lakhs and ₹ 619.57 lakhs respectively in 2013-14 which was shown as exceptional items. Further, the Company continue to make provision of excise duty, consequential state tax in respect of Sillimanite & Garnet (S&G) for Oscom. Further, during the year the Company made provision of ₹164.44 lakh towards disputed excise duty on S&G and ₹ 514.09 lakh towards consequential interest on ED and state taxes in respect of IRZ, S&G pertaining to Oscom unit and included the same under ED (Note no -26) and Finance cost (Note No. 24) respectively.

In case, if the final decision on this issue went against the Company , an amount of $\stackrel{?}{\sim}$ 4,972.80 lakks towards ED, State taxes and interest thereon is required to be paid to the exchequer.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
अचल परिसंपत्तियाँ		
नोट 9 मूर्त परिसंपत्तियाँ		
सकल वहनीय धनराशि	60,575.39	50,108.23
संचित मूल्यहास शुद्ध वहनीय धनराशि	36,501.13 24,074.26	36,018.53 14,089.70
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		,
सकल वहनीय धनराशि	1,076.76	1,073.80
संचित मूल्यहास #	717.26	587.00
शुद्ध वहनीय धनराशि	359.50	486.80
पूंजी-प्रगामी कार्य		
पूंजी प्रगामी कार्य	2,877.87	12,525.73
पूँजीगत मदें लंबित अधिष्ठापन/पारगमन	105.57	656.31
पूंजी-प्रगामी कार्य का यो	τ 2,983.44	13,182.04
अचल परिसंपत्तियों का ये	ग 27,417.20	27,758.54

नोट 9ख के साथ पढ़े जाने वाले रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ एवं अंत में संपत्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए सकल एवं शुद्ध वहनीय धनराशि के समाधान हेतु नोट 9 क देखें ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

₹ in lakh

		As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
NON-CUF	RRENT ASSETS		
NOTE 9	FIXED ASSETS		
	TANGIBLE ASSETS		
	Gross carrying amount Accumulated depreciation Net carrying amount	60,575.39 36,501.13 24,074.26	50,108.23 36,018.53 14,089.70
	INTANGIBLE ASSETS		
	Gross carrying amount Accumulated depreciation # Net carrying amount	1,076.76 717.26 359.50	1,073.80 587.00 486.80
	CAPITAL-WORK-IN PROGRESS		
	Capital work in progress Capital items pending installation / in transit	2,877.87 105.57	12,525.73 656.31
	Total of Capital-Work -In Progress	2,983.44	13,182.04
	Total of Fixed Assets	27,417.20	27,758.54

Refer note-9A for reconciliation of the gross and net carrying amount for each class of assets at the beginning and at the end of the reporting period to be read with Note 9B.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



INDIAN RARE EARTHS LIMITED

नोट 9 क अचल संपत्तियाँ मूर्त

1 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

= 1									;			;
40												रु. लाख मे
			लागत पर	लागत पर सकल ब्लॉक	10			मृत्य हास			शुद्ध	शुद्ध ब्लॉक
क्र.सं	सं. विवरण	01.04.2015 को	योग	कटौती	31.03.2016 को	01.04.2015 तक	वर्ष में उपलबध	कटौतियाँ !	कटौतियाँ प्रतिधारित उपार्जन 31.03.2016 तक	31.03.2016 तक	31.03.2016 को	31.03.2015 को
_	पट्टाधारित भूमि											
	क. खनन हेतु धारित	61.11	•	'	61.11	57.90	3.21	1	1	61.11	0.00	3.21
	ख. अन्य	3.80	'	'	3.80	1.15	0.04	1	1	1.19	2.61	2.65
7	फ्रीहोल्डभूमि											
	क. खनन हेतु धारित	7,189.82	763.60	1	7,953.42	2,008.62	36.53	'	1	2,045.16	5,908.26	5,181.19
	ख. अन्य	436.05	'	'	436.05	1	•	'	1	•	436.05	436.05
က	सेतु. पूलियों, बन्डर्स	3.98	211.10	1	215.08	2.80	7.15	'	1	9.94	205.14	1.18
4	सड़के	456.66	215.55	0.20	672.00	395.58	64.30	0.20	1	459.68	212.32	61.08
2		6,602.47	2,818.80	49.33	9,371.94	4,275.06	290.62	48.06	1	4,517.63	4,854.31	2,327.41
9	प्लांट एवं मशीनरी	28,365.36	7,187.56	1,577.81	33,975.11	23,345.03	2,035.78	1,575.55	1	23,805.25	10,169.86	5,020.33
_	फर्नीचर एवं जुड़नार	670.00	28.21	46.24	651.97	527.65	34.18	45.35	1	516.47	135.50	142.35
∞		406.12	•	14.35	391.76	336.69	26.68	14.35	1	349.01	42.75	69.42
<u>б</u>	रेलवे साइडिंग	436.15	•	'	436.15	436.15	•	'	1	436.15	0.00	00.00
10		613.61	61.35	121.24	553.73	486.81	48.74	121.19	1	414.35	139.37	126.80
		553.62	116.60	79.53	590.69	445.99	60.37	79.27	1	427.08	163.60	107.62
	12 प्रयोगशाला, औषधालय											
	एवं अ एवं वि उपकरण	1,495.90	52.99	129.96	1,418.93	1,338.91	44.11	130.00	1	1,253.03	165.90	156.99
<u></u>	13 विद्युत प्रतिष्टान एवं उपकरण	2,813.58	1,396.24	366.18	3,843.64	2,360.19	210.73	365.86	-	2,205.06	1,638.58	453.40
	कुल योग	50,108.23 12,851.99	12,851.99	2,384.84	60,575.39	36,018.53	2,862.43	2,379.84	1	36,501.13	24,074.26	14,089.70
	मिछले वर्ष	48,595.69 1,690.27	1,690.27	177.73	50,108.23	33,175.57	2,020.60	164.37	986.73	36,018.53	14,089.70	

रु. लाख में

		_					
જ. લાલન	लाक	31.03.2015 को	29.07	453.85	3.68	486.80	
	शुद्ध ब्लाक		25.42	328.47	5.61	359.50	486.80
	. शुद्ध ब्लाक	31.03.2016 तक	50.69	658.75	7.82	717.26	287.00
	मृत्य हास	कटौतीयॉ	1	1	1.15	1.15	1
		वर्ष में उपलबध	3.65	125.39	2.38	131.41	135.91
		कटौती 31.03.2016 को 01.04.2015 तक वर्ष में उपलबध कटौतीयाँ 31.03.2016 तक 31.03.2016 को	47.04	533.36	09'9	587.00	451.09
		31.03.2016 को	76.11	987.21	13.44	1,076.76	1,073.80
	। ब्लॉक	कटौती	-	'	1.15	1.15	1
	लागत पर सकल ब्लॉक	योग	1	'	4.11	4.11	'
	طاءاد	01.04.2015 को	76.11	987.21	10.48	1,073.80	1,073.80
		विवरण	खनन पट्टा	प्रतिप्रतिपूरक वनरोषण प्रभार	कंष्यूटर सोफ्टवेअर	कुल योग	पिछले वर्ष
			_			_	_

पूंजीगत कार्य प्रगति पर	12,525.73	2,436.45	12,084.30	2,877.87
मिछले वर्ष	10,537.05	2,963.63	974.95	12,525.73

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

NOTE -9A FIXED ASSETS TANGIBLE

TAN	TANGIBLE											(₹ in lakh)
			GROSS BLC	GROSS BLOCK AT COST			DEPRE	DEPRECIATION			NET BLOCK	CK
S.	PARTICULARS	As on	ADDITION	DEDUCTION	AS AT	UP TO	PROVIDED	PROVIDED DEDUCTIONS	RETAINED	UP TO	AS AT	AS AT
Š.		01.04.2015			31.03.2016	01.04.2015	DURING THE YEAR		EARNING	31.03.2016	31.03.2016	31.03.2015
~	Lease hold land											
	a. Held for mining	61.11	1		61.11	27.90	3.21	1		61.11	00.00	3.21
	b. Others	3.80	1	•	3.80	1.15	0.04	1	1	1.19	2.61	2.65
7	Free hold land				•					•		1
	a. Held for mining	7,189.82	763.60	1	7,953.42	2,008.62	36.53	1		2,045.16	5,908.26	5,181.19
	b. Others	436.05	1	-	436.05	1	1	1	1		436.05	436.05
က	Bridges, Culverts, bunders	3.98	211.10	1	215.08	2.80	7.15	1	1	9.94	205.14	1.18
4	Roads	456.66	215.55	0.20	672.00	395.58	64.30	0.20	1	459.68	212.32	61.08
2	Buildings	6,602.47	2,818.80	49.33	9,371.94	4,275.06	290.62	48.06	1	4,517.63	4,854.31	2,327.41
9	Plant and Machinery	28,365.36	7,187.56	1,577.81	33,975.11	23,345.03	2,035.78	1,575.55	-	23,805.25	10,169.86	5,020.33
7	Furniture & Fixtures	670.00	28.21	46.24	651.97	527.65	34.18	45.35	1	516.47	135.50	142.35
∞	Motor Vehicles	406.12	-	14.35	391.76	336.69	26.68	14.35	-	349.01	42.75	69.42
6	Railway Siding	436.15	-	-	436.15	436.15	-	-	-	436.15	00.00	0.00
10	Office equipment	613.61	61.35	121.24	553.73	486.81	48.74	121.19	-	414.35	139.37	126.80
7	Computers and Data											
	processing	553.62	116.60	79.53	590.69	445.99	60.37	79.27	-	427.08	163.60	107.62
12	Laboratory, Dispens-											
	ary and R &D											
	equipments	1,495.90	52.99	129.96	1,418.93	1,338.91	44.11	130.00	1	1,253.03	165.90	156.99
13	Electrical installations											
	& equipments	2,813.58	1,396.24	366.18	3,843.64	2,360.19	210.73	365.86	1	2,205.06	1,638.58	453.40
	GRAND TOTAL	50,108.23	12,851.99	2,384.84	60,575.39	36,018.53	2,862.43	2,379.84	1	36,501.13	24,074.26	14,089.70
	Previous year	48,595.69	1,690.27	177.73	50,108.23	33,175.57	2,020.60	164.37	986.73	36,018.53	14,089.70	

NTA	INTANGIBLE										₹ in lakh
			9	GROSS BLOCK AT COST	r cost		DEPR	DEPRECIATION			NET BLOCK
SI. No.	PARTICULARS	As on 01.04.2015	ADDITION	ADDITION DEDUCTION	AS AT 31.03.2016	UP TO 01.04.2015	PROVIDI DURII	DEDUCTIONS		UP TO AS AT AS AT 31.03.2016 31.03.2015	AS AT 31.03.2015
-	Mining lease	76.11	•		76.11	47.04	3.65	•	50.69	25.42	29.07
2	Compensatory afforestation charges	987.21			987.21	533.36	125.39	•	658.75	328.47	453.85
က	Computer software	10.48	1	•	13.44	09.9	2.38	1.15	7.82	5.61	3.68
	Total	1,073.80	4.11	1.15	1,076.76	00'285	131.41	1.15	717.26	359.50	486.80
	Previous Year	1,073.80	4.11	1.15	1,073.76	451.09	135.91	-	587.00	486.80	

₹ in lakh

CAPITAL WORK IN PROGRESS 12,525.73	12,525.73	2,436.45	12,084.30	2,877.87
Previous year	10,537.05	2963.63	974.95	12,525.73



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट-9ख - अचल परिसंपत्तियों पर नोट्स

1. पट्टे वाली भूमि

- क) इसमे ऑसकॉम साइट में 21.832 एकड़ (पिछले वर्ष 21.832 एकड़) भूमि शामिल नहीं है जिसका कब्जा कंपनी द्वारा ले लिया गया है तथा मुआवजा राशि निश्चित नहीं हुई है और पट्टेवाली भूमि अधिकारों के अंतरण हेतु औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं।
- ख) द्वितीय चरण के अंतर्गत ओड़िशा सरकार से कंपनी द्वारा ओड़िशा में अधिगृहित 244.436 एकड़ (पिछले वर्ष 244.436 एकड़) भूमि शामिल है । रु. 118.86 लाख के प्रीमियम पर 475.436 एकड़ भूमि को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.12.1992 के आदेश द्वारा कंपनी के नाम हस्तांतरित किया गया था । राजस्व प्राधिकारियों को दिनांक 12.04.2002 के बाद पता चला कि इस भूमि का हस्तांतरण अनियमित एवं प्रारंभ से अमान्य था तथा उन्होंने तहसीलदार के पिछले आदेश को रद्द कर दिया । 475.436 एकड़ भूमि में से 231 एकड़ खनन की जा चुकी भूमि दिनांक 22.04.2002 के जिलाधिकारी आदेश के माध्यम से ओड़िशा सरकार द्वारा ले ली गई थी । कंपनी ने ओड़िशा सरकार से उपर्युक्त राशि की वापसी की मांग की है या वैकल्पिक रुप से खनन के लिए समकक्ष जमीन के आबंटन की मांग की है ।

2. पूर्ण स्वामित्व भूमि

- क) इसमें आलवे में केरल सरकार से नि :शूल्क प्राप्त लगभग 24.26 एकड़ भूमि के लिए रु. 1/- (पिछले वर्ष रु. 1/-) सम्मिलित है ।
- ख) इसमें केरल में चवरा में 9.43 एकड़ (पिछले वर्ष 9.43 एकड़) भूमि सम्मिलित है जिसे उन भूस्वामियों को नि :शुल्क दी जाएगी जिनसे कुछ औपचारिकताओं को पूरा कर के भूमि अधिगृहीत की गई है ।
- ग) इसमें विशेष तहसीलदार (एलए), केएमएमएल, चवरा द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार चवरा यूनिट द्वारा अधिगृहित भूमि के लिए बढ़ाए गए मुआवजे के लिए रु. 0.31 लाख (पिछले वर्ष 1.42 लाख) की जमा की गई राशि सम्मिलित है ।
- घ) इसमें 1964 में रे.अ. प्रभाग को सौंपी गई 4.75 एकड़ (पिछले वर्ष 4.75 एकड़) की पट्टी भूमि सम्मिलित है जिसे केरल सरकार द्वारा वापस लेने का आदेश जारी किया गया है । कंपनी ने उक्त आदेश को निरस्त करने के लिए केरल सरकार से संपर्क किया है ।
- ड) इसमें रु. 1000 प्रतिवर्ष के नाममात्र के पट्टा किराए पर बस स्टैंड के निर्माण के लिए विलेख की तिथि अर्थात 11.08.2006 से 30 वर्षों की अविध के लिए तिमलनाडु सरकार को पट्टे पर दी गई कन्याकुमारी जिले में मनवलाकुरिची गांव में स्थित लगभग 75.37 सेंट्स (पिछले वर्ष लगभग 75.37 सेंट्स) भूमि सम्मिलित है ।
- च) इसमे एनके ब्लॉक VI अलप्पडु क्षेत्र एवं एनके ब्लॉक II करीतुरा क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा अनिधकृत रूप से कब्जा की गई समेकित रूप से लगभग 130 सेंट भूमि सम्मिलित है, कंपनी से ऐसे अनिधकृत कब्जों को हटाने के लिए विधिक उपाय किए हैं ।

3. भवन

- क) इसमें मुंबई के आवासीय तथा अन्य भवनों की लागत शामिल है जिसका कब्जा रु. 53.43 लाख (पिछले वर्ष रु. 53.43 लाख) का भुगतान करने पर कंपनी को सौंपा गया था जिसका कंपनी के पक्ष में हस्तांतरण/अंतरण प्रलेखों का निष्पादन लंबित है ।
- ख) इसमें विभिन्न को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटियों में रु. 0.02 लाख (पिछले वर्ष रु. 0.02 लाख) के शेअर शामिल है । कंपनी द्वारा रु. 50/- प्रत्येक की लागत पर 35 शेअर धारित किए गए हैं।



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

Note 9B - Notes on fixed assets

1. Lease hold land

- a) Excludes 21.832 acres (previous year 21.832 acres) of land at Orissa Sands Complex (OSCOM) site, possession of which has been taken over by the Company, but the compensation amount is not decided and formalities for transfer of lease hold land rights have not been completed.
- b) Includes 244.436 acres (previous year 244.436 acres) of land in Odisha acquired by the Company from the Government of Odisha on lease under second phase. The 475.436 acres of land was transferred at a premium of ₹ 118.86 lakhs by the then Tahsildar to the Company's name by an order dated 30-12-1992. he Revenue authorities had since on 12-04-2002 observed that the transfer of this land was irregular & void ab-initio and have quashed the earlier order of Tahsildar. Out of 475.436 acres of land, 231 acres of mined out land had been taken over by the Government of Odisha vide collector order dated 22-04-2002. The Company has sought refund of aforesaid amount (₹ 118.86 lakhs) from the Govt. of Odisha or alternatively to allot equivalent land for mining purpose.

2. Free hold land

- a) Includes ₹ 1/- (previuos year ₹ 1/-) towards approx. 24.26 acres land received free of cost from the Government of Kerala at Alwaye.
- b) Includes 9.43 acres (previous year 9.43 acres) of land at Chavara in Kerala agreed to be given free of cost to the landlords from whom land is acquired on completion of certain formalities.
- c) Includes ₹ 0.31 lakhs (previous year ₹ 0.31 lakhs) deposited as directed by the special Tahasildar (LA), KMML, Chavara towards enhanced compensation for the land acquired by Chavara Unit.
- d) Includes a patta land of 4.75 acres (previous year 4.75 acres) assigned to R E Division in the year 1964 has been ordered to be resumed back by the Government of Kerela. The Company has approached the Kerala Government for cancellation of the said order.
- e) Includes Approx. 75.37 cents (previous year approx. 75.37 cents) of land situated at Manavalakurichi Village in Kanyakumari District given on lease to the Govt. of Tamil Nadu for a period of 30 years from the date of deed i.e. 11.08.2006 for the construction of bus stand on a nominal lease rent of ₹ 1000 p.a.
- f) Includes Approx. 130 cents (previous year 130 cents) of land in aggregate situated at NK Block VI Alappadu area & NK Block II Karithura area encroached by some persons, the Company has taken legal recourse to clear such encroachment.

3. Buildings

- a) Includes cost of residential and other buildings at Mumbai the possession of which was handed over to the Company on payment of ₹ 53.43 lakhs (previous year ₹ 53.43 lakhs) and for which execution of conveyance/transfer documents in favor of the Company is pending.
- b) Includes shares of ₹ 0.02 lakhs (previous year ₹ 0.02 lakhs) in various Co-Operative Housing Societies.Number of the shares held by the Company are 35 at a cost of ₹ 50 each.
- c) Excludes Godown at IGCAR, Kalpakam costing ₹ 80.15 lakhs (Previous year ₹ 80.15 lakhs), the entire cost is met out of funds received from the Government of India.



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

- ग) इसमें रु. 80.15 लाख (पिछले वर्ष रु. 80.15 लाख) की लागत का आईजीसीएआर, कलपक्कम स्थित गोदाम शामिल नहीं है, क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।
- घ) इसमें एमके और ऑसकॉम स्थित मोनाजाइट गोदाम/ट्रेन्चों के लिए प्रतिधारित राशि रु. 5/- (पिछले वर्ष रु. 5/-) शामिल है जिसकी लागत भारत सरकार से प्राप्त रु. 73.76 लाख (पिछले वर्ष रु. 73.76 लाख) की निधि से वहन की गई है ।
- ड) इसमें रेअर अर्थ्स प्रभाग स्थित थोरियम सिलों के लिए प्रतिधआरित राशि रु. 1/- (पिछले वर्ष रु. 1/-) शामिल है जिसकी लागत भारत सरकार से प्राप्त रु. 122.33 लाख (पिछले वर्ष रु. 122.33 लाख) की निधि से वहन की गई है ।
- च) इसमें मनवलाकुरिची यूनिट में स्थित आवासीय संकुल के रु. 132.09 लाख (पिछले वर्ष रु. 132.09 लाख) की कुल लागत शामिल है जिसका निर्माण विभिन्न प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमति लिए बिना निषेधित क्षेत्र में किया गया है ।
- छ) इसमें रु. 162.06 लाख (पिछले वर्ष रु. 162.06 लाख) की लागत की इमारतें शामिल हैं जो श्रस्ट परियोजना का मूल्य है एवं जिसका मूल्य संपूर्ण के रुप में रु. 7/- (पिछले वर्ष रु. 7/-) है क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।
- ज) इसमें कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा दी गई पट्टाधारित जमीन पर रु. 3.07 लाख (पिछले वर्ष 3.07 लाख) की लागत से निर्मित वेलिंगटन गोदाम की लागत शामिल है । उपुर्यक्त भूमि तथा निर्मिथ भवन जहाँ तहाँ दिनांक 25.01.2016 को कोचिन पार्ट ट्रस्ट को सौपा तथा भवन का मूलय को वर्ष के अंतर्गत बही लेखा में समायेजित किया गया।
- झ) इसमें ओड़िशा सरकार द्वारा दी गई पट्टाधारित भूमि पर निर्मित भुवनेश्वर कोऑडिशन सेंटर की रु. 21.36 लाख (पिछले वर्ष रु. 21.36 लाख) की लागत सम्मिलित है ।
- ञ) इसमें आंशिक रुप से पट्टाधारित भूमि पर निर्मित ऑसकॉम हाउसिंग कॉलोनी की रु. 346.63 लाख (पिछले वर्ष रु. 346.63 लाख) की लागत शामिल है ।
- ट) इसमें रु. 10.78 लाख (पिछले वर्ष रु. 10.78 लाख) की लागत पर निर्मित ट्रेंचों के लिए धारित धनराशि रु.2/- (पिछले वर्ष रु.2/-) सम्मिलित है जिसे भारत सरकार से प्राप्त निधियों से वहन किया गया है।
- ठ) इसमें कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय भवन के सुधार की रु. 26.07 लाख (पिछले वर्ष रु. 26.07 लाख) की लागत सम्मिलित है, उक्त भवन को रु. 1069.20 लाख की गैर-ब्याज वहनीय डिपाजिट धनराशि एवं रु. 1000/- प्रतिवर्ष के पट्टा भाड़े पर 20 वर्ष की अविध के लिए मेसर्स ईसीआईएल, डीएई के अधीन एक पीएसयू, भारत सरकार से पट्टे पर लिया गया है ।

4. सड़कें

इसमें रु. 2.98 लाख (पिछले वर्ष रु. 2.98 लाख) की सड़कों की लागत शामिल है जो कि थ्रस्ट परियोजना का मूल्य है एवं जिसका मूल्य रु. 1/- (पिछले वर्ष रु. 1/-) है क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।

5. <u>संयंत्र, मशीनरी एवं विद्युत उपकरण</u>

इसमें रु. 743.92 लाख (पिछले वर्ष रु. 743.92 लाख) की लागत के प्लांट एवं मशीनरी शामिल है जो थ्रस्ट परियोजना का मूल्य है एवं संपूर्ण लागत के रुप में जिसका मूल्य रु.126/- (पिछले वर्ष रु. 126/-) है क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

- d) Includes ₹ 5/- (Previous year ₹ 5/-) being amount retained towards Monazite godown / trenches at MK and OSCOM, the cost of which is met out of funds received from Government of India ₹ 73.76 lakhs (Previous year ₹ 73.76 lakhs).
- e) Includes ₹ 1/- (Previous year ₹ 1/-) being amount retained towards thorium silo at R.E.Division, the cost of which is met out of funds received from the Government of India ₹ 122.33 lakhs (Previous year ₹ 122.33 lakhs).
- f) Includes cost of ₹ 132.09 lakhs (Previous year ₹ 132.09 lakhs) being value of the housing complex at Manavalakurichi unit which has been constructed in a prohibited area without the required permission from various authorities.
- g) Includes building costing ₹ 162.06 lakhs (Previous year ₹ 162.06 lakhs) being value of THRUST project and valued at ₹ 7/- (Previous year ₹ 7/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.
- h) Includes cost of Wellington godown amounting to ₹ Nil (previous year ₹ 3.07 lakhs) was constructed on leasehold land provided by the Cochin Port Trust . The said land along with the building constucted thereon was handed over to Cohin Port Trust on 25.01.2016 as is where is basis and the value of building along with consideration is appropriately adjusted in books of account during the year.
- Includes cost of Bhubaneshwar co-ordination centre amounting to ₹ 21.36 lakhs (previous year ` 21.36 lakhs) constructed on leasehold land provided by Government of Odisha
- j) Includes cost of OSCOM housing colony amounting to ₹ 346.63 lakhs (previous year ₹ 346.63 lakhs) constructed partly on leasehold land.
- k) Includes ₹ 2 /- (previous year ₹ 2) being the amount retained towards trenches constructed at a cost of ₹ 10.78 lakhs (previous year ₹ 10.78 lakhs) which is met out of the funds received from the Government of India
- I) Includes cost of improvement of the Registered Office building of the Company amounting to ₹ 26.07 lakhs (previous year ₹ 26.07 lakhs) which is taken on lease from M/s ECIL, a PSU under DAE, Govt. of India for a period of 20 years against a total non-interest bearing deposit amounting to ₹ 1069.20 lakhs alongwith a lease rent of ₹ 1000 p.a.

4. Roads

Includes roads costing ₹ 2.98 lakhs (Previous year ₹ 2.98 lakhs) being the value of THRUST project valued at ₹ 1/- (Previous year ₹ 1/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India

5. Plant and Machinery

Includes Plant and Machinery costing ₹ 743.92 lakhs (Previous year ₹ 743.92 lakhs) being value of the THRUST Project and valued at ₹ 126/- (Previous year ₹ 126/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तिय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

6. विद्युत प्रतिष्ठापन एवं उपकरण

इसमें रु. 37.73 लाख (पिछले वर्ष रु. 37.73 लाख) की लागत के विद्युत प्रतिष्ठापन एवं उपकरणें शामिल है जो थ्रस्ट परियोजना का मूल्य है एवं जिसका मूल्य रु. 10/- (पिछले वर्ष रु. 10/-) है क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।

7. प्रयोगशाला, औषधालय एवं अनुसंधान एवं विकास उपकरण

इसमें रेअर अर्थ्स प्रभाग में स्थापित प्रयोगशाला उपकरणों की लागत रु. 132.87 लाख (पिछले वर्ष 132.87 लाख) शामिल है, एवं जिसका मूल्य रु. 107/- (पिछले वर्ष रु. 107/-) है क्योंकि उसकी पूरी लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।

8. <u>फर्नीचर एवं जुड़नार</u>

इसमें रेअर अर्थ्स प्रभाग में फर्नीचर की लागत रु. 0.15 लाख (पिछले वर्ष रु. 0.15 लाख) की लागत शामिल है एवं जिसका मूल्य रु. 3/- (पिछले वर्ष रु. 3/- है) क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।

9. कम्प्यूटर्स और डाटा प्रोसेसिंग

इसमें रेअर अर्थ्स प्रभाग, ऑसकॉम एवं एमके में स्थित कंप्यूटर शामिल है जिनकी लागत रु. 1.05 लाख (पिछले वर्ष रु. 1.05 लाख) तथा जिसका मूल्यांकन रु. 3/- (पिछले वर्ष रु. 3/-) पर किया गया है क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त निधि से वहन की गई है ।

		31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
गैर वर्तम	ान निवेश		
नोट-10 लागत पर	र अन्य गैर वर्तमान निवेश		
	. 100/- प्रत्येक के 833 शेअर (पिछले वर्ष 833 शेअर), आईआरई र्मचारी ग्राहक सहकारी भंडार लि., एल्लूर को पूर्णत: प्रदत्त	0.83	0.83
` '	. 10/- प्रत्येक के 1094 शेअर (पिछले वर्ष 1094 शेअर), आईआरई र्मचारी ग्राहक सहकारी भंडार लि., मनवलाकुरिची को पूर्णतः प्रदत्त	0.11	0.11
` ′	. 10/- प्रत्येक के 200 शेअर (पिछले वर्ष 200 शेअर) आईआरई म्लाइज थ्रस्ट एंड क्रेडिट सोसायटी लि., मनवलाकुरिची को पूर्णत : प्रदत्त	0.02	0.02
, ,	. 10/- प्रत्येक के 4550 'वी' क्लास शेअर (पिछले वर्ष 4550 'वी' क्लास यर) आईआरई कर्मचारी ग्राहक सहकारी भंडार लि., चवरा को पूर्णत : प्रदत्त	0.46	0.46
	गैर वर्तमान निवेश का कुल	1.42	1.42
निवेश	गैर ट्रेड एवं उदधृत नहीं हैं।		



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

₹ in lakh

6. <u>Electrical Installation & Equipments</u>

Includes Electrical Installation and Equipments costing ₹ 37.73 lakhs (Previous year ₹ 37.73 lakhs) being value of the THRUST Project and valued at ₹ 10/- (Previous year ₹ 10/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

7. Laboratory, Dispensary and R&D Equipments

a. Includes laboratory equipment costing ₹ 132.87 lakhs (Previous year ₹ 132.87 lakhs) installed in R.E. Division and valued at ₹ 107 (Previous year ₹107) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

8. Furniture and Fixtures

b. Includes furniture costing ₹ 0.15 lakhs (Previous year ₹ 0.15 lakhs) at R.E. Division and valued at ₹ 3/- (Previous year ₹ 3/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

9. Computers and data Processing

c. Includes computers costing ₹ 1.05 lakhs (Previous year ₹ 1.05 lakhs) at R.E.Division, OSCOM, and MK valued at ₹ 3/- (Previous year ₹ 3/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

₹ in Lakhs

	As at As at		
		31st March, 2016	
	NON-CURRENT ASSETS		
Note 10	NON-CURRENT INVESTMENT		
	Other non-current investments at cost		
	(i) 833 shares (previous year 833 shares) of ₹ 100 each, fully paid of IRE Employees' Consumers' Co-operative Stores Ltd., Eloor	0.83	0.83
	(ii) 1,094 shares (previous year 1094 shares) of ₹ 10 each, fully paid of IRE Employees' Consumers' Co-operative Stores Ltd., Manavalakurichi	0.11	0.11
	(iii) 200 shares (previous year 200 shares) of ₹ 10 each, fully paid of IRE Employees' Thrift and Credit Society Ltd., Manavalakurichi	0.02	0.02
	iv) 4,550 'B' class shares (previous year 4,550 'B' class shares) of ₹ 10/- each fully paid of IRE Employees' Consumer Co-operative stores Ltd, Chavara	0.46	0.46
	Total of Non-Current Investment	1.42	1.42
	Investments are non-trade and unquoted.		
	65	As at	As at

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
नोट-11 आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	5,892.51	5,580.08
आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	5,892.51	5,580.08
डीटीए एंड डीटीएल के विवरण के लिए नोट 11 क देखें		

नोट सं. 11 क : अस्थिगत कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं में निम्नलिखित सिम्मिलित हैं: ।

रु. लाख में

				v. ma i
क्र.सं.	विवरण	01.04.2015 को आदि शेष	वर्तमान वर्ष 2015-16	31.03.2016 को अंत शेष
क)	क) आस्थगित कर देयताएं			
	1 पुस्तक एवं कर मूल्यहास के बीच अंतर	233.29	2,025.12	2,258.41
	योग-क	233.29	2,025.12	2,258.41
ख)	आस्थिगित कर परिसंपत्तियाँ 1 धारा 43 ख के तहत नामंजूरियाँ समयांतरों के रुप में मंजूरी योग्य	3,231.14	105.04	3,336.18
	2 संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	75.38	576.23	651.61
	3 सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना	1,780.39	(201.53)	1,578.86
	4 अन्य समयांतर	726.46	577.25	1,303.71
	5 अनवशोषित मूल्यह्यास	0.00	1,280.56	1,280.56
	कुल - ख	5,813.37	2,337.55	8,150.92
ग)	शुद्ध आस्थगित कर	5,580.08	312.43	5,892.51

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

₹in la		₹ in lakh
	31st March, 2016	31st March, 2015
NON-CURRENT ASSETS		
Note 11 DEFERRED TAX ASSET (NET)	5,892.51	5,580.08
DEFERRED TAX ASSET (NET)	5,892.51	5.580.08
Refer Note 11 A for details of DTA and DTL		

Note no 11 A: Deferred tax assets and liabilities comprise of following:

₹ in Lakhs

SI. No	Pai	ticulars	Opening balance as at 01.04.2015	Current year 2015-16	Closing balance as at 31.03.2016
A)	A)	Deferred Tax Liability			
	1	Difference between book and tax depreciation	233.29	2,025.12	2,258.41
		Total-A	233.29	2,025.12	2,258.41
B)	Def	ferred Tax Assets			
	1	Disallowance U/s 43B allowable as timing difference	3,231.14	105.04	3,336.18
	2	Provision for Doubtful debts and advances	75.38	576.23	651.61
	3	Post Retirement Medical Scheme	1,780.39	(201.53)	1,578.86
	4	Other timing difference	726.46	577.25	1,303.71
	5	Unabsorbed Depreciation	0.00	1,280.56	1,280.56
		Total-B	5,813.37	2,337.55	8,150.92
C)	Ne	Deferred Tax	5,580.08	312.43	5,892.51

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

			रु. लाख मे
		31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
गैर वर्तमान पा	रेसंपित्तयाँ		
नोट-12	दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम		
क)	पूंजीगत अग्रिम		
,	i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	-
	ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	115.72	63.54
	iii) संदिग्ध माने गए	6.67	6.67
ख)	सुरक्षा जमा		
	i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	-
	ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	1,763.98	1,768.52
	iii) संदिग्ध माने गए	60.01	60.37
ग)	अन्य ऋण एवं अग्रिम-कर्मचारी #		
	i) सुरक्षित शोध्य माने गए	1,460.04	1,642.42
	ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	252.11	283.74
	iii) संदिग्ध माने गए	-	-
ਬ)	अन्य ऋण एवं अग्रिम-नकद् अथवा अन्य किसी प्रकार अथवा प्राप्त हो	 	
	वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम		
	i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	-
	ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	26.79	36.09
	iii) संदिग्ध माने गए	1,898.26	107.82
퍟)	कर का अग्रिम भुगतान		
	i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	-
	ii) असुरक्षित शोध्य माने गए (शुद्ध)##	5,229.96	3,602.65
	iii) संदिग्ध माने गए	-	-
	दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिमों का योग	10,813.54	7,571.82
घट	ाएं : संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान	1,964.94	174.86
	दीर्घकालीक ऋण एवं अग्रिम (शुद्ध)	8,848.60	7,396.96
# 5	நंपनी के निदेशकों एवं अधिकारियों से बकाया नीचे इंगित है		
	सुरक्षित	_	-
	असुरक्षित	-	-
##	[‡] नोट सं. 30 देखें		

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

₹ in lakh			₹ in lakh
		As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
NON-CURRE	ENT ASSETS		
Note 12	LONG TERM LOANS AND ADVANCES		
a)	Capital advances i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful	- 115.72 6.67	63.54 6.67
b)	Security Deposits i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful	1,763.98 60.01	1,768.52 60.37
c)	Other loans and advances-employees# i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful	1,460.04 252.11	1,642.42 283.74
d)	Other loans and advances-advances recoverable in cash or kind or for value to be received i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful	- 26.79 1,898.26	36.09 107.82
e)	Advance payment of tax i) Secured considered good ii) Unsecured considered good (net) ## iii) Considered doubtful	5,229.96 -	3,602.65 -
То	tal of Long Term Loans and Advances	10,813.54	7,571.82
	ess : Provision for Doubtful debts and Advances	1,964.94	174.86
Lo	ong Term Loans and Advances (Net)	8,848.60	7,396.96
	Due from Directors' and officers of the company indicated below Secured Unsecured		- -
## Refer Note	e No. 30		



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

			रु. लाख म
		31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
नोट-13 उ	अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
	क) दीर्घकालिक प्राप्य ट्रेड		
	i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	_
	ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	-	-
	iii) संदिग्ध माने गए	5.29	3.32
	ख) प्राप्य दावे		
	i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	-
	ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	-	-
	iii) संदिग्ध माने गए	117.13	18.23
	अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों का कुलयोग	122.42	21.55
	घटाएं : संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	122.42	21.55
	अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	-	-
	गैर वर्तमान परिसंपत्तयों का योग	42,159.73	40,737.00
वर्तमान परि	रेसंपत्तियाँ		
नोट-14	वस्तुसूचियाँ		
	(क) कच्ची सामग्री	695.25	970.20
	(ख) कार्य प्रगति पर	991.30	1,088.82
	(ग) तैयार माल	7,820.98	8,457.12
	(घ) भंडार एवं पुर्जे #	3,159.20	2,906.60
	(ङ) खुले औजार	6.11	4.62
	(च) अन्य - आगे के संसाधन के लिए माध्यमिक उत्पाद	124.51	45.65
	वस्तु सूचियों का योग	12,797.38	13,473.01

रु. 5.11 लाख का परीक्षण अवधि के दौरान उत्पादन सम्मिलित है । (पिछले वर्ष रु. 352.08 लाख)

1. निम्नलिखित से संबंधित मार्गस्थ माल सहित वस्तुसूचियाँ

- कच्ची सामग्री 16.85 0.89 - भंडार एवं पुर्जे 39.27 185.19

2. मानाजाइट का माध्यमिक उत्पाद में अतिरिक्त प्रक्रिया के लिए राशि 18.93 लाख (पिछले वर्ष 31.91 लाख) सिम्मिलित है।

अतिरिक्त राशि शून्य (पिछले वर्ष 1.80 लाख) भंडार से इस वर्ग का स्थानांतरित किया।

3. मूल्यांकन का तरीका महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के नोट सं. 1 के क्र.सं. 1.7 में दिया गया है ।

4. केएमएमएल कार्यकलाप फुटकर कार्य के संबंध मे तैयार माल की राशि शून्य (पिछले वर्ष रु. 18.85 लाख) इसमे सम्मिलित है।

5. भंडार एवं पुर्जी की वस्तुसूची में 1988-89 एवं 1990-91 में प्राप्त 101.440 किया. चांदी (पिछले वर्ष 101.440 किया.) सिम्मिलित है । चूंकि चांदी के अवशेष पर कोई प्रभार नहीं लगाया गया था और बीएआरसी को कोई प्रभार नहीं दिया गया था, अत : उक्त वस्तुसूची को काल्पनिक रूप से रु. 1/- पर मूल्यांकन किया गया है (पिछले वर्ष रु. 1/-)।

6. एनआरवी दर अनुपलब्धता के कारण एमओपीपी में उत्पादित एनजीएडीयू का उत्पादन लागत माना गया ।



	lotes	s forming part of financial statements for the	e year ended 31st M	arch 2016
			_	₹ in lakh
			As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
NOTE 13	ОТІ	HER NON-CURRENT ASSETS		
	a)	Long term trade receivables i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful	- - 5.29	3.32
	b)	Claims Receivable i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) Considered doubtful	- - 117.13	- - 18.23
		Total of Other Non- Current Assets	122.42	21.55
		Less: Provision for doubtful debts	122.42	21.55
		Other Non- Current Assets (Net)	-	-
		TOTAL OF NON-CURRENT ASSETS	42,159.73	40,737.00
CURREN	TAS	SETS		
NOTE 14		INVENTORIES		
		 (a) Raw materials (b) Work -in -progress (c) Finished goods# (d) Stores and spares (e) Loose tools (f) Others- Intermediate products for further processing 	695.25 991.30 7,820.98 3,159.20 6.11 124.51	970.20 1,088.82 8,457.12 2,906.60 4.62 45.65
		Total of Inventories	12,797.38	13,473.01

Includes ₹ 5.11 lakhs trial run production. (Previous year ₹ 352.08 Lakh)

1. Inventories includes goods in transit relating to

- Raw materials	16.85	0.89
- Stores & spares	39.27	185.19

- 2. Intermediate product for further processing includes an amount of ₹ 18.93 lakhs (Previous year ₹ 31.91 lakhs) of monazite. Further an amount of ₹ Nil (Previous year ₹ 1.80 lakhs) is transferred to this category from stores.
- 3. Mode of valuation is stated in SI no 1.7 of Note no 1 of Significant accounting policies.
- 4. Finished Goods includes an amount of ₹ Nil (Previous year ₹18.85 lakh) pertaining to KMML transaction related to job work.
- 5. Inventory of stores and spares includes 101.440 kg of silver (Previous year 101.440 kg) recovered during 1988-89 and 1990-91. Since no cost was allocated to silver residue and no charges were paid to BARC, the said inventory has notionally been valued at ₹1/-. (Previous year ₹1).
- 6. NGADU produced at MoPP is considered at cost of production due to unavailability of NRV price for same.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख रे

		31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
वर्तमान प	रिसंपत्तियाँ		
नोट-15	प्राप्य ट्रेड क) भुगतान की देय तारीख से छ: माह से अधिक की अविध के लिए बकाया ऋण i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	- 621.54	- 573.13
	iii) संदिग्ध माने गए	-	-
	ख) अन्य ऋण i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए	446.01 2.84	814.22 1,279.83
	प्राप्य ट्रेड का योग ्र	1,070.39	2,667.18
	घटाएं : संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	-	-
	प्राप्य ट्रेड (शुद्ध)	1,070.39	2,667.18
	क) नकदी एवं नकदी तुल्य i) बैंकों के चालू खाते में जमा शेष ii) बैंक जमाराशियाँ:	1,859.70	1,710.67
	क) नकदी एवं नकदी तुल्य i) बैंकों के चाल खाते में जमा शेष	1,859.70	1,710.67
	1) तीन महिनों से कम	-	2 000 00
	iii\ 2191 II =126 21167		3,000.00
	iii) हाथ में चेक, ड्राफ्ट iv) हाथ में नकदी	2.92	3,000.00 - 3.95
,	iv) हाथ में नकदी ख) अन्य बैंक जमाशेष - i) बैंकों में चिन्हित जमा (पीआरएमएस) ii) 12 महिनों से अधिक के लिए रखा गया जमा	2,500.00	3.95 2,500.00 1,800.00
;	iv) हाथ में नकदी ख) अन्य बैंक जमाशेष - i) बैंकों में चिन्हित जमा (पीआरएमएस)		3.95 2,500.00

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

				₹ in lakh
			As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
CURRENT	ΓAS	SETS		
NOTE 15	TRA	ADE RECEIVABLES		
	(a)	Debts outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) considered doubtful	- 621.54 -	- 573.13 -
	(b)	Other debts i) Secured considered good ii) Unsecured considered good iii) considered doubtful	446.01 2.84 -	814.22 1,279.83
		Total of Trade Recievable	1,070.39	2,667.18
		Less : Provision for doubtful debts Trade Receivable (Net)	1 070 20	2 667 10
		Trade Receivable (Net)	1,070.39	2,667.18
CURRENT	ΓAS	SETS		
NOTE 16	CAS	SH AND BANK BALANCES		
	a)	Cash and cash equivalents i) Balance in current account with banks ii) Bank deposits: 1) less than three months iii) Cheques, drafts on hand iv) Cash on hand	1,859.70 - - 2.92	1,710.67 3,000.00 - 3.95
	b)	Other bank balance- i) Earmarked deposit with banks (PRMS) ii) Deposits placed for more than 12 months iii) Deposits placed for 12 months iv) Deposits held as margin money	2,500.00 - 27,625.13 114.64	2,500.00 1,800.00 31,431.40 111.76
		Total of Cash and Bank balances	32,102.39	40,557.78
		69		

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

	31 मार्च 2016 को	रु. लाख [.] 31 मार्च 2015 के
	जा नाय 2010 की	जा नाप 2015 क
वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
नोट-17 अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम		
क) ऋण एवं अग्रिम-कर्मचारी #		
i) सुरक्षित शोध्य माने गए	297.18	366.08
ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	577.80	535.40
iii) संदिग्ध माने गए	-	
ख) ऋण एवं अग्रिम-नकद अथवा किसी प्रकार अथवा प्राप्त होने वाले		
मूल्य के रुप में वसूली योग्य अग्रिम		
i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	
ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	9,467.01	9,418.37
iii) संदिग्ध माने गए	17.52	17.52
अल्पकालिक ऋणों एवं अग्रिमों का योग	10,359.51	10,337.37
घटाएं : संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान	17.52	17.52
अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम (शुद्ध)	10,341.99	10,319.85
# कंपनी के निदेशकों एवं अधिकारियों से बकाया नीचे इंगित है ।		.,
सुरक्षित	_	0.58
असुरक्षित असुरक्षित	0.70	0.14
जतुरावारा जतुरावारा	0.70	
	0.70	
	0.70	
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	0.70	<u> </u>
वर्तमान परिसंपत्तियाँ नोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	0.70	<u> </u>
वर्तमान परिसंपत्तियाँ नोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय	0.70	<u> </u>
वर्तमान परिसंपत्तियाँ नोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	
वर्तमान परिसंपत्तियाँ नोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	- 865.69	
वर्तमान परिसंपत्तियाँ नोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए	-	
वर्तमान परिसंपत्तियाँ नोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	-	
वर्तमान परिसंपत्तियाँ नोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए	-	
वर्तमान परिसंपत्तियाँ नोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए ख) प्राप्य दावे i) सुरक्षित शोध्य माने गए	- 865.69 -	1,463.13
वर्तमान परिसंपत्तियाँ नोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए	-	1,463.13 155.08
वर्तमान परिसंपत्तियाँ नोट-18 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए ख) प्राप्य दावे i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए	- 865.69 - - 311.94	1,463.13 155.05 3.88 1.31
वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए ख) प्राप्य दावे i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए ii) संदिग्ध माने गए ii) नेपटान के लिए लंबित परिसंपत्ति	- 865.69 - 311.94 3.88 1.53	1,463.13 155.05 3.88 1.3
वर्तमान परिसंपत्तियाँ क) बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए ख) प्राप्य दावे i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए ii) संदिग्ध माने गए ii) निपटान के लिए लंबित परिसंपत्ति अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों का योग	- 865.69 - - 311.94 3.88	1,463.13 155.05 3.88 1.3
वर्तमान परिसंपत्तियाँ को बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए ख) प्राप्य दावे i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए ii) संदिग्ध माने गए iii) संदिग्ध माने गए iii) संदिग्ध माने गए v) निपटान के लिए लंबित परिसंपत्ति अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों का योग घटाएं: संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	- 865.69 - 311.94 3.88 1.53	1,463.13 155.05 3.88
वर्तमान परिसंपत्तियाँ को बकाया आय i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए iii) संदिग्ध माने गए ख) प्राप्य दावे i) सुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए ii) असुरक्षित शोध्य माने गए ii) संदिग्ध माने गए ii) निपटान के लिए लंबित परिसंपत्ति अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों का योग	- 865.69 - 311.94 3.88 1.53	1,463.13 155.05 3.88 1.3 ²

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

		A c of	₹ in lakh
	31	As at 1st March, 2016	As at 31st March, 2015
SHORT TERM LOANS AND ADVANCES			
dvances -employee onsidered good I considered good ed doubtful	es#	297.18 577.80	366.08 535.40 -
dvances -advances in cash or kind or fo ed onsidered good		_	_
considered good d doubtful		9,467.01 17.52	9,418.37 17.52
ort Term Loans a	nd Advances	10,359.51	10,337.37
doubtful debts and	d advances	17.52	17.52
Short Term Loans and Advances (Net)		10,341.99	10,319.85
# Dues from Directors' and officers' of the company is indicated below			
	Secured Unsecured	0.70	0.58 0.14
IT ASSETS			
Income onsidered good I considered good d doubtful vable		- 865.69 -	- 1,463.13 -
onsidered good I considered good d doubtful ng disposal		311.94 3.88 1.53	155.05 3.88 1.31
Total of Other Cur	rent Assets	1,183.04	1,623.37
r doubtful debts an	d advances	3.88	3.88
Other Current A	ssets (Net)	1,179.16	1,619.49
TOTAL OF CURRI	NT ASSET	57,491.31	68,637.31

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
नोट-19 प्रचालनों से राजस्व		
क) उत्पादों की बिक्री	36,236.49	42,097.24
ख) अन्य प्रचालनीय राजस्व	115.66	253.88
प्रचालनों से राजस्व का कुलयोग	36,352.15	42,351.12

उत्पादों की बिक्री में एफ.ओ.बी. आधार पर परिगणित रु. 13,793.75 लाख (पिछले वर्ष रु. 12,942.27 लाख) की धनराशि विदेशी मुद्रा के अर्जन में सम्मिलित है।

कंपनी को थोरियम सांद्र की पुन: प्राप्ति, संसाधन एवं पुन: भंडारण (थ्रस्ट) परियोजना सौंपी गई है। आईआरईएल द्वारा आपूर्त न्यूक्लियर ग्रेड अमोनियम डाईयूरेनेट (एनजीएडीयू) को भारत सरकर की मान्यता एवं पिछले अनुमोदित दर पर मान्यता दी गई है। वर्ष 2014-15 में वर्ष 2011-12 में आपूर्त एनजीएडीयू के संबंध में भारत सरकार ने रु. 19,655/- प्रति किग्रा अनुमोदित की है और वर्ष में रु. 1,715 लाख की भिन्नता को मान्यता दी। तो भी 2012-13 से 2015-16 तक आपूर्त के संबंध में रु. 13,557 किग्रा पाई गई जो भारत सरकार का अनुमोदित है। भारत सरकार द्वारा 2010-11 अनुमोदित दर, सूचना 13 अप्रैल, 2012-13 में लागत से 19,655/- प्रति कि.ग्रा. दर कम होने के कारण उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया भी अलग है। चालू वर्ष बिक्री राशि रु. 3,782.13 लाख (पिछले वर्ष रु. 3,601.01 लाख) की मान्यता रु. 13,557 प्रति कि.ग्रा. सिम्मिलित है।

केएमएमएल संव्यवहार से संबंध में बिक्री उत्पाद रु. 813.18 लाख (पिछले वर्ष रु. 2,680.51 लाख) सम्मिलित है।

	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
नोट-20 अन्य आय		
क) ब्याज आय		
i) बैंक जमा पर	2,737.57	3,547.83
ii) अन्य पर	581.40	897.37
ख) वर्तमान निवेशों से लाभांश आय	178.21	299.90
ग) शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन	1.73	31.63
घ) अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	16.17	2.54
ङ) अन्य गैर प्रचालनीय आय	381.64	390.02
अन्य आय का योग	3,896.72	5,169.29



₹ in lakh

		\ III lakii
	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
NOTE 19 REVENUE FROM OPERATIONS		
a) Sale of products	36,236.49	42,097.24
b) Other operating revenue	115.66	253.88
Total of Revenue from operations	36,352.15	42,351.12

Sale of products includes earning in foreign exchange amounting to ₹ 13793.75 lakhs (Previous year ₹ 12942.27 lakhs) calculated on FOB basis.

The Company was entrusted with the project of retrieval, reprocess and re-storage of Thorium Concentrate (THRUST). Compensation for Nuclear Grade Ammonium Di-Uranate (NGADU) supplied by IREL is recognized at the last approved rate of Government of India (GoI). During the year 2014-15, GoI has approved the rate of ₹ 19,655/- per kg in respect of NGADU supplied during 2011-12 and the differential impact of ₹ 1,715 lakh was recognized during 2014-15. However in respect of the supplies made from 2012-13 till 2015-16 compensation is recognized at ₹ 13,557/kg which is the approved rate of the Government of India for the year 2010-11 vide communication dated 13 April, 2012 because the cost from 2012-13 is less than ₹ 19,655/- per k.g and the process through which the product is manufactured is also different. Current year sale includes an amount of ₹ 3,782.13 lakhs (previous year ₹ 3,601.01 lakhs) recognized at ₹ 13,557 per k.g.

Sale of products further includes an amount of ₹813.18 lakh (Previous Year ₹2,680.51 lakh) pertaining to KMML transaction

NOTE 20	ОТН	HER INCOME		
	a)	Interest income (i) On Bank deposits (ii) On others	2,737.57 581.40	3,547.83 897.37
	 b) Dividend income from current investments c) Net foreign exchange gain d) Profit on sale of fixed assets e) Other non-operating income 		178.21 1.73 16.17 381.64	299.90 31.63 2.54 390.02
		Total of Other Income	3,896.72	5,169.29

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

			3	1 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 क
21 उपभोग की गई सामग्री की	ी लागत				
क) उपभोग की गई कच्ची				3,799.80	4,548.86
ख) उपभोग किए गए रसाय				715.76	270.1
, , ,	उपभोग की गई सामग्री क	ो लागत का कुलयोग	т 📙	4,515.56	4,818.97
नोट ः उपभोग किए गए अ		•			
	प्रतिः	शतता			
	31.03.2016	31.03.2015			
आयातित	0.00	0.00			
देशी	100.00	100.00			
	100.00	100.00			
22 तैयार माल, प्रगामी कार्य ।	एवं व्यापारिक स्टॉक की वर	3 1 (
	एवं व्यापारिक स्टॉक की वर	3 1 (0.405.04	0.070.5
22 तैयार माल, प्रगामी कार्य प क) तैयार माल -	एवं व्यापारिक स्टॉक की वर	तु सूची में परिवर्तन आदि शे अंत शे		8,105.04 7,815.87	
	एवं व्यापारिक स्टॉक की वर	अादि शे	াষ	·	8,105.0
	एवं व्यापारिक स्टॉक की वर	आदि शे अंत शे	ाष तर	7,815.87	8,105.0 1,865.4
क) तैयार माल -	एवं व्यापारिक स्टॉक की वर	आदि शे अंत शे अंत	ाष 1र ष	7,815.87 289.17	8,105.0 1,865.4 378.5
क) तैयार माल -	एवं व्यापारिक स्टॉक की वर	आदि शे अंत शे अंत आदि शे	ाष तर ष ाष	7,815.87 289.17 1,088.82	8,105.0 1,865.4 378.5 1,088.8
क) तैयार माल -		आदि शे अंत शे अं अंदि शे अंत शे	ाष तर ष ।ष तर	7,815.87 289.17 1,088.82 991.30	8,105.0 1,865.4 378.5 1,088.8 (710.25
क) तैयार माल - ख) प्रगामी कार्य		आदि शे अंत शे अंत आदि शे अंत शे	ाष तर ष ष तर ष	7,815.87 289.17 1,088.82 991.30 97.52	8,105.0 1,865.4 378.5 1,088.8 (710.25
क) तैयार माल - ख) प्रगामी कार्य		आदि शे अंत शे अंव आदि शे अंत शे अंत शे	ष तर ष ष तर ष	7,815.87 289.17 1,088.82 991.30 97.52 6.29	9,970.50 8,105.04 1,865.46 378.5 1,088.82 (710.25 34.32 11.94 22.36

जॉब कार्य से संबंधित के एम एम एल संव्यवहार के संबंध में रू. शून्य (पिछले वर्ष रू. 18.85 लाख) की धनराशि तैयार माल में सिम्मिलत है।

जिरकॉनियम फ्रिट का प्रारंभिक स्टॉक 5.65 लाख अ एवं विप्रयोजन के लिए प्रयोग किय - अन्य व्यय के अंतर्गत जांच एवं विश्लेषण समाहित किया गया।





Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

				₹ in lakh	
				As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
NOTE 21	COST OF MATE	RIALS CONSU	MED		
	,	material consur nical consumed	ned	3,799.80 715.76	4,548.86 270.11
	Total	of Cost of Mate	rials Consumed	4,515.56	4.818.97
	Note: Value of Imaterials and C				
		Percer	ıtage		
		31.03.2016	31.03.2015		
	Imported	0.00	0.00		
	Indigenous	100.00 100.00	100.00		
NOTE 22	CHANGES IN IN GOODS, WORK STOCK-IN-TRA	-IN-PROGRES			
	a) Finished Good				
		Clo	ening balance sing balance ference	8,105.04 7,815.87 289.17	9,970.50 8,105.04 1,865.46
	b) Work-in -progr				
			ening balance sing balance Difference	1,088.82 991.30 97.52	378.57 1,088.82 (710.25)
	c) Intermediate p	Op Clo	er processing* ening balance sing balance ference	6.29 105.58 (99.29)	34.32 11.94 22.38
	Total of Change goods, work in			287.40	1,177.59

Finished Goods includes an amount of ₹ Nil (previous year ₹ 18.85 lakh) pertaining to KMML transaction related to job work.

^{*} Opening stock of zirconium frit of $\stackrel{?}{\overline{}}$ 5.65 lakh used for the purpose of R & D- Testing & Analysis is grouped under Other Exp.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

		रु. लाख न
	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
नोट-23 कर्मचारी लाभ व्यय		
क) वेतन एवं मजदूरी	16,360.42	15,792.25
ख) भविष्य एवं अन्य निधियों में योगदान	2,453.63	2,685.60
ग) स्टॉफ कल्याण व्यय	3,504.02	3,914.90
कर्मचारी लाभ व्ययों का योग	22,318.07	22,392.75
घटाएं : अन्य शीर्षों को हस्तांतरित व्यय एवं सरकारी परियोजनाओं/पूंजीगत कार्यों से उपरिव्यय की प्रतिपूर्ति	319.24	1,462.47
कर्मचारी लाभ व्यय (शुद्ध)	21,998.83	20,930.28
विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए बने प्रावधानों से संबंधित एएस-15 द्वारा अपेक्षित प्रकटन नोट सं. 42 के तहत दर्शाया गया है ।		
नोट-24 वित्त लागतें		
ब्याज व्यय		
क) बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	20.31	0.03
ख) उत्पाद शुल्क एवं राज्य कर पर ब्याज #	514.09	480.82
ग) ब्याज - अन्य	6.21	41.19
वित्त लागतों का योग # नोट सं. 8 देखें	540.61	522.04
नोट-25 मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय		
क) मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास #	2,858.90	2,017.37
ख) अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	131.41	135.91
मूल्यहास एवं परिशोधन व्ययों का योग	2,990.31	2,153.28

परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रदान किए गए मूल्यहास एवं परिशोधन से संबंधित नोट 9 क देखें ।





Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

			₹ in lakh
		As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
NOTE 23	EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE		
	a) Salaries and wages	16,360.42	15,792.25
	b) Contribution to provident and other funds	2,453.63	2,685.60
	c) Staff welfare expenses	3,504.02	3,914.90
	Total of Employee benefits expense	22,318.07	22,392.75
	Less: Expenditure transferred to other heads & recoupment of overhead charges from Government projects/capital works	319.24	1,462.47
	Employee benefit expense (Net)	21,998.83	20,930.28
	e required by AS -15 in respect of provision made rious Employees benefits is shown under Note no 42		
NOTE 24	FINANCE COSTS		
	Interest expense (i) Interest on bank overdraft (ii) Interest on Excise duty and State tax # (iii) Interest - others	20.31 514.09 6.21	0.03 480.82 41.19
	Total of Finance costs	540.61	522.04
# Refer No	ote no - 8		
NOTE 25	DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES		
	a) Depreciation on tangible assets#b) Amortization on intangible assets	2,858.90 131.41	2,017.37 135.91
Т	otal of depreciation and amortization expenses	2,990.31	2,153.28

Refer note 9A regarding depreciation and amortization provided for each class of assets.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

		रु. लाख न
	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
नोट-26 अन्य व्यय		
क) भंडार एवं पुर्जो का उपभोग	2,108.45	1,943.30
ख) ऊर्जा एवं ईंधन	6,108.58	6,308.14
ग) किराया	23.88	32.34
घ) भवनों का मरम्मत	546.10	505.36
ङ) मशीनरी की मरम्मत	639.61	493.26
च) मरम्मत-अन्य	585.79	685.88
छ ⁾ बीमा	207.97	193.94
र्ज) दरें एवं कर	79.50	126.66
झ) उत्पाद शुल्क	(1.95)	(653.84)
ञ) रॉयल्टी	867.29	649.98
ट) अनुसंधान एवं विकास व्यय	180.81	186.04
ठ) अपशिष्ट निपटान व्यय	137.47	424.62
ड) परिवहन एवं प्रेषण प्रभार	1,579.96	2,065.81
ढ) पैकिंग एवं हैंडलिंग व्यय	1,314.43	669.39
ण) कमीशन	1.43	4.36
त) बेची गई/हटाए गई अचल संपत्तियों पर हानि	0.94	0.21
थ) संदिग्ध ऋणों, परिसंपत्तियों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	1,894.85	21.32
द) स्थिर भंडारों की हानि	59.29	51.43
ध) सीएसआर एवं धारणीयता	211.45	235.19
न) यात्रा	343.32	361.59
प) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	0.10.02	001.00
i) सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	8.13	7.87
ii) कर लेखापरीक्षा शुल्क	1.78	1.97
iii) नागत लेखापरीक्षा शुल्क	1.00	1.00
iv) अन्य सेवाएं	0.25	0.28
v) यात्रा एवं फुटकर व्यय	4.66	7.74
V) पाता ९५ गुप्टमार व्यव	15.82	18.86
फ) खनिजों पर निर्यात शुल्क	1,170.45	1,091.79
ब) विविध व्यय	2,094.11	2,064.41
अन्य व्ययों का योग	20,169.55	17,480.04
घटाएं : अन्य शीर्षों को हस्तांतरित व्यय एवं सरकारी		21,100101
परियोजनाओं/पूंजीगत कार्यों से उपरिव्यय की प्रतिपूर्ति	271.34	264.32
अन्य व्यय (शुद्ध)	19,898.21	17,215.72

उत्पाद शुल्क में निम्नलिखित सम्मिलित है :

S .		
विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
उत्पाद शुल्क-अंतिम स्टॉक	368.79	535.18
उत्पाद शुल्क-आरंभिक स्टॉक	535.18	1,473.08
अंतर	(166.39)	(937.90)
उत्पाद शुल्क-अन्य	164.44	284.06
लाभ एवं हानि विवरण में शुद्ध प्रभारित	(1.95)	(653.84)

नोट : उपभोग किए गए आयातित/देशी पुर्जो एवं अवयवों का मूल्य

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

₹	in	lakh

		\ III lakii
	Year ended 31st March, 2016	Year ended 31st March, 2015
NOTE 26 OTHER EXPENSES		
	2,108.45	1,943.30
a) Consumption of stores and spares# b) Power and fuel	6,108.58	6,308.14
b) Power and fuel c) Rent	23.88	32.34
,	546.10	505.36
	639.61	493.26
e) Repairs to machinery f) Repairs- others	585.79	685.88
	207.97	193.94
97	79.50	126.66
h) Rates and taxes i) Excise duty*	(1.95)	(653.84)
j) Royalty	867.29	649.98
k) R & D Expenses	180.81	186.04
I) Waste disposal expenses	137.47	424.62
m) Transportation & forwarding charges	1,579.96	2,065.81
n) Packing and handling expenses ###	1,314.43	669.39
o) Commission	1.43	4.36
p) Loss on fixed assets sold/discarded	0.94	0.21
q) Provision for doubtful debts, assets and advances	1,894.85	21.32
r) Loss of non-moving stores	59.29	51.43
s) CSR & Sustainability # #	211.45	235.19
t) Travelling	343.32	361.59
u) Remuneration to auditors	040.02	001.00
(i) Statutory Audit fees	8.13	7.87
(ii) Tax audit fees	1.78	1.97
(iii) Cost Audit fees	1.00	1.00
(iv) Other services	0.25	0.28
(v) Travelling and out of pocket expenses	4.66	7.74
(1) Travolling and out of position expenses	15.82	18.86
v) Export Duty on minerals	1,170.45	1,091.79
w) Miscellaneous expenses	2,094.11	2,064.41
i i	,	
Total of Other expenses	20,169.55	17,480.04
Less: Expenditure transferred to other heads & recoupment	074.04	004.00
of overhead charges from Government projects/capital works	271.34	264.32
Other Expenses (Net)	19,898.21	17,215.72

Excise duty includes the following:

Particulars	31st March, 2016	31st March, 2015
Excise duty-Closing Stock	368.79	535.18
Excise duty-Opening Stock	535.18	1,473.08
Difference	(166.39)	(937.90)
Excise duty-others	164.44	284.06
Net charged to Statement of Profit and Loss	(1.95)	(653.84)

Note: Value of imported / Indigenous spare parts & components consumed

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
प्रतिशतता		
	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
आयातित	0.47	0.39
देशी	99.53	99.61
	100.00	100.00

###19.05.2008 को चवरा में शिपिंग एवं बैगिंग फोरम वर्करों को सेवरेन्स पैकेज देने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई । उपर्युक्त के प्रत्युत्तर में वर्ष 2015-16 केअंत तक 269 शिपिंग फोरम वर्करों (पिछले वर्ष 162) एवं 20 बैगिंग फोरम वर्करों (पिछले वर्ष 20) को सेवरेन्स पैकेज का भुगतान किया गया । इसके लिए पैकिंग, हैंडलिंग एवं प्रेषण व्यय में रु. 308.62 (पिछले वर्ष रु. शून्य) की धनराशि सम्मिलित है ।

नोट-27 असाधारण, अपवाद एवं पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)		
पूर्व अवधि समायोजन		
मूल्य हास	3.53	3.23
अन्य व्यय	277.10	169.17
	275.63	172.40
घटाएं : पूर्व अवधि आय अन्य	207.51	95.63
	207.51	95.63
पूर्व अवधि समायोजन का योग (शुद्ध)	68.12	76.77
अपवाद मदें		
अपवाद मद	-	<u>-</u>
~		
असाधारण मर्दे		
चक्रवात के कारण हानि / (लाभ) (शुद्ध) #	0.00	(860.76)
	0.00	(860.76)
नोट-28 कर व्यय		
वर्तमान कर		
वर्तमान वर्ष के लिए		
·		000.00
आयकर	0.00	982.00
पिछले वर्षों के लिए		
आयकर	(360.22)	(162.76)
जायकर	(300.22)	(102.70)
वर्तमान कर का कुलयोग	(360.22)	(819.24)
आस्थगित कर	()	(5.55.2.)
चालू वर्ष के लिये आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)	(653.91)	(571.39)
पूर्व वर्ष के लिये आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)	341.48	0.00
आस्थिगत कर का योग	312.43	(571.39)
कर व्यय का योग	(672.65)	247.85
	(072.00)	2-11.00
75		

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

₹ in lakh

Year ended	Year ended
Year ended 31st March, 2016	31st March, 2015

Percentage			
31st March,2016 31st March,201			
Imported	0.47	0.39	
Indigenous	99.53	99.61	
	100.00	100.00	

It was agreed to offer severance package to the shipping and bagging forum workers at Chavara on 19.05.2008. In response to the above, 269 shipping forum workers (previous year 162) and 20 bagging forum workers (previous year 20) have been paid severance package up to the end of year 2015-16. Packing, handling and forwarding expenses includes an amount of ₹308.62 lakh (previous year ₹NIL) for the same.

NOTE 27	EXTRAORDINARY, EXCEPTIONAL ITEMS AND PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS (NET)		
	PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS		
	Depreciation	3.53	3.23
	Other expenses	277.10	169.17
		275.63	172.40
	Less: Prior period income		
	Others	207.51	95.63
		207.51	95.63
	Total of Prior Period adjustments (Net)	68.12	76.77
	EXCEPTIONAL ITEMS	-	-
	EXTRA ORDINARY ITEMS		
	Loss/ (gain) due to Cyclone (net)	0.00	(860.76)
		0.00	(860.76)
NOTE 28	TAX EXPENSE		
	Current tax		
	For Current Year Income Tax	0.00	982.00
	For earlier years Income tax	(360.22)	(162.76)
	Total Current Tax	360.22	819.24
	Deferred Tax Deferred tax charge/(credit)-For Current Year Deferred tax change/(credit)-For earlier Year	(653.91) 341.48	(571.39) 0.00
	Total of Deferred Tax	(312.43)	(571.39)
	Total of Deferred Tax	(012.70)	

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

		1	रु. लाख ग
क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
		को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
नोट-29	आकस्मिक देयताएं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया एवं अन्य प्रतिबद्धताएं :		
1	आकस्मिक देयताएं		
क	कंपनी पर दावे, जिन्हे ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और जिनके लिए		
	प्रावधान नहीं किया गया है ।		
i	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के दावे		
	क) मनवलाकुरिची	271.85	246.65
	ख) चवरा	9.13	8.87
	ग) ऑसकॉम	1,561.86	1,482.34
ii	कर्मचारियों एवं अन्यों द्वारा किए गए दावे जो न्यायालयों में लंबित हैं	,	,
	क) कर्मचारी-आलवे, एमके एवं ऑसकॉम	367.80	377.97
	ख) अन्य - फोरम वर्कर्स - सिविल, लोडिंग एवं बैगिंग	102.16	97.23
iii	कर्मचारियों एवं अन्य	निश्चय राशि नहीं	निश्चय राशि नहीं
iv	कंपनी के लिए अधिग्रहीत भूमि के लिए उच्चतर मुआवजा (चवरा, एमके एवं		113 41 (1131 101
ıv	ऑसकॉम)	391.47	432.32
V	भूमि किराया दरों, उपकरों और उसपर ब्याज में परिवर्तन के कारण उड़ीसा	331.47	402.02
V	सरकार का दावे	53.32	135.97
vi	कंपनी के विरुद्ध अन्य दावे	247.22	227.72
vii	संविदा/फोरम वर्करों को देय राशि के भुगतान में देरी के लिए भविष्य निधि	241.22	221.12
VII	प्राधिकरणों के दावे	F 69	4.29
T-21	खोले गए और बकाया साख पत्रों का जारी मूल्य	5.68	
ख 	·	0.00	0.00
ग —	कंपनी की ओर से दी गई बैंक गारंटी का जारी मूल्य विवादित कर मांग	87.49	89.10
घ		00.04	
	क) बिक्री कर	93.84	93.84
	ख) सेवा कर	13.16	11.88
	ग) प्रवेश कर	189.58	202.66
ङ	रिवेट पर अंतरीय रॉयल्टी के लिए दावा - एमके	68.75	68.75
च	इनपुट पर क्रेडिट के लिए बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा - एमके	41.71	41.71
ঘ্	शिपिंग फोरम कर्मचारियों के लिए वियोग धनराशि - चवरा	25.80	186.06
ज	एनजीएडीयू के उत्पादन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दावा - आलवे	5,206.98	4,739.51
झ	एनजीएडीयू के उत्पादन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दावे पर ब्याज - आलवे	4,582.59	3,689.01
স	केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा सेवा कर दावा - चवरा	58.83	58.83
ट	इल्मेनाइट के प्रेषण पर अंतरीय रॉयल्टी - ऑसकॉम	-	113.30
ठ	रॉयल्टी पर स्थानीय उपकर एवं अधिभार - एमके	-	-
ड	उत्पाद शुल्क-चवरा. एम के	5,982.92	986.00
2	अन्य प्रतिबद्धताएँ		
	अभी तक कार्यान्वित नही किए गए पूंजीगत ठेकों के लिए प्रदान नही की गई		
	अनुमानित धनराशि	1	1,474.62

INDIAN RARE FARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

₹ in lakh As at As at 31st March, 2016 31st March, 2015 Note-29: Contingent Liabilities not provided for and other commitments: 1 **Contingent Liabilities** Α Claims against the Company not acknowledged as debts and not provided for Claims by Contractors/Suppliers i) a) Manavalakurichi 271.85 246.65 b) Chavara 9.13 8.87 c) OSCOM 1,561.86 1,482.34 Suits filed by employees and others pending in Courts ii) a) Employees- Alwaye, MK and OSCOM 367.80 377.97 b) Others - Forum workers-civil ,loading & bagging 102.16 97.23 Employees and others iii) Amount not Amount not ascertainable ascertainable Higher Compensation for land acquired for the Company (Chavara, MK and OSCOM) 432.32 391.47 Claim by the Government of Orissa on account of revision of ground rent rates, cess and interest thereon. 53.32 135.97 Other claims against the Company 247.22 227.72 vi) Claim by Provident fund authorities for belated payments vii) of contract/forum workers dues 5.68 4.29 В Unexpired value of Letters of credit opened and outstanding 0.00 0.00 С Unexpired value of Bank Guarantees given on behalf of company 87.49 89.10 Disputed Tax demands D a) Sales tax 93.84 93.84 b) Service tax 13.16 11.88 c) Entry tax 189.58 202.66 Claim for differential royalty on rebate – MK 68.75 68.75 Ε F Claim by sales tax authority for input tax credit-MK 41.71 41.71 G Severance amount for shipping forum employees-Chavara 25.80 186.06 Н Central Excise claim on production of NGADU-Alwaye 5,206.98 4,739.51 Interest on central Excise claim on production of Τ 4,582.59 NGADU-Alwaye 3.689.01 J Service tax claim by central excise-Chavara 58.83 58.83 Differential Royalty on Ilmenite Dispatch -OSCOM Κ 113.30 L Local Cess & Surcharge on Royalty- MK Excise duty -Chavara, MK Μ 5,982.92 986.00 **Other Commitments** 2 Estimated amount of capital contracts remaining to be executed and not provided for 1,526.98 1,474.62 76

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

31 मार्च 2016 को

31 मार्च 2015 को

नोट-30

वर्ष के अंत में रु. 55,492.43 लाख (पिछले वर्ष रु. 55,854.65 लाख) के कर (संपत्ति कर सहित) हेतु प्रावधान को अग्रिम कर एवं टीडीएस की समेकित कुल धनराशि रु. 60,722.33 लाख (पिछले वर्ष रु. 59,455.93 लाख) के समक्ष समायोजित किया गया है तथा शेष राशि को तुलन पत्र में दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम (नोट 12 देखें) एवं अल्पकालिक प्रावधान (नोट 8 देखें) जो भी स्थिति हो, के तहत सम्मिलित किया गया है।

नोट-31

31 मार्च 2016 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार सकल छुट्टी देयता रू. 5977.49 लाख (पिछले वर्ष 5794.43 लाख) नोट संख्या 5 एवं 8 के अंतर्गत प्रकट किया।

नोट-32

भारत सरकार (जीओआई) की ओर से कंपनी को कुल महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है। इन परियोजनाओं की पूर्ण लागत का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया गया है। सरकार को देय राशि रु. 1258.45 लाख (पिछले वर्ष 1170.28 लाख) जिसे "वर्तमान देयताओं" (नोट संख्या 7 देखें) में सम्मिलित किया तथा सरकार से कुछ अन्य परियोजनाओं से प्राप्य राशि 48.85 लाख (पिछले वर्ष 48.65 लाख) को अल्प कालिक ऋण एवं अग्रिम (नोट संख्या 17 देखें) में सम्मिलित किया गया है।

नोट-33

भारत सरकार ने निष्पादन के लिए कंपनी को एक योजना सौंपी है । इस परियोजना से संबंधित परिचालन कंपनी के नाम पर चलाए जा रहे हैं । रु. 315.88 लाख (पिछले वर्ष रु. 324.73 लाख) की नकदी एवं बैंक शेष तथा इस परियोजना से संबंधित अन्य लेनदेन यद्यपि कंपनी द्वारा अपने नाम पर किए जाते हैं फिर भी भारत सरकार की सलाह के अनुसार कंपनी के वार्षिक लेखा में उन्हें शामिल नहीं किया गया है । कंपनी को सहायक आयुक्त, बिक्री कर, मुंबई से इस परियोजना के संबंध में बिक्री कर, उस पर ब्याज एवं अर्थदंड रु. 668.67 लाख की समेकित धनराशि के भुगतान की मांग करने वाली मांग सह कारण बताओ नोटिस (एससीएन) दिनांक 29.06.2013 प्राप्त हुई । भारत सरकार की ओर से कंपनी ने उक्त एससीएन का विरोध दर्ज कराया तथा अपील उपायुक्त बिक्रीकर (एपीपी-VI), मुंबई के पास लंबित है ।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

Note-30

At the end of the year, provision for tax (including Wealth tax) amounting to ₹ 55,492.43 lakhs (previous year ₹ 55854.65 lakhs) has been adjusted against the total amount of advance tax and TDS aggregating to ₹ 60,722.33 lakhs (previous year ₹ 59,455.93 lakhs) and the balance amount is included under Long term loans & advances (Ref Note 12), and short term provisions (Ref Note 8) in the balance sheet as the case may be.

Note-31

As on 31st March 2016, gross leave liability as per actuarial valuation amounting to ₹ 5,977.49 lakhs (previous year ₹ 5,794.43 lakhs) is disclosed under note no 5 &8.

Note-32

The Company has been entrusted with the execution of certain strategic projects on behalf of the Government of India (GoI). The entire cost of the said projects is funded by the Government. The amount payable to the Government is of ₹1258.45 lakhs (previous year ₹1170.28 lakhs) is included under 'Current liabilities' (Ref Note 7) and amount receivable from Gov. on certain other projects amounting to ₹48.85 lakhs (Previous year ₹48.65 lakhs) is included under Short term Loans and Advances (Ref note 17).

Note-33

The Company has been entrusted with the execution of a project on behalf of the Government of India . The operations relating to this project are being carried on by the Company in its own name. The cash and bank balance of ₹ 315.88 lakhs (Previous year ₹ 324.73 lakhs) and other transactions pertaining to this project, though managed by the Company in its name, are not incorporated in the annual accounts of the Company, as advised by the Government of India. The Company received Demand cum Show-Cause Notice (SCN) dated 29.06.2013 from the Asst. Commissioner of Sales Tax, Mumbai demanding payment of Sales Tax, Interest thereon and penalty aggregating to ₹ 668.67 lakhs relating to this project. On behalf of the Government of India, the Company contested the said SCN and the appeal is pending with Deputy Commissioner of Sales Tax (App-VI), Mumbai.



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

रु. लाख में

नोट-34 : एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार विवरण का प्रकटन (नोट सं 4 एवं 6 एवं 7 में देखें) :

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का कुल देय बकाया (मूल धन एवं ब्याज) के संबंध में सूचना नीचे दी गई है।

		2015-16		2014	-15
क्र.सं.	विवरण	गैर वर्तमान- दीर्घकालिक देयताएं-देय ट्रेड एवं अन्य वर्तमान देयताएं	वर्तमान-देय ट्रेड एवं अन्य वर्तमान देयताएं	गैर वर्तमान- दीर्घकालिक देयताएं-देय ट्रेड	वर्तमान-देय ट्रेड एवं अन्य वर्तमान देयताएं
1	एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय मूल धन एवं वर्ष के अंत में अदत्त शेष	शून्य	215.27	5.00	214.82
2	एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय ब्याज एवं वर्ष के अंत में अदत्त शेष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम के धारा 16 के अंतर्गत वर्ष में नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज (भुगतान करने में विलम्ब की अविध के लिए राशि पर देय ब्याज (वर्ष में नियत दिन के	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	देय ब्याज राशि एवं भुगतान करने में विलम्ब की अवधि के लिए देय ब्याज, एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित ब्याज जो सम्मिलित नहीं किया गया (जो वर्ष में नियत तिथि /दिन के बाद भुगतान किया गया)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	वर्ष के अंत में अदत्त शेष एवं उपचित ब्याज राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यच की अस्वीकृत प्रयोजन के लिए अनुवर्ती वर्षों में देय शेष अतिरिक्त ब्याज की राशि, उपर्युक्त देय ब्याज वास्तव में भुगतान की तिथि जिसमें लघु उद्योगों को भुगतान किया गया है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

₹ in lakh

Note - 34: Disclosure of details as per MSMED Act (referred to in Note no. 4 & 6 & 7):

The information regarding total outstanding dues (principal & interest) of micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED) is given below.

Principal amount due to	Non current- Long term liabilities -Trade Payable and other current liabilities	Current -Trade payable & Other current liabilities	Non current -Long term liabilities- Trade	Current - Trade payable
Principal amount due to			Payable	& Other current liabilities
suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at the end of year	NIL	215.27	5.00	214.82
Interest due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at the end of year	NIL	NIL	NIL	NIL
Interest paid, under section 16 of the MSMED Act, to suppliers registered under MSMED, beyond the appointed day during the year	NIL	NIL	NIL	NIL
Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond \ the appointed day during the \year) but without ading the interest specified under MSMED Act.	NIL	NIL	NIL	NIL
Amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of year.	NIL	NIL	NIL	NIL
expenditure under section 23		NIII	NIII NIII NI	oto 35:
	Interest due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at the end of year Interest paid, under section 16 of the MSMED Act, to suppliers registered under MSMED, beyond the appointed day during the year Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond \ the appointed day during the \ year) but without ading the interest specified under MSMED Act. Amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of year. Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprises, for the purpose of disallowance of a deductible	Interest due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at the end of year Interest paid, under section 16 of the MSMED Act, to suppliers registered under MSMED, beyond the appointed day during the year Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond \ the appointed day during the \(\text{year}\)) but without ading the interest specified under MSMED Act. Amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of year. NIL Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprises, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act. NIL	Interest due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at the end of year Interest paid, under section 16 of the MSMED Act, to suppliers registered under MSMED, beyond the appointed day during the year Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond \text{ the appointed day during the } lyear) but without ading the interest specified under MSMED Act. NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NI	Interest due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at the end of year NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NI

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट-35: एएस-29 के अनुसार प्रावधानों का प्रकटन:

रु. लाख में

					र साज ।
क्र.सं	. विवरण	01.04.2015 को	वर्ष के दौरान बने प्रावधान	वर्ष के दौरान	31.03.2016
		आदि शेष		पुनरांकित/प्रभारित	को अंत शेष
				प्रावधान	
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए				
	प्रावधान (विवादित) नोट	4,659.57	1,028.17	533.89	5,153.85
	28 देखें				
2	परिणामी संबंधी राज्य कर	153.03	22.18	0.00	175.21
	के लिए प्रावधान				
3	विवादित प्रवेश कर के				_
	लिए प्रावधान-ऑसकॉम	88.47	7.32	18.68	77.11
	(नोट-5 देखें)				

नोट-36

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), भारत सरकार ने अपने दिनांक 20.06.2013 के पत्र सं. 6/3(1)/2001-पीएसयू वॉल्यूम.III/25 के माध्यम से 01.01.2013 को तैयार उत्पादों के अलावा वर्तमान परिसंपत्तियों के साथ कंपनी द्वारा उड़ीसा सैण्डस् कॉम्पलेक्स (ऑसकॉम) में डीएई के थोरियम प्लांट (एनटीपी) को कंपनी के मोनाजाइट संसाधन प्लांट (एमओपीपी) के प्रचालन के साथ एकीकृत करने के लिए अधिग्रहण करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया था । इस पत्र की दृष्टि से तथा भारत सरकार की संपत्ति के रूप में तैयार माल को बनाए रखने के डीएई के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने तैयार माल, ट्रेड प्राप्य एवं तैयार माल के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान को छोड़ कर 2012-13 में एनटीपी की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया था । वर्ष 2013-14 तक औपचारिकताओं के लंबित रहने के कारण एनटीपी के वैंक शेष का कंपनी द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया था जो वर्ष 2015-16 के दौरान भी पूरी नहीं की गई हैं जिससे एमओपीपी के साथ एनटीपी प्रचालन का एकीकरण भी लंबित है ।

नोट-37

वर्तमान के साथ दीर्षकालिक समझौते के लिए मजदूरी करार जो पांच वर्ष का था, 30.06.2013 को समाप्त हो गया है। 01.07.2013 से देय मजदूरी पुनरीक्षण के संबंध में शीघ्र ही बातचीत प्रारंभ होने की संभावना है। बातचीत एवं समझौते के लंबित रहने के कारण वर्ष 2014-15 तक लेखा में एक तदर्थ प्रावधान किया गया था। बातचीत में प्रगति न होने के कारण आगे वर्ष 2015-16 के लिए तदर्थ प्रावधान रखा गया है।



Disclosure of Provisions as per AS-29:

₹ in lakh

SI.No.	Particulars	Opening balance as on 01.04.2015	Provision made during the year	Provision adjusted during the year	Closing balance as on 31.03.2016
1	Provision for Central Excise				
	Duty (Disputed) Ref Note 28	4,659.57	1,028.17	533.89	5,153.85
2	Provision for Consequential				
	State Tax thereon	153.03	22.18	0.00	175.21
3	Provision for disputed entry				
	tax-OSCOM (Ref. Note no. 5)	88.47	7.32	18.68	77.11

Note-36

The Department of Atomic Energy (DAE), Government of India had accorded approval for taking over DAE's Thorium Plant (NTP) at Orissa Sands Complex (OSCOM) by the Company together with current assets as on 01.01.2013 other than finished goods for integrating the same with the operation of Monazite Processing Plant (MoPP) of the Company vide letter no. 6/3(1)/2001-PSU.Vol.III/25 dated 20.06.2013. In view of this letter and keeping in mind the decision of DAE to retain the finished goods as the property of GOI, the Company had taken over the assets of NTP during 2012-13 except finished goods, trade receivables and provision for excise on closing stock of finished goods. Upto the year 2013-14 bank balance of NTP had not been taken over by the Company pending formalities, which have not been completed even during the year 2015-16, pending integration of NTP operation with MoPP.

Note-37

The wages agreement for long term settlement with workmen which was valid for a period of five years expired on 30.06.2013. Negotiations are expected to commence shortly with respect to wages revision due from 01.07.2013. Pending negotiation and settlement, an adhoc provision was made in the accounts upto the year 2014-15. As there was no further improvement in the negotiation a further adhoc provision has been made for wages revision in the books of account during the year 2015-16.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 38: 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए घटक सूचना

रु लाख में

						<u> </u>
		2015-16			2014-15	
	खनिज पृथक्करण	रसायन यूानट	कुल	खनिज	रसायन यूनिट	कुल
	यूनिटें			पृथक्करण		
				यूनिटें		
राजस्व						
बाह्य बिक्री	30,800.94	4,362.26	35,163.20	35,600.03	5,325.42	40,925.45
आंतरघटक बिक्री	12.07	(12.07)	-	-	-	-
<u>अन्य आय</u>						
बाह्य	456.32	53.57	509.89	549.65	20.51	570.16
आंतरघटक	-	-	-	-	-	-
गैरविनिधान			183.51			407.81
कुल राजस्व (आंतरघटक से पृथक निवल)			35,856.60			41,903.42
परिणाम						
घटक परिणाम	(6,811.91)	(3,779.22)	(10,591.13)	(1,171.69)	303.92	(867.77)
गैर आबंटित कारपोरेट व्यय (शुद्ध)			(3,310.71)			(2,740.66)
प्रचालन लाभ			(13,901.84)			(3,608.43)
ब्याज व्यय			540.61			522.04
ब्याज आय			3,318.98			4,445.20
कर पूर्व लाभ			(11,123.47)			314.73
अन्य सूचना						
घटक परिसंपत्तियाँ	(454.94)	(3,191.04)	(3,645.98)	3,559.83	691.17	4,251.00
गैर आबंटित परिसंपत्तियाँ			103,297.03			99,774.21
कुल परिसंपत्तियाँ			99,651.05			104,025.21
घटक देयताएं	31,506.08	17,550.09	49,056.17	47,654.16	7,635.45	55,289.61
गैर आबंटित देयताएं			50,594.88			48,735.60
कुल देयताएं			99,651.05			104,025.21
पूंजीगत व्यय	1,875.28	10,951.26	12,826.54	1,503.33	170.15	1,673.48
गैर आबंटित पूंजीगत व्यय			29.56			16.79
 कुल			12,856.10			1,690.27
ु मृत्यहास	1,713.86	1,249.30	2,963.16	1,978.51	140.82	2,119.33
ू गैर आबंटित मूल्यहास			30.69	·		37.17
कुल			2,993.85			2,156.50
ु मूल्यहास के अलावा गैर-नकद व्यय	1,734.72	53.81	1,788.53	(724.49)	(101.57)	(826.06)
मुल्यहास के अलावा गैर आबंटित	, , , , , , , , ,		, 22.33	(= 11 10)	(1.13.)	(==::30)
गैर-नकद व्यय			0.16			
कुलयोग कुलयोग			1,788.69			(826.06)

नोट :

कंपनी के प्रचालन भौगोलिक रूप से एक दूसरे से भिन्न न होने के कारण भौगोलिक खंडीकरण प्रासंगिक नहीं है । एफओबी आधार पर परिगणित निर्यात गतिविधियों से उत्पादों की बिक्री रु. 13,793.75 लाख है (पिछले वर्ष रु. 12,942.27 लाख) । प्राप्य ट्रेड - 31.03.2016 को विदेशी देनदारों से प्राप्त अग्रिम (शुद्ध) रु. 1,344.18 लाख (पिछले वर्ष रु. 179.31 लाख) है।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

₹ in lakh

Note -38: Segment information for the year ended 31st March, 2016

		2015-16		2014-15		
	Mineral Separation Units	Chemical Units	Total	Mineral Separation Units	Chemical Units	Total
Revenue						
External Sales	30,800.94	4,362.26	35,163.20	35,600.03	5,325.42	40,925.45
Inter-Segment Sales	12.07	(12.07)	-	-	-	-
Other Income						
External	456.32	53.57	509.89	549.65	20.51	570.16
Inter-Segment	-	-	-	-	-	-
Unallocable			183.51			407.81
Total Revenue (Net-off Inter-						
segment)			35,856.60			41,903.42
Results						
Segment result	(6,811.91)	(3,779.22)	(10,591.13)	(1,171.69)	303.92	(867.77)
Unallocated Corporate						
expenses (Net)			(3,310.71)			(2,740.66)
Operating Profit			(13,901.84)			(3,608.43
Interest Expenses			540.61			522.04
Interest Income			3,318.98			4,445.20
Profit Before Tax			(11,123.47)			314.73
Other Information						
Segment assets	(454.94)	(3,191.04)	(3,645.98)	3,559.83	691.17	4,251.00
Unallocated assets			103,297.03			99,774.2
Total assets			99,651.05			104,025.21
Segment liabilities	31,506.08	17,550.09	49,056.17	47,654.16	7,635.45	55,289.61
Unallocated liabilities			50,594.88			48,735.60
Total liabilities			99,651.05			104,025.21
Capital Expenditure	1,875.28	10,951.26	12,826.54	1,503.33	170.15	1,673.48
Unallocated capital expenditure			29.56			16.79
Total			12,856.10			1,690.27
Depreciation	1,713.86	1,249.30	2,963.16	1978.51	140.82	2,119.33
Unallocated depreciation			30.69			37.17
Total			2,993.85			2,156.50
Non-cash expenses other than						
depreciation	1,734.72	53.81	1,788.53	(724.49)	(101.57)	(826.06
Unallocated non-cash expenses				· · ·	. ,	
other than depreciation			0.16			
Total			1788.69			(826.06

Note:

Geographical Segment:

The geographical segmentation is not relevant as the operations of the company are not geographically different from each other. Sale of Products from export activities calculated on F.O.B basis is ₹ 13,793.75 lakhs (Previous Year ₹ 12,942.27 lakhs). Trade Receivable - Advance received from foreign debtors (net) as on 31.03.2016 is ₹ 1,344.18 lakhs (Previous Year ₹ 179.31 lakhs).

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 39

लेखांकन मानक-18 (एएस-18) - संबंधित पार्टी प्रकटन द्वारा अपेक्षित, उन संबंधित पार्टियों की सूची निम्नानुसार है जिनके साथ 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेन-देन हुए हैं :

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकः

कार्यात्मक निदेशक:

 1
 डॉ. आर.एन. पात्र
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 30.11.2015 तक

 2
 श्री डी. सिंह
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 01.12.2015 से

 निदेशक (विपणन)- 30.11.2015 तक

श्री सी. के. असनानी : निदेशक (तकनीकी)
 श्री राकेश तुमाने : निदेशक (वित्त)
 श्री बी. आर. तरफदार : कंपनी सचिव

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन-देन के विवरण निम्नानुसार है:

रू. लाख में

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	पारिश्रमिक	119.93	155.15
2	दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	1.20	1.93
3	ब्याज	1.18	0.00
4	31 मार्च को बकाया शेष,		
	वसूली योग्य धनराशि	0.70	0.72

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिकों के वैयक्तिक पारिश्रमिक विवरण

रू. लाख में

क्र.सं.	नाम	2015-16	2014-15
1	डॉ. आर.एन. पात्र	26.43	47.59
2	श्री डी. सिंह	26.58	34.00
3	श्री सी.के. असनानी	25.85	33.19
4	श्री राकेश तुमाने	25.54	23.92
5	श्री बी.आर. तरफदार	15.53	16.45
	कुल	119.93	155.15

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधी सेवानिवृत्ति पश्चात् कर्मचारी लाभों एवं वित्तीय विवरण में एएस-15 (पुनरीक्षित 2005) कर्मचारी लाभों के अनुसार मान्यताप्राप्त अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के हकदार हैं। चूंकि यह वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित है और अलग अलग कर्मचारी स्तर पर पहचाना नहीं जा सकता है, अत: यह ऊपर सम्मिलित नहीं है।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

₹ in lakh

Note-39

As required by Accounting Standard -18 (AS-18) – Related Party Disclosures, list of related parties with whom transactions have taken place for the year ended 31st March, 2016 are as follows:

Key Management Personnel:

Functional Directors:

Dr. R. N. Patra : Chairman and Managing Director - Till 30.011.2015
Shri D. Singh : Chairman and Managing Director - From 01.12.2015

Director (Marketing) - Till 30.11.2015

3 Shri C. K. Asnani : Director (Technical)
4 Shri Rakesh Tumane : Director (Finance)
5 Shri B. R. Tarafdar : Company Secretary

Details of transactions with key management personnel are as follows:

₹ in lakh

SI No	Particulars	2015-16	2014-15
1	Remuneration	119.93	155.15
2	Repayment of loans and advances given	1.20	1.93
3	Advances given	1.18	0.00
4	Outstanding balance as at 31st March		
	Amount recoverable	0.70	0.72

Remuneration particulars of individual key management personnel

₹ in lakh

SI. No.	Name	2015-16	2014-15
1	Dr. R.N.Patra	26.43	47.59
2	Shri. D.Singh	26.58	34.00
3	Shri C.K.Asnani	25.85	33.19
4	Shri. Rakesh Tumane	25.54	23.92
5	Shri. B.R.Tarafdar	15.53	16.45
	Total	119.93	155.15

Key management personnel and relatives of key management personnel are entitled for post employment benefits and other long term employee benefits recognized as per AS-15 (Revised 2005) Employees Benefits in the financial statements. As the same is based on actuarial valuations not identifiable at an individual employee level, thus the same is not included above.



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

दिए गए ऋणों एवं अग्रिम, ब्याज एवं बकाया का पुनर्भुगतान

		दिए गए ऋण का पुनर्भुगतान		ब्याज		बकाया शेष	
क्र.सं.	नाम	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
1	डॉ. आर.एन. पात्र	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.58
2	श्री राकेश तुमाने	0.30	0.91	0.77	0.00	0.54	0.07
3	श्री बी.आर. तरफदार	0.32	0.30	0.41	0.00	0.16	0.07
	कुल	1.20	1.93	1.18	0.00	0.70	0.72

नोट-40 : प्रति शेअर अर्जन (ईपीएस)

विवरण			असाधारण	असाधारण मदों से पूर्व		दों के पश्चात
			2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
मूल						
कर पश्चात लाभ	क	रु. लाख में	(501.31)	4,991.39	66.88	4,678.30
बकाया शेअरों की भारित औसत संख्या	ख	सं.	863,650	863,650	863,650	863,650
मूल ईपीएस	क/ख	रु.	1,210.08	58.05	1,210.08	7,074.00
तनुकृत						
कर पश्चात लाभ	क	रु. लाख में	(10,450.82)	501.31	10450.82	66.88
बकाया शेअरों की भारित औसत संख्या	ख	सं.	863,650	863,650	863,650	863,650
तनुकृत ईपीएस के लिए बकाया शेअरों						
की भारित औसत संख्या	ग	सं.	863,650	863,650	863,650	863,650
तनुकृत ईपीएस	क/ग	₹.	1,210.08	58.05	1,210.08	7,074.00
प्रति शेअर अंकित मूल्य		₹.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

नोट-41

कंपनी सामान्यत : 31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 447(ई) दिनांक 28.02.2011 द्वारा यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II के अनुच्छेदों 5(ii)(क), 5(iii), 5(viii)(क), (ख) एवं (ङ) के तहत अपेक्षित मात्रात्मक सूचना को प्रकट न करने कि लिए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(4) के तहत अनुमोदन प्राप्त करती रही है। कंपनी ने उसी प्रकार के छूट प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग-II के अनुच्छेदों 5(ii)(क), 5(iii), 5(viii)(क),(ख)(ग) एवं (ङ) के तहत अपेक्षित मात्रात्मक सूचना को प्रकटन करने के लिए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को 19.06.2016 को पत्र भेजा तथा उत्तर की प्रतीक्षा है। सामान्य रुप से प्रत्येक वर्ष की तरहअनुकूल उत्तर प्राप्त होने की प्रत्याशा में ऐसी सूचनाएं लेखाओं में प्रकट नहीं की गई हैं।

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

	Re-Payment of Loans and Advances , interest and outstanding						
SI. No.	Name	Repayment of loans		advances given		Outstanding balances	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
1	Dr. R.N.Patra	0.58	0.72	0.00	0.00	0.00	0.58
2	Shri. Rakesh Tumane	0.30	0.91	0.77	0.00	0.54	0.07
3	Shri. B.R.Tarafdar	0.32	0.30	0.41	0.00	0.16	0.07
	Total	1.20	1.93	1.18	0.00	0.70	0.72

Note-40: Earnings Per share (EPS)

Particulars			Before extra		After extra	
			ordinary items		ordinary items	
			2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Basic						
Profit after tax	Α	₹ in lakhs	(10,450.82)	(501.31)	(10,450.82)	66.88
Weighted average number of						
shares outstanding	В	No.	863,650	863,650	863,650	863,650
Basic EPS	A/B	₹	(1,210.08)	(58.05)	(1,210.08)	7.74
Diluted						
Profit after tax	Α	₹ in lakhs	(10,450.82)	(501.31)	(10,450.82)	66.88
Weighted average number of						
shares outstanding	В	No.	863,650	863,650	863,650	863,650
Weighted average number of shares						
outstanding for diluted EPS	С	No.	863,650	863,650	863,650	863,650
Diluted EPS	A/C	₹	(1,210.08)	(58.05)	(1,210.08)	7.74
Face value per share		₹	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

Note-41

The Company normally gets an approval under section 211 (4) of the Companies Act, 1956 from Government of India, Ministry of Corporate Affairs for non-disclosure of quantitative information required under paragraphs 5 (ii) a, 5(iii), 5 (viii) a, b and (e) of Part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956I as amended vide Notification No.G.S.R.447 (E) dated 28.02.2011, upto the financial year ended on 31-03-2014. In line with same the Company has made an application for getting the exemptions for non disclosure of quantitative information as required under para 5(ii) (a), 5(iii), 5(viii) (a), (b), (c) & (e) of Part-II of Schedule -III of Companies Act 2013 to the Ministry of Corporate Affairs vide letters dated 19.06.2016 and the reply is yet to come. Antipating the favourable reply as the company normally gets in every year, such informations are not disclosed in the Accounts.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट-42 :

एएस-15 (पुनरीक्षित) "कर्मचारी लाभ" के अनुसार लेखा मानक में परिभाषित प्रकटन नीचे दिए गए है :

क. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ ः [लेखा नीति सं. 1.13 (क)]

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के प्रति देयता को वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में एक व्यय के रुप में माना जाता है।

ख. नियोजन पश्चात् लाभ :

i. परिभाषित योगदान योजनाः

(रू. लाख मे)

विवरण	2015-16	2014-15
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	234.16	193.39
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का योगदान	37.02	40.29
अधिवर्षिता योजना में नियोक्ता का योगदान	496.95	485.64

ii. परिभाषित लाभ योजना :

कंपनी की निम्नलिखित परिभाषित लाभ योजनाएं हैं:

विवरण टिप्पणी

उपदान भविष्य निधि (पीएफ) सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) एलआईसी के माध्यम से निधिप्रदत्त न्यास के माध्यम से निधिप्रदत्त निधिप्रदत्त नहीं

उपदान : [लेखा नीति सं. 1.13(ख)(व)(i)]

न्यास द्वारा व्यवस्थित कर्मचारी उपदान निधि योजना एक परिभाषित लाभ योजना है। दायित्व का वर्तमान मूल्य परियोजित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर निश्चित किया जाता है जो सेवा की प्रत्येक अवधि को लाभ हकदारी की एक अतिरिक्त यूनिट को बढ़ाने वाला मानता हैं तथा अंतिम दायित्व के निर्माण के लिए प्रत्येक यूनिट को अलग अलग मापता है।

बीमांकक पूर्वानुमानः

विवरण	2015-16	2014-15
	आईएएलएम (2006	आईएएलएम (2006
मृत्यु दर सारणी	-08) अल्टिमेट	-08) अल्टिमेट
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.80%	7.98%
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ की प्रत्याशित दर (प्रति वर्ष)	7.80%	7.98%
वेतन में वृद्धि की दर (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50%
संनिधर्षण दर (प्रति वर्ष)	2.00%	2.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60

बीमांकक मूल्यांकन में विचारित लाभ की प्रत्याशित दर पीपीएफ जैसी जोखिम मुक्त निवेशों पर उपलब्ध मानी जाती है क्योंकि एलआईसी के साथ निवेश होता है तथा निवेशों की सूची उपलब्ध नहीं है।

परिभाषित लाभ दायित्व का प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष का समाधान :



Note 42:

As per AS-15 (Revised) "Employee Benefits", the disclosures as defined in the Accounting Standard are furnished below:

a. Short term employee benefits: [Accounting Policy No. 1.13(A)]

The liability towards short term employee benefits is recognized as an expense for the year in the Statement of Profit and Loss

b. Post employment benefits:

i. Defined contribution plan:

(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15
Employer's contribution to Pension Scheme	234.16	193.39
Employer's contribution to New Pension Scheme	37.02	40.29
Employer's contribution to Superannuation scheme	496.95	485.64

ii. Defined Benefits Plan:

The Company has the following defined benefits plans:

Particulars	Remarks
Gratuity	Funded through LIC
Provident Fund (PF)	Funded through Trust
Post Retirement Medical Scheme (PRMS)	Unfunded

Gratuity: [Accounting Policy No. 1.13(B)(b)(i)]

The employees, gratuity fund scheme managed by a trust is a defined benefit plan. The present value of obligation is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method, which considers each period of service as giving rise to an additional unit of benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation.

Actuarial assumptions:

Particulars	2015-16	2014-15
Mortality Table	IALM (2006-08)	IALM (2006-08)
	Ultimate	Ultimate
Discount rate (per annum)	7.80%	7.98%
Expected rate of return on plan assets (per annum)	7.80%	7.98%
Rate of escalation in salary (per annum)	5.50%	5.50%
Attrition rate (per annum)	2.00%	2.00%
Retirement age (years)	60	60

The expected rate of return considered in actuarial valuation is assumed to be available on risk free investments like PPF as the investment is with LIC and list of investments is not available.

Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation:

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

(रू. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	10,874.26	10,138.81
चालू सेवा लागत	298.09	295.83
ब्याज लागत	867.78	941.89
पिछली सेवा लागत - गैर निहित लाभ	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - निहित लाभ	0.00	0.00
अंदर अंतरित देयता	3.58	0.00
(बाहर अंतरित देयता)	0.00	0.00
बीमांकक (लाभ)/हानि	212.86	424.97
भुगतान किए गए लाभ	(1,432.51)	(927.24)
वर्षांत पर परिभाषित लाभ दायित्व	10,824.06	10,874.26

योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य के आरंभ शेष एवं अंतिम शेष का समाधान

(रू. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	9,734.93	8,893.53
योजना परिसंपत्तियों की प्रत्याशित वापसी	776.85	773.74
बीमांकक (लाभ)/हानि	86.39	84.93
नियोक्ता का योगदान	919.90	909.97
अन्य कंपनी से अंतरित	3.59	0.00
(अन्य कंपनी को अंतरित)	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	(1,432.51)	(927.24)
वर्षांत पर योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	10,089.15	9,734.93
योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक वापसी	863.24	858.67

योजना परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान ः

(रू. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10,089.15	9,734.93
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	10,824.06	10,874.26
अवधि की समाप्ति पर गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
अवधि की समाप्ति पर गैर चिन्हित संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00
तुलन पत्र में चिन्हित शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति	(734.91)	(1,139.33)

वर्ष के दौरान चिन्हित बीमांकक (लाभ)/हानि:

(रू. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकक (लाभ)/हानि	(86.39)	(84.93)
दायित्वों पर बीमांकक (लाभ)/हानि	212.86	424.97
शुद्ध योग	126.47	340.04

वर्ष के दौरान चिन्हित व्यय (संदर्भ नोट -23 के तहत कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ):



(₹ in lakh)

		(\ III Iakii)
Particulars	2015-16	2014-15
Defined benefit obligation at beginning of the year	10,874.26	10,138.81
Current service cost	298.09	295.83
Interest cost	867.78	941.89
Past service cost- non vested benefit	0.00	0.00
Past service cost- vested benefit	0.00	0.00
Liability transferred in	3.58	0.00
(Liability transferred out)	0.00	0.00
Actuarial (gain)/loss	212.86	424.97
Benefits paid	(1,432.51)	(927.24)
Defined benefit obligation at year end	10,824.06	10,874.26

Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets:

(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15
Fair value of plan assets at beginning of the year	9,734.93	8,893.53
Expected return of plan assets	776.85	773.74
Actuarial gain/(Loss)	86.39	84.93
Employer's contribution	919.90	909.97
Transfer from other Company	3.59	0.00
(Transfer to Other Company)	0.00	0.00
Benefits paid	(1,432.51)	(927.24)
Fair value of plan assets at year end	10,089.15	9,734.93
Actual return on plan assets	863.24	858.67

Reconciliation of fair value of plan assets and obligations:

(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15
Fair value of plan assets	10,089.15	9,734.93
Present value of obligation	10,824.06	10,874.26
Unrecognized past service cost at the end of the period	0.00	0.00
Unrecognized transitional liability at the end of the period	0.00	0.00
Net (Liability)/ Asset recognized in the Balance Sheet	(734.91)	(1,139.33)

Actuarial (gain)/Loss recognized during the year:

(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15
Actuarial (gain)/Loss on plan assets	(86.39)	(84.93)
Actuarial (gain)/Loss on obligation	212.86	424.97
Net Total	126.47	340.04

Expenses recognized during the year (Ref. Employees remuneration and benefits under Note-23):



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

(रु. लाख में)

		((((((((((((((((((((
विवरण	2015-16	2014-15
चालू सेवा लागत	298.09	295.83
ब्याज लागत	867.78	941.89
(योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित वापसी)	(776.85)	(773.74)
बीमांकक (लाभ)/हानि	126.47	340.04
पिछली सेवा लागत - अवधि के दौरान चिन्हित गैर निहित लाभ	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - अवधि के दौरान चिन्हित निहित लाभ	0.00	0.00
अवधि के दौरान चिन्हित संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00
शुद्ध लागत	515.49	804.02

तुलन पत्र समाधान :

(रु. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
आरंभिक शुद्ध देयता	1,139.33	1,245.28
व्यय	515.49	804.02
अंतर अंतरित शुद्ध	0.00	0.00
(बाहर अंतरित शुद्ध)	0.00	0.00
नियोक्ता का योगदान	(919.90)	(909.97)
तुलन पत्र में चिन्हित शुद्ध (देयता)/पिरसंपत्ति	734.92	1,139.33

निवेश विवरण

(निवेश का %)

		(11941 971 70)
परिसंपत्तियों का प्रकार	2015-16	2014-15
भारत सरकार की परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00
कारपोरेट बंधपत्र	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00
इंश्योरर द्वारा व्यवस्थित निधियाँ	100.00	100.00
अन्य	0.00	0.00
कुल	100.00	100.00

वर्तमान वार्षिक अवधि एवं पिछली चार वार्षिक अवधियों के लिए धनराशियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
दायित्व का वर्तमान मूल्य	10,824.06	10,874.26	10,138.81	9,515.98	8,415.67
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10,089.15	9,734.93	8,893.53	8,026.55	6,517.25
योजना में अधिशेष/(घाटा)	(734.91)	(1,139.33)	(1,245.28)	(1,489.43)	(1,898.42)
अनुभव समायोजनः					
योजना पर देयता (लाभ)/हानि	131.36	(185.46)	305.94	514.57	901.58
योजना पर परिसंपत्तियाँ (लाभ)/हानि	86.39	84.93	75.71	138.32	114.55



(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15
Current Service cost	298.09	295.83
Interest cost	867.78	941.89
(Expected return on Plan assets)	(776.85)	(773.74)
Actuarial (gain) / loss	126.47	340.04
Past service cost- non vested benefit recognized during the period	0.00	0.00
Past service cost- vested benefit recognized during the period	0.00	0.00
Transitional liability recognized during the period	0.00	0.00
Net Cost	515.49	804.02

Balance sheet reconciliation:

(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening net liability	1,139.33	1,245.28
Expenses	515.49	804.02
Net Transfer In	0.00	0.00
(Net Transfer Out)	0.00	0.00
Employer's contribution	(919.90)	(909.97)
Net (Liability)/ Asset recognized in the Balance Sheet	734.92	1,139.33

Investment details:

(% of investment)

Type of Assets	2015-16	2014-15
Government of India Assets	0.00	0.00
Corporate Bonds	0.00	0.00
Special Deposits Scheme	0.00	0.00
Equity shares of listed Companies	0.00	0.00
Property	0.00	0.00
Insurer Managed Funds	100.00	100.00
Others	0.00	0.00
Total	100.00	100.00

Amounts for the current annual period and previous four annual periods:

(₹ in lakh)

					,
Particulars	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
Present value of obligation	10,824.06	10,874.26	10,138.81	9,515.98	8,415.67
Fair value of plan assets	10,089.15	9,734.93	8,893.53	8,026.55	6,517.25
Surplus /(Deficit)in the plan	(734.91)	(1,139.33)	(1,245.28)	(1,489.43)	(1,898.42)
Experience Adjustment:					
On plan liability (gain)/loss	131.36	(185.46)	305.94	514.57	901.58
On plan assets gain/(loss)	86.39	84.93	75.71	138.32	114.55

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

भविष्य निधि (पीएफ) : (लेखा नीति सं. 1.13(ख)(बी)(ii))

कंपनी एक भविष्य निधि न्यास के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रबंध करती है जो भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत अनुमन्य है । योजना में नियोक्ता एवं कर्मचारियों द्वारा योगदान दिया जाता है तथा भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दर पर गारंटी प्रदत्त ब्याज दर दी जाती है ।

बीमांकक पूर्वानुमान:

विवरण	2015-16	2014-15
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.80%	7.98%
गारंटी प्रदत्त वापसी (प्रति वर्ष)	8.80%	8.75%
संनिधर्षण दर (प्रति वर्ष)	2.00%	2.00%

परिभाषित लाभ दायित्व के आरंभ शेष तथा अंतिम शेष का समाधान :

(रु. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	29,299.91	27,103.58
चालू सेवा लागत	1,067.01	1,101.90
ब्याज लागत	2,522.27	2,345.33
कर्मचारी योगदान (वीपीएफ सहित)	2,165.66	2,062.44
अंदर अंतरित देयता	337.21	45.45
(बाहर अंतरित देयता)	(400.33)	(62.67)
बीमांकक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	(4,537.60)	(3,296.12)
वर्षांत पर परिभाषित दायित्व	30,454.12	29,299.91

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर आरंभ शेष तथा अंतिम शेष का समाधान :

(रु. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	27,386.35	29,632.33
योजना परिसंपत्तियों की प्रत्याशित वापसी	2,345.33	2,522.27
अन्य कंपनी से अंतरित	45.45	337.21
(अन्य कंपनी को अंतरित)	(62.67)	(400.33)
बीमांकक लाभ/(हानि)	49.65	99.82
योगदान	3,164.34	3,232.67
भुगतान किए गए लाभ	(3,296.12)	(4,537.59)
वर्षात पर योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	29,632.33	30,886.37

योजना परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान:

(रु. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	30,886.37	29,632.33
(दायित्वों का वर्तमान मूल्य)	(30,454.12)	(29,299.91)
प्रदत्त निधि की स्थिति	432.25	332.42
पुस्तकों में गैर चिन्हित शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	(432.25)	(332.42)
तुलन पत्र में चिन्हित धनराशि	0.00	0.00

86



Provident Fund (PF): [Accounting Policy No. 1.13(B)(b)(ii)]

The Company manages provident fund through a provident fund trust for its employees which is permitted under the Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The plan envisages contribution by employer and employees and guaranteed interest at the rate notified by the provident fund authority.

Actuarial assumptions:

Particulars	2015-16	2014-15
Discount rate (per annum)	7.80%	7.98%
Guaranteed return (per annum)	8.80%	8.75%
Attrition rate (per annum)	2.00%	2.00%

Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation:

(₹ in lakh)

2015-16	2014-15		
29,299.91	27,103.58		
1,067.01	1,101.90		
2,522.27	2,345.33		
2,165.66	2,062.44		
337.21	45.45		
(400.33)	(62.67)		
0.00	0.00		
(4,537.60)	(3,296.12)		
30,454.12	29,299.91		
	29,299.91 1,067.01 2,522.27 2,165.66 337.21 (400.33) 0.00 (4,537.60)		

Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets:

(₹ in lakh)

Particulars	2014-15	2015-16
Fair value of plan assets at beginning of the year	27,386.35	29,632.33
Expected return of plan assets	2,345.33	2,522.27
Transfer from other Company	45.45	337.21
(Transfer to Other Company)	(62.67)	(400.33)
Actuarial gain/(Loss)	49.65	99.82
Contribution	3,164.34	3,232.67
Benefits paid	(3,296.12)	(4,537.59)
Fair value of plan assets at year end	29,632.33	30,886.37

Reconciliation of fair value of plan assets and obligations:

(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15
Fair value of plan assets	30,886.37	29,632.33
(Present value of obligation)	(30,454.12)	(29,299.91)
Funded Status	432.25	332.42
Net liability/(asset) not recognized in the books	(432.25)	(332.42)
Amount recognized in balance sheet	0.00	0.00\



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

वर्ष के दौरान चिन्हित व्यय (संदर्भ नोट-23 के तहत कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ) :

(रु. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
चालू सेवा लागत	1,067.01	1,101.90
ब्याज लागत	2,522.27	2,345.33
(योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित वापसी)	(2,522.27)	(2,345.33)
बीमाकंक लाभ/(हानि)	99.82	49.65
पुस्तकों में गैर चिन्हित शुद्ध व्यय/(आय)	(99.82)	(49.65)
उपयोग में लाया गया अधिशेष	0.00	0.00
ब्याज में कमी	0.00	0.00
शुद्ध लागत	1,067.01	1,101.90

तुलन पत्र समाधान

(रु. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
आरंभिक शुद्ध देयता	0.00	0.00
व्यय	1,067.01	1,101.90
अंदर अंतरित शुद्ध	0.00	0.00
(बाहर अंतरित शुद्ध)	0.00	0.00
(नियोक्ता का योगदान)	(1,067.01)	(1,101.90)
तुलन पत्र में चिन्हित धनराशि	0.00	0.00

निवेश का विवरण:

(निवेश का %)

		(* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
परिसंपत्तियों का प्रकार	2015-16	2014-15
भारत सरकार का परिसंपत्तियाँ	15.95	18.52
राज्य सरकार की परिसंपत्तियाँ	18.79	16.10
विशेष जमा योजना	14.29	14.89
अन्य बांड	43.39	43.22
बैंक शेष	0.39	0.29
अन्य	7.19	6.95
समायोजित करने के लिए प्रीमियम जोड़ें	0.03	0.03
कुल	100.00	100.00

वर्तमान वार्षिक अवधि एवं पिछली चार वार्षिक अवधियों के लिए धनराशियाँ :

(रु. लाख में)

					((((((((((((((((((((
विवरण	2015-16	2014-15	2013-14	2012-11	2011-12
दायित्व का वर्तमान मूल्य	30,454.12	29,299.91	27,103.58	24,512.59	22,398.59
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	30,886.37	29,632.33	27,386.35	24,782.12	22,624.83
योजना में अधिशेष/(लाभ)	432.25	332.42	282.77	269.53	226.24
अनुभव समायोजनः					
योजना पर देयता (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना पर परिसंपत्तियाँ (लाभ)/हानि	99.82	49.65	13.25	43.29	104.61



Expenses recognized during the year (Ref. Employees remuneration and benefits under Note-23):

(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15
Current Service cost	1,067.01	1,101.90
Interest cost	2,522.27	2,345.33
(Expected return on Plan assets)	(2,522.27)	(2,345.33)
Actuarial gain/(Loss)	99.82	49.65
Net expense/(income) not recognized in the books	(99.82)	(49.65)
Surplus Utilised	0.00	0.00
Interest Shortfall	0.00	0.00
Net Cost	1,067.01	1,101.90

Balance sheet reconciliation:

(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening net liability	0.00	0.00
Expenses	1,067.01	1,101.90
Net Transfer In	0.00	0.00
(Net Transfer Out)	0.00	0.00
(Employer's contribution)	(1,067.01)	(1,101.90)
Amount recognized in the balance sheet	0.00	0.00

Investment details:

(% of investment)

Type of Assets	2015-16	2014-15
Government of India Assets	15.95	18.52
State Government Assets	18.79	16.10
Special Deposits Scheme	14.29	14.89
Other Bonds	43.39	43.22
Bank Balance	0.39	0.29
Others	7.19	6.95
Add premium to be adjusted	0.03	0.03
Total	100.00	100.00

Amounts for the current annual period and previous four annual periods:

(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15	2013-14	2012-11	2011-12
Present value of obligation	30,454.12	29,299.91	27,103.58	24,512.59	22,398.59
Fair value of plan assets	30,886.37	29,632.33	27,386.35	24,782.12	22,624.83
Surplus /(Deficit)in the plan	432.25	332.42	282.77	269.53	226.24
Experience Adjustment:					
On plan liability (gain)/loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
On plan assets gain/(loss)	99.82	49.65	13.25	43.29	104.61

NA: Not Available



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) : (लेखा नीति सं. 1.13(ख)(ब)(iii))

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्छात उनकी स्वास्थ्य देखभाल लागतों (घरेलू एवं अस्पताल दानों) की प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रतिपूर्ति कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय उसके संवर्ग के आधार पर एक समग्र सीमा के अधीन की जाती है।

बीमांकक पूर्वानुमान:

विवरण	2015-16	2014.15
मृत्युदर साग्णी	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट
वट्टा दर (प्रति वर्ष)	8.06%	7.95%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60
संनिघर्षण दर (प्रति वर्ष)	2.00%	2.00%
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति दर	3.50%	5.00%

भावी देयताओं का वर्तमान बीमांकक मूल्यांकन में 8.06% ब्याज दर के आधार पर तक पहुँच गया है जिसमें यह माना गया है कि इस मूल्यांकन तक पहुँचा चिकित्सा आरक्षित तथा उस पर भावी वृद्धियाँ न्यूनतम 8.06% की ब्याज दर के साथ क्रेडिट होंगी।

परिभाषित लाभ दायित्व के आरंभ शेष तथा अंतिम शेष का समाधान:

(रू. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	5,144.43	4,730.09
चालू सेवा लागत	147.32	178.50
ब्याज लागत	408.98	439.42
पिछली सेवा लागत - गैर निहित लाभ	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - निहित लाभ	0.00	0.00
अंदर अंतरित देयता	0.00	0.00
(बाहर अंतरित देयता)	0.00	0.00
बीमांकक (लाभ)/हानि	(350.73)	39.43
भुगतान किए गए लाभ	(240.45)	(243.01)
वर्षांत पर परिभाषित दायित्व	5,109.55	5,144.43

योजना परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान:

(रू. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0.00	0.00
दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,109.55	5,144.43
अवधि को समाप्ति पर गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
तुलन पत्र में चिन्हित धनराशि	5,109.55	5,144.43



Post Retirement Medical Scheme (PRMS): [Accounting Policy No. 1.13(B)(b)(iii)]

The post retirement medical scheme provides for reimbursement of health care costs (both domicilliary & hospitalisation) to employees post their retirement. The reimbursement is subject to an overall ceiling based on cadre of the employee at the time of retirement.

Actuarial assumptions:

(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15
Mortality Table	IALM (2006-08)	IALM (2006-08)
	Ultimate	Ultimate
Discount rate (per annum)	8.06%	7.95%
Normal retirement age (years)	60	60
Attrition rate (per annum)	2.00%	2.00%
Medical cost inflation rate	3.50%	5.00%

The present values of the future liabilities have been arrived at on the basis of 8.06% interest rate in actuarial valuation, assuming that the medical reserve arrived at by this valuation and the future increases thereon will be credited with at least 8.06% interest rate.

Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation:

(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15
Defined benefit obligation at beginning of the year	5,144.43	4,730.09
Current service cost	147.32	178.50
Interest cost	408.98	439.42
Past service cost- non vested benefit	0.00	0.00
Past service cost- vested benefit	0.00	0.00
Liability transferred in	0.00	0.00
(Liability transferred out)	0.00	0.00
Actuarial (gain)/loss	(350.73)	39.43
Benefits paid	(240.45)	(243.01)
Defined benefit obligation at year end	5,109.55	5,144.43

Reconciliation of fair value of plan assets and obligations:

(₹ in lakh)

		,
Particulars	2015-16	2014-15
Fair value of plan assets	0.00	0.00
Present value of obligation	5,109.55	5,144.43
Unrecognized past service cost at the end of the period	0.00	0.00
Amount recognized in balance sheet	5,109.55	5,144.43

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

(रु. लाख में)

वर्ष के दौरान चिन्हित व्यय (संदर्भ नोट-23 के तहत कर्मचारियों के पारिश्रामिक एवं लाभ) :

विवरण	2015-16	2014-15
चालू सेवा लागत	147.32	178.50
ब्याज लागत	408.98	439.42
बीमांकक (लाभ)/हानि	(350.73)	39.43
पिछली सेवा लागत - अवधि के दौरान चिन्हित गैर निहित लाभ	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - अवधि के दौरान चिन्हित निहित लाभ	0.00	0.00
शुद्ध लागत*	205.57	657.35

तुलन पत्र समाधान ः

(रु. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
आरंभिक शुद्ध देयता	5,144.43	4,730.09
व्यय	205.57	657.35
अंतर अंतरित शुद्ध	0.00	0.00
(बाहर अंतरित शुद्ध)	0.00	0.00
नियोक्ता का योगदान	(240.45)	(243.01)
तुलन पत्र में चिन्हित धनराशि	5,109.55	5,144.43

संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

	2015-16	2014-15
बट्टे दर में 1% की वृद्धि हेतु देयता में परिवर्तन	(459.56)	(456.76)
बट्टे दर में 1% की कमी हेतु देयता में परिवर्तन	547.06	542.86
मुद्रास्फीति दर में 1% की वृद्धि हेतु देयता में परिवर्तन	550.81	547.24
मुद्रारफीति दर में 1% की कमी हेतु देयता में परिवर्तन	(463.67)	(461.39)

वर्तमान वार्षिक अवधि एवं पिछले चार वार्षिक अवधियों के लिए धनराशियाँ:

(रु. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,109.55	5,144.43	4,730.09	4,682.84	4,132.35
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना में अधिशेष/(घाटा)	(5,109.55)	(5,144.43)	(4,730.09)	(4,682.84)	(4,132.35)

ग. अन्य दीर्घकालिक लाभ :

छुट्टी देयता

) छुट्टी देयता अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के अंतर्गत हैं तथा इसका बीमांकक मूल्यांकन किया जाता है तथा बही में तद्नुसार दिया जाता है ।

(रु. लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
सकल देयता	5,977.49	5,749.43

ii) पुन : स्थापन भत्ता : कंपनी से सेवानिवृत्त पर पुन : स्थापन भत्ता को 'अन्य दीर्घकालिक गैर निधिप्रदत्त कर्मचारी लाभ' के रुप में माना जाता हैं। बहियों में रू. 85.72 लाख (पिछले वर्ष रू. 90.66 लाख) के प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर बनाए गए हैं।



Expenses recognized during the year (Ref. Employees remuneration and benefits under Note-23):

(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15
Current Service cost	147.32	178.50
Interest cost	408.98	439.42
Actuarial (gain) / loss	(350.73)	39.43
Past service cost- non vested benefit recognized during the period	0.00	0.00
Past service cost- vested benefit recognized during the period	0.00	0.00
Net Cost	205.57	657.35

Balance sheet reconciliation:

(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening net liability	5,144.43	4,730.09
Expenses	205.57	657.35
Net Transfer In	0.00	0.00
(Net Transfer Out)	0.00	0.00
Employer's contribution	(240.45)	(243.01)
Amount recognized in the balance sheet	5,109.55	5,144.43

Sensitivity analysis:

(₹ in lakh)

	2015-16	2014-15
Change in liability for 1% increase in discount rate	(459.56)	(456.76)
Change in liability for 1% decrease in discount rate	547.06	542.86
Change in liability for 1% increase in inflation rate	550.81	547.24
Change in liability for 1% decrease in inflation rate	(463.67)	(461.39)

Amounts for the current annual period and previous four annual periods:

(₹ in lakh)

					,
Particulars	2015.16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
Present value of obligation	5,109.55	5,144.43	4,730.09	4,682.84	4,132.35
Fair value of plan assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus /(Deficit)in the plan	(5,109.55)	(5,144.43)	(4,730.09)	(4,682.84)	(4,132.35)

c. Other Long Term Benefits:

Leave liability

i. Leave liability is under "Other long term employee benefit" and is valued actuarially and provided in the books accordingly.

(₹ in lakh)

Particulars	2015-16	2014-15
Gross liability	5,977.49	5,749.43

ii. Resettlement allowance: Resettlement allowance on retirement from the Company is considered as "Other long term unfunded employee benefit". The provision amounting to ₹ 85.72 lakh (previous year ₹ 90.66 lakh) in the books is made based on actuarial valuation.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

iii गैर अधिकारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): बहियों में एस टी सी हेतु रू. 63.78 लाख (पिछले वर्ष रू. 60.77 लाख) के प्रावधान बीमांकक, मूल्यांकन के आधार पर बनाए गए हैं।

टिप्पणियाँ :

- i. बीमांकक मूल्यांकन में मानी जाने वाली भावी वेतन की अनुमानित लागत में मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित तथ्यों जैसे नियोजन बाजार में आपूर्ति एवं मांग का ध्यान रखा जाता है ।
- ii कंपनी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपदान निधि हेतु रु. 895.88 लाख (पिछले वर्ष रु. 905.33 लाख) दिए जाने का अनुमान लगाती है।

नोट-43

जहां आवश्यक हो, पूर्व वर्षों के आंकड़ों को पुन: समूहीकृत/पुन: वर्गीकृत किया गया है।

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एस. के पटोदिया एंड एसोसिएट्स

कृते निदेशक मण्डल का बोर्ड

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 112723डब्ल्यू

अरुण पोद्दार बी.आर. तरफदार राकेश तुमाने दिपेन्द्र सिंह

भागीदार कंपनी सचिव निदेशक (वित्त एवं अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सदस्यता संख्या :134572 मुख्य वित्त अधिकारी)

मुंबई, मुंबई

दिनांक: 08 जुलाई 2016 दिनांक: 08 जुलाई 2016

INDIAN RARE EARTHS LIMITED



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2016

iii. Leave Travel Concession (LTC) for non-executives: Provision for LTC amounting to ₹ 63.78 lakh (previous year ₹ 60.77 lakh) in the books is made based on actuarial valuation.

Notes:

- i. The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market.
- ii. The Company estimates that the amount to be contributed to the gratuity fund for the financial year 2016-17 will be ₹895.88 lakhs (Previous year ₹905.33 lakhs).

Note-43

Previous year figures have been regrouped / re-classified wherever necessary.

As per our report of even date attached

For and on behalf of the Board

S. K. Patodia & Associates Chartered Accountants

Firm Registration Number: 112723W

Arun Poddar B R Tarafdar Rakesh Tumane D Singh
Partner Company Secretary Director (Finance & CFO) Chairman and
M. No. 134572 Managing Director

Mumbai Mumbai

Dated: 8th July, 2016 Dated: 8th July, 2016